

प्रतिवेदन संख्या. 144751-IN

# भारत

ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना  
कम आय वाले राज्यों के लिए

(P132173)

निरीक्षण पैनल

अन्वेषण प्रतिवेदन



जनवरी 15, 2020

## साभार

यह प्रतिवेदन कई लोगों के योगदान से लाभान्वित हुआ है. निरीक्षण पैनल भारत के झारखण्ड राज्य में अनुरोधकर्ताओं और अन्य समुदाय के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता है , जिन्होंने पैनल टीम के साथ बात-चीत के लिए समय निकाला और उनकी चिंताओं को समझने में मदद की. टीम पैनल और उसकी प्रक्रिया में उनके द्वारा दिए गए भरोसे की प्रशंसा करती है.

यह पैनल तदनु रूप कई राष्ट्रीय , राज्य और जिला सरकार के अधिकारियों का आभारी है जिन्होंने टीम के साथ मुलाकात की और अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की. टीम उसी तरह स्वतंत्र विशेषज्ञों की ऋणी है जिन्होंने स्वेच्छा से अपने समय और विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से पैनल को **संथाल** और **हो** जनजातीय लोगों के बारे में शिक्षित करने में सहायता की. पैनल खुले तौर पर प्रासंगिक जानकारी साझा करने के लिए और परियोजना स्थलों तक पहुँच की सुविधा के लिए अवस्थापना निर्माण ठेकेदार को भी धन्यवाद देता है.

पैनल विश्व बैंक प्रबन्धन, कर्मचारियों और सलाहकारों को सूचना के लिए कई अनुरोधों का त्वरित जवाब देने के लिए आभार व्यक्त करता है . पैनल आगे नई दिल्ली में विश्व बैंक के राष्ट्रीय कार्यालय को परियोजना क्षेत्र मंटीम की दो यात्राओं के दौरान यात्रा, खाने-पीने, रहने आदि की व्यवस्था के लिए धन्यवाद देना चाहता है और विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक जो भारतवर्ष में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्टाफ को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद देना चाहता है.

पैनल अपने सलाहकारों - Chris McGahey , जल और स्वच्छता में विशेषज्ञता रखने वाले एक सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर, और मूलनिवासियों के मुद्दों और विश्व बैंक की नीतियों में विशेषज्ञता वाले मानवविज्ञानी, Navin Rai - जब पैनल प्रतिवेदन का मसौदा तैयार कर रहा था उनकी विशेषज्ञ सलाह और कार्य के प्रति व्यावसायिकता के उच्च स्तर के लिए बहुत महत्व देता है.

अंत में पैनल वरिष्ठ ऑपरेशन अधिकारी Reinett Erkan, ऑपरेशन अधिकारी Tamara Milsztajn और शोध सहायक Rupesh Dalai सहित सचिवालय के समस्त सदस्यों को निरीक्षण में उनके उचित ज्ञान और संसाधनयुक्त सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है.

## Abbreviations

BOD	Biochemical Oxygen Demand
BTOR	Back to Office Report
CAPEX	Capital Expenditure/Capital Cost of a Water Supply Scheme
CAS	Country Assistance Strategy
CNT	Chhota Nagpur Tenancy Act
CPS	Country Partnership Strategy
DO	Dissolved Oxygen
DPMU	District Project Management Unit
DPR	Detailed Project Report
DWSD	Drinking Water and Sanitation Department (Jharkhand)
EA	Environment Assessment
EA-EMF	Environmental Assessment-Environment Management Framework
EDS	Environmental Data Sheet
EMP	Environmental Management Plan
ESR	Elevated Storage Reservoir
FGD	Focus Group Discussion
FIR	First Information Report
GP	<i>Gram Panchayat</i>
GRM	Grievance Redress Mechanism
IDA	International Development Association
IEC	Information, Education and Communication
IPP	Indigenous Peoples Plan
IPPF	Indigenous Peoples Planning Framework
ISDS	Integrated Safeguards Data Sheet
ISR	Implementation Status & Results Report
LIS	Low Income States
lpcd	Liters Per Capita Per Day
MoDWS	Ministry of Drinking Water and Sanitation
MTR	Mid-Term Review
MVS	Multi-Village Scheme
MVWSC	Multi-Village Water and Sanitation Committee
NGO	Non-Governmental Organization
NOC	No Objection Certificate
NPMU	National Project Management Unit
O&M	Operations and Maintenance
OP/BP	Operational Policies/Bank Procedures
PESA	Panchayat Raj (Extension to Scheduled Area) Act
PIP	Project Implementation Plan
PRI	Panchayat Raj Institution
RPF	Resettlement Policy Framework
RWSS-LIS	Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States
SA	Social Assessment, Capacity Building and Communication Framework

SLWM	Solid and Liquid Waste Management
SMF	Social Management Framework
SPMU	State Project Management Unit
ST	Scheduled Tribes
SVS	Single-Village Scheme
TDIP	Tribal Development Implementation Plan
TDP	Tribal Development Plan
TTL	Task Team Leader
VWSC	Village Water and Sanitation Committee
WASH	Water Sanitation and Hygiene
WHO	World Health Organization
WTP	Water Treatment Plant

## अनुक्रमणिका

<b>कार्यकारी सारांश</b> .....	7
पृष्ठभूमि .....	7
परियोजना विवरण .....	7
निरीक्षण और प्रबन्धन प्रतिक्रियाओं के लिए अनुरोध .....	8
पर्यावर्णीय आकलन .....	9
स्थल-विशिष्ट पर्यावर्णीय आकलन .....	10
पर्यावर्णीय और आर्थिक चिंताएँ .....	12
मूल निवासी समुदायों पर प्रभाव .....	13
संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों पर प्रभाव .....	13
सामाजिक सुरक्षा साधनों पर परामर्श और प्रकटीकरण .....	15
साइट चयन आवश्यकताएँ और आकलन .....	16
साइट चयन प्रक्रिया और निर्णय लेना .....	16
प्रतिशोध .....	18
जमशेदपुर सिटी सीमाओं का विस्तार .....	19
शिकायत निवारण तंत्र .....	19
परियोजना पर्यवेक्षण और उपचारात्मक कार्रवाई .....	20
पर्यवेक्षण .....	20
उपचारात्मक कार्रवाइयाँ .....	22
निष्कर्ष .....	22
<b>अध्याय 1: परिचय</b> .....	24
अनुरोधों की पृष्ठभूमि .....	24
1.2 निरीक्षण और प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के लिए अनुरोध .....	24
निरीक्षण हेतु अनुरोध .....	24
देश और जन-जातीय परिदृश्य, परियोजना विवरण .....	30
<b>अध्याय 2 : पर्यावर्णीय आकलन</b> .....	38
2.1 परिचय .....	38
2.2 निरीक्षण हेतु अनुरोध और प्रबंधन प्रतिक्रियाएँ .....	38
2.3 बैंक नीतियाँ .....	41
2.4 पैनल के प्रेक्षण और विश्लेषण .....	42
तालिका 1: योजना के घटक .....	44
<b>अध्याय 3 : मूल समुदायों पर प्रभाव</b> .....	63

3.1 परिचय .....	63
3.2 निरीक्षण (जाँच) के लिए अनुरोध और प्रबन्धन प्रतिक्रियायें.....	63
प्रबन्धन प्रतिक्रियायें .....	65
3.3 बैंक नीतियाँ .....	68
3.4 पैनल के प्रेक्षण और विश्लेषण .....	70
<b>अध्याय 4: स्थल चयन की आवश्यकताएँ और आकलन .....</b>	<b>92</b>
4.1 परिचय .....	92
4.2 निरीक्षण (जाँच) हेतु अनुरोध और प्रबन्धन प्रतिक्रियायें.....	92
4.3 बैंक नीतियाँ .....	95
4.4 पैनल के प्रेक्षण और विश्लेषण .....	97
<b>अध्याय 5: परियोजना का पर्यवेक्षण और सुधारात्मक कार्य.....</b>	<b>114</b>
5.1 परिचय .....	114
5.2 निरीक्षण के लिए अनुरोध और प्रबन्धन प्रतिक्रियायें.....	114
5.3 बैंक नीतियाँ .....	115
5.4 पैनल के प्रेक्षण और विश्लेषण .....	116
<b>अध्याय 6: निष्कर्ष.....</b>	<b>129</b>
<b>अनुलग्नक 1: जल उपचार संयंत्र योजनाबद्ध और विवरण.....</b>	<b>132</b>
परिशिष्ट 1: निष्कर्षों की तालिका .....	132
<b>अनुलग्नक 2: जल उपचार संयंत्र योजनाबद्ध और विवरण.....</b>	<b>135</b>
<b>अनुलग्नक 3: निरीक्षण पैनल के सदस्य और विशेषज्ञ सलाहकार, उनकी संक्षिप्त जीवनी.....</b>	<b>137</b>
<b>अनुलग्नक 4 .....</b>	<b>143</b>

## कार्यकारी सारांश

### पृष्ठभूमि

1. यह जांच रिपोर्ट भारत के कम आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना ("परियोजना" या "RWSS-LIS") के निरीक्षण के दो अनुरोधों पर प्रतिक्रिया करती है। पहला अनुरोध 21 सितंबर, 2018 को झारखण्ड राज्य में एक बस्ती, गिद्दी झोपड़ी के 104 **संथाल** जनजातीय समुदाय ("पहले अनुरोधकर्ता") के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया था ("पहला अनुरोध"). दूसरा अनुरोध 12 दिसंबर, 2018 को झारखण्ड राज्य में एक बस्ती, पुरानी बस्ती के 130 **संथाल** और **हो** जनजातीय समुदाय के सदस्यों (दूसरे अनुरोधकर्ता) द्वारा प्रस्तुत किया गया था ("दूसरा अनुरोध", इसके बाद पहले और दूसरे दोनों अनुरोधों को "अनुरोध" के रूप में संदर्भित किया गया है). अनुरोधों ने दो बहु-ग्राम योजनाओं (MVSs): बागबेरा MVS और छोटागोविंदपुर MVS,के निर्माण से नुकसान का आरोप लगाया. पहले और दूसरे अनुरोधकर्ता, दोनों ("अनुरोधकर्ता") ने गोपनीयता के लिए निवेदन किया.

2. पैनल ने पहला अनुरोध 5 नवंबर, 2018 को पंजीकृत किया और 11 दिसंबर, 2018 को पहली प्रबन्धन प्रतिक्रिया प्राप्त की. पैनल ने दूसरा अनुरोध 18 दिसंबर, 2018 को पंजीकृत किया और 28 जनवरी, 2019 को दूसरी प्रबन्धन प्रतिक्रिया प्राप्त की (पहले और दूसरे प्रबन्धन प्रतिक्रियाओं, दोनों को यहां आगे "प्रबन्धन प्रतिक्रियाएं" या "प्रतिक्रियाएं" कहा गया है). क्योंकि अनुरोध एक ही परियोजना से संबंधित समान मुद्दे उठाते हैं, पैनल ने कार्य कुशलता के उद्देश्यों के लिए उन पर संयुक्त रूप से प्रक्रिया करने का निर्णय लिया. क्षेत्र का दौरा करने के बाद, पैनल ने 12 फरवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट और सिफारिश जारी की, अनुरोधों की तकनीकी योग्यता की पुष्टि की और नुकसान और संबंधित गैर-अनुपालन के कथित मुद्दों की जांच की सिफारिश की. बोर्ड ने 1 मार्च, 2019 को पैनल की सिफारिश को मंजूरी दे दी. पैनल ने 18 अप्रैल, 2019 को अपनी जाँच पड़ताल योजना जारी की.

### परियोजना विवरण

3. यह परियोजना US\$1 बिलियन का संचालन है, जिसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA)US\$500 मिलियन के बराबर की पूंजी देगी और बाकी का धन भारत सरकार देगी. छह साल की योजनाबद्ध अवधि के साथ परियोजना को 30 दिसंबर, 2013 को मंजूरी दी गई थी. असम, बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित, परियोजना जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए निवेश का समर्थन करती है, जिसमें नए बुनियादी ढांचे का निर्माण, पुनर्वास और मौजूदा योजनाओं का विस्तार शामिल है. परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (PAD)के अनुसार, जबकि अधिकांश बस्तियों में एकल-ग्राम योजनाओं (SVS)द्वारा स्थानीय भूजल स्रोतों का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है, MVS नदियों के सतही जल से समुदायों की सेवा करेंगे जहाँ स्थानीय भूजल स्रोत सीमित हैं या खराब गुणवत्ता वाले हैं. यह परियोजना वर्तमान में 1,077 जल योजनाओं को

कार्यान्वित कर रही है, जिनमें से 189 झारखण्ड राज्य में हैं (बैच I के तहत 182SVSs और दो MVSs और बैच II के तहत पांच MVSs).

4. 2019 में, परियोजना का पुनर्गठन किया गया: (i) US\$ 250 मिलियन के IDA क्रेडिट को रद्द करना और (ii) परियोजना की वर्तमान वास्तविकता के साथ संरेखित करने के लिए परिणाम ढांचे को संशोधित करना.

## निरीक्षण और प्रबन्धन प्रतिक्रियाओं के लिए अनुरोध

5. अनुरोधकर्ता गिददी झोपड़ी पहाड़ पर बागबेरा में जल उपचार संयंत्र (WTP) और छोटागोविंदपुर MVS से जुड़ी पुरानी बस्ती के पास ऊँचे भंडारण जलाशय (ESR) के स्थानों पर सवाल उठाते हैं. उनका तर्क है कि जगह के चयन में उन विकल्पों का पर्याप्त रूप से विश्लेषण नहीं किया है जिनसे समुदायों को नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सकता था या उसे कम से कम किया जा सकता था. वे दावा करते हैं कि परियोजना को पर्यावरणीय श्रेणी B के बजाय श्रेणी A दी जानी चाहिए थी. अनुरोधकर्ता चिंता व्यक्त करते हैं कि योजनाएं क्षेत्र के जल विज्ञान को प्रभावित करेंगी. उन्हें चिंता है कि MVS के कारण जल उपचार प्रक्रिया से उत्पन्न कीचड़ से प्रदूषण पैदा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वे पाइप के माध्यम से पानी के लिए भुगतान करने से वे गरीब हो जाएंगे.

6. अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि परियोजना को भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर विश्व बैंक परिचालन नीति (OP/BP 4.11) से लागू करना चाहिए था. पहले अनुरोधकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बागबेरा WTP का निर्माण उनकी सामुदायिक भूमि पर किया गया है और यह " उनके जीवन के ढंग और संस्कृति को बाधित करेगा." उनका दावा है कि WTP को उनके पवित्र कुंज और कब्रगाह मैदान में बनाया गया था और यह समुदाय के संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, जिसमें चारागाह भूमि, पारंपरिक जड़ी बूटियां और लाल मिट्टी शामिल हैं. दूसरे अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि छोटागोविंदपुर MVS से जुड़ी पुरानी बस्ती के पास ESR सामुदायिक भूमि पर बनाया जा रहा है और ये " मूल निवासी समुदायों की आवश्यक सांस्कृतिक प्रथाओं के जारी रहने को खतरे में डालता है." उनका आरोप है कि यह स्थान एक महत्वपूर्ण शहादत स्थल है. अनुरोधकर्ताओं को डर है कि परियोजना साथ में सटे जमशेदपुर शहर की सीमाओं का विस्तार करने और उनके जनजातीय, अनुसूचित क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है.

7. अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में, उनकी बस्तियों को राष्ट्रीय कानून के तहत विशेष सुरक्षा मिलती है और यह कि उनकी बस्ती में किसी भी विकास गतिविधि को शुरू करने के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति एक पूर्व शर्त है. उनका आरोप है कि संबंधित ग्राम सभा(ओं) से परामर्श नहीं किया गया और उन्होंने स्थल के स्थानों पर अपनी स्वीकृति नहीं दी. अनुरोधकर्ता कहते हैं कि उन्हें विशिष्ट योजनाओं के बारे में उस भाषा में जानकारी नहीं दी गई है जो वे समझते हैं. वे प्रतिशोध की आशंका भी व्यक्त करते हैं और दावा करते हैं कि उनके शांतिपूर्ण विरोध का जवाब पुलिस-बल या धमकियों से दिया गया.

8. अपने जवाबों में, प्रबन्धन विशेष रूप से डिजाइन और पर्यवेक्षण, परामर्श, दस्तावेजों के खुलासे, अनुमोदित पर्यावर्णीय प्रबन्धन योजनाओं (EMPs) से पहले के कार्यों की गैर आपत्ति और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर बैंक की नीति (OP/BP 4.11) को लागू करने में विफलता से संबंधित बैंक सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं के अनुपालन में कमियों को स्वीकार करता है. प्रबन्धन यह भी मानता है कि बस्ती स्तर की ग्राम सभा(ओं) की मंजूरी नहीं ली गई थी और इस बात की पुष्टि करने में असमर्थ है कि मूल निवासी लोगों पर परिचालन नीति (OP/BP 4.10) की आवश्यकतानुसार उनके वर्तमान स्थलों में MVS के लिए व्यापक सामुदायिक समर्थन प्राप्त किया गया है.

9. प्रबन्धन का कहना है कि परियोजना के तहत वित्तपोषित योजनाओं का आकार और प्रभाव परियोजना के पर्यावर्णीय वर्गीकरण को "B" के रूप में उचित ठहराते हैं. जल विज्ञान संबंधी प्रभाव के बारे में, प्रबन्धन का कहना है कि मौजूदा स्थानीय जल स्रोतों तक समुदायों की पहुंच परियोजना से प्रभावित नहीं होगी. कीचड़ निस्तारण के लिए, प्रबन्धन बताता है कि कीचड़ प्रबन्धन और निपटान के लिए विशिष्ट तरीका योजनाओं के चालू होने और अद्यतन EMP में विस्तृत होगा.

10. प्रबन्धन, जमशेदपुर में शहरी विस्तार के बारे में अनुरोधकर्ताओं की चिंताओं की समझ व्यक्त करता है. प्रतिक्रियाओं के अनुसार, भले ही सरकार क्षेत्रीय योजना और एकीकरण के उद्देश्यों के लिए शहर की सीमा के विस्तार पर विचार कर रही है, लेकिन इसमें और परियोजना के बीच कोई संबंध नहीं है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को पानी उपलब्ध कराना है. जवाब यह भी बताते हैं कि योजनाओं में भागीदारी स्वैच्छिक है और यदि निवासी पाइप द्वारा पानी का उपयोग नहीं करते हैं तो परियोजना उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करेगी .

11. प्रबन्धन कई कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शामिल हैं: (i) बैंक की सहायता के लिए मानव शास्त्र और सांस्कृतिक विरासत में विशेषज्ञों को रखना; (ii) बागबेरा और छोटागोविंदपुर योजनाओं के लिए EMPs को अंतिम रूप देना, उन पर परामर्श करना और उन्हें प्रकट करना; (iii) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा दस्तावेजों के कार्यकारी सारांश का हिंदी में खुलासा किया जाए; (iv) अनुरोधकर्ताओं की बस्तियों की चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रतिपूरक उपायों की पहचान करने के लिए उनसे परामर्श करना; (v) OP/BP 4.11 को लागू करना और (vi) झारखण्ड में दो MVS से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे लगाने के लिए समुदाय की "कोई आपत्ति नहीं" को दर्ज करने के लिए पालन गई प्रक्रिया की समीक्षा करना.

## पर्यावर्णीय आकलन

12. **बहु-ग्राम योजनाओं का डिजाइन अवलोकन.** बागबेरा WTP (प्रति दिन 37 मिलियन लीटर पानी की डिजाइन क्षमता) और छोटागोविंदपुर WTP (प्रति दिन 46 मिलियन लीटर पानी की डिजाइन क्षमता) दोनों अपेक्षाकृत बड़ी निर्माण परियोजनाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में केवल WTP के लिए लगभग पांच एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है. पुरानी बस्ती के पास ESR – इस जाँच के अधीन – और छोटागोविंदपुर WTP छोटागोविंदपुर MVS से जुड़े हैं. प्रमुख संरचनाओं के संदर्भ में,

जुलाई 2019 में पैनल की यात्रा के समय छोटागोविंदपुर MVS का पूरी तरह से निर्माण हो गया था और परीक्षण मोड में काम कर रहा था, जबकि बागबेरा MVS का जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU)द्वारा 70 प्रतिशत पूरा होने का अनुमान लगाया गया था.

## स्थल-विशिष्टपर्यावर्णीय आकलन

13. **पर्यावर्णीय आकलन - पर्यावर्णीय प्रबन्धन ढाँचा.** चार राज्यों - असम, बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक के लिए एक पर्यावर्णीय आकलन - पर्यावर्णीय प्रबन्धन ढाँचा (EA-EMF)तैयार किया गया था. पैनल ने नोट किया है कि एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया EA-EMF में विस्तृत रूप से दी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि MVS के लिए EMP के भीतर पर्यावर्णीय प्रभाव और शमन उपायों की पहचान की गई थी. पैनल ने नोट किया कि झारखण्ड राज्य के लिए EA-EMF,सामाजिक प्रबन्धन ढाँचा (SMF), सामाजिक मूल्यांकन, क्षमता निर्माण, संचार ढाँचा (SA)और जनजातीय विकास योजना (TDP)2013 की पहली छमाही के दौरान, एक एकीकृत तरीके से सामाजिक और पर्यावर्णीय प्रभावों पर विचार किए बिना अकेले दस्तावेज़ के रूप में तैयार किए गए थे. EA-EMF ने जनजातीय समुदायों पर परियोजना के प्रभाव पर विचार नहीं किया, कि क्या वे उनके लिए फायदेमंद हैं या हानिकारक. पर्यावर्णीय, सामाजिक, जनजातीय और सांस्कृतिक मामलों पर एक एकीकृत दृष्टिकोण की कमी ने प्रभाव मूल्यांकन और शमन प्रक्रिया को मौलिक रूप से कमजोर कर दिया.

14. **परियोजना वर्गीकरण.** परियोजना को बैंक की पर्यावर्णीय स्क्रीनिंग और समग्र रूप से परियोजना के वर्गीकरण के अनुसार पर्यावर्णीय श्रेणी B दी गई थी. झारखण्ड के लिए EA-EMF इंगित करता है कि उप-परियोजनाओं को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. श्रेणी 2 योजनाओं में अधिक महत्वपूर्ण पर्यावर्णीय प्रभाव होगा, और इस तरह, श्रेणी 1 योजनाओं के लिए आवश्यक पर्यावर्णीय डेटाशीट के अलावा स्थल-विशिष्टपर्यावर्णीय मूल्यांकन की आवश्यकता होगी.बागबेरा और छोटागोविंदपुर MVSs को श्रेणी 2 योजनाओं के रूप में नामित किया गया था, जो उनके संभावित अधिक महत्वपूर्ण पर्यावर्णीय प्रभाव को दर्शाता है.

15. पैनल इस बात से सहमत है कि जब अन्तर्निहित परियोजनाओं का ज्ञान न हो तो ढांचागत तरीका ही ठीक रहता है बशर्ते कि स्थल-विशिष्ट पर्यावर्णीय और सामाजिक आकलन किये जा चुके हों. यदि कुछ प्रभावों को बदला न जा सके तो प्रभावित होने वाले समुदायों को पहचाने गये संभावित प्रभावों और शमन उपायों के बारे में परामर्श से सूचित किया जाना चाहिए.

16. पैनल यह स्वीकार करता है कि परियोजना को संभावित स्थल-विशिष्टप्रभावों के साथ ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं के निर्माण के लिए तैयार किया गया था जिनमें कुछ अपरिवर्तनीय हैं और जिनके लिए शमन उपायों को आसानी से तैयार किया जा सकता है. इस तथ्य के बावजूद कि पर्यावर्णीय आकलन-पर्यावर्णीय प्रबन्धन ढांचे की आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था, पैनल ने पर्यावर्णीय श्रेणी B के रूप में परियोजना के पदनाम को पर्यावर्णीय आकलन पर बैंक नीति (OP/BP 4.01) के अनुपालन में पाया.

17. **विस्तृत परियोजना रिपोर्टें.** विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (DPRs)की समीक्षा में, पैनल को इसका कोई सबूत नहीं मिला कि इस जांच के अधीन दो MVS के लिए EA-EMF आवश्यकताओं के अनुसार एक अलग, स्थल-विशिष्टपर्यावर्णीय मूल्यांकन विकसित किया गया था. पैनल को जनजातीय समुदायों को दी जाने वाली जल आपूर्ति वितरण विकल्पों से संबंधित चर्चाओं के प्रमाण भी नहीं मिले और न ही पैनल किसी भी ऐसे साइट विश्लेषण की पहचान कर सका, जो स्थानीय निवासियों द्वारा उपयोग किए गए कब्रगाह मैदानों, पवित्र कुंजों और पेड़ों, औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की मौजूदगी, या गैर-मौजूदगी, या ग्रामीणों द्वारा उनके घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाल मिट्टी के विवरण को दर्ज करता हो. विभिन्न के प्रभाव विश्लेषण के साथ, कोई शमन योजना भी विकसित नहीं की गई थी.

18. **पर्यावर्णीय प्रबन्धन योजनाएं.** पैनल ने नोट किया कि स्थल-विशिष्ट EMP तैयार नहीं किए गए थे और उन्हें EA-EMF द्वारा आवश्यक DPRs में नहीं शामिल किया गया था. वित्त-पोषण और परियोजना समझौतों दोनों के लिए आवश्यक है कि EA-EMF के अनुसार लागू होने वाले EMPsको समीक्षा और अनुमोदन के लिए बैंक को प्रस्तुत किया जाए. निर्माण से पहले इन आवश्यकताओं को प्रबन्धन द्वारा पूरा नहीं किया गया था या निगरानी नहीं की गई थी.

19. अक्टूबर 2013 में DPRs बनने के दो साल बाद, जुलाई 2015 में ठेकेदार द्वारा - शुरू में दो योजनाओं को कवर करने वाली एक सामान्य EMP को तैयार किया गया था, और जुलाई सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था. 2016 में निर्माण शुरू होने के बाद बैंक की टीम ने पहली बार जून 2017 में इसकी समीक्षा की. प्रबन्धन ने प्रत्येक योजना के लिए जून 2019 में अद्यतन स्थल-विशिष्टEMP प्राप्त किए और 28 जून, 2019 को उन्हें सशर्त रूप से अनुमोदित किया.

20. पर्यावर्णीय प्रबन्धन योजनाओं को केवल जून 2019 में अंतिम रूप दिया गया था, जब बागबेरा बहु-ग्राम योजना का निर्माण 70 प्रतिशत पूर्ण के रूप में रिपोर्ट किया गया था और छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजना पूरी हो गई थी और पहले ही परीक्षण स्थिति में थी. परियोजना के तहत वित्तपोषित बागबेरा और छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजनाओं का निर्माण आवश्यक, स्थल-विशिष्टपर्यावर्णीय और सामाजिक आकलन और पर्यावर्णीय प्रबन्धन योजनाओं की तैयारी के बिना आगे बढ़ा. पैनल, प्रबन्धन को इन योजनाओं के संभावित पर्यावर्णीय, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के विश्लेषण और संबंधित शमन उपायों के विकास को सुनिश्चित नहीं करने के लिए पर्यावर्णीय आकलन पर बैंक नीति (OP/BP 4.01) के गैर-अनुपालन में पाती है.

21. **पर्यावर्णीय प्रबन्धन योजनाओं का पुनःसंयोजन.** पैनल ने पुनःसंयोजित EMP की समीक्षा की है और पाया है कि वे काफी हद तक अच्छे पेशेवर अभ्यास को दर्शाते हैं. हालाँकि, पैनल की टिप्पणियों में लिखा है कि EMP समुदायों में अपशिष्ट जल की अनुमानित मात्रा में वृद्धि पर ध्यान नहीं देता है, जो कि आवश्यक रूप से विस्तारित घरेलू जल आपूर्ति सेवा के प्रावधान के परिणामस्वरूप पैदा होगा.

22. भले ही ठोस और तरल कचरा प्रबन्धन परियोजना का एक अभिन्न अंग है और पर्यावरणीय ढांचे और पर्यवेक्षण दस्तावेजों में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है, 2019 पुनःसंयोजित पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी और उस पर ध्यान नहीं दिया गया था. **पैनल, प्रबन्धन को बागबेरा और छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजनाओं के लिए 2019 में पुनःसंयोजित पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं में घरेलू अपशिष्ट जल के खुले निपटान द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिमों और उनके शमन उपायों की कवरेज को सुनिश्चित नहीं करने के लिए पर्यावरणीय आकलन पर बैंक नीति (OP/BP 4.01) के साथ गैर-अनुपालन में पाता है.**

### **पर्यावरणीय और आर्थिक चिंताएँ**

23. **जल विज्ञान, जल गुणवत्ता और कीचड़ प्रबन्धन.** पैनल ने पारंपरिक जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए समुदाय की प्राथमिकता, विशेष रूप से अनुष्ठानों और चिंताओं के लिए, कि ये स्रोत परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं, के बारे में सुना. उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना द्वारा जल प्रबन्धन के उनके पारंपरिक ज्ञान पर विचार नहीं किया गया था. पैनल ने नोट किया कि गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती के भीतर पानी के जनजातीय सांस्कृतिक मूल्य पर योजनाओं के संभावित प्रभाव को निर्धारित करने के लिए कोई सांस्कृतिक मूल्यांकन या परामर्श नहीं हुआ.

24. पैनल समझता है कि बागबेरा और छोटागोविंदपुर योजनाओं के लिए नदी के इनटेक बिंदु समुदायों के पीने के पानी के उपयोग से क्रमशः 10 किलोमीटर और आठ किलोमीटर पर स्थित है. स्रोत और समुदाय के बीच उप-सतह वाली मिट्टी ऐसे प्रकारों की होती है जो भूजल के तेजी से आवागमन को रोकते हैं. इन मूल्यों को देखते हुए, पैनल प्रबन्धन प्रतिक्रिया से सहमत है कि योजनाओं की आपूर्ति के लिए सुबर्णरेखा नदी से पानी की निकासी अनुरोधकर्ताओं की बस्तियों में सतह-जल या भूजल स्रोतों को प्रभावित नहीं करेगी.

25. समुदाय के सदस्यों ने दावा किया कि इस बारे में जानकारी के बिना कि WTPs (MVs के साथ जुड़े) कैसे काम करते हैं और उनके कचरे का क्या होगा, वे दूषित कीचड़ के निपटान या रिलीज से संभावित नकारात्मक प्रभावों से अनजान थे. साइट नियंत्रण दस्तावेज़ीकरण से पैनल पहचानता है कि तब तक किए गए माप स्रोत पानी में इन धातुओं की नगण्य मात्रा का संकेत देते हैं. पैनल नियमित रूप से उत्पन्न कीचड़ की छोटी मात्रा में भारी धातु संदूषण के कम जोखिम के बारे में प्रबन्धन के आकलन से सहमत है.

26. पैनल नोट करता है कि भले ही जल विज्ञान, पानी की गुणवत्ता और कीचड़ से संबंधित मुद्दों को परियोजना दस्तावेजों में संबोधित किया गया था फिर भी सतह के पानी और भूजल के स्थानीय स्रोतों के संदूषण, उपचारण और पाइप वाले पानी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में कई सामुदायिक सदस्यों में जागरूकता की कमी है.

27. अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाए गए जल विज्ञान, जल की गुणवत्ता और कीचड़ प्रबन्धन संबंधी चिंताओं की समीक्षा करते हुए, पैनल ने पाया कि इन मामलों पर बहु-ग्राम योजनाओं के डिजाइन में विचार किया गया है और दो योजनाएँ के लिए लागू होने वाली 2019 पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं में संबंधित प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया गया है। पैनल परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में और 2019 पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं में जल विज्ञान, पानी की गुणवत्ता और कीचड़ प्रबन्धन के संबंध में पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने में पर्यावरणीय आकलन पर बैंक परिचालन नीति (OP/BP 4.01) के अनुपालन में पाती है।

28. **सामर्थ्य से संबंधित चिंताएं.** कई समुदाय के सदस्यों ने दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन पानी की उपलब्धता और पाइप पानी तक पहुंच की आवश्यकता को नहीं देखा. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि परियोजना के कारण उन्हें पानी के लिए भुगतान करना होगा, और यह उन्हें अधिक गरीब कर देगा. पैनल नोट करता है कि परियोजना कार्यान्वयन योजना (PIP) और PAD में विस्तृत रूप से योजनाओं का सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान विकसित किए गए हैं. पैनल नोट करता है कि परिवारों में पानी के लिए भुगतान नहीं कर पाने के डर पर परामर्श प्रक्रिया और संचार गतिविधियों में अधिक दृढ़ता से ध्यान दिया जाना चाहिए था.

## मूल निवासी समुदायों पर प्रभाव

### संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों पर प्रभाव

29. **मूल निवासी मुद्दों पर सुरक्षा वाला दृष्टिकोण.** परियोजना ने मूल निवासी लोगों पर परिचालन नीति (OP/BP 4.10) को चालू किया, जो झारखण्ड में परियोजना क्षेत्रों में नीति में सूचीबद्ध मूल निवासी लोगों की विशेषताओं को पूरा करने वाले जनजातीय लोगों की उपस्थिति को मान्यता देती है. परियोजना की तैयारी के दौरान, प्रबन्धन द्वारा भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर OP/BP 4.11 को चालू नहीं करने का निर्णय लिया गया था. पैनल नोट करता है कि परियोजना के दस्तावेज भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर संभावित प्रभाव की जोखिम के रूप में सही पहचान नहीं करते हैं, भले ही परियोजना की गतिविधियाँ महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित थीं और इसमें विशेष रूप से झारखण्ड राज्य में अपेक्षाकृत बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल था. पैनल नोट करता है कि OP/BP 4.11 को शुरू करने और उस नीति द्वारा आवश्यक भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव का आकलन करने में विफलता के कारण गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती में जनजातीय समुदायों द्वारा अनुभव किए गए सांस्कृतिक नुकसान में योगदान डाला गया. प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि परियोजना को OP/BP 4.11 को लागू करना चाहिए था और बाद में नुकसान होने के बाद दिसंबर 2019 के परियोजना पुनर्गठन के संदर्भ में इस नीति को लागू किया.

30. चार राज्यों के लिए एक SMF के अलावा, एक मसौदा SA और एक मसौदा TDP 2013 में झारखण्ड राज्य के लिए तैयार किया गया था. दो MVS पर निर्माण शुरू होने के दो साल बाद अगस्त 2018 में एक जनजातीय विकास कार्यान्वयन योजना (TDIP) को मंजूरी दी गई थी. पैनल नोट करता है कि SA और TDP झारखण्ड में विभिन्न जनजातीय समुदायों के धर्म, भाषा, संस्कृति

और प्रथागत भूमि-उपयोग प्रथाओं पर सीमित जानकारी प्रस्तुत करते हैं। TDP और SA बागबेरा और छोटागोविंदपुर योजनाओं और उनके विशिष्ट स्थानों का उल्लेख नहीं करते हैं। TDP में इस बात के लिए सामान्य प्रावधान हैं कि कैसे मूल निवासी लोगों को परियोजना में भाग लेना चाहिए, लेकिन ये न तो विभिन्न योजनाओं के लिए विशिष्ट हैं, और न ही सीधे रूप से प्रभावित समुदायों की वास्तविकताओं पर लक्षित हैं।

31. पैनल नोट करता है कि झारखण्ड राज्य के लिए एक सामाजिक मूल्यांकन और जनजातीय विकास योजना तैयार की गई थी। पैनल के विचार में, एक स्थल-विशिष्ट सामाजिक मूल्यांकन - जो प्रभावित जनजातीय समुदायों की विशेषताओं और उन पर प्रभाव का विश्लेषण करता हो - और विस्तृत शमन और परामर्श उपाय की मौजूदगी के बिना, मसौदा जनजातीय विकास योजना एक रूपरेखा दस्तावेज़ के समान है जैसे कि मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) में उल्लिखित मूल निवासी लोगों के लिए योजना रूपरेखा।

32. पैनल ने पाया कि यद्यपि बागबेरा जल शोधन संयंत्र और पुरानी बस्ती के पास ऊँचा भंडारण जलाशय जनजातीय समुदायों द्वारा प्रथागत उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, प्रबन्धन साइट-विशेष जनजातीय विकास योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करने में विफल रहा, जिससे मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में संस्कृति, धर्म और इन स्थलों से सटे जनजातीय समुदायों के जीवन के तरीके को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।

33. *भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रथागत उपयोग पर प्रभाव.* परियोजना के डिजाइन ने माना कि परियोजना में मुख्य रूप से जनजातीय लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो कि पाइप द्वारा पानी तक बेहतर पहुंच से लाभान्वित होंगे। पैनल ने कहा कि इस आधार पर और स्थल-विशिष्ट आकलन के अभाव में, जनजातीय समुदायों पर महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, जिन्हें टाला या कम किया जा सकता था, की अनदेखी की गई।

34. पैनल की गिद्दी झोपड़ी की यात्रा के दौरान, संथाल जनजातीय समुदाय के सदस्यों ने गिद्दी झोपड़ी पहाड़ी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से बताया और यह कैसे उनकी सांस्कृतिक पहचान और जीवन के तरीके से संबंधित है। समुदाय के सदस्यों ने बताया कि **बागबेरा** WTP उनके पवित्र कुंज पर बनाया गया था, जहां वे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का संचालन करते हैं और जहां वे अपने पूर्वजों की आत्माओं से मार्गदर्शन मांगते हैं। पैनल टीम को दिखाया गया था कि पवित्र कुंज को कितना कम कर दिया गया था, जिसमें इसके पूर्व क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब WTP की सीमाओं के भीतर है। समुदाय के सदस्यों ने यह भी बताया कि WTP को समुदाय के कब्रगाह स्थल पर बनाया गया था और WTP के निर्माण से उनके पूर्वजों की आत्माओं के परेशान होने के बारे में चिंता व्यक्त की। पैनल की टीम ने देखा कि **बागबेरा** WTP के निर्माण ने बकरियों के लिए चारागाह क्षेत्र, और औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह क्षेत्र को कम कर दिया और पहाड़ी पर उपलब्ध सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण लाल मिट्टी तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि प्रबन्धन अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहता है कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास करेगा कि

लाल मिट्टी समुदाय के लिए उपलब्ध रहे, ठेकेदार और स्थानीय समुदाय इस व्यवस्था से अनजान थे. गिद्दी झोपड़ी में समुदाय के सदस्यों ने दावा किया कि वर्तमान स्थान में **बागबेरा WTP** के निर्माण ने आवधिक अनुष्ठानों (समय-समय पर होने वाले) और उनके सामुदायिक त्योहारों और दावतों के संगठन को बाधित किया.

35. **पैनल** ने छोटागोविंदपुर MVS से जुड़ी पुरानी बस्ती के पास ESR साइट का भी दौरा किया और **हो** और **संथाल** जनजातीय समुदाय के सदस्यों के साथ मुलाकात की. झारखण्ड के अन्य जनजातीय समुदायों की तरह, **हो** का भी आत्माओं और उनकी अलौकिक शक्तियों में भी मज़बूत विश्वास है. उन्होंने कहा कि ESR स्थानीय समुदाय के साथ-साथ झारखण्ड राज्य के लिए एक शहादत स्थल पर बनाया गया था. समुदाय के सदस्यों ने समझाया कि ESR के निर्माण के दौरान शहीदों को सम्मानित करने वाले कब्रगाह स्थल और स्मारक पत्थरों को तोड़ दिया गया था, और शहीद स्थल अब प्रार्थना और भेंट के लिए दुर्गम है. समुदाय के सदस्यों ने पैनल को बताया कि ठेकेदार द्वारा बनाई गई शहीदों की तीन प्रतिमाएं सांस्कृतिक रूप से अनुचित हैं; **हो**, मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं और मृतकों की प्रतिमाएं नहीं बनाते हैं. पैनल की टीम ने समुदाय के सदस्यों से सुना कि **गोटा पूजा** वार्षिक उत्सव और हर पांच साल में होने वाले **जाहेर डूंगरी** बलिदान समारोह और दावत को ESR साइट पर आयोजित किया गया था.

36. पैनल नोट करता है कि सामाजिक मूल्यांकन और जनजातीय विकास योजना प्राकृतिक संसाधनों, धार्मिक प्रथाओं या संथाल और **हो** जनजातियों के सांस्कृतिक त्योहारों के प्रथागत उपयोग का पर्याप्त रूप से आकलन नहीं करती है. **पैनल** ने पाया कि पर्यावरणीय आकलन (OP/BP 4.01), मूल निवासी लोगों (OP/BP 4.10) और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों (OP/BP 4.11) पर बैंक नीतियों के गैर-अनुपालन में प्रबन्धन ने भूमि, संसाधनों और स्थल के प्रथागत उपयोग पर प्रभाव की पहचान और शमन को सुनिश्चित नहीं किया, जो **बागबेरा जल शोधन संयंत्र** और पुरानी बस्ती के पास ऊँचे भंडारण जलाशय के पास प्रभावित जनजातीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखते हैं.

#### सामाजिक सुरक्षा साधनों पर परामर्श और प्रकटीकरण

37. अपनी यात्रा के दौरान, पैनल की टीम ने बार-बार शिकायतें सुनीं कि परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले समुदाय के सदस्यों से परियोजना के बारे में सलाह नहीं ली गई थी. परामर्श और मुख्य सुरक्षा दस्तावेजों की जानकारी के प्रकटीकरण की समीक्षा से, पैनल नोट करता है कि क्या पर्याप्त जनजातीय भागीदारी सुनिश्चित की गई थी और परामर्श में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली - जिसमें प्रतिभागियों को कैसे आमंत्रित किया गया था, बैठकों का प्रारूप, और प्रतिभागियों के साथ साझा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट हैं.

38. जानकारी तक पहुंच के संदर्भ में, अधिकांश परियोजना दस्तावेज केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थे, इस तथ्य के बावजूद कि झारखण्ड में आमतौर पर हिंदी बोली जाती है और जनजातीय समुदाय भी **संथाली** या **हो** बोलते हैं. पैनल नोट करता है कि जानकारी की सांस्कृतिक उपयुक्तता और परियोजना दस्तावेजों की उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी के प्रकटीकरण में महत्वपूर्ण कमियां थीं.

39. पैनल ने नोट किया कि झारखण्ड के लिए TDP की तैयारी के दौरान अनुरोधकर्ताओं की बस्तियों की *ग्राम पंचायतों* में कोई परामर्श नहीं हुआ था. स्थल-विशिष्ट TDP की कमी को देखते हुए, इन प्रभावित जनजातीय समुदाय के सदस्यों के साथ इस महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज के संबंध में परामर्श भी नहीं हुआ. इसलिए, पैनल नोट करती है कि **बागबेरा WTP** और पुरानी बस्ती ESR के लिए व्यापक सामुदायिक समर्थन के लिए स्वतंत्र, पूर्व और सूचित परामर्श नहीं किए गए थे. परिणामस्वरूप, जनजातीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों को अनदेखा कर दिया गया और इन समुदायों को परियोजना की गतिविधियों के शुरू होने से पहले परियोजना की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई. प्रभावित जनजातीय समुदायों ने भी पैनल को बताया कि उन्होंने योजनाओं के निर्णय में भाग नहीं लिया और इसके स्थान का विरोध किया.

40. पैनल मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में सामाजिक परामर्श, जनजातीय विकास योजना और जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना के परामर्शों और प्रकटीकरण में कमियों का पता लगाता है, जिसमें परामर्श प्रक्रिया का अपर्याप्त दस्तावेज, जानकारी का अपर्याप्त खुलासा और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के हिंदी और जनजातीय भाषाओं में अनुवाद का अभाव शामिल है. इसके अलावा, पैनल ने पाया कि प्रबन्धन ने मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में स्थल-विशिष्ट जनजातीय विकास योजनाओं के अभाव में गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती में प्रभावित जनजातीय समुदायों के साथ स्वतंत्र, पूर्व और सूचित परामर्श की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की.

## साइट चयन आवश्यकताएँ और आकलन

### साइट चयन प्रक्रिया और निर्णय लेना

41. *परियोजना दस्तावेजों में निर्णय लेने की आवश्यकताएँ.* पैनल नोट करता है कि अनुरोधकर्ताओं की बस्ती अनुसूचित क्षेत्रों में हैं. 2013 के मसौदा TDP में झारखण्ड में जनजातीय विकास और जल और स्वच्छता गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी और संस्थागत ढांचे की एक महत्वपूर्ण समीक्षा शामिल है, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA), जनजातीय आबादी के हितों की रक्षा करना शामिल है. TDP का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, जहां एक बस्ती मूल इकाई है, परियोजना को बस्ती को प्राथमिक प्रबन्धन इकाई के रूप में विचार करने की आवश्यकता है. TDP बताता है कि PESA अधिनियम के अनुसार, बड़ी *ग्राम पंचायत* द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव या योजना के लिए, उन्हें कार्यान्वयन के लिए लेने से पहले बस्ती स्तर पर *ग्राम सभा* से पूर्व परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है.

42. TDP को सभी हितधारकों को शामिल करने वाली एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से पानी की आपूर्ति के विकल्पों के बारे में विवरण की भी आवश्यकता है और इसके लिए चर्चाएं स्थल-विशिष्टविस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)में शामिल की जानी चाहिए. पैनल नोट करती है कि DPR की तैयारी के हिस्से के रूप में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित परामर्शों को पूरा किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से चयनित स्थलों में या उसके बगल में रहने वाली जनजातीय आबादी के साथ.

43. **साइट चयन प्रक्रिया.** गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती के समुदाय के सदस्यों ने पैनल टीम को बताया कि वे इस बात से अनिश्चित थे कि वर्तमान साइट, जो ऐसी जगह पर स्थित है जिसे वे अपनी पुश्तैनी सामुदायिक भूमि मानते हैं, कैसे चुनी गई. जबकि सरकार और प्रबन्धन **बागबेरा** WTP और पुरानी बस्ती ESR की साइट को "गैर-आबाद सरकारी भूमि" मानते हैं, अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि यह पदनाम एक कानूनी अति सरलीकरण है. उनके विचार में, "गैर-आबाद सरकारी भूमि" के रूप में पंजीकृत किसी गांव के सभी सामान्य संपत्ति संसाधन प्रथागत अधिकारों के तहत जनजातीय भूमि हैं.

44. पैनल की टीम DPMU से समझती है कि MVS साइट चयन के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा गया है: परियोजना लाभार्थी जल आपूर्ति योजना की पूंजीगत लागत में योगदानकर्ता होंगे; *ग्राम सभा* द्वारा अनुमोदन के लिए परामर्श किया जाए; परियोजना सरकारी भूमि पर लागू की जाए; यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो; और यह एक ऐतिहासिक, धार्मिक या कब्रगाह स्थल न हो.

45. पैनल समझता है कि प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी. **बागबेरा** WTP के मामले में, जनवरी 2016 में एक कोई आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिस पर *ग्राम सभा* की मंजूरी प्राप्त करने की शर्त थी. पुरानी बस्ती के पास ESR के लिए, कोई आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र नहीं मिल सका और इसे दिसंबर 2018 में निर्माण कार्य शुरू होने के दो साल से अधिक समय के बाद पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी किया गया.

46. पैनल नोट करता है कि परियोजना के दस्तावेज जनजातीय लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भूमि या संसाधनों पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव की कल्पना नहीं करते हैं. पैनल यह भी नोट करता है कि **बागबेरा** WTP और पुरानी बस्ती ESR साइट के चयन के औपचारिक रिकॉर्ड के बिना, पैनल को कोई सबूत नहीं मिला कि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के विश्लेषण और प्रभावित समुदाय के साथ परामर्श के संबंध में EA-EMF, TDP और TDIP आवश्यकताओं का पालन किया गया था.

47. **ग्राम सभा की स्वीकृति.** हो और संथाल जनजातीय नेताओं सहित गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती में समुदाय के सदस्यों ने पैनल को बताया कि उनकी बस्तियों में *ग्राम सभा* नहीं हुई.

48. पैनल ने नोट किया कि 6 फरवरी, 2016 को रानीडीह में मध्य गागडीह *ग्राम पंचायत* में एक बैठक में **बागबेरा** WTP साइट को समर्थन दिया गया था, लेकिन उस बैठक में गिद्दी झोपड़ी के निवासी मौजूद नहीं थे. पैनल समझता है कि प्रबन्धन इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि क्या गिद्दी झोपड़ी पहाड़ी गिद्दी झोपड़ी या आसपास के रानीडीह में स्थित है. पैनल ने नोट किया कि WTP रानीडीह की तुलना में गिद्दी झोपड़ी के करीब है और 2015 की पैनल द्वारा समीक्षा किए गए कई सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि WTP गिद्दी झोपड़ी में स्थित है. इसके बावजूद, पैनल नोट करती है

कि **बागबेरा** WTP पर काम गिद्दी झोपड़ी बस्ती में *ग्राम सभा* की मंजूरी के बिना आगे बढ़ाया गया, जैसा कि TDP द्वारा आवश्यक है.

49. पुरानी बस्ती के पास ESR के मामले में, दूसरी प्रबन्धन प्रतिक्रिया स्वीकार करती है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ESR साइट के लिए समुदाय की सहमति प्राप्त करने के लिए दक्षिण सर्जामदा *ग्राम पंचायत* में एक *ग्राम सभा* आयोजित की गई थी. पैनल यह भी नोट करती है कि पुरानी बस्ती में बस्ती के आवश्यक स्तर पर *ग्राम सभा* की मंजूरी नहीं ली गई.

50. पैनल नोट करता है कि कोई स्थल-विशिष्ट TDPs तैयार नहीं किया गया था और प्रबन्धन ने सरकार के साथ सुनिश्चित करने के लिए अनुसरण नहीं किया कि बस्ती की *ग्राम सभा* की मंजूरी ली जाए या इन फैसलों और साइट स्तर पर परामर्श के रिकॉर्ड प्राप्त किया जाए. पैनल ने यह भी नोट किया कि जब गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती दोनों के निवासियों को साइट के स्थलों के बारे में पता लगा, तो उन्होंने आपत्ति जताई. **बागबेरा** WTP साइट के विरोध को मीडिया में रिपोर्ट किया गया और परियोजना की मध्यावधि समीक्षा में दर्ज किया गया. फिर भी, इस प्रसिद्ध विरोध के बावजूद, बैंक प्रबन्धन द्वारा कार्यवाही के बिना कार्य जारी रहा. पैनल ने नोट किया कि उन फैसलों के लिए व्यापक सामुदायिक समर्थन के सबूत के बिना पुरानी बस्ती के पास **बागबेरा** WTP और ESR का चयन, (OP/BP 4.10) की एक प्रमुख आवश्यकता की अवहेलना करता है.

51. पैनल ने पता लगाया कि **बागबेरा** जल उपचार संयंत्र और पुरानी बस्ती के पास ऊँचे भंडारण जलाशय के लिए साइट का चयन जनजातीय विकास योजना और जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना में निर्धारित जनजातीय निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकताओं के बावजूद बस्ती की *ग्राम सभा(ओं)* द्वारा अनुमोदित नहीं था. पैनल ने पाया कि इन को प्रभावित जनजातीय लोगों के लिए के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर विचार किए बिना चुना गया था. पैनल ने यह भी पाया है कि प्रभावित जनजातीय समुदाय के सदस्यों से व्यापक सामुदायिक समर्थन के अभाव में कार्य आगे बढ़ा. नतीजतन, पैनल दो का चयन मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में पाता है.

### प्रतिशोध

52. पैनल की यात्रा के दौरान, गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती दोनों के समुदाय के सदस्यों ने कथित प्रतिशोध के बारे में चिंता व्यक्त की. पैनल ने **बागबेरा** WTP के लिए परिधि दीवार के निर्माण के दौरान गिद्दी झोपड़ी से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ शारीरिक बल के उपयोग के बारे में सुना. उन्होंने बताया कि जुलाई 2016 में जब गिद्दी झोपड़ी में निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो उन्होंने शांतिपूर्वक विरोध किया लेकिन पुलिस ने हिंसा का इस्तेमाल करते हुए अनुपातहीन ढंग से जवाब दिया. उन्होंने बताया कि इसके परिणामस्वरूप कई लोगों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. दूसरी ओर, सरकारी अधिकारियों ने पैनल टीम को बताया कि पुलिस को तैनात किया गया था क्योंकि सामुदायिक सदस्यों ने निर्माण श्रमिकों के खिलाफ धनुष और तीर का उपयोग करने की धमकी दी थी. गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती के निवासियों के साथ चर्चा में, पैनल ने

सामुदायिक बैठकों में पुलिस की तैनाती के बारे में भी सुना, जिसने कथित रूप से डराने का माहौल बनाया.

53. पैनल समझता है कि प्रबन्धन को प्रतिशोध की जानकारी नहीं थी, लेकिन 2016 के मध्यावधि समीक्षा में स्थानीय जनजातीय समुदायों द्वारा बागबेरा WTP साइट के विरोध के कारण कार्यों में व्यवधान को स्वीकार किया गया था. हालांकि, प्रबन्धन ने निरीक्षण के लिये अनुरोध दाखिल करने से पहले इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया.

### जमशेदपुर सिटी सीमाओं का विस्तार

54. अपने क्षेत्र दौरे के दौरान, पैनल की टीम ने जनजातीय समुदाय के सदस्यों से सुना कि जमशेदपुर लगातार उनके गांवों की ओर बढ़ा है. उनका मानना था कि बागबेरा और छोटागोविंदपुर MVS को गैर-जनजातीय निवासियों की आमद से पैदा होने वाली पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था जो इस क्षेत्र में काम करने के लिए आ गए थे. जनजातीय समुदाय के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि पानी की बढ़ी हुई आपूर्ति उनकी बस्ती में गैर-जनजातीय निवासियों के प्रवास में और तेज़ी लाएगी. उन्हें डर है कि MVS जमशेदपुर की सीमाओं का विस्तार करने और उनकी बस्तियों को शहरी क्षेत्र में बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं.

55. पैनल ने नोट किया कि प्रबन्धन अपनी प्रतिक्रियाओं में बताता है कि भारत सरकार क्षेत्रीय नियोजन और एकीकरण के उद्देश्यों के लिए शहर की सीमा के विस्तार पर विचार कर रही है, लेकिन जमशेदपुर शहरी समूह के लिए परियोजना और ड्राफ्ट मास्टरप्लान स्पष्ट रूप से जुड़े हुए नहीं हैं. पैनल ने परियोजना दस्तावेजों की समीक्षा की और योजनाओं और ड्राफ्ट मास्टरप्लान के बीच कोई स्पष्ट लिंक नहीं खोज पाए. परियोजना के दस्तावेजों में शहर की सीमा या ड्राफ्ट मास्टरप्लान के विस्तार का उल्लेख नहीं है. पैनल ने कहा कि अनुरोधकर्ताओं की मुख्य चिंताओं में से एक MVS में शहरीकरण में तेजी लाने और शासन प्रणाली में बदलाव लाने और परिणाम-स्वरूप भूमि और संसाधनों पर जनजातीय लोगों के अधिकारों के क्षरण लाने की क्षमता है. पैनल ने नोट किया कि क्योंकि MVS के लिए साइट चयन से पहले गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती में कोई स्थल-विशिष्टपरामर्श नहीं हुआ, इसलिए जनजातीय समुदाय के सदस्यों के पास इन चिंताओं को उठाने के लिए कोई रास्ता नहीं था. परामर्श और स्थल-विशिष्टमूल्यांकन दोनों की कमी के परिणामस्वरूप, परियोजना द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रासंगिक जोखिम पर विचार नहीं किया गया था.

### शिकायत निवारण तंत्र

56. पैनल नोट करता है कि परियोजना कार्यान्वयन के पहले छह महीनों के भीतर एक परियोजना शिकायत निवारण तंत्र (GRM)स्थापित किया जाना था. हालांकि, जिन सामुदायिक सदस्यों के साथ पैनल की टीम ने मुलाकात की, वे GRM या शिकायत दर्ज करने के तरीके से अनभिज्ञ थे. सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत और परियोजना दस्तावेजों की समीक्षा से पैनल समझता है कि पारंपरिक प्रथागत विवाद-समाधान तंत्र को मान्यता देने वाले सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त GRM को

जगह नहीं दी गई थी. शिकायतों का प्रारंभिक ज्ञान ने परियोजना द्वारा सामना किए गए मुद्दों के समय पर समाधान को सक्षम कर सकता था और समुदायों के साथ विश्वास कायम करने में मदद कर सकता था.

57. **पैनल नोट करता है कि परियोजना के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान प्रभावित समुदायों द्वारा अपनी चिंताओं को उठाने के लिए कोई कार्यशील शिकायत निवारण तंत्र नहीं था, और यह कि परियोजना द्वारा प्रथागत जनजातीय विवाद निपटान तंत्र पर न तो विचार किया गया था और न ही इसका उपयोग किया जाता था. पैनल को प्रबन्धन द्वारा मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में समयबद्ध, सुलभ, प्रभावी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने की विफलता का पता चलता है.**

## **परियोजना पर्यवेक्षण और उपचारात्मक कार्रवाई**

### पर्यवेक्षण

58. **क्षमता निर्माण और संस्थागत व्यवस्था.** परियोजना की तैयारी के दौरान कार्यान्वयन की चुनौतियों और समग्र परियोजना जोखिमों का अनुमान लगाया गया. पैनल ने नोट किया कि परियोजना घटकों A और C के संबंध में प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण और सुधारात्मक उपायों की कमी ने कार्यान्वयन गतिविधियों के प्रबन्धन और निगरानी करने की क्षमता विकसित करने, और बुनियादी ढांचा निवेश के संचालन और रखरखाव का समर्थन करने के लिए संस्थागत संरचनाओं के निर्माण की परियोजना की क्षमता में बाधा उत्पन्न की. इसने सुरक्षा उपायों पर अपर्याप्त ध्यान देने में योगदान दिया.

59. **पर्यवेक्षण डिजाइन.** पैनल ने नोट किया कि जून 2014 और सितंबर 2019 के बीच बैंक ने मध्यावधि समीक्षा सहित 10 कार्यान्वयन समर्थन मिशन आयोजित किए. प्रबन्धन ने पैनल टीम को बताया कि परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुई; जबकि परियोजना के काम अपेक्षाकृत अनुमानित थे, की श्रंखला, भौगोलिक प्रसार, और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार बैंक प्रोजेक्ट कर्मचारियों के उच्च कारोबार ने टीम को मुद्दों और सहमत कार्यों पर पर्याप्त रूप से पालन करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की.

60. सहयोगी ज्ञापनों और बैंक टू ऑफिस रिपोर्ट्स की समीक्षा से, पैनल ने नोट किया कि सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्तता और समयबद्धता जैसी गंभीर चिंताओं और उनके कार्यान्वयन को जल्दी और लगातार पूरे प्रोजेक्ट में चिह्नित किया गया था. हालांकि, प्रबन्धन ने पहचान की गई समस्याओं का लगातार पालन नहीं किया. पैनल यह भी नोट करता है कि पर्यवेक्षण जोखिम रेटिंग ने शुरू में परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करके आंका और उन्हें "कम" के रूप में दर्जा दिया. यह जनवरी 2016 में ही था, इन जोखिमों को "मध्यम" और अप्रैल 2018 में "ठोस" तक अपग्रेड किया गया था.

61. **बागबेरा और छोटागोविंदपुर MVS का पर्यवेक्षण.** आवश्यक सुरक्षा उपाय दस्तावेज और प्रक्रियाओं पर पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई में विशिष्ट कमियां थीं. सहयोगी जापन अनुपस्थित या कम गुणवत्ता वाले पर्यावरणीय डेटाशीट और आवश्यक EMP के बिना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का वर्णन करते हैं. TDP और TDIP को अंतिम रूप देने में देरी और परियोजना प्रबन्धन इकाई में किसी जनजातीय विशेषज्ञ की अनुपस्थिति के बारे में भी दोहराई गई टिप्पणियां थी.

62. **पैनल ने नोट किया कि प्रबन्धन ने MVS के सामाजिक जोखिमों को कम करके आंका.** भले ही दो MVS में 38ग्राम पंचायतें शामिल थीं और अनुसूचित क्षेत्रों में लागू की गई थीं, जहां जनजातीय और गैर-जनजातीय समुदायों के बीच ज्ञात तनाव मौजूद थे, मुख्य जोखिम परियोजना के लाभ से बाहर किए जाने का जोखिम था. सामाजिक संदर्भ की समझ की कमी के लिए निहितार्थ थे कि प्रबन्धन ने परियोजना की निगरानी कैसे की.

63. **समय पर बैंक पर्यवेक्षण में एक अतिरिक्त चूक और पर्याप्त अनुसरण दो MVS की खपत मानदंडों से संबंधित है.** PIP में कहा गया है कि इस परियोजना को MVS द्वारा प्रति दिन 70 लीटर प्रति व्यक्ति (lpcd) खपत मानदंड के लिए डिज़ाइन किया गया था. केवल नवंबर 2014 में, DPR पूरा होने के एक साल से अधिक समय बाद, क्या बैंक को पता चला कि झारखण्ड MVS के पास 135(lpcd)की एक मानक खपत थी, जो योजनाबद्ध मात्रा से लगभग दोगुनी थी. हालांकि प्रबन्धन ने पर्यवेक्षण रिपोर्टों में चिंता व्यक्त की, कि यह वृद्धि स्वच्छता के मुद्दों को बढ़ाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों का पर्याप्त मूल्यांकन किया गया था या यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पर्यावरणीय योजनाएं पर्याप्त रहीं, काम नहीं करती थी.

64. **सामुदायिक विरोध पर प्रबन्धन की प्रतिक्रिया.** हालांकि बागबेरा WTP साइट के लिए समुदाय के विरोध को 2015 और 2016 के सहयोगी संस्मरणों में चिन्हित किया गया था, लेकिन इससे बैंक की टास्क टीम के भीतर व्यापक चर्चा नहीं हुई और मामला वरिष्ठ बैंक प्रबन्धन तक नहीं पहुंच पाया. झारखण्ड मीडिया में व्यापक रूप से दर्ज की जा रही घटनाओं के बावजूद, कथित तौर पर किसी भी जापन में पर कथित हिंसा और प्रतिशोध से संबंधित मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया था. कार्यान्वयन के दौरान, झारखण्ड में सुरक्षा के मुद्दों को मध्यावधि समीक्षा के बाद तक प्रबन्धन के पर्याप्त उच्च स्तर पर नहीं उठाया गया था.

65. **पैनल यह भी नोट करता है कि बैंक प्रबन्धन द्वारा परियोजना के बारे में शिकायतों का पर्याप्त जवाब नहीं दिया गया था.** हालांकि, अनुरोधकर्ताओं ने अप्रैल 2018 में बैंक को लिखा था, प्रबन्धन ने केवल पहली शिकायत प्राप्त होने के छह महीने बाद और पैनल को पहला अनुरोध मिलने के बाद अक्टूबर 2018 में अनुरोधकर्ताओं के साथ मुलाकात की और साइट पर एक मिशन तैनात किया.

66. **साइट सुरक्षा.** पैनल निर्माण स्थलों पर व्यावसायिक और सामुदायिक सुरक्षा जोखिमों को कमजोर पर्यवेक्षण और अनुवर्ती के एक अन्य उदाहरण के रूप में मानता है. फरवरी 2017 के

कार्यान्वयन सहायता मिशन के सहयोगी जापन में कमियों को चिह्नित किया गया. जुलाई 2019 में अपनी यात्रा के दौरान, पैनल ने कहा कि ये कमियाँ बनी हुई हैं. इस संबंध में, उदाहरण के लिए सुरक्षित बाड़ लगाने की अनुपस्थिति ने श्रमिकों, समुदाय के सदस्यों और जानवरों के गीले कुओं में गिरने के जोखिम से अवगत कराया, जिसमें पैनल की यात्रा के समय परीक्षण वाल्व और पाइप से पानी भरा था.

67. पैनल ने नोट किया कि बैंक पर्यवेक्षण ने प्रासंगिक जोखिमों पर विचार नहीं किया, पहचान की गई समस्याओं का व्यवस्थित रूप से और लगातार पालन नहीं किया और मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए एक कामकाजी आंतरिक तंत्र का अभाव था. **पैनल पाता है कि प्रबन्धन निवेश परियोजना वित्तपोषण (OP/BP 10.00), पर्यावरणीय आकलन (OP/BP 4.01) और मूल निवासी लोगों (OP/BP 4.10) पर बैंक नीतियों के गैर-अनुपालन में आवश्यक पर्यावरणीय और सामाजिक उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए - अनुरोधों से पहले - पर्याप्त कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने या प्रासंगिक, प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है. इसने गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती के मूल निवासी लोगों द्वारा अनुभव किए गए महत्वपूर्ण नुकसान में योगदान दिया.**

#### उपचारात्मक कार्रवाइयां

68. अपने जवाबों में, प्रबन्धन उधार लेने वाले के साथ एक समझौते पर आधारित "आगे बढ़ते हुए कार्रवाई" के एक व्यापक पैकेज को इंगित करता है. **बागबेरा WTP** से संबंधित विशिष्ट उपायों में प्रतिपूरक उपायों की पहचान करने और सहमति देने के लिए गिद्दी झोपड़ी समुदाय के साथ सहायक परामर्श शामिल हैं, जिनमें समुदाय को सांस्कृतिक रूप से उचित लाभ प्रदान करना, भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का आकलन करना और पहाड़ी के ऊपर साइट तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है. दूसरे जवाब में विशिष्टताओं में प्रतिपूरक उपायों पर पहचान करने और उन पर सहमत होने के लिए पुरानी बस्ती के निवासियों के साथ समान परामर्श शामिल हैं, जिसमें शहीदों के स्मारक से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना शामिल हो सकता है.

69. पैनल उपरोक्त कार्यों को शुरू करने के लिए प्रबन्धन की सराहना करता है, लेकिन इसने जुलाई 2019 में अपने मिशन के दौरान देखा कि कई कार्यों में देरी हुई थी और उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की पहचान करने के लिए प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत सुनिश्चित करने के प्रयासों में बहुत कम प्रगति हुई थी. हालांकि पैनल नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने की कवायद का स्वागत करता है, यहां तक कि पूर्वव्यापी रूप से, यह स्पष्ट नहीं है कि जनजातीय समुदायों द्वारा अनुभव की जाने वाली हानियों को कैसे संबोधित किया जाएगा.

#### **निष्कर्ष**

70. गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती में **संथाल और हो** जनजातीय समुदायों को गंभीर नुकसान - जिनमें प्रथागत इस्तेमाल की जाने वाली भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव, कब्रगाह स्थलों की अपवित्रता, पवित्र कुंज पर प्रभाव और पारंपरिक धार्मिक रूप से आयोजित जीवन के तरीकों

के लिए उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक एकत्रीकरण स्थानों पर विघटन शामिल हैं- कई प्रमुख नीतियों के संबंध में प्रबन्धन द्वारा गैर-अनुपालन से जुड़े हुए हैं.

71. यद्यपि बैंक नीति के तहत मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में परियोजना गतिविधियों को लागू किया गया था, लेकिन परियोजना के दस्तावेजों ने सांस्कृतिक संसाधनों और धार्मिक प्रथाओं पर पुरानी बस्ती के पास **बागबेरा** WTP और ESR के विशिष्ट प्रभाव की संभावित जोखिम के रूप में पहचान नहीं की. इसके अलावा, यदि स्थल-विशिष्ट आवश्यक सुरक्षा उपकरण तैयार किए जाते और एक समग्र और एकीकृत तरीके से लागू किए जाते तो स्थल-विशिष्टसांस्कृतिक प्रभाव की पहचान की जा सकती थी.

72. इस जांच के विषय, परामर्श और जानकारी के प्रकटीकरण में कमियां, स्थल-विशिष्टजनजातीय विकास योजनाओं की कमी और बुनियादी ढाँचे के लिए बस्ती-स्तर की *ग्राम सभा* की मंजूरी सुनिश्चित करने की कमी के कारण उप-परियोजनाएँ आदिवासियों का समर्थन प्राप्त करने में विफल रहीं जिन्हें लाभ पहुँचाना परियोजना का आंशिक इरादा था. एक कामकाजी GRM की कमी ने अनुरोधों में पहचानी गई समस्याओं पर समय पर और सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से ध्यान देने की अनुमति नहीं दी.

73. कई कारकों ने अपर्याप्त और अप्रभावी बैंक पर्यवेक्षण में योगदान दिया. पैनल प्रासंगिक जोखिम दृष्टिकोण की अनुपस्थिति को लक्षित पर्यवेक्षण प्रयासों और बैंक के ढांचे में महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली की कमी के साथ जोड़ता है. स्थल चयन को लेकर लाल झंडों के साथ सामुदायिक विरोध प्रदर्शनों की, प्रबन्धन द्वारा अनदेखी की गई थी जबकि उचित कार्रवाई से अंतर आ सकता था.

74. प्रबन्धन ने परियोजना के डिजाइन और पर्यवेक्षण, परामर्श, प्रमुख सुरक्षा दस्तावेजों के प्रकटीकरण, स्वीकृत EMP से पहले काम शुरू करने और OP/BP 4.11 को लागू करने में विफलता के संबंध में कमजोरियों पर सहमति व्यक्त की है. पैनल अनुरोध और आशाओं के बाद प्रबन्धन के प्रयासों को पहचानता है और उम्मीद करता है कि परामर्श के माध्यम से समुदायों को स्वीकार्य समाधान अभी भी मिल सकते हैं.

## अध्याय 1: परिचय

### अनुरोधों की पृष्ठभूमि

1. यह निरीक्षण (जाँच) रिपोर्ट, विश्व बैंक निरीक्षण पैनल ( the “panel”) के उन मुद्दों को प्रदर्शित करती है, जो भारत के कम आय वाले राज्यों में चलायी जा रही ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (the “Project” or RWSS-LIS) के विषय में उठाये गये दो अलग-अलग लेकिन समान अनुरोधों की जाँच के बाद खोजों और उनके विश्लेषण में निकल कर आये हैं । पहला अनुरोध झारखण्ड राज्य कि एक बस्ती, गिद्दीझोपड़ी के **संथाल** आदिवासियों के **104** सदस्यों (**“पहले अनुरोधकर्ता”**) द्वारा 21 सितम्बर, 2018 को (**प्रथम अनुरोध**) किया गया था, इन्ही लोगों ने 09 अक्टूबर 2018 को अपने नुकसान का एक और विवरण अनुलग्नक के रूप में, अपने मूल अनुरोध में जोड़ने के लिए पैनल के पास भेजा। **दूसरा अनुरोध**, 12 दिसम्बर, 2018 को, झारखण्ड राज्य की ही एक बस्ती , पुरानी बस्ती के **हो** और **संथाल** आदिवासियों के **130** सदस्यों (**“दूसरे अनुरोधकर्ता”**)के द्वारा किया गया ।इन्हीं पहले अनुरोध और दूसरे अनुरोध को बाद में (**“अनुरोध”**) कहा गया।अनुरोधों में दो **बहु-ग्राम योजनाओं(MVS)**: बागबेरा MVS और छोटगोविंदपुर MVS,के निर्माण से नुकसान का आरोप लगाया। पहले और दूसरे अनुरोधकर्ता , दोनों (**“अनुरोधकर्ता”**) ने गोपनीयता के लिए भी निवेदन किया।
2. पैनल ने पहला अनुरोध 5 नवंबर, 2018 को पंजीकृत किया और 11 दिसंबर, 2018 को पहली प्रबंधन प्रतिक्रिया प्राप्त की। पैनल ने दूसरा अनुरोध 18 दिसंबर, 2018 को पंजीकृत किया और 28 जनवरी, 2019 को दूसरी प्रबंधन प्रतिक्रिया प्राप्त की (पहले और दूसरे प्रबंधन प्रतिक्रियाओं , दोनों को यहां आगे **“प्रबंधन प्रतिक्रियाएं”** या **“प्रतिक्रियाएं”** कहा गया है)। क्योंकि अनुरोध एक ही परियोजना से संबंधित समान मुद्दों को उठाते हैं, पैनल ने कार्य कुशलता के उद्देश्यों के लिए उन पर संयुक्त रूप से प्रक्रिया करने का निर्णय लिया। क्षेत्र का दौरा करने के बाद , पैनल ने 12 फरवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट और सिफारिश जारी की, अनुरोधों की तकनीकी योग्यता की पुष्टि की और नुकसान और संबंधित गैर-अनुपालन के कथित मुद्दों की जांच की सिफारिश की। बोर्ड ने 1 मार्च, 2019 को पैनल की सिफारिश को मंजूरी दे दी। पैनल ने 18 अप्रैल, 2019 को अपनी जाँच पड़ताल योजना जारी की।

### 1.2 निरीक्षण और प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के लिए अनुरोध

3. निम्न अनुभाग निरीक्षण और प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के लिए किये गये अनुरोधों का सार संक्षेप है । और अधिक विस्तार आगे के अध्यायों में दिया गया है.

#### निरीक्षण हेतु अनुरोध

4. ये अनुरोध समान मुद्दों की बात करते हैं लेकिन उनका सम्बन्ध परियोजना द्वारा वित्त-पोषित दो विभिन्न बहु-ग्राम योजनाओं से है. पहला अनुरोध जल उपचार संयंत्र (WTP) और साथ में स्थित, ऊँचे भण्डारण जलाशय (ESR) के मुद्दों की बात उठता है, ये दोनों ही बागबेरा बहु-ग्राम योजना (MVS) के हिस्से हैं. (बाद में इन्हें बागबेरा WTP के नाम से संदर्भित किया गया है) .

दूसरा अनुरोध पुरानी बस्ती (छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजना (MVS)) में ऊँचे भण्डारण जलाशय (ESR) से सम्बंधित है।(इन्हें यहाँ “पुरानी बस्ती के निकट ESR” से संदर्भित किया गया है)।

5. **पर्यावरणीय प्रभाव** .अनुरोधकर्ता गिद्दीझोपड़ी की पहाड़ी के बागबेरा WTP और पुरानी बस्ती के समीप के ESR के स्थानों की आलोचना करते हैं. उनका मत है कि यदि स्थानों के चयन में विकल्पों पर पर्याप्त विश्लेषण हुआ होता तो स्थानीय समुदायों के हितों में होने वाले नुकसानों की या तो अवहेलना की जा सकती थी या फिर उन्हें कम किया जा सकता था. उनका आरोप है कि बहु-ग्राम योजनाओं (MVS) के सन्दर्भों में उचित स्थल-विशेष पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन नहीं हुआ. उनका तर्क है कि इस तरह कि दूरदृष्टि विश्व बैंक की पर्यावरण आकलन क्रियान्वयन नीति (OP/BP 4.01)<sup>1</sup> का अनुपालन नहीं करती. उनका ये भी तर्क है चूँकि ये परियोजना एक वृहद् स्तर पर पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ मूल निवासियों के अधिकारों को प्रभावित करती है अतः इसे पर्यावरण की B श्रेणी के स्थान पर A श्रेणी में रखा जाना चाहिए.
6. अनुरोधकर्ताओं कि एक चिंता यह भी है कि योजनाओं की वर्तमान संरचना कुछ इस प्रकार है कि इनसे एक बहुत बड़े भाग के जल का दोहन पड़ोस कि **सुबर्णरेखा** नदी के साथ-साथ दूसरे अन्य जल-स्रोतों से होगा जिससे इस क्षेत्र के जल-विज्ञान पर बुरा असर पड़ेगा और साथ ही सांस्कृतिक प्रथाएं प्रभावित होंगी.<sup>2</sup>वे इस बात से भी चिंतित हैं कि जल-उपचार के पश्चात उत्पन्न हुए कीचड़ से प्रदूषण होगा और परियोजना अभिलेखों में इस कीचड़-प्रबंधन पर आवश्यक जानकारी का अभाव है.<sup>3</sup>
7. **सांस्कृतिक और सामुदायिक स्रोतों पर प्रभाव**. अनुरोधकर्ताओं का मत है कि परियोजना का प्रारम्भ विश्व बैंक की भौतिक सांस्कृतिक क्रियान्वयन नीति (OP/BP4.11) के अनुरूप होना चाहिए और जिससे कि परियोजना की विफलता की स्थिति में इन संसाधनों पर इसके प्रभाव का आकलन और क्रियान्वयन नीति (OP/BP4.11) के गैर अनुपालन में इनके प्रभाव को कम किये जा सकने वाले कारणों का पता लगाया जा सके. जबकि **संथाल** और **हो** राष्ट्रीय विधि के अनुसार मान्य आदिवासी<sup>4</sup> जनजातियां हैं और विश्व बैंक की मूल निवासियों की कार्यान्वयन नीति (OP/BP4.10) की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, फिर भी बहु-ग्राम योजनाओं का उन पर पड़ने वाले विशेष प्रभाव का आकलन नहीं किया गया और न ही अन्य परियोजना विकल्पों का परीक्षण किया गया.<sup>5</sup>
8. पहले अनुरोधकर्ता आरोप लगाते हैं कि बागबेरा जल-उपचार परियोजना (WTP) का निर्माण उनकी सामुदायिक ज़मीन पर किया गया है जो “उनकी जीवन पद्धति और संस्कृति को बाधा पहुंचाएगा.”<sup>6</sup> उनका दावा है कि WTP को उनके पवित्र कुंज और कब्रगाह मैदान में बनाया गया था और यह समुदाय के संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है , जिसमें चारागाह भूमि , पारंपरिक जड़ी बूटियां और लाल मिट्टी शामिल हैं . दूसरे अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि पुरानी बस्ती के पास ESR

<sup>1</sup> Second Request for Inspection, p.11

<sup>2</sup>First Request for Inspection, Supplement to the Request for Inspection, p.13

<sup>3</sup>Ibid.,p. 15

<sup>4</sup>Adivasis or tribal groups are considered the original inhabitants of India.

<sup>5</sup> First Request for Inspection, Supplementation to the request for Inspection, p. 20

सामुदायिक भूमि और उनकी शहीद भूमि पर बनाया जा रहा है और ये "मूल निवासी समुदायों की आवश्यक सांस्कृतिक प्रथाओं के जारी रहने को खतरे में डालता है"।<sup>7</sup> दोनों अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि बागबेरा जल-उपचार परियोजना (WTP) और पुरानी बस्ती के पास ESR में वे अलग-अलग त्योंहारों को मनाते हैं। नुकसान/हानि से सम्बंधित विवरणों को अध्याय 3 में विस्तार से बाते गया है।

9. **आर्थिक पहुँच से सम्बंधित मुद्दे.** अनुरोधकर्ताओं ने अपनी-अपनी बस्तियों में पाइप के माध्यम से पानी पहुँचाए जाने की व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा कि वे इस व्यवस्था में भुगतान के कारण गरीब हो जायेंगे<sup>8</sup> जबकि उनके पास पहले से ही साफ़ और मुफ्त पानी उपलब्ध है।
10. **जमशेदपुर शहर की सीमाओं का विस्तार.** अनुरोधकर्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना, वस्तुतः पड़ोस में सटे हुए जनपद जमशेदपुर की सीमाओं के विस्तार का एक विस्तृत अंग है जिसमें उनकी बस्तियां समाहित हो जाएँगीं. उनको डर है कि इस तरह विस्तार से उनके समुदाय के **अनुसूचित क्षेत्र**<sup>9</sup> होने का अधिकार चला जायेगा और मूल निवासियों का उनका समुदाय और भी हाशिये पर चला जायेगा.<sup>10</sup>
11. **परामर्श.** अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि न तो उनको योजनाओं से सम्बंधित स्थलों के चुनाव कि प्रक्रिया में शामिल किया गया और न ही क्रियान्वयन प्रक्रियाओं में. अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उनकी बस्तियों को एक विशेष संरक्षण प्राप्त है और जिसके अनुसार उनकी आबादी में कोई भी विकास योजना संचालित करने से पूर्व ग्राम-सभा<sup>11</sup> का अनुमोदन आवश्यक है. उनका आरोप है कि इन स्थलों के चुनाव में न तो कोई पूर्व-सलाह ग्राम-सभा से ली गयी और न ही कोई अनुमोदन प्राप्त किया गया. उनका यह भी दावा है कि 'संथाल' आदिवासियों के प्रशासन तंत्र **माझी-परगना**, 'हो' आदिवासियों के **मुंडा-मनकी** को भी स्थलों के चुनाव-प्रक्रिया से एकदम अलग रखा गया.<sup>12</sup> उनका तर्क है कि परियोजना हेतु वृहत्तर समुदाय का सहयोग नहीं लिया गया जो कि (OP/BP 4.10) का गैर-अनुपालन है, और इस प्रकार उचित परामर्श के अभाव में मूल निवासियों के संसाधनों और उनकी सांस्कृतिक विरासत को होने वाले जोखिमों की अनदेखी की गयी है.
12. **सूचनाओं का प्रकटन .** अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि योजनाओं की जानकारी उनकी समझ में आने वाली भाषा के रूप में उन्हें नहीं उपलब्ध करायी गयी है या उन्होंने प्राप्त की है. वे आरोप लगाते हैं कि कुछ दस्तावेज़ उन्हें अंग्रेजी में तो दिए गये हैं लेकिन हिंदी, संथाली या हो में नहीं. वे इस बात कि भी शिकायत करते हैं कि वे योजनाओं का पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन की भी पहुँच से दूर रहे हैं.

---

<sup>6</sup>Ibid.,p.1

<sup>7</sup>Second Request for Inspection, p.5, para 2(a)

<sup>8</sup> First Request for Inspection, Supplementation for the Request for Inspection,p.1.

<sup>9</sup> Scheduled Areas refer to officially notified areas marked by significant presence of tribal population, geographic compactness. and social and economic underdevelopment.

<sup>10</sup> First Request for Inspection, Supplementation to the Request for Inspection, p.7,

<sup>11</sup> Community assembly.

**13. प्रतिरोध/प्रतिकार.** अनुरोधकर्ताओं ने अपने मुद्दे उठाये जाने पर प्रतिरोध और प्रतिकार होने का डर व्यक्त किया। पहले अनुरोधकर्ताओं ने बताया जब 2016 में निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उसके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने बल का प्रयोग किया। उन्होंने यह भी आरोप लगे कि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों के कारण उनको “चरित्र-प्रमाण पत्र” प्राप्त करने में बड़ी कठिनाईयां होती हैं और ये उन्हें पूरे भारत में रोजगार दिलाने में सहायक होते हैं। दूसरे अनुरोधकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने अपनी परम्परागत ज़मीन पर ESR (उच्च जलाशय भण्डारण) बनाये जाने का विरोध किया तो उनको “गंभीर परिणाम” भुगतने की चेतावनी दी गयी।<sup>13</sup>

### अनुरोधों पर प्रबंधकीय प्रतिक्रिया

**14. बागबेरा WTP और पुरानी बस्ती ESR के निर्माण क्रियान्वयन में बैंक रक्षा नीति की आवश्यकताओं में कमियों को देखते हुए प्रबंधन ने पहले और दूसरे अनुरोधकर्ताओं को अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दी। प्रबंधन ने इन कमियों को, “ डिज़ाइन और उनके निरीक्षण, परामर्शों का आचरण और उनका दस्तावेजीकरण, योजना-विशेष अभिलेखों का प्रकटन, कार्यों हेतु मान्य पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) का अनापत्ति-प्रमाण पत्र और सांस्कृतिक और भौतिक संसाधनों पर बैंक नीति (OP/BP 4.11) को लागू करने की असफलताओं की कमियाँ”<sup>14</sup> के रूप में परिभाषित किया।**

**15. स्थल चुनाव और सम्बंधित परामर्श.** प्रबंधन का मत है कि समुदाय में पाइप वाले पानी की बहुत बड़ी मांग है और परियोजना ने प्रभावित हुए समुदायों से दोनों बहु-ग्राम योजनाओं (MVS) की डिज़ाइन और उसके निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण परामर्श किये हैं। हालाँकि प्रबंधन स्वीकारता है कि, “[पहले और दूसरे अनुरोधकर्ताओं] बस्ती/बस्तियों के स्तरों पर होने वाले परामर्शों और उनके दस्तावेजीकरण में कमियाँ प्रतीत होती हैं।”<sup>15</sup> प्रबंधन यह भी स्वीकारता है गिद्दीझोपड़ी और पुरानीबस्ती के स्थलों के चुनावों में वहाँ की ग्राम-सभाओं से पर्याप्त संस्तुति नहीं ली गयी। समुदायों के विभाजन और उनके साथ किये गये परामर्शों के दस्तावेजीकरण में हुई कमियों के विषय में प्रबंधन कहता है कि, “स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि **बैंक नीति 4.10** के अनुसार ही वृहत्तर समुदाय का सहयोग प्राप्त किया गया था।”<sup>16</sup> प्रबंधन यह भी स्वीकारता है कि EMPs के निर्माण में सीधे प्रभावित होने वाले समुदायों से भी कोई परामर्श नहीं लिया गया।<sup>17</sup> स्थलों के चुनाव और परामर्श हेतु प्रबंधकीय प्रतिक्रियाओं के लिए (अध्याय 4 देखें)।

<sup>12</sup> First Request for Inspection, Supplementation to the Request for Inspection, p.19,

<sup>13</sup> Second Request for Inspection, p, 2.

<sup>14</sup> Management Responses to the First Request for Inspection, p. 8, para 29.

<sup>15</sup> Management Responses to the First Request for Inspection, p. 9, para 32 and Management Response to the second Request for Inspection, Executive Summary, p. vii, para 10.

- 16. पर्यावरणीय आकलन.** प्रबंधन कहता है कि परियोजना के अन्तर्गत वित्त-पोषित योजनाओं के आकार और उनके प्रभाव को देखते हुए उनको पर्यावरणीय पदनाम B के रूप में कहा गया था जिसके पीछे धारणा यह थी कि उन पर कोई विपरीत पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके अलावा चूँकि परियोजना की संस्तुति के समय योजनाओं के स्थलों का कोई ज्ञान नहीं था, और सामाजिक और वातावरण जोखिमों को समझने में RWSS-LIS फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया था.
- 17. यद्यपि योजनागत-विशेष EMPs, सरकार और विश्व बैंक के बीच अनुबंध होने से पहले बैंक के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, और इसके बाद ही कोई सिविल कार्य शुरू होता है, प्रतिक्रियायें स्वीकारती हैं, “ ये आवश्यकता पूरी नहीं की गयी और प्रबंधन स्वीकार करता है कि अनुपालन को सुनिश्चित करने के बैंक ने भी कोई फॉलो-अप नहीं किया.”**<sup>18</sup> प्रतिक्रियायें बताती हैं कि अनुरोधों में पहचानी गयी कमियों को दूर करने के लिए EMPs का अद्यतन किया जा रहा है.
- 18. योजनाओं के जल-विज्ञान सम्बन्धी प्रभाव के बारे में प्रबंधन कहता है कि बागबेरा MVS और पुरानीबस्ती MVS स्थलों को जल-बिन्दु (Intake) उपलब्ध कराने के बाद भी समुदाय के लोगों की, उनके वास्तविक स्रोतों तक पहुँच बनी रहेगी उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके अलावा सुबर्णरेखा नदी के द्वारा दोनों परियोजनाओं हेतु पानी लेने के बाद भी, लिए गये पानी की मात्रा की तुलना यदि कुल बहाव के पानी के आयतन से की जाय तो यह लगभग नगण्य होगी. प्रबंधन यह भी कहता है कि योजनाओं के शुरू होते ही कीचड़ और अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बंधित उपाय भी अस्तित्व में होंगे, और इनका विस्तृत वर्णन अपडेटेड (अद्यतित) EMPs में होगा.**
- 19. सांस्कृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर प्रभाव.** प्रबंधन प्रतिक्रियाओं में स्वीकार किया गया है कि परियोजना के लिए नीति OP/BP 4.11 को लागू किया जाना था और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का कोई योजनाबद्ध आकलन नहीं किया गया है. यद्यपि, ये उल्लिखित है, “उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा इस तरह के प्रयास किये गए हैं कि वे बैंक नीति की दिशा और दशा का अनुपालन करते हैं.”<sup>19</sup> प्रबंधन इस बात का भी वर्णन करता है कि परियोजना का पुनर्संयोजन बैंक नीति OP/BP 4.11 से ही प्रारम्भ होगा. पहली प्रतिक्रिया ये बताती है कि बागबेरा WTP का निर्माण सरकारी ज़मीन पर किया गया है और वहाँ का क्षेत्र सामुदायिक असेंबली, पशुओं के चरागाह और चारा आदि लेने के लिए समुदाय की पहुँच में है.<sup>20</sup> दूसरी प्रतिक्रिया में भी बाते गया कि पुरानीबस्ती का ESR भी सरकारी ज़मीन पर बने गया है, और वहाँ भी समुदाय के लिए अपने सांस्कृतिक रीति-रिवाजों को निभाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है.<sup>21</sup> आगे भी सांस्कृतिक स्रोतों पर प्रतिक्रियायें विस्तार से समझाई गयी हैं. (अध्याय 3 देखें.)

<sup>16</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 10, and Management Response to the second Request, p. 11

<sup>17</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. VII.

<sup>18</sup> Ibid., Executive Summary p.vii, para xi.

- 20. जमशेदपुर शहर कि सीमाओं का विस्तार.** प्रबन्धन प्रतिक्रियायें अनुरोधकर्ताओं की उन चिंताओं/डर को समझती हैं कि कहीं परियोजनाओं कि वज़ह से जमशेदपुर शहर की सीमाओं का विस्तार उनके अनुसूचित क्षेत्र को हड़प न ले और वे सब अपने राष्ट्रीय कानूनों से वंचित हो जायें. फिर भी प्रबंधन ये कहता है कि ये सही है कि सरकार क्षेत्रीय योजना और उसकी अखंडता के लिए जमशेदपुर शहर की सीमाओं का विस्तार तो चाहती है, लेकिन जमशेदपुर शहर की सीमाओं के विस्तार की मसौदा योजना, और परियोजना-जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुँचाना चाहती है, के बीच कोई सम्बन्ध है.<sup>22</sup>
- 21. वहनीय (सहे जा सकने योग्य) मुद्दे.** प्रतिक्रियाएं व्याख्या करती हैं कि परियोजना में भागीदारी एकदम स्वैक्षिक है और यदि समुदाय के लोग अपने स्थानीय स्रोतों से पहले कि तरह ही पानी लेते हैं उसका कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जायेगा. योजना के माध्यम से नया उपचारित पानी मीटर (मापक) लगे हुए पाइपों के माध्यम से पहुँचाया जायेगा और उपयोग के आधार पर ही शुल्क लिया जायेगा. आगे व्याख्या करते हुए प्रतिक्रियाये कहती हैं कि झारखण्ड राज्य में किसी भी अवस्था में सुझाया गया, पानी का मासिक मूल्य बहुत ही कम है-मासिक बिजली खर्च का एक तिहाई से भी कम.<sup>23</sup>
- 22. परियोजना स्थल पर प्रतिरोध.** पहली प्रबन्धन प्रतिक्रिया स्वीकारती है, “जल उपचार संयंत्र (WTP) के निर्माण में जो महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रतीत होता है उसे उचित रूप से समझने और हल करने के लिए आपस में सहमत कार्यों के अनुपालन हेतु परियोजना अधिकारियों को और भी सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए थी.”<sup>24</sup> दूसरी प्रबंधन प्रतिक्रिया कहती है कि एक बैठक में समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि प्रतिरोध खत्म नहीं किया गया तो ग्राम-पंचायत का मुखिया पुलिस बुला लेगा, लेकिन वस्तुतः वे पुलिस बाधा का कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सके. प्रबंधन ने सरकार को स्पष्ट किया कि बैंक किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दमन को लेकर असहिष्णु है, और प्रबन्धन प्रतिरोध को समाप्त करने के लिए कार्य करता रहेगा.<sup>25</sup>
- 23. आगे की गतिविधियाँ.** दोनों प्रतिक्रियाओं में प्रबन्धन स्पष्ट करता है कि कार्य को रोक देने में जोखिम हो सकते हैं (1) ग्राम-पंचायत के उन सदस्यों का प्रतिरोध जो तुलनात्मक रूप में योजनाओं का सहयोग करते हैं, (2) योजना में कार्यरत लोगों का रोजगार से वंचन, (3) पूर्ण होते हुए कार्य को बीच में अधूरा छोड़ने में असुरक्षा के तमाम कारणों का पैदा होना.<sup>26</sup>
- 24. प्रबन्धन स्पष्ट करता है कि वे संबंधित समुदाय के साथ शांतिपूर्ण हल निकालने में झारखण्ड सरकार की मदद करेंगे.** प्रबंधन कहता है कि कि वह और भी मदद करेंगे जैसे, (1) बैंक की सहायता हेतु मानव-विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के विशेषज्ञों की खोज, (2) बागबेरा और छोटागोविंदपुर के EMPs के लिए परामर्श, पूर्णन और प्रकटन की प्रक्रिया में मदद. (3) सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का अधिशाशी सारांश हिंदी में उपलब्ध करवाना,

<sup>19</sup> Ibid, p. 13, para 47

<sup>20</sup> Ibid., p. 14.

<sup>21</sup> Management Response to the second Request for Inspection, p.17.

<sup>22</sup> Ibid, p. 11, para 40.

<sup>23</sup> Ibid, p. 14, para 47.

- (4) अनुरोधकर्ताओं से परामर्श के माध्यम से उनके मुद्दों हेतु बेहतर विकल्पों की तलाश करना, (5) OP/BP 4.11 को लागू करवाना, और (6) झारखण्ड में बहु-ग्राम योजनाओं हेतु स्थल चुनाव में समुदाय की “अनापति” और सामुदायिक दस्तावेजीकरण की विधियों का पुनरावलोकन.

## देश और जन-जातीय परिदृश्य, परियोजना विवरण.

25. पाँच पेयटी टर्म्स (क्रय शक्ति समता) के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले कई वर्षों में विश्व की तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.<sup>27</sup> वर्ष 2015 से लगभग दो दशक पूर्व इस देश ने गरीबी को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, और ये 46 प्रतिशत के अति-बिंदु से गिरकर 13.4 प्रतिशत के अनुमानित स्तर पर पहुंची है. इसके बावजूद भारतवर्ष में अनुमानतः 176 मिलियन लोग हैं और विकास असमान है, समृद्धि और उपलब्ध अवसर लोगों और विभिन्न भौगोलिक सीमाओं में विभिन्न हैं.<sup>28</sup> ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत पीछे हैं, परियोजना के तैयार होने के समय तक भारत की 70 प्रतिशत आबादी मतलब लगभग 1.2 बिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रह रहे थे.<sup>29</sup>
26. जल और स्वच्छता सेक्टर में एक महत्वपूर्ण धनराशि लगाने के बाद लगभग 5 दशकों के बाद भी, 2011 की जनगणना के अनुसार 167 मिलियन ग्रामीण परिवारों के मात्र 31 प्रतिशत परिवारों के पास नल-जल और घरेलू शौचालय हैं.<sup>30</sup> और प्रथमतया ये परिवार हैंडपंप के पानी पर निर्भर रहते थे, जो कि सदैव विश्वसनीय, वहनीय और सतत सेवा देने में अक्षम होते हैं. वैसे भी निरंतरता का मुद्दा जल-स्तर के घटने, पानी की गुणवत्ता में क्षरण होने से और रख-रखाव के विषयों को लेकर हमेशा से ही एक जोखिम/डर का मुद्दा रहा है. दुनिया के तमाम देशों के साथ-साथ भारत भी एक जल-संकट/जल-तनाव वाला देश रहा है.<sup>31</sup> पिछले कुछ दशकों में भारतवर्ष में भूमिगत जल का दोहन बढ़ी ही प्रचुर मात्रा (घातीय ढंग) में किया गया है. भारतवर्ष भूमिगत जल का दोहन करने में विश्व का सबसे बड़ा देश है. यह पूरी दुनिया में भूमिगत जल के दोहन का 25 प्रतिशत स्वयं निकल लेता है.<sup>32</sup>
27. भारतवर्ष की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में अवस्थापना और पेयजल के साथ स्वच्छता को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्थान दिया गया था, <sup>33</sup>सन 2013-2017 की विश्व-बैंक की **राष्ट्र भागीदारी रणनीति** (Country Partnership Strategy) ने इस बात की पहचान की कि बेहतर जल-आपूर्ति और स्वच्छता का विषय कार्य करने का एक अच्छा रणनीतिक विकल्प हो सकता है. साथ ही साथ RWSS परियोजना के अन्तर्गत कार्यों और नीतियों के विकेंद्रीकरण को सहयोग करते हुए राष्ट्र भागीदारी रणनीति के मूल परिवर्तनों में समाहित है,

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> PAD, p.1, para 1.

<sup>30</sup> Ibid., p.1, para 2.

<sup>31</sup> India: Systematic Country Diagnostic – Realizing the promise of Prosperity, 2018, World Bank Group, p. 24.

<sup>32</sup> World Bank, Helping India Manage its Complex Water Resources, March 22, 2019. Available at :

<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/03/22/helping-india-mange-its-complex-water-resources>. Accessed December 10, 2019.

<sup>33</sup> PAD. p. 1.

(i) दीर्घ और बहु-ग्राम योजनाओं हेतु प्रबंधन मॉडलों की श्रृंखला का संचालन करना, (ii) ग्राम-पंचायतों को सरकार के उच्च स्तरों से जोड़कर RWSS कार्यक्रम को सतत बनाने में सहयोग देना और संस्थानों की क्षमताओं को मज़बूत करना, (iii) जल-आपूर्ति और स्वच्छता के घटक को उस क्षेत्र में चलायी जा रही अन्य सुरक्षा योजनाओं जैसे-पारिवारिक और ग्रामीण पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम, ठोस और द्रव अपशिष्ट का प्रबंधन, स्वास्थ्य और सफाई आदि कार्यक्रमों के साथ जोड़ना, (iv) जवाबदेह और प्रभावी सेवाओं के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे विकल्पों का संचालन. (v) बैंक से सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं की सिद्ध हुई नीतियों और रणनीतियों का संस्थानीकरण और उनको बढ़ाया जाना.<sup>34</sup>

- 28. जनजातीय सन्दर्भ.** झारखण्ड राज्य, जहाँ से **अनुरोध** आये, वो बिहार राज्य का दक्षिणी हिस्सा था और जो दशकों से जनजातियों के एक लम्बे राजनैतिक संघर्ष के बाद एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में सन 2000 में अस्तित्व में आया. झारखण्ड का अर्थ है- “जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र” और यह - जंगलों और वहाँ के जनजातीय समुदायों के बीच एक अनोखे रिश्ते को कायम करता है. <sup>35</sup>भारत के अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ जनजातियाँ और जंगल अपेक्षाकृत अधिक हैं. झारखण्ड, अनसूचित जनजातियों/आदिवासियों का हृदयस्थान कहलाता है,<sup>36</sup> जो कि छोटा नागपुर पठार और मध्य-पूर्व भारत के संथाल परगना में स्थित है, <sup>37</sup> पठार और इसके आस-पास के मैदान **संथालों** की परम्परागत ज़मीन को तैयार करते हैं. <sup>38</sup> झारखण्ड राज्य के दक्षिणी जिले पश्चिमी सिंहभूमि का कोल्हन क्षेत्र **हो** जनजातिका प्राचीन गृहस्थान है.<sup>39</sup>
- 29.** झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजातियों कि कुल जनसँख्या 8,645,042 है जो कि राज्य की कुल जनसँख्या का 26.2 प्रतिशत है.<sup>40</sup> इसमें 32 जनजातियों के समूह हैं और जिनमें सबसे बड़े समूहों में संथाल, ओराँव, मुंडा और हो हैं. <sup>41</sup>**संथाल** जनजाति आबादी के लिहाज़ से भारतवर्ष की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और कुल 2,410,509 आबादी के साथ झारखण्ड की सबसे बड़ी जनजाति है. ये झारखण्ड राज्य की कुल जनजातियों की आबादी का 34 प्रतिशत है. **हो** राज्य कि चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि राज्य कि कुल जनजातियों की आबादी का 10.5 प्रतिशत है.<sup>42</sup>पूर्वी सिंहभूमि जनपद- जो कि **अनुरोधों** का विशिष्ट स्रोत है की जनजाति आबादी 552,187 है और ये जनपद की कुल आबादी का 27.85 प्रतिशत है. <sup>43</sup> यह जनपद झारखण्ड के उन 24 जनपदों में से 15 वां जनपद है जो कि भारत सरकार द्वारा मान्य **पांचवें अनुसूचित क्षेत्र** के अंतर्गत आता है, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोगों के संरक्षण के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं.<sup>45</sup>

<sup>35</sup> Jharkhand Environmental Information System, [http://jharenvis.nic.in/Database/jharkhand\\_2326.aspx](http://jharenvis.nic.in/Database/jharkhand_2326.aspx). Access: 1/4/2020

<sup>36</sup> To protect the interests of the tribal population, specific schedules were added to the Constitution of India in 1949 under its article 244 (2). The term “Scheduled Tribes” refers to the protection provided to tribal populations under these schedules, which concern specific areas.

<sup>37</sup> India and the Rights of Indigenous Peoples, C.R Bijoy, Shankar Gopalakrishnan and Shomona Khanna, 2010, p. 153.

<sup>38</sup> Amit Soni, Santhal Customary Law: An Anthropological Perspective in the Journal of the Anthropological Survey of India, Volume 49, December 2000, p. 115.

<sup>39</sup> Basanta Mohanta, Death Rituals of the Ho tribe: An Anthropological Observation, p.61.

- 30. संथाल और हो** जनजातियों का सामाजिक ढाँचा, भाषाएँ, परम्परगत शक्ति विन्यास और समान रीति-रिवाज़ के ढंग उन्हें विश्व-बैंक की नीति के अन्तर्गत मूल निवासी होने का दर्ज़ा देते हैं। दोनों ही जनजातियाँ जीववाद को मानने वाले **सरन धर्म** में विश्वास करती हैं, जिसके अनुसार संसार में अलौकिक शक्तियाँ होती, और ऐसा विश्वास/मानने वाले झारखण्ड में 13.8 प्रतिशत लोग हैं।<sup>46</sup> वे ऐसी जगहों के पास रहते हैं जहाँ उनके पूर्वज दफन हैं। वैसे तो झारखण्ड राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है लेकिन आदिवासी लोग अन्य भाषाओं के साथ-साथ संथाली और हो भी बोलते हैं, जो कि मुंडा भाषाएँ हैं और ये आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार से सम्बंधित हैं।<sup>47</sup> संथाली भारतवर्ष की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है।
- 31. कृषि** जनजातियों की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक आधार है, फिर भी वे ऐतिहासिक महत्त्व की गतिविधियों जैसे शिकार और इकठ्ठा करने में भी व्यस्त रहते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ भारतवर्ष के साथ-साथ झारखण्ड में भी सबसे गरीब लोगों में से एक हैं। गैर-आदिवासियों/जनजातियों की तुलना में जनजातियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और जल एवं स्वच्छता तक पहुँच के सूचकांक निम्नतम स्तरों पर हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 19.7 प्रतिशत जनजातीय/आदिवासी परिवारों में नल द्वारा जल की पहुँच है, जबकि पूरे भारत में कुल 46.6 प्रतिशत परिवारों में नल-जल की पहुँच है।<sup>48</sup>
- 32. परियोजना विवरण।** यह परियोजना 1 बिलियन यू.एस. डॉलर की है, जिसमें 500 मिलियन डॉलर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा वित्त-पोषित हैं और शेष धनराशि का सहयोग भारत सरकार का है। अक्टूबर 3, 2013 को असम, बिहार, उत्तर-प्रदेश और झारखण्ड की सरकारों और भारत सरकार के बीच परियोजना कियान्वयन प्लान (PIP) पर सहमति बनी। इस परियोजना को दिसम्बर 30, 2013 को संस्तुति मिली और मार्च 31, 2020 को इसकी समाप्ति तिथि है। इसका विकास से सम्बंधित उद्देश्य है “ विकेंद्रीकृत वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत लक्षित राज्यों के चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल की आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार और भागीदार राज्यों की क्षमताओं का इस तरह से विकास कि वे योग्य संकट और आपातकालीन अवस्था में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही कर सकें।”<sup>49</sup>
- 33. पैनल** ने पाया कि परियोजना की डिज़ाइन (संरेखा) पिछले दो दशकों से विश्व-बैंक और भारत सरकार के सहयोग से चल रही राज्य-स्तरीय जल-आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं पर आधारित है। इस सेक्टर ने समेकित जल-आपूर्ति और स्वच्छता, घरेलू और संस्थागत स्वच्छता के साथ समुदाय-विस्तृत पर्यावरण स्वच्छता में सतत सेवा वितरण का एक नया दृष्टिकोण रखा।<sup>50</sup> इससे पूर्व की सहयोगी परियोजनाएं रही हैं:
- आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (150 यू.एस. मिलियन डॉलर का ऋण जो 2009 में स्वीकृत हुआ था)

<sup>40</sup> Statistical Profile of Scheduled Tribes in India, 2013, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, p. 121, Table 1.6.

<sup>41</sup> Social Assessment, Capacity Building and Communication Framework for the Rural Water Supply & Sanitation Project in Jharkhand, March 2013, p. 12.

<sup>42</sup> Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 25.

<sup>43</sup> India and the Rights of Indigenous Peoples, C.R Bijoy, Shankar Gopalakrishnan and Shomona Khanna, 2010, p. 160.

<sup>44</sup> Scheduled Areas refer to officially notified areas marked by significant presence of tribal population, geographic compactness as well as social and economic backwardness.

<sup>45</sup> The Scheduled Areas (State of Jharkhand), Order, 2007. Available at: [https://tribal.nic.in/DivisionsFiles/NCST-RM/NCST/7TheScheduledAreasJharkhandOrder2007\(C\\_O\\_229\)-11042007.pdf](https://tribal.nic.in/DivisionsFiles/NCST-RM/NCST/7TheScheduledAreasJharkhandOrder2007(C_O_229)-11042007.pdf).

<sup>46</sup> Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 26.

- द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (151 यू.एस. मिलियन डॉलर का ऋण जो 2001 में स्वीकृत हुआ था)
- उत्तराखण्ड ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (120 यू.एस. मिलियन डॉलर का ऋण जो 2006 में स्वीकृत हुआ था)
- पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (150 यू.एस. मिलियन डॉलर का ऋण जो 2006 में स्वीकृत हुआ था).

- 34.** असम, बिहार, झारखण्ड और उत्तर-प्रदेश में क्रियान्वित RWSS-LIS परियोजना के 4 घटक हैं (A) क्षमता निर्माण और सेक्टर का विकास; (B) अवस्थापना या आधारिक संरचना का विकास; (C) परियोजना प्रबंधन सहयोग; और (D) आकस्मिकता और आपातकालीन व्यवहार/प्रत्युत्तर. इनमें से तीन अनुरोधों (Requests) के लिए उचित हैं. इनमें से प्रमुख घटक B है, जो “जल-आपूर्ति और स्वच्छता के आच्छादन क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ नयी आधारिक संरचनाओं के निर्माण, पुनर्स्थापन और वर्तमान योजनाओं में संवर्द्धन लाने हेतु लागत का समर्थन/सपोर्ट करता है.”<sup>51</sup> परियोजना आकलन अभिलेख/दस्तावेज (Project Appraisal Document) के अनुसार, जहाँ पर अधिकांश बस्तियों/रिहाईशों को एकल-ग्रामीण योजनाओं (SVSs) के द्वारा भूमिगत जल के माध्यम से लाभान्वित करने की आशा की जाती है, वहीं समुदायों को बहु-ग्रामीण योजनायें (MVSs) नदियों के सतही जल के माध्यम से लाभान्वित करेंगी, क्योंकि भूमिगत जल या तो दूषित है या फिर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है.<sup>52</sup> वर्तमान में इस परियोजना के अन्तर्गत 1,077 जल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें से 189 जल योजनायें झारखण्ड राज्य में हैं. (बैच I में 182 SVSs और 2 MVSs और बैच II में 5 MVSs).<sup>53</sup>
- 35.** अनुरोधों को दृष्टि से घटक A और घटक C भी महत्वपूर्ण हैं, घटक A “नीतिगत-निर्णयों को सूचित करने हेतु सेक्टर/क्षेत्र विकास के अध्ययन के साथ-साथ क्रियान्वयन, प्रबंधन और परियोजना गतिविधियों की निरंतरता बनाये रखने हेतु संस्थागत क्षमता के निर्माण”<sup>54</sup> का समर्थन करता है. वहीं घटक C में समाहित है “ राष्ट्र, राज्य, जनपद और ग्राम विभिन्न स्तरों पर परियोजना क्रियान्वयन के साथ-साथ स्टाफिंग, परामर्शदायी संस्थाओं/ व्यक्तियों और यंत्रों के मूल्य और आन्तरिक और वाह्य अंकेक्षण/संप्रेक्षण का प्रबंधन सपोर्ट.”<sup>55</sup> परियोजना जनपद और ग्रामीण स्तरों पर योजनाओं को डिज़ाइन करने और उनके क्रियान्वयन में पंचायतीराज संस्थाओं (PRIs)<sup>56</sup> को विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक उत्तरदायित्व देने के विकल्प के साथ-साथ राज्य और जनपद स्तरों के जल और स्वच्छता मिशन को नीतिगत निर्णय लेने और उसके पर्यवेक्षण करने का समर्थन करती है.”<sup>57</sup>

<sup>47</sup> India and the Rights of Indigenous Peoples, C.R Bijoy, Shankar Gopalakrishnan and Shomona Khanna, 2010, p. 160.

<sup>48</sup> Statistical Profile of Scheduled Tribes in India, 2013, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, p. 276, Table 6.5

<sup>49</sup> PAD, p. 3, para 8.

<sup>50</sup> Project Implementation Plan, Volume 1 – Governments of India, Assam, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh, 2013. Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (RWSS-LIS), p. xv, para 1.

<sup>51</sup> PAD, p. 5

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Aide memoire - Tenth Implementation Support Mission, September 2019.

<sup>54</sup> PAD, p. 4, para 12.

<sup>55</sup> Ibid., p. 5.

<sup>56</sup> Panchayati Raj is a system of governance encompassing lower tiers of government, in which Gram Panchayats (village governments) are one of the basic units of administration.

<sup>57</sup> PAD, p. 7, para 16.

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) के स्तर पर एक राष्ट्र स्तरीय प्रबंधन इकाई (NPMU) और साथ में ही राज्य स्तरीय प्रबंधन इकाई (SPMU) और जिला स्तरीय प्रबंधन इकाई (DPMU) की स्थापना होनी थी।

36. परियोजना को पर्यावरण की श्रेणी B में रखा गया था, और मूलतः बैंक की सुरक्षा से सम्बंधित नीतियों; पर्यावरण आकलन (OB/BP 4.01), प्राकृतिक निवास (OP/BP 4.04), मूल निवासी (OP/BP 4.10), जंगल (OP/BP 4.36) और अंतरराष्ट्रीय जल-पथ (OP/BP 7.50) से इसकी शुरुआत हुई थी। दिसम्बर 2019 में भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों से सम्बंधित नीति (OP/BP 4.11) को भी शुरू किया गया। अस्वैक्षिक पुनर्वास नीति (OP/BP 4.12) पुनर्गठन के पश्चात् लागू करने का विषय होगी।
37. **परियोजना का पुनर्गठन.** सन 2019 के माह जून, जुलाई और दिसम्बर में परियोजना को तीन बार पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठन प्रपत्र में उल्लेख है कि “ *परियोजना क्रियान्वयन की इस अवस्था में स्पष्ट है कि परियोजना के उद्देश्यों को परियोजना की अंतिम तिथि मार्च, 21 2020 तक नहीं प्राप्त किया जा सकता.* ”<sup>58</sup> पुनर्गठन प्रपत्र में आगे लिखा है कि परियोजना समय का 80 प्रतिशत से भी अधिक समय बीत चुका है, IDA का मात्र 26 प्रतिशत फण्ड ही इसके अंतिम वर्ष में “ *असन्तोषजनक स्थिति में लम्बी खिंच गयी अवधि* ” कहकर दिया किया गया। यह एक बुरा प्रदर्शन है जिसमें कई क्रियान्वयन चुनौतियाँ जैसे, अपर्याप्त संविदा क्षमता, कमजोर संविदा प्रबंधन, राष्ट्र, राज्य और जनपद स्तरों की परियोजना प्रबंधन इकाईयों में अपर्याप्त स्टाफ, और सुरक्षा आवश्यकताओं का कमजोर क्षमता के साथ क्रियान्वयन आदि सम्मिलित है।
38. पुनर्गठन के पहले चरण को, 117 मिलियन यू.एस. डॉलर को रद्द करते हुए, जून 2019 में अनुमोदन मिला, इस धनराशि को किसी अन्य परियोजना में लगाए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। पुनर्गठन के दूसरे चरण को, 133 मिलियन यू.एस. डॉलर को रद्द करते हुए, परिणाम फ्रेमवर्क को पुनर्संयोजित करने हेतु जुलाई 2019 में अनुमोदन मिला.<sup>59</sup> दिसम्बर, 2019 में नीति OP/BP 4.11 को प्रारम्भ करने हेतु, तीसरा अनुमोदन मिला.<sup>60</sup> जबकि प्रबंधन नीति OP/BP 4.12 को भी शुरू करने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन यह पुनर्गठन तभी हो सकेगा जब भागीदार राज्य यह दिखा सकेंगे कि वे नीतियों के अनुपालन को लेकर कितनी शीघ्रता से सक्रिय होते हैं.<sup>61</sup>

### 1.3 पैनल की निरीक्षण प्रक्रिया और उसकी कार्यप्रणाली.

39. दिसम्बर, 2018 में अनुरोधों और प्रबंधन प्रतिक्रियाओं का पुनरावलोकन करने और परियोजना क्षेत्र भ्रमण के पश्चात् पैनल ने अर्हता को सुनिश्चित किया। फरवरी 12, 2019 को पैनल ने विश्व-बैंक के अधिशाषी निदेशक मंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और निरीक्षण करने की अनुशंसा की। मार्च 01, 2019 को बैंक ने इन अनुशंसाओं को अपना अनुमोदन दिया और पैनल ने अपनी अनुमोदन योजना को अप्रैल 18, 2019 को प्रकाशित करवाया.<sup>62</sup>
40. शासनादेश के अनुसार पैनल ने अनुरोधों में बैंक की संचालन नीति और कार्यप्रणाली से सम्बंधित उठाये गये मुद्दों पर अपनी जाँच शुरू की, इस जाँच के केंद्र-बिंदु में नीतियों का गैर-अनुपालन रहा। इस पैनल कि अगुवाई कर रहे थे Jan Mattasson और उनकी टीम में थे वरिष्ठ संचालन अधिकारी Reinnet Erkan, संचालन अधिकारी Tamara मिल्स्ज्ताजं और शोध सहायक

Rupesh Dalai. इस टीम को सहयोग देने के लिए दो परामर्श-दाता भी थे, एक थे-Chris McGahey, ये जल और स्वच्छता के साथ जन स्वास्थ्य अभियंता थे, दूसरे थे Navin Rai, ये एक मानव विज्ञानी थे, और विश्व-बैंक की नीतियों और मूलनिवासियों के विषय में अपनी विशिष्ट योग्यता रखते थे.<sup>63</sup>

41. निरीक्षण/जाँच में इस बात का आकलन किया गया कि क्या बैंक ने अपनी निम्न नीतियों और कार्यप्रणालियों का पालन को सुनिश्चित किया है -
- पर्यावरण आकलन (OB/BP 4.01)
  - मूल निवासी (OP/BP 4.10)
  - भौतिक सांस्कृतिक संसाधन (OP/BP 4.11)
  - परियोजनागत वित्त निवेश (OP/BP 10.00)
42. निरीक्षण में सभी चाही गयी सूचनाओं और आंकड़ों को वाशिंगटन और भारत दोनों के दस्तावेजों/अभिलेखों के वृहद् परीक्षण, परियोजना स्थलों के भ्रमण, और सभी परियोजना प्रतिभागियों के साथ बैठकें आयोजित करने के बाद एकत्र किया गया. अतिरिक्त तथ्यों का संकलन बैंक स्टाफ के 17 साक्षात्कारों के माध्यम से किया गया.
43. भारत में भ्रमण जून 29, से जुलाई 11, 2019 तक रहा. नयी दिल्ली में टीम, वित्त मंत्रालय. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधियों और दिल्ली स्थित विश्व-बैंक के स्टाफ से मिली. टीम ने व्यक्तिगत आदिवासी विशेषज्ञों से भी बात-चीत की. झारखण्ड की राजधानी राँची में टीम पेयजल आपूर्ति विभाग, जनजातीय मामलों के विभाग और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जल-विज्ञान और भूमि विशेषज्ञों से भी मिली.
44. जनपद जमशेदपुर में टीम ने जनपद स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों से मिली. टीम ने स्थल अभियंता और ठेकेदार के साथ बागबेरा WTP और पास-पड़ोस की बस्तियों/रिहायिशों का भी भ्रमण किया. टीम स्थानीय संचाल नेताओं, ग्राम सभा के सदस्यों और गिद्दीझोपड़ी में समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ मध्य गाघडीह ग्राम पंचायत, ग्राम स्तरीय जल और स्वच्छता समीति के सदस्यों और जल सहियायों से मिली. <sup>64</sup>टीम पूर्वी गगीडीह ग्राम पंचायत से भी मिली जिसने बागबेरा WTP के पूर्व स्थल का अनुमोदन किया था, टीम ने छोटागोविंदपुर वतप और पुरानीबस्ती के समीप के ESR का भी भ्रमण किया. टीम ने **संचाल** और **हो** जनजातियों के नेताओं, समुदाय के नेताओं, पुरानीबस्ती ग्राम सभा और दक्षिणी सरजामदा ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ-साथ ग्राम स्तरीय जल और स्वच्छता समीति के सदस्यों, जल सहियायों से भी बात-चीत की.

<sup>58</sup>Restructuring Paper - IN Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (Report No.: RES33042), July31, 2019, paras 1.

<sup>59</sup> Ibid., para 4-6.

<sup>60</sup>Restructuring Paper - IN Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States, December 7, 2019.

<sup>61</sup> Restructuring Paper - IN Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (Report No.: RES33042), July 31, 2019, para 10.

<sup>62</sup> Available at: <https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/cases/documents/128-129-Investigation%20Plan-18%20April%202019.pdf>

<sup>63</sup> See Annex 5 for more information on the Panel members and expert consultants.

45. जहाँ पर WTP और ESR बने हुए थे वहाँ के लोगों का उस जमीन से जुड़ाव और वहाँ के सांस्कृतिक धार्मिक रीति-रिवाजों को समझने के लिए टीम के सदस्यों ने समुदाय के लोगों से विस्तृत चर्चा की. टीम ने प्रभावित समुदाय को समझने के लिए स्थलों का भ्रमण किया और समूह-केन्द्रित चर्चाओं का आयोजन किया जिसमें शामिल थे (i) ऐसे लोग जिनका दावा था कि परियोजना स्थलों में उनके सगे-संबंधी दफ़न हैं, (ii) विद्रोह के आरोपी जन, (iii) ऐसे लोग जिनकी सांस्कृतिक प्रथाएं एकदम भिन्न थीं. ये सभी बैठके छोटे समूहों में एकदम व्यक्तिगत/निजी स्थानों पर आयोजित की गयीं थी, बात-चीत को अर्थपूर्ण बनाने के लिए जनजातीय भाषा का भी प्रयोग किया गया. अनुरोधों में उठाये गये, परियोजना में विशिष्ट लैंगिक मुद्दों/प्रभावों को समझने के लिए महिलाओं के साथ अलग बैठकें आयोजित की गयीं.

46. इस सम्पूर्ण रिपोर्ट/प्रतिवेदन को 6 अध्यायों में बांटा गया है.

- **अध्याय 1 (यही अध्याय):** यह अध्याय प्रतिवेदन का परिचय मात्र है, जिसमें परियोजना और उसके प्रसंग को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. यह अध्याय अनुरोधों और उस पर प्रबंधन प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के साथ-साथ पैनल की जाँच प्रक्रिया, उसका केंद्रबिंदु, अपनाये गये तौर-तरीकों की संरेखा को भी व्यक्त करता है.
- **अध्याय 2 :** इस अध्याय में बागबेरा और छोटागोविंदपुर की बहु-ग्राम योजनाओं की संरचनाओं का अवलोकन है. इसमें पर्यावरणीय आकलन और शमन प्रक्रियाओं का EA-EMF (पर्यावरणीय प्रबंधन फ्रेमवर्क) के माध्यम से परीक्षण है जो कि परियोजना को पर्यावरणीय श्रेणियों में विभक्त करता है. इसमें समुदायों द्वारा उठाये गये पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ जल, जलविज्ञान, जल गुणवत्ता, कीचड़-प्रबंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन और वहनीय मुद्दों पर चर्चा की गयी है.
- **अध्याय 3 :** ये अध्याय गिद्दीझोपड़ी और पुरानी बस्ती के जनजातीय समुदायों पर परियोजना द्वारा उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, रहन-सहन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रथागत प्रयोग पर पड़ने वाले प्रभावों की एक पड़ताल प्रस्तुत करता है. ये अध्याय इस बात का भी परीक्षण करता है कि किस प्रकार परियोजना की रक्षा-प्रणालियाँ, जैसे - सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (SMF), सामाजिक आकलन, क्षमता-वर्धन और संचार फ्रेमवर्क (SA), <sup>65</sup> जनजातीय विकास योजना (TDP), और जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना (TDIP) जनजातीय समुदायों को प्रभावित करती हैं. ये अध्याय रक्षा-प्रणालियों को विकसित किये जाने में परामर्शी प्रक्रिया का भी पुनरावलोकन करता है.
- **अध्याय 4 :** इस अध्याय में स्थलों के चुनाव की प्रक्रिया, अपेक्षित परामर्श, और उस निर्णय लेने के नेतृत्व का वर्णन है जिसके अनुसार बागबेरा WTP और पुरानीबस्ती के समीप ESR स्थलों का चयन किया गया. इसमें दो स्थलों पर हुए सामुदायिक प्रतिरोधों का भी विश्लेषण है. इस अध्याय में उस मुद्दे की भी पड़ताल की गयी है जिसमें कहा गया है कि संभवतया ये परियोजना समीप के जनपद जमशेदपुर की सीमाओं को विस्तार देने की एक सुनियोजीय और विस्तृत योजना है जिसमें उनकी बस्तियाँ/रिहाइश समाहित कर ली जाएँगी. अध्याय का समापन शिकायत निवारण तंत्र (GRM) विकसित करने के साथ होता है.

- **अध्याय 5** : यह अध्याय इस बात का परीक्षण करता है कि बागबेरा और छोटागोविंदपुर की बहु-ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण बैंक किस प्रकार करता है. यह अध्याय चार कम आय वाले राज्यों में, कमजोर क्षमताओं के साथ, जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक विकेंद्रित व्यवस्था में विभिन्न स्थलों पर फैली हुई परियोजना की मूलभूत चुनौतियों की भी गहन पड़ताल करता है.
- **अध्याय 6** : इस अध्याय में पैनल के निष्कर्ष दिए गये हैं.

---

<sup>64</sup> *Jal Sahiyas* are selected by the GPs using the following criteria: primacy is given to women from the “jalbarwa” (“water filler”) community in a village that also fills water for other households in the village; to daughters-in-law of the village; to women with an education qualification of up to class X; and women between 25 and 45 years old at the time of selection. The post is permanent, ending only in case of death, resignation by the individual or in case there are any proven charges of financial irregularity.

<sup>65</sup> In this report, the “Social Assessment, Capacity Building and Communication Framework” is also referred to as “Social Assessment.”

## अध्याय 2 : पर्यावरणीय आकलन

### 2.1 परिचय

47. यह अध्याय बागबेरा और छोटागोविंदपुर की बहु-ग्राम योजनाओं (MVSSs) की डिज़ाइन का एक अवलोकन प्रस्तुत करता है. यह अध्याय पर्यावरणीय आकलन- पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क(EA-EMF) , और परियोजना की, पर्यावरणीय वर्गीकरण के माध्यम से स्थापित पर्यावरण मूल्यांकन और शमन प्रक्रियाओं का निरीक्षण करता है. इसमें जल, जल-विज्ञान, जल की गुणवत्ता, कीचड़ प्रबंधन, और ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ ही नल-जल (Piped Water) के लिए भुगतान करने की स्थानीय इच्छा एवं पारंपरिक धारणाओं सहित अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाए गयी विशिष्ट पर्यावरण चिंताओं पर भी चर्चा की गयी है.

### 2.2 निरीक्षण हेतु अनुरोध और प्रबंधन प्रतिक्रियायें

#### निरीक्षण हेतु अनुरोध

48. **श्रेणीकरण/वर्गीकरण.** अनुरोधकर्ताओं का संघर्ष इस बात के लिए है कि RWSS-LIS परियोजना को पर्यावरण की श्रेणी B में रखना गलत है. वे विस्तार से बताते हैं चूँकि इस परियोजना में, विशेषकर झारखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार की अन्य योजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा रहा है अतः इनका मूल निवासियों पर एक व्यापक असर पड़ेगा. वे कहते हैं कि अक्सर बड़ी संरचनाओं के निर्माण का, पारिस्थितिकी, मानवों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ स्रोतों और लोगों के अधिकारों पर तरह-तरह का प्रभाव पड़ता है. वे इसमें आगे जोड़ते हुए कहते हैं, “ *एक वृहदस्तरकी अवस्थापना विकास परियोजना में भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों जैसे कि पारंपरिक कब्रिस्तान और पवित्र कुंजों, को अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट करने या उसे नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, अतः इनको श्रेणी A की परिभाषा के दायरे में 'संवेदनशील' प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव वाला माना जाना चाहिए.*”<sup>66</sup> अतः अनुरोधकर्ताओं के अनुसार परियोजना का एक “ *वृहद् पर्यावरणीय आकलन श्रेणी A के मानकों के हिसाब से होना चाहिए.*”<sup>67</sup>

49. **पर्यावरणीय आकलन प्रक्रिया.** अनुरोधकर्ता दोनों बहु-ग्राम योजनाओं (MVSSs) के स्थलों के पर्यावरणीय पुनरावलोकन पर प्रश्न उठाते हैं. उनका आरोप है कि जब सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के लिए पर्यावरणीय आकलन-पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क(EA-EMF) तैयार किया गया था, तो भी दोनों सुविधाओं के लिए कोई भी स्थल-विशेष पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन नहीं किया गया. उनका दावा है कि ऐसा करना बैंक नीतियों का गैर-अनुपालन है.

50. अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि परियोजना में ऐसा कोई पर्यावरणीय आकलन नहीं किया गया कि उप-योजनाओं द्वारा जल-विज्ञान, जल गुणवत्ता, और कीचन-प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभावी विपरीत प्रभाव को तय कर सके. उनकी चिंता है कि आज दैनिक प्रयोग हेतु अन्य जल स्रोतों के साथ-साथ समीप की सुबर्णरेखा नदी से भारी मात्रा में जल का निकाला जाना वहाँ के जल-विज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और अन्य चीज़ों के साथ सांस्कृतिक रीति-रिवाजों को भी प्रभावित करेगा.

<sup>66</sup>First Request for Inspection, Supplement to the Request for Inspection, p. 13 and second Request for Inspection, p. 9.

<sup>67</sup> First Request for Inspection, Supplement to the Request for Inspection, p. 14 and second Request for Inspection, p. 10.

51. **सामर्थ्य से सम्बंधित चिंताएँ.** अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि उन्हें अपनी बस्तियों में नल-जल की आवश्यकता नहीं है, जबकि उनके लिए पहले से ही स्वच्छ जल मुफ्त में उपलब्ध है, और उन्हें डर है कि नल-जल (Piped water) के भुगतान के कारण वे कर्जदार हो जायेंगे. अनुरोधों में कहीं भी नल-जल (Piped water) के प्रयोग की वज़ह से प्रभावित होने वाले सांस्कृतिक मुद्दों का ज़िक्र नहीं है, ये मुद्दे पैनल के समक्ष अहर्ता और निरीक्षण से सम्बंधित किये गये क्षेत्र भ्रमण के दौरान आये.

52. **जल गुणवत्ता, जल-विज्ञान और कीचड़ से सम्बंधित चिंताएँ.** अनुरोधकर्ता बागबेरा और छोटागोविंदपुर की बहु-ग्राम योजनाओं (MVSS) के जल उपचार संयंत्रों (WTPs) द्वारा उत्पन्न पानी की गुणवत्ता को लेकर बहुत चिंतित हैं. वे जल उपचार के पश्चात उत्पन्न हुए कीचड़ के प्रदूषण से भी बहुत चिंतित हैं, उनका मत है कि ये ज़हरीला भी हो सकता है और वे दावा करते हैं कि परियोजना अभिलेखों में इन महत्वपूर्ण सूचनाओं का अभाव है.

#### प्रबंधन प्रतिक्रियाएँ

53. प्रबंधन अपनी प्रक्रियाओं में बताता है कि परियोजना को श्रेणी B के रूप में रखा गया था क्योंकि परियोजना को तैयार करते समय इसके लिए महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव होने की आशा नहीं थी. चूंकि मूल्यांकन के समय कई उप-परियोजनाओं के स्थलमालूम नहीं थे, इसलिए एक फ्रेमवर्क-दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था. प्रबंधन इस बात पर जोर देता कि है कि उस समय, EA-EMF और SMF के अनुरूप स्थल-विशिष्ट स्क्रीनिंग के आधार पर B श्रेणीकरण पर्याप्त था.<sup>68</sup>

54. **पर्यावरण आकलन प्रक्रिया.** प्रबंधन कहता है कि EA-EMF ने पर्यावरणीय प्रभाव के परीक्षण और उसके कम करने के उपायों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं. दो बहु-ग्राम योजनाओं के संभावित अधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए और जबकि उन्हें श्रेणी 2 की योजनाओं में वर्गीकृत किया गया था, तो ऋणकर्ताओं को चाहिए था कि वे पर्यावरण और स्वास्थ्य को सुविधा-संरक्षा का अंग मानते हुए पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव का विस्तृत अध्ययन कर योजना-विशिष्ट EMPs और पर्यावरण आंकड़ा पत्रक (Environmental Data Sheet) तैयार करते.<sup>69</sup>

55. परियोजना के विधिक अनुबंध के लिए आवश्यक है कि बैंक, सिविल कार्यों के आरम्भ से पहले, EMPs की समीक्षा कर उनका अनुमोदन करे. प्रतिक्रियाएं स्वीकारती हैं "यह आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी, और प्रबंधन ये भी मानता है कि बैंक ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फॉलो-अप नहीं किया."<sup>70</sup> प्रतिक्रियाओं में आगे जोड़ा गया कि अनुरोधों में पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए EMPs को अपडेट किया जा रहा था."

<sup>68</sup> Management Response to the first Request for Inspection, Annex 1, p. 21 and Management Response to the second Request for Inspection, Annex 1, p. 31.

<sup>69</sup> Management Response to first Request for Inspection, p. 11, para 40.

56. *जल की गुणवत्ता, जल-विज्ञान और कीचड़ की चिंता*. प्रतिक्रियाओं में बताया गया कि नदी के कुल जल-प्रवाह की तुलना में सुवर्णरेखा नदी से निकाले गए पानी की मात्रा नगण्य है और आगे व्याख्या करते हुए कहा गया कि जल निकासी के स्रोत से दूरी होने के कारण, दोनों बहु-ग्राम योजनाओं के आसपास के भूजल स्तर पर जल-निकासी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यह भी कहा गया कि घरों में पाइप द्वारा पानी पहुँचाने के परिणामस्वरूप पानी की बढ़ती खपत के कारण, स्थानीय नदियों और भूजल को प्रदूषण से रोकने के लिए पर्याप्त 'अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली' की आवश्यकता होती है.<sup>71</sup>

57. प्रतिक्रियाओं में बताया गया कि नदी के पानी में भारी धातुओं के निम्न स्तर होते हैं, जो लगभग भारतीय पेयजल मानकों को पूरा करते हैं. दूसरी प्रबन्ध प्रतिक्रिया बताती है कि पुरानी बस्ती के पास ESR कीचड़ नहीं उत्पन्न करता है, केवल छोटागोविंदपुर जल-उपचार संयंत्र है, जिसका वर्णन अनुरोधों में नहीं है. इसमें जोर दिया गया है कि कीचड़ प्रबंधन और उसके निपटान के लिए एक विशिष्ट कार्य-विधि तब लागू होगी जब योजनाएं चालू हो जाएंगी और अपडेट किए गए EMPs में उनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी होगी

58. *सामर्थ्य से सम्बंधित (वहनीय) चिंताएँ*. पाइप द्वारा प्रदत्त पानी के मूल्य के बारे में, प्रबंधन बताता है कि ये परियोजना के लिए एक मजबूत मांग है, क्योंकि इस योजना में भाग लेने के लिए ऐसे परिवारों की संख्या, जिन्होंने इसमें भाग लेने के लिए आवेदन किया, एक प्रमाण है. गिद्दीझोपरी में, 19.1 प्रतिशत लोगों ने पहले ही अपने सामुदायिक-योगदान का भुगतान कर दिया है.<sup>72</sup> हालांकि, यह भी प्रमाणित होता है कि समुदाय के सदस्य, पानी के पहले से ही मौजूद प्राकृतिक स्रोतों का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं. पाइप द्वारा जलापूर्ति को एक मापक योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पाइप द्वारा पानी का उपयोग करने वालों से ही शुल्क लिया जाएगा. प्रतिक्रियाएं में आगे जोड़ा गया है कि शुल्कों के बारे में परामर्श और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया आगे की अवधि में तीव्र हो जाएगी.

---

<sup>70</sup>Management Response to the first Request for Inspection, Executive Summary, p. vii, para xi and Management Response to the second Request for Inspection, Executive Summary, p. viii, para xv.

<sup>71</sup>Management Response to the first Request for Inspection, Annex 1, p. 22.

<sup>72</sup>Ibid., p. 9, para 32.

## 2.3 बैंक नीतियाँ

59. पर्यावरण आकलन सम्बन्धी बैंक नीति (OP/BP 4.01) कहती है "बैंक को उन परियोजनाओं हेतु पर्यावरण आकलन की आवश्यकता है जो बैंक को वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत की गयी हैं जो यह सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं कि वे पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती हैं।"<sup>73</sup> नीति के अनुसार पर्यावरण आकलन "परियोजना प्रभाव वाले क्षेत्र में प्रभावी जोखिमों और पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करता है"।<sup>74</sup> और उसके साथ ही "सांस्कृतिक भौतिक संसाधनों पर भी।"<sup>75</sup> इससे भी आगे नीति (OP/BP 4.01), "रोककर, कमकर, शमन कर विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों हेतु मुआवजा देकर और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाकर,"<sup>76</sup> उन रास्तों की तलाश करती है जिनके माध्यम से परियोजना के चुनाव, उनके स्थल, योजना निर्माण, इसकी संरेखा और क्रियान्वयन और भी बेहतर बनते हैं। जहाँ तक संभव हो सकता है बैंक, शमनकारी और मुआवजे से सम्बंधित उपायों से परे रोकथाम सम्बन्धी उपायों का पक्ष लेता है।<sup>77</sup>

60. जिन योजनाओं में एक EMP और एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क/ढांचा शामिल हो उसके यंत्रो/उपायों की एक श्रृंखला बैंक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।<sup>78</sup> नीति (OP/BP 4.01) के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी भी उप-परियोजना के लिए "परियोजना समन्वय इकाई या कार्यदायी संस्था [एक] उचित [पर्यावरणीय आकलन] EA का संचालन करे"।<sup>79</sup> यह नीतिये भी बताती है कि EA (पर्यावरणीय आकलन) प्राकृतिक और सामाजिक पहलुओं को समेकित रूप में स्वीकार करता है।<sup>80</sup>

61. नीति में पर्यावरणीय आकलन के उचित स्तर को तय करने के लिए बैंक को पर्यावरण जाँच की आवश्यकता होती है, इस आकलन पर विश्वास करते हुए, एक परियोजना को "प्रकार, स्थान, संवेदनशीलता और परियोजना के विस्तार और इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की प्रकृति और परिमाण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।"<sup>81</sup> श्रेणी B परियोजना के प्रभाव "स्थल-विशिष्ट हैं; यदि उनमें से कोई भी अपरिवर्तनीय है; तो ज्यादातर मामलों में शमनकारी विकल्पों को डिज़ाइन किया जा सकता है।"<sup>82</sup>

---

<sup>73</sup> OP 4.01 - Environmental Assessment, para 1.

<sup>74</sup> Ibid., para 2.

<sup>75</sup> Ibid., para 3 and BP 4.01 - Environmental Assessment, para 3.

<sup>76</sup> OP 4.01 - Environmental Assessment, para 2.

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid., para 7

<sup>79</sup> Ibid., para 9 and BP 4.01 - Environmental Assessment, para 10.

<sup>80</sup> OP 4.01 - Environmental Assessment, para 3.

<sup>81</sup> OP 4.01 - Environmental Assessment, para 8 and BP 4.01 - Environmental Assessment, para 2.

<sup>82</sup> OP 4.01 - Environmental Assessment, para 8(b).

## 2.4 पैनल के प्रेक्षण और विश्लेषण

### 2.4.1 बहु-ग्राम योजनाओं की डिज़ाइन का अवलोकन.

62. परियोजना के घटक B में अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान के साथ नयी अवस्थापना के निर्माण या पुनर्वास और मौजूदा योजनाओं को आगे बढ़ाना शामिल है. प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट गुणों के आधार पर नयीलघु-ग्राम योजनायें और बहु-ग्राम योजनायें निर्मित की जानी थी. लघु-ग्राम योजनायें छोटे पाइप वाली जल-योजनाएं हैं जो आमतौर पर गहरे बोरवेल से प्राप्त स्थानीय भूजल का उपयोग करती हैं. बहु-ग्राम योजनायें बड़ी योजनाएं हैं जो उन नदियों के सतही जल का उपयोग करती हैं जहां पर उपलब्ध भूजल में गुणवत्ता या मात्रा की समस्या होती है. बहु-ग्राम योजनायें एक ग्राम-पंचायतों (GP) की तुलना में अधिक ग्राम-पंचायतों को आच्छादित करती हैं और इसमें पारम्परिक जल-उपचार संयंत्रों (WTPs) और ऊँचाई पर स्थित जल-भण्डारण (ESRs) के निर्माण के साथ-साथ परिवारों को पाइप द्वारा जल-आपूर्ति करना शामिल हो सकता है. झारखंड में, 189 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें से 182 लघु-ग्राम योजनायें हैं और 07 बहु-ग्राम योजनायें हैं। दो झारखंड बैच I की बहु-ग्राम योजनायें (MVSs), बागबेरा और छोटागोविंदपुर, एक साथ 38 ग्राम-पंचायतों में पाइप द्वारा 24/7 जलापूर्ति के साथ कुल 445,000 ग्रामीण लोगों की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन की गयी हैं.<sup>83</sup>

63. पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) ने परियोजना को सभी ग्रामीण घरों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए की अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक योजना (2011-22) से अवगत कराया है. यह योजना परिवारों के परिसर के अन्दर या घरों से 50 मीटर से अधिक की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दूरी पर सन 2022 तक 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (Lpcd) तक की पहुंच का लक्ष्य रखती है. <sup>85</sup> परियोजना क्रियान्वयन योजना (PIP) के अनुसार, जल-आपूर्ति योजनाओं को, घरेलू स्तर पर 100 प्रतिशत कनेक्शन के साथ 70 (Lpcd) की खपत के मानक प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा. परियोजना क्रियान्वयन योजना (PIP) में 70 (Lpcd) हेतु आच्छादित किए गए घरों में खपत मानकों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा और आवश्यक जल-दबाव को समाहित किया गया है. <sup>86</sup> पैनल ये नोट करता है कि हालाँकि, 2013 में बनायी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार, बागबेरा और छोटगोविंदपुर MVSs को 135 (Lpcd) की खपत मानदंड के लिए डिज़ाइन किया गया था जो कि योजना में तय की गयी मात्रा से लगभग दोगुना है. हालाँकि, बैंक को इस तथ्य के बारे में नवंबर 2014 में, DPR के पूरा होने के एक साल से अधिक समय बाद पता चला.<sup>87</sup> इस परिवर्तन में परियोजना के स्वच्छता घटक के लिए निहितार्थ हैं क्योंकि जलके अतिरिक्त प्रयोग के परिणामस्वरूप अपशिष्ट जल उत्पादन में वृद्धि होगी और इसके पर्यावरणीय प्रभाव का संबंधित आकलन और प्रबंधन होगा. इसकी चर्चा MVS के लिए बनाये गये EMP के संबंध के पैराग्राफ 82-87 में आगे की गई है.

<sup>83</sup> Management Response to the first Request for Inspection, Executive Summary, p. v, para iii.

<sup>84</sup> Consumption norms for water supply is suggested by the Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) in India. [http://cpheeo.gov.in/upload/uploadfiles/files/3\\_40.pdf](http://cpheeo.gov.in/upload/uploadfiles/files/3_40.pdf). The recommended norms for towns with piped water supply without sewerage system is 70 lpcd; for cities with piped water supply where sewerage system is existing or contemplated, 135 lpcd and in metropolitan cities with piped water supply where sewerage system is existing or contemplated, 150 lpcd.

<sup>85</sup> Project Implementation Plan, Volume 1 – Governments of India, Assam, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh, 2013. Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (RWSS-LIS), p.1, Section 1.

<sup>86</sup> Ibid., p. 35, para d.

64. बागबेरा के WTP (डिज़ाइन क्षमता 37 मिलियन लीटर प्रतिदिन) और छोटगविंदपुर के WTP (डिज़ाइन क्षमता 46 मिलियन लीटर प्रतिदिन), दोनों ही अपेक्षाकृत बड़ी निर्माण परियोजनाए हैं जिसमें से प्रत्येक को अकेले ही कम से कम 5 एकड़ ज़मीन चाहिए. इन योजनाओं में अनेकों निर्माण घटक शामिल हैं जैसे- नदी से जल ग्रहण करने वाले विन्यास का निर्माण, उपचार सयंत्र तक गैर-उपचारित जल पहुँचाने वाली पाइप लाइन का निर्माण, उपचारित जल को ESR तक पहुँचाये जाने का निर्माण, ESR से पाइप लाइन और कनेक्शन के द्वारा वितरण नेटवर्क से घरों तक पहुँचाये जाने का निर्माण. आगे दी गयी तालिका में प्रत्येक बहु-ग्राम योजना (MVS) के भौगोलिक आच्छादन और उनकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लिखित किया गया है. योजनागत विवरणों को अन्य पूरक-अंशों (Annexes)-2 में दिया गया है.


---

<sup>86</sup> Ibid., p. 35, para d.


<sup>87</sup> Aide memoire – Second Implementation Support Mission, October 27 to November 25, 2014, Annex 3, p. 25, para 2(B)(i). *The drinking water norms adopted by the Government of India for piped water supply in towns and cities are as follows:* [http://ddws.nic.in/awrsp\\_norms.htm](http://ddws.nic.in/awrsp_norms.htm). *Towns without sewerage – 70 lpcd, Cities with sewers/proposed – 135 lpcd, Mega cities with sewers/proposed – 150 lpcd.*

## तालिका 1: योजना के घटक

क्रम	बागबेरा		उद्देश्य	छोटागोविंदपुर	
	योजना के घटक	टिप्पणी		योजना के घटक	टिप्पणी
1.	स्रोत पर जल लेने वाले कुँए और पंप हाउस के साथ संबद्ध घटक (पंप हाउस, RCC वाला एप्रोच पुल, दो स्टाफ के रहने योग्य कमरे, जल पम्प और ट्रांसफार्मर हेतु आहाता)	सपदा के निकट सुबर्नरेखा नदी से; प्रति व्यक्ति माँग हेतु डिज़ाइन 135/लीटर/दिन; 2040 की अनुमानित माँग 29.20 मिलियन लीटर/दिन; 9 m व्यास; 27 m ऊँचाई 2 कार्यरत/ 1 स्टैंडबाई पंप	सम्बद्ध नदी से कच्चे पानी का संग्रहण; स्रोत जल को कच्चे पानी के पारेषण में के माध्यम से दबावयुक्त बनाना; बैक-उप पॉवर आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर	स्रोत पर जल लेने वाले कुँए और पंप हाउस के साथ संबद्ध घटक (नदी के किनारे का संरक्षण; एप्रोच पुल)	सुबर्नरेखा नदी से; प्रति व्यक्ति माँग हेतु डिज़ाइन 135/लीटर/दिन; 12 m व्यास; 30 m ऊँचाई; 3 कार्यरत और 4 स्टैंडबाई पंप.
2.	कच्चे पानी का पारेषण मेन	14.5 किमी की लम्बाई	नदी से कच्चे पानी को WTP तक पहुँचाने का विधान	कच्चे पानी का पारेषण मेन	1.5 किमी की लम्बाई
3.	जल उपचार संयंत्र		Annexe 2 देखे	जल उपचार संयंत्र	
4.	कन्वेयिंग मेंस	5.2 किमी की लम्बाई	पानी को ESR तक ले जाना	कन्वेयिंग मेंस	11.5 किमी की लम्बाई
5.	ESR और चौकीदारों के क्वार्टर	संख्या में 5	भंडारण, दबावनिर्माण, वितरण पूर्व जल असंक्रमित करना	ESR और चौकीदारों के क्वार्टर	संख्या में 5
6.	वितरण नेटवर्क	13.2 किमी	प्रयोगकर्ताओं तक जल का परिवहन	वितरण नेटवर्क	13.5 किमी
7.	घरो तक कनेक्शन	संख्या 21,732	प्रयोगकर्ताओं तक मीटर लगे हुए	घरो तक कनेक्शन	संख्या 24,974



चित्र 1: बागबेरा बहु-ग्राम योजना और बागबेरा जल उपचार संयंत्र (WTP) को लाल रंग से रेखांकित किया गया है और ये पहले अनुरोधकर्ताओं की बस्तियाँ/रिहाईश वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।



चित्र 2: छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजना और सरजमदा उँचाई वाले जलाशय भण्डारण ESR को लाल रंग से रेखांकित किया गया है और ये दूसरे अनुरोधकर्ताओं की बस्तियाँ/रिहाईश वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।

65. पैनल के दौरे के समय जुलाई 2019 में छोटागोविंदपुर MVS का पूरी तरह से निर्माण हो चुका था और परीक्षण की अवस्था में चल रहा था , जबकि बागबेरा WTP और इसकी इन्टेक पाइपलाइन अभी भी निर्माणाधीन थी (बागबेरा MVS के 70 प्रतिशत पूरा होने का अनुमान DPMU द्वारा किया गया था), छोटागोविंदपुर की MVS के साथ बागबेरा WTP और गिद्दीझोपड़ी के निकट संबद्ध ESR और पुरानीबस्ती ESR की संरचनाएं जो कि पहले से ही मौजूद थीं (फोटो देखें). चित्र 2 में , छोटागोविंदपुर MVS से जुड़ी पुरानीबस्ती के पास ESR को "ESR सरजामदा" के रूप में चिह्नित किया गया है क्योंकि यह उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें ESR कार्य में है है और जहाँ ESR के निकट विशेष निवास-स्थान या रिहाईश नहीं है.



फोटो 1 बागबेरा WTP और संबद्ध ESR निर्माण स्थल



फोटो 2 पुरानीबस्ती के पास ESR छोटागोविंदपुर की MVS से संबद्ध

#### 2.4.2 पर्यावरणीय आकलन प्रक्रिया

66. **परियोजना का श्रेणीकरण.** झारखण्ड राज्य के लिए EA-EMF का अवलोकन दर्शाता है कि इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार रखे गये हैं कि “ (i) यह योजना के विभिन्न चरणों में विभिन्न संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण दें, (ii) पूर्व में ही पहचाने गये पर्यावरणीय प्रभावों को हल करने के लिए उपयुक्त शमन उपायों की पहचान करें.”<sup>88</sup> EA-EMF कहता है कि नीति (OP/BP 4.01) के अनुसार, RWSS-LIS को पर्यावरण श्रेणी B के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि पर्यावरणीय मूल्यांकन यह सुझाव देता है कि उप-परियोजना घटकों में सरल, उपयुक्त और कम लागत वाली तकनीकियाँ शामिल हैं जो किसी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिणामों को नहीं थोपती हैं. EA-EMF यह भी कहता है कि उप-परियोजनाओं को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा. श्रेणी 2 की योजनाओं के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होंगे और इन स्थितियों में स्थल-विशिष्ट आकलन के साथ में पर्यावरणीय आंकड़ा पत्रक (EDS) की भी आवश्यकता होगी जैसा कि श्रेणी 1 की योजनाओं के लिए चाहिए होता है. EA-EMF यह भी कहता है कि चूंकि विभिन्न उप-परियोजनाओं के सटीक आकार और क्षेत्र-विस्तार अभी तक ज्ञात नहीं थे, इसलिए एक फ्रेमवर्क-अप्रोच (ढाँचागत उपागम) को लागू किया गया था.<sup>89</sup>

67. पैनल ये समझता है कि बागबेरा और छोटागोविंदपुर की योजनायें शुद्ध पेयजल और स्वच्छता से सम्बंधित उचित अवसंरचनायें (Infrastructure) देंगी जिनसे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा की जाती है. पैनल नोट करता है कि निर्माण प्रक्रियाओं के कुछ नकारात्मक परन्तु अस्थायी पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं. स्थल-विशिष्ट प्रभावों की पहचान करने के लिए EA-EMF एक EA प्रक्रिया को बताता है और इसमें निर्माण से पहले एक अनुमोदन के लिए EMP की आवश्यकता होती है जो इसके प्रभावों का शमन कर सके. पैनल यह भी नोट करता है कि उन योजनाओं के लिए एक अलग दृष्टिकोण लागू किया गया था जिसमें अधिक संभावित पर्यावरणीय जोखिम थे और जिनका अधिक कठोर मूल्यांकन आवश्यक था. पैनल यह विश्वास करता है कि EA-EMF में इस बात को अच्छी तरह से विस्तार दिया गया है कि ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक MVS के EMP में भली-भांति स्थापित पर्यावरणीय आकलन परिणामों और शमन उपायों को उनमें समाहित किया गया है. पैनल इस बात पर सहमत है कि उप-परियोजनाओं की अनभिज्ञता में फ्रेमवर्क-अप्रोच को लागू करना उचित है जबकि स्थल-विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन किये गये हों. संभावित प्रभावों और शमन उपायों की उचित पहचान- प्रभावित समुदायों के साथ परामर्शदाताओं द्वारा सूचित - कुछेक प्रभाव जो अपरिवर्तनीय हों.

68. पैनल स्वीकारता है कि परियोजना को ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं को संभावित स्थल-विशिष्ट प्रभावों के साथ निर्मित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जिनमें से कुछ अपरिवर्तनीय हैं और जिनके लिए शमन उपायों को आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता था, इस तथ्य के बावजूद भी पर्यावरणीय आकलन-पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क/ढाँचे (EA-EMF) की आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, पैनल परियोजना के पदनाम पर्यावरण श्रेणी B को पर्यावरणीय आकलन बैंक नीति (OP/BP 4.01) के अनुपालन में एक के रूप में पाता है.

<sup>88</sup> Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in Selected Districts of Jharkhand, July 2013, p. 90, Section 5.1.5.1.

<sup>89</sup> Ibid., Executive Summary, p. A.

69. **पर्यावरणीय आकलन - पर्यावरणीय प्रबंधन फ्रेमवर्क.** चार राज्यों; असम, बिहार, झारखण्ड और उत्तर-प्रदेश में से प्रत्येक के लिए एक EA-EMF विकसित किया गया था. झारखण्ड राज्य के EA-EMF के उद्देश्य थे, "(i) योजना के विभिन्न चरणों में विभिन्न संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करना (ii) पहचाने गये पर्यावरणीय प्रभावों को हल करने के लिए उचित शमन उपायों की पहचान करना , और (iii) एक ऐसी विधि बनाना जिसमें परियोजना कार्यान्वयन में पर्यावरण प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार हो सके."<sup>90</sup> EA-EMF में कहा गया है कि " जब प्रस्तावित परियोजना हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य में समग्र पर्यावरण और जन- स्वास्थ्य में सुधार होने की आशाहोती है , तो यदि योजनाएं ठीक से डिज़ाइन नहीं की जाती हैं, स्थलों का चुनाव ठीक से नहीं होता है , उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव ठीक नहीं होता है तो संभावित प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है."<sup>91</sup>

70. चाहे MVS हो या फिरSVSसभी उप-परियोजनाओं के लिए EA-EMFकेसाथ-साथ एक पर्यावरण आकड़ा पत्रक(EDS) की आवश्यकता होती है.<sup>92</sup>EDS और योजना की प्रकृति में पहचाने जाने वाले संभावित प्रभावों के आधार पर, इन्हें श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.<sup>93</sup> श्रेणी 2 की योजनाओं में संभवतः अधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव के साथ-साथ विस्तृत, स्थल-विशिष्ट पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, जिसमें समाहित होगा पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य प्रभावों का मूल्यांकन, एक जोखिम आकलन और शमन उपायों की डिज़ाइन. बागबेरा और छोटागोविंदपुर MVSsकी योजनाओं को श्रेणी 2 के रूप में पहचाना गया था.<sup>94</sup>

71.EA-EMF,DPMU की भूमिका के साथ ही आवश्यक अनुमोदन और अनुमति प्राप्त करने के लिए एकपर्यावरण स्क्रीनिंग टूल के उपयोग का वर्णन करता है जो विभिन्न नीतियों, कानूनों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं जोकि विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित हैं के, मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरी हैं .<sup>95</sup> इसके अलावा, यह फ्रेमवर्क निर्धारित करता है कियोजनाओं की स्क्रीनिंग नीति (OP/BP 4.01) के अनुसार होनी आवश्यक है , जहाँEA, एक विशेष योजना के लिए EMP के विकास साथ अन्य प्रासंगिक बैंकनीतियों और को शुरू करेगा.<sup>96</sup> हालाँकि, अध्याय 3 में वर्णितEA-EMFस्पष्ट करता है कि"कोई मौजूदा सांस्कृतिकसंपत्ति क्षतिग्रस्त नहीं होगी,"की अवस्था में नीति (OP/BP4.11) लागू नहीं होगी.EA-EMF इस बात पर बाल देता है कि क्षमता-वर्धन और परिचालन-समर्थन से जुड़े संस्थागत और कार्यान्वयन-व्यवस्था पर केन्द्रित रूप में ध्यान देने कीआवश्यकता है.<sup>98</sup>

<sup>90</sup>Ibid., p. 90.

<sup>91</sup>Ibid., Executive Summary, p. E.

<sup>92</sup>Ibid., p.176, Annex 18, EA-EMF Jharkhand is an environmental data sheet checklist for water supply and is divided into various sections: a general description; location; groundwater source and quality information; surface water location, quality and sustainability and a referral to annex 13 for guidelines for sustainability of groundwater sources.

<sup>93</sup>Ibid.,Executive Summary, p. F.

<sup>94</sup>Management Response to the First Request for Inspection, p. 11, para 42 and Management Response to the Second Request for Inspection, p. 15, para 49.

72. पैनल नोट करता है कि EA-EMF, जनसांख्यिकीय , प्रशासनिक-संरचना, आर्थिक और भूमि उपयोग की गतिविधियों के साथ-साथ झारखंड के इतिहास और भूगोल पर भी कुछ सूचनाएँ प्रदान करता है.हालांकि, राज्य की जनजातीय प्रकृति के परेवर्णन करते हुए भीआदिवासी आबादी के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है. जैसा कि निम्नअध्याय में बताया गया है और पैनल ने नोट किया है कि2013 की पहली छमाही मेंSA , SMF, TDP और EA-EMF को पहले-पहले स्वचलित (Stand-alone) अभिलेखों के रूप में विकसित किया गया था. एक TDIP को जुलाई, 2018 में विकसित किया गया था.

यद्यपि, अभिलेखों मेंश्रेणी 2 वाली योजनाओं के लिए वर्णित पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया में संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव वाले इन यंत्रों/विधियों को समेकित करने के लिए एक उपागम/दृष्टिकोण का अभावथा . पैनल नोट करता है कि EA-EMF में , पवित्र -स्थलों या अन्य सांस्कृतिक-मूल्यां में व्यवधानपैदा करने वाली उप-परियोजनाओं की जांच के लिए एक जाँच-सूची (Checklist)<sup>99</sup> शामिल है , लेकिन पारंपरिक संरचनाओं और जनजातीयसमुदायों के जीवन के रंग-ढंग पर किसी भी प्रकार के, चाहे वह लाभकारीहो या हानिकारक, सांस्कृतिक प्रभाव पर विचार नहीं किया गया.इसके अलावा EA-EMF में किसी प्रकार के स्थल-विशेष सामाजिक-आकलन का में वर्णन नहीं है.

73. पैनल नोट करता है कि पर्यावर्णीय आकलन-पर्यावर्णीय प्रबंधन ढाँचा(EA-EMF) एक ऐसी डिजाइन है जोकि एक सुपरिभाषित तरीके से आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया(रोडमैप) को प्रस्तुत करता है जिसमें बताया जाता हैकि श्रेणी 2 की बहु-ग्राम योजनाओं के लिए पर्यावर्णीय आकलन कैसे किया जाना चाहिए और प्रबंधन योजना कैसे बनायी जानी चाहिए. यद्यपि एक EA-EMF को , प्रभाव के समग्र आकलन के हिस्से के रूप में पर्यावरण , सामाजिक, जनजातीय या सांस्कृतिक विषयोंके परीक्षण के लिए परियोजना की आवश्यकता नहीं होती है. एक समेकित दृष्टिकोण की कमी नेमूलतः प्रभाव मूल्यांकन और शमन प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है.

74. **विस्तृतपरियोजनारिपोर्ट्स.**पैनल नोट करता है कि पर्यावर्णीय आकलन-पर्यावर्णीय प्रबंधन ढाँचे (EA-EMF) के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs) में, सभी आवश्यक पर्यावर्णीय सूचनाओं और तकनीकी विशिष्टताओं कि जानकारी होगी. इसके अलावा, जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना (TDIP) इस बात के लिए बाध्य है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में जल-आपूर्ति वितरण विकल्पों के बारे में चर्चा का विवरण शामिल हों.<sup>100</sup>(EA-EMF)तय करते हैं कि बहु-ग्राम योजनाओं जैसे WTP और ESR के स्थानों का चयन करने हेतु क्या के आवश्यकताएं हैं. पैनल भी इस आशय को समझता है कि स्थल-विशिष्ट पर्यावरण आकलन, पर्यावरण आंकड़ा पत्रक प्रश्नावली और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श,किसी भी भी स्थल के चुनाव से पहले की आवश्यकताएँ हैं, और इन्हें DPR में समाहित किया जाना चाहिएथा.

<sup>95</sup>Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in Selected Districts of Jharkhand, July 2013, p. 91, Section 5.1.5.2.

<sup>96</sup>Ibid., p. F.

<sup>97</sup>Ibid., p. B.

<sup>98</sup>Ibid., p. F.

<sup>99</sup>Ibid., p.191. Section 7

75. DPR के पुनरावलोकन में पैनल ने पाया कि ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि श्रेणी 2 की बहु-ग्राम विकास योजनाओं (MVSs) का EA-EMF की आवश्यकताओं के अनुरूप एक अलग से स्थल-विशिष्ट पर्यावरण आकलन किया गया हो।<sup>101</sup> पैनल ने यह भी पाया कि जल-आपूर्ति के विकल्पों के चयन पर भी जनजातीय/आदिवासी समुदाय के सदस्यों से किसी प्रकार की चर्चा के प्रमाण भी नहीं मिले। आगे के अध्याय 3 में भी पैनल ऐसे किन्हीं तथ्यों की पहचान नहीं कर सका जिसमें, किसी स्थल के विश्लेषण, कब्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, पवित्र कुंजो और वृक्षों, औषधीय और जड़ी-बूटीवाले पौधों या फिर ग्रामीण समुदाय द्वारा लाल-मिट्टी के प्रयोग पर कोई चर्चा की गयी हो। इन विश्लेषणों के अभाव में किसी भी प्रकार की शमन-योजनाओं का विकास नहीं हो सका।

76. **पर्यावरण प्रबन्धन योजनाएँ.** पैनल नोट करता है कि झारखण्ड राज्य का EA-EMF बताता है “योजनाओं की स्क्रीनिंग योजनागत विशिष्ट मुद्दों की पहचान करेगी और पर्यावरण आकलन नीति, (OP/BP 4.01) के आधार पर बैंक, शमनकारी उपायों को विकसित करने के लिए उन नीतियों की शुरुआत करेगा जो किसी विशिष्ट स्कीम के लिए पर्यावरण प्रबन्धन योजना होगी।”<sup>102</sup> एक EA-EMF के लिए विशेष रूप से आवश्यक है कि “सभी योजनाओं को न्यूनतम प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों, पर्यावरणीय शमन और प्रबंधन योजना के लिए एक समर्पित वित्त-पोषण के साथ एक डिज़ाइन किया जाए और उनकी निगरानी की जाए।”<sup>103</sup> जैसा कि ऊपर कहा गया है, बागबेरा और छोटागोविंदपुर की बहु-ग्राम योजनाओं (MVSs) को एक पूर्व सूचित पर्यावरण प्रबन्धन योजना (EMP) लिए विस्तृत, योजना-विशिष्ट पर्यावरणीय आकलन की आवश्यकता है।

77. पैनल नोट करता है कि स्थल-विशिष्ट पर्यावरण प्रबन्धन योजनाएँ (EMPs) नहीं तैयार की गयीं और न ही इन्हें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs) में शामिल किया गया। पैनल यह भी नोट करता है कि वित्त-पोषण और परियोजना अनुबंधों दोनों के लिए ही, बैंक के समक्ष अवलोकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये उन उपयुक्त पर्यावरण प्रबन्धन योजनाओं (EMPs) की आवश्यकता होती है जो EA-EMF के अनुरूप हो।<sup>104</sup> इन आवश्यकताओं को निर्माण से पहले प्रबन्धन द्वारा न तो पूरा किया गया और न ही इनकी निगरानी की गयी। पैनल यह भी समझता है कि बावजूद इसके कि नीति (OP/BP 4.01) के अनुसार “शमन प्रक्रिया या विपरीत पर्यावरण प्रभावों हेतु क्षतिपूर्ति के प्रावधान” बैंक समीक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, फिर भी स्थल-विशिष्ट EMPs को DPR में शामिल नहीं किया गया।<sup>105</sup> प्रबन्धन स्वीकार करता है कि ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं हुईं और यह भी मानता है कि DPR में EMP को शामिल नहीं किया गया और बोली लगाने के लिए इसकी सूचना भी नहीं दी गई।<sup>106</sup> 78. पैनल की समीक्षा में पाया गया कि शुरुआत में ठेकेदार ने बागबेरा और छोटागोविंदपुर के लिए एक सामान्य संयुक्त EMP तैयार किया था और अक्टूबर, 2013 में DPR बनाये जाने के 20 महीने

<sup>100</sup> Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 51 and Tribal Development Implementation Plan for ‘Neer Nirmal Pariyojna’ (RWSSP-LIS), July 2018, p. 13.

<sup>101</sup> Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in selected Districts of Jharkhand, July 2013, p. 91, Section 3: *The Detailed Scheme Report (DSR) for Category 2 schemes should be accompanied by the Environmental Data Sheet (EDS) as well as the Category 2 environmental appraisal.*

के पश्चात् इसे जुलाई 2015 में सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसको 2017 में जनपद प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति मिली। इसके बाद संयुक्त EMP को संशोधित किया गया और प्रत्येक परियोजना के लिए एक अलग EMP तैयार किया गया। बैंक टीम ने जून, 2017 में इस अद्यावत (updated) संस्करण का अवलोकन किया जबकि बागबेरा और छोटागोविंदपुर योजना में निर्माण कार्य क्रमशः जुलाई, 2016 और अक्टूबर, 2016 में शुरू हो चुके थे।<sup>107</sup> EMPs के वे संस्करण, जिनको जिला अधिशाषी अभियंता के समक्ष अगस्त 2, 2017 को प्रस्तुत किया गया उनमें राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (SPMU) और पेयजल और स्वच्छता विभाग (DWSD) की उक्तियों/टिप्पणियों (Comments) को शामिल करते हुए उन्हें जिला प्राधिकारियों के द्वारा अक्टूबर 5, 2017 में अनुमोदित किया गया। प्रबन्धन ने 'EMPS प्रबन्धन प्रक्रियाओं' पर विस्तृत टिप्पणियां दिसम्बर 2018 में प्रस्तुत कीं। जून, 2019 में प्रबन्धन ने प्रत्येक योजना के लिए स्थल-विशिष्ट अद्यावत (updated) EMPs प्राप्त किये जिन्हें जून 28, 2019 को सशर्त अनुमोदन मिला।<sup>108</sup>

79. पैनल का विचार है कि परियोजना को प्रत्येक योजना के लिए एक विशिष्ट EMP के अभाव में आगे बढ़ने की अनुमति देकर, प्रबंधन ने पर्यावरण आकलन पर नीति (OP/ BP 4.01) के प्रावधानों का उल्लंघन किया, साथ ही साथ EA-EMF की ज़रूरतों का भी ध्यान नहीं दिया है। EA-EMF में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "पर्यावरणविद द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही किसी परियोजना को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।"<sup>109</sup> साथ ही साथ बैंक बागबेरा योजना के EMP में दी गयी भाषा के उल्लंघन को आधार मानते हुए भी परियोजना का कियान्वयन और उसकी निगरानी कर रही है। EMP में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "स्थलों पर कार्य करने वाले सभी ठेकेदारों के लिए EMP बाध्यकारी बनाया जाएगा और संविदा से सम्बंधित सभी उपबंधों (Clauses) में इसको शामिल किया जायेगा, और इस दस्तावेज़ में वर्णित किसी भी स्थिति में उसका गैर-अनुपालन या विचलन अनुपालन की दिशा में असफलता माना जाएगा।"<sup>110</sup> दोनों ही योजनाओं बागबेरा और छोटागोविंदपुर के संविदात्मक उपबंधों में EMPs को शामिल नहीं किया गया है इसीलिए ठेकेदारों को इसके लिए बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता या फिर अनुपालन के आकलन हेतु इसे एक आधार मना जा सकता है। यह परियोजना के प्रत्येक घटक और निर्माण क्रियाओं से प्रभावित होने वालों के लिए एक जोखिम उत्पन्न करता है।

<sup>102</sup> Ibid., p. F.

<sup>103</sup> Ibid., p. 90, Section 5.1.4.1.

<sup>104</sup> Project Agreement between International Development Association and State of Jharkhand, February 7, 2014, Section I.A.2.c.ii and Financing Agreement between India and International Development Association, February 7, 2014, Section I.D.1.

<sup>105</sup> OP 4.01– Environmental Assessment, para 2.

<sup>106</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 11, para 41 and Management response to the second Request for Inspection p. 15, para 50.

<sup>107</sup> Management Response to the second Request for Inspection, P. 15, para 51 and p. 16, para 54. *Chhotagovindpur construction works commenced in October 2016.*

<sup>108</sup> Status of Implementation of Bank Management Response's Action Plan, dated November 14, 2019 received on 14 November 2019.

<sup>109</sup> Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in Selected Districts of Jharkhand, July 2013, p. 91.

<sup>110</sup> Environmental Management Plan Bagbera Multi-Village Water Supply Scheme, East Singhbhum District, Jharkhand (Conditionally approved in June 2019), p. 30.

80. प्रबंधन की स्पष्टवादिता को स्वीकार करते हुए, कि DPR को जमा करते समय EMPs तैयार नहीं थे, पैनल इसे एक बहुत बड़ी चूक भी मानता है। पैनल के विचार से बागबेरा और छोटागोविंदपुर कि बहु-ग्राम योजनाओं (MVSs) के लिए स्थल-विशिष्ट EMPs का समय से तैयार न किये जाने के महत्त्व को प्रबन्धन न्यून-दृष्टि से देखता है।

81. पर्यावरण प्रन्धनप्लान को जून 2019 में अंतिम रूप दिया गया था , जब बागबेरा बहु-ग्राम योजना का निर्माण 70 प्रतिशत पूर्णओ चुका था और छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजना के निर्माण को पूरा बन जाने के रूप में रिपोर्ट किया गया था और येउस समय की परीक्षण की अवस्थामें था. परियोजना के अंतर्गत वित्त-पोषित बागबेरा और छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजनाओं का निर्माण , स्थल-विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन और पर्यावरण प्रबंधन जैसीआवश्यक योजनाओं की तैयारी के बिना चलता रहा. पैनल पता है कि इन योजनाओं के संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के विश्लेषण और संबंधित शमन उपायों के विकास को सुनिश्चित नहीं करने के लिए प्रबन्धन ने पर्यावरणीय आकलन (OP/ BP 4.01) पर बैंक नीति का अनुपालन नहीं किया है.

82. EMPs का "पुनर्संयोजन"(EMPs में फिर से कुछ जोड़ा जाना).EMP केपूरा न होने के कारण, प्रबन्धन ने इंगित किया कि "पुनर्संयोजित" EMPsपर्यावरणीय प्रभाव को हल करने के लिए हैं, भले ही यह प्रक्रिया, निर्माण शुरू होने के बहुत देर बाद हुई हो, और पर्यावरणीय प्रभाव पहले ही घट चुके हो. अपनी प्रतिक्रियाओं में, प्रबन्धनइंगित करता है कि EMPs में किसी भी तरह की कमियों को दूर करने के लिए, यह स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रहा है.<sup>111</sup>प्रबन्धन ने जून 2019 में सशर्त रूप से अनुमोदित दोनों योजनाओं के लिए अद्यावत (Updated)EMPs कोजुलाई 2019 में पैनल के भ्रमण के समयसाझा किया.

81. पैनल ने पुनर्संयोजित EMPs और लिखे गये बिन्दुओं (Notes) की समीक्षा की है और पाया कि EMPs के लिए प्रवेश-संरचना (Intake Structure) से सम्बंधित कार्यों के प्रत्येक घटक कासमाधान करना और भौतिक संयंत्र के साथ घरेलू परिसरों के अन्दर वितरण बिंदुओं की स्थापना के लिए यह एकअच्छीव्यावसायिक (Professional)रीति है. प्रत्येक घटक में कोई न कोई पर्यावरणीय बाधा होती ही है और इसके लिए शमनकारी और पुनुस्थापन सम्बन्धी उपायों की आवश्यकताएँ होती हैं.

जून 2019 केEMP में अधिकतर घटकों कासमाधान है , लेकिन बागबेराEMP के इस संस्करण की पैनल समीक्षा में वितरण-नेटवर्क या सर्विस-नेटवर्क कनेक्शनों की पाइप लाइनों की खुदाई और उनको बिठाने स्थापना से संबंधित पूरक-संरचनाओं के शमनकारी या पुनः स्थापन के उपाय नहीं मिले. बागबेरा EMP में कच्चे जल-संचरण मेन (Raw water transmission main) के प्रभावों काअनिश्चित रूप से थोड़ा बहुत समाधान किया गया है: "संवेदनशील क्षेत्रों में मार्ग पंक्ति-योजना से बचने के लिए प्रयास कियेजायेंगे. यदि वन/संवेदनशील क्षेत्रों के बीच से पाइपलाइन देना आवश्यक हुआ, तो उस रास्ते पर पाइप लाइन की न्यूनतम संभव लंबाई को सुनिश्चित किया जाएगा. निर्माण के समय इन क्षेत्रों को न्यूनतम रूप से बाधित किया जाएगा और निर्माण के बाद इसका पुनःस्थापन किया जाएगा.<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 12, para 42 and Management Response to the second Request for Inspection, p. 15, para 50.

84. एक EA-EMF परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों में से एक है कि "पानी के अतिरिक्त उपयोग का परिणाम होगा - अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि।"<sup>113</sup> पैनल नोट करता है कि यद्यपि EA-EMF ने इस महत्वपूर्ण, पहले से घोषित पर्यावरणीय जोखिम की पहचान की है - और नियमित रूप से इसकी चर्चासहयोगी संस्मरणों में की गई है <sup>114</sup>-फिर भी खतरे का समाधान नहीं खोजा गया. बागबेरा और छोटगोविंदपुर योजनाओं के लिए बनाये गयेEMPs में से कोई भी,बढ़ी हुई घरेलू जल आपूर्ति सेवा केपरिणामस्वरूप अपेक्षित अपशिष्ट जल की बढ़ी हुई मात्रा कासमाधान नहीं करता है.

85. पैनल नोट करता है कि परियोजना के डिज़ाइन और बजट दोनों में ही, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (SLWM), एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल है - जो परियोजना की समेकित प्रवृत्ति का परावर्तन देते हैं - स्वास्थ्य और आजीविका दोनों के ही परिणामों में वृद्धि के लिए जल-आपूर्ति और स्वच्छता घटकों को बेहतर बनाते हुए उन्हें समकालिक बनाते हैं. परियोजना क्रियान्वयन योजना में लिखा है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (SLWM) "सामान्य ग्रामीण जन-जीवन में सुधारलाने के लिए एक मूलभूत घटक है",<sup>115</sup> और जल-अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान, लेन के किनारे की नालियाँ उनसे ठोस अपशिष्ट का संग्रहण और निपटान के समाधान के लिए एक मास्टर-प्लान है जो कि सामुदायिक प्रबन्धन के मॉडलों और सामाजिक और व्यवहार परिवर्तनों में निहित है. बेसलाइन अध्ययन के आकड़े स्पष्ट करते हैं किखुली नालियाँ ही घरेलू जल-अपशिष्ट के निवारण का साधन थीं.<sup>116</sup>पैनल नोट करता है कि जल आपूर्ति सुधार परियोजनाओं में दशकों का वैश्विक अनुभव यह बताता है कि व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन पानी के उपयोग को बढ़ाने के साथ-साथ अपशिष्ट जल को भी बढ़ाते हैं. घरों के पिछले हिस्सों और लेन में घरेलू अपशिष्ट जल की बढ़ती मात्रा का अनियंत्रित निपटान ठहरे हुए जल का एक भण्डार(Stagnants Pools)बनाता है जो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाता है. इन सभी सम्भावित जोखिमों को झारखण्ड राज्य के EA-EMF में नोट किया गया है और जो इंगित करता है "घरों के साथ-साथ पशुओं के बाड़ों से पैदा हुआ अपशिष्ट जल खुली सतह वाली नालियोंमें बहता है जो प्रायः अवरुद्ध हो जाता है और गलियों एवं उप-गलियों में अपशिष्ट जल के ठहराव का कारण बनता है. इस तरह का, नालियों में या सतह पर खुला हुआ अपशिष्ट जल, मच्छरों और अन्य हानिकारक जीवों का उत्पत्ति-स्थल बन जाता है और जल सम्बंधित बीमारियों को बढ़ाता है."<sup>117</sup>

<sup>112</sup>Environmental Management Plan Bagbera Multi-Village Water Supply Scheme, East Singhbhum District, Jharkhand (Conditionally approved June 2019), p. 19.

<sup>113</sup>Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in Selected Districts of Jharkhand, July 2013, p. 81.

<sup>114</sup>Aide memoires of Project Implementation Support Missions – Nov 2015, August 2016, February 2017, July 2017, and January 2018

<sup>115</sup>Project Implementation Plan, Volume 1 – Governments of India, Assam, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh, 2013. Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (RWSS-LIS), p. 159.

<sup>116</sup>Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in Selected Districts of Jharkhand, July 2013, pp. 277, 283, and 296.

86. पुनर्संयोजित EMPs, उन समुदायों में अपशिष्ट जल की प्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई मात्रा का समाधान नहीं करते हैं, जो निश्चित रूप से बढ़ी हुई घरेलू जल आपूर्ति सेवा के प्रावधान के परिणामस्वरूप हुई होगी. पैनल नोट करता है कि गांवों में वर्तमान में इस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी है - यह प्रदूषण, वेक्टर प्रजनन और पर्यावरण क्षरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है - यह स्पष्ट नहीं है कि योजनाएं किस प्रकार से बुनियादी ढांचे के सफल कार्यान्वयन और संचालन के लिए बनायी गई नीति (OP/BP 4.01) "पर्यावरणीय रूप से ठोस और टिकाऊ" उद्देश्य को पूरा कर सकती हैं.<sup>118</sup> चूंकि इसका समाधान पुनर्संयोजित EMP में नहीं है, और परियोजना के स्वच्छता-घटक के लिए कोई पर्यावरणीय आकलन तैयार नहीं किया गया है, अतः परियोजना, परिवारों और समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम बनी हुई है जिसका हल अभी तक नहीं खोजा गया है.

87. भले ही पर्यावरण ढांचे और पर्यवेक्षण से सम्बंधित अभिलेखों में प्रमुखता से उल्लिखित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का एक अभिन्न अंग है फिर भी 2019 की पुनर्संयोजित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (EMPs) में न तो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रभाव की पहचान की गई और न ही उनका समाधान खोजा गया. पैनल पाता है कि प्रबंधन, बागबेरा और छोटगोविंदपुर बहु-ग्राम योजनाएँ के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के खुले निपटान से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिमों के आच्छादन को और उनके शमन उपायों को 2019 की पुनर्संयोजित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (EMPs) में सुनिश्चित न करने के कारण पर्यावरणीय आकलन बैंक नीति (OP/ BP 4.01) के साथ गैर-अनुपालन में रहा है.

#### 2.4.3 पर्यावरणीय और सामर्थ्य (वहन) से सम्बंधित मुद्दे.

88. *जल-विज्ञान और जल गुणवत्ता के मुद्दे*. अनुरोधकर्ताओं ने पैनल को अपनी चिंता बताई कि सुबर्णरेखा/सुबर्नरेखा नदी से जल का दोहन उस क्षेत्र के जल-विज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. अपने भ्रमण के समय पैनल ने गिद्दीझोपड़ी<sup>119</sup> और पुरानीबस्ती<sup>120</sup> की महिलाओं से समूह केन्द्रित वार्ता-चर्चा (FGDs) के सत्र आयोजित किये. उन्होंने बार-बार दोहराते हुए अपने पारंपरिक जल स्रोतों (कुँए, हैंडपंप, झरनों, छोटी जल-धाराओं, लघु-नदियों, तालाबों, झीलों आदि) का पक्ष लिया. उनका विश्वास है कि अपशिष्ट और मरे हुए जानवरों की वजह से नदी का जल दूषित होगा इसलिए उन्होंने पाइप द्वारा जल-आपूर्ति के विषय पर उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता के पहलू पर प्रश्नचिन्ह लगाया. उन्होंने अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि पाइप के माध्यम से भेजा गया पानी "प्राकृतिक" नहीं है इसलिए उनके रीति-रिवाजों के अनुकूल नहीं है अतः अपने रीति-रिवाजों के कारण समुदाय को स्थानीय जल-स्रोतों का ही उपयोग आवश्यक है. समूह की महिलाओं ने डर जताते हुए कहा कि यदि स्थानीय जल-स्रोत सूख गये तो वे अपने परिवारों में मृत व्यक्ति या नए जन्मे बच्चों के शुद्धिकरण के रीति-रिवाज नहीं निभा पाएंगे.

<sup>117</sup> Ibid., p. 60, Section 3.6.3.

<sup>118</sup> OP 4.01 – Environmental Assessment, para 1.

89. समुदाय के सदस्यों ने बताया कि उनकी बस्तियाँ/रिहाइशों में जल-आपूर्ति से सम्बंधित परामर्श नहीं किया गया और जल-प्रबन्धन से सम्बंधित उनके पारंपरिकज्ञान को न तो देखा गया और न ही उस पर कोई विचार किया गया. विशेषतया महिलाओं का विचार था कि यद्यपि जल को लाने कि जिम्मेदारी उनकी होती है फिर भी उनके विचार नहीं सुने गये. पैनल समझता है उन सांस्कृतिक पहलुओं को EA-EMF में स्थान नहीं दिया गया जो कि जल से सम्बंधित पारम्परिक अवधारणाओं के विषय हैं, लेकिन उन्हें 2018 के जनजातीय विकास कियान्वयन योजना (TDIP) में मान्यता दी गयी है. TDP में वर्णन है "स्थानीय आदिवासी नेताओं और ब्लॉक स्तर के इंजीनियरों के साथ पेयजल के उपयोग पर वार्ता-चर्चासे स्पष्ट हुआ है कि आदिवासी प्राकृतिक जल-धाराओं से जलके उपयोग को पसंद करते हैं."<sup>121</sup> TDIP ये नोट करता है कि आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से पेयजल रूप में बहते पानीके स्रोत को पसंद करते हैं. यह व्याख्या करता है कि पानी (झीलों , तालाबों आदि) के स्थिर स्रोतों का उपयोग "पीने के उद्देश्यों के अतिरिक्त" <sup>122</sup> प्रयोजनों के लिए किया जाता है और इसलिए "सांस्कृतिक पहलुओं" को ध्यान में रखा जाना जल-योजनाओं को डिजाइन करते समय महत्वपूर्ण होता है. <sup>123</sup> इन सबदृढ-कथनों के बावजूद, पैनल का कहना है कि जनजातीय/आदिवासी क्षेत्र गिददीझोंपड़ी और पुरानीबस्ती में जलके जनजातीय सांस्कृतिक मूल्य पर, योजनाओं के संभावित प्रभाव को तय करने के लिएकोई सांस्कृतिक आकलन या परामर्श नहीं हुआ और इन चिंताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय भी नहीं किया गया.

90. योजना संचालन में जल-विज्ञान सम्बन्धी प्रभावों के अनुमानित आकलन के लिए, पैनल EMPs और अपनी गणनाओं पर निर्भर रहा. पैनल यह समझता है कि सुबर्नरेखा नदी 395 किलोमीटर की लम्बाई वाली एक मौसमी नदी है. यह रांची से 15 किलोमीटर दक्षिण से शुरू होती है. अपने मूल से मात्र 50 किलोमीटर दूर सुबर्नरेखा के बहाव को 35.5 मीटर ऊंचे गेतालसुद (Getalsud Dam)बाँधद्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है जिसका निर्माण 1971 में पूरा हुआ था, यह मानसून और गैर-मानसून वाले मौसम में भी निरंतर प्रवाह को होने देती है. <sup>124</sup> नदी 392 घन मीटर प्रति सेकंड औसत की दर से बहती है - या ये कहा जाय कि 34 बिलियन लीटर प्रतिदिन<sup>125</sup> के आसपास पानी बहता है. बागबेरा WTP की क्षमता 37 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है जबकि छोटगोविंदपुर WTP की क्षमता 46 लीटर प्रतिदिन की है. कुल मिलाकर दोनों बहु-ग्राम योजनाओं में, सुबर्नरेखा नदी के औसत जल-मुक्ति प्रतिदिन के संगत 0.24 प्रतिशत पानी का प्रयोग होता है.

<sup>119</sup>Two dedicated focus groups with women were held with approximately 15-20 women. The Panel also had separate side discussions with the women during the two bigger habitation meetings.

<sup>120</sup>The Panel had separate side discussions with the women after the habitation meetings at the ESR site with about 10 women. A specific focus group with women was also held with five women to discuss the religious and burial practices.

<sup>121</sup>Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 38.

<sup>122</sup>Tribal Development Implementation Plan for 'Neer Nirmal Pariyojna'(RWSSP-LIS), July 2018, p. 10.

<sup>123</sup>Ibid.

<sup>124</sup>India Water Portal – Subarnarekha is Dying. Who's Responsible,

<https://www.indiawaterportal.org/articles/subarnarekha-dying-whos-responsible>, Accessed: July 25, 2019.

<sup>125</sup>Wikiwand, Subarnarekha River, [https://www.wikiwand.com/en/Subarnarekha\\_River](https://www.wikiwand.com/en/Subarnarekha_River). Accessed: July 25, 2019

91. बागबेरा और छोटागोविंदपुरयोजनाओं के नदी प्रवेश-बिंदु (Intake-Points) अपनी-अपनी बस्तियों से क्रमशः कुछ 10 किलोमीटर और 08 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है. उप-सतह वाली मिट्टी जो स्रोत और समुदायों के बीचबड़ी ही ठोस होती है, भूजल के तेजी से आवागमन को बाधित करती है. इन चीजों को देखते हुए , पैनल प्रबंधन प्रतिक्रियाओं से सहमत है कि योजनाओं की आपूर्ति के लिए सुबर्नरेखा नदी से पानी का दोहन अनुरोधकर्ताओं की बस्तियों में न तो सतह के और न ही भूजल स्रोतों को प्रभावित करेगी.

92. पैनल ये पाता है कि बागबेरा योजना के लिए जून 2019 EMPका अनुलग्नक 3 सुनिश्चित करता है कि योजना की जल निकासी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नदी का जल-मुक्तिकरण (Water discharge) पर्याप्त है.<sup>126</sup> छोटागोविंदपुर योजना का सुधारा गया EMP, बिना किसी आंकड़े से समर्थित, ये कहता है कि नदी के "जलप्रवाह कि दर, परियोजना हेतु पानी की आवश्यकताओं से कहीं अधिक है".<sup>127</sup> इन आश्वासनों के बावजूद , पैनल साक्षात्कार या किसी भी दस्तावेज में अच्छी तरह से लिखे हुए ऐसे प्रमाण के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सका, जिसमें भूजल की पैदावार, गुणवत्ता, ड्रिलिंग की गहराई, सामने आयी मिट्टी या अन्य विशिष्ट जानकारी का वर्णन हो जो भूजल के उपयोग की अक्षमता का निर्धारण करे और और बड़ी बहु-ग्राम योजनाओं (MVSs) के स्थान पर अनेकों लघु-ग्राम योजनाओं (SVSS) के स्थापन की बात करे. मानक अभ्यास प्रत्येक विकसित जल स्रोत के लिए इसको अभिलेखीकृत करेगा.

93. पैनल ने नोट किया कि जून 2019 का EMP, बागबेरा योजना के लिए बताता है कि इस योजना संचालन के दौरान एक प्रक्रिया होगी जो स्रोत के जल और उपचारित जल दोनों की गुणवत्ता की निगरानी करेगी. EMP के अनुसार, जल गुणवत्ता का परीक्षण प्रतिदिन स्रोत पर, WTP पर और प्रत्येक ESR पर किया जाएगा. उपभोक्ता के स्तर पर , परीक्षण प्रत्येक सात दिनों में होगा.<sup>128</sup> संविदाकार/ठेकेदार ने जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम की जिम्मेदारी के लिए एक पर्यावरण , स्वास्थ्य और सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त करने के वचन दिया है. <sup>129</sup> परियोजना की इन-हाउस प्रयोगशाला में परीक्षण-कार्य किया जाएगा , और प्रयोगशाला संचालन कामूल्य संचालन और प्रबंधन (Operation&Management) बजट में शामिल है.<sup>130</sup>

94. पैनल नोट करता है कि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच बागबेरा योजना के लिए परीक्षण रिपोर्टिंग, मसविदा-प्रशिक्षण और मासिक स्रोत-जल-गुणवत्ता की रीडिंग की सूचनाएँ योजना के 2019 के EMP के अनुबंध 4 में दी गई हैं. जैसा कि सारांशप्रतिवेदन में वर्णित है , "सभी भारी धातुओं का अनुसंधान सीमा से नीचे [होना] पाया गया[था]"<sup>131</sup>

<sup>126</sup>Environmental Management Plan Bagbera Multi-Village Water Supply Scheme, East Singhbhum District, Jharkhand (Conditionally approved in June 2019), Annexure 3, p. 39.

<sup>127</sup>Environmental Management Plan Chotagobindpur Multi-Village Water Supply Scheme, East Singhbhum District, Jharkhand (Conditionally approved in June 2019), p. 39; refer to Annexure- 3 for Water Availability and Source Sustainability Certificate (in Hindi, untranslated by the Panel).

<sup>128</sup>Environmental Management Plan Bagbera Multi-Village Water Supply Scheme, East Singhbhum District, Jharkhand (Conditionally approved in June 2019), p. 24.

<sup>129</sup> Ibid., p. 26.

<sup>130</sup> Ibid., p. 27.

<sup>131</sup> Ibid., p. 48.

और परीक्षण किए गए 16 मापदंडों में से केवल " जैवरासायनिक ऑक्सीजन मांग [Biochemical oxygen Demand] और घुलित ऑक्सीजन [Dissolved oxygen] का [होना] पाया गया [था] अंतर्देशीय सतह के पानी के अनुसार सहिष्णुता सीमा से बिल्कुल ऊपर , वर्ग C (IS-2296-1982)."<sup>132</sup> अत्यधिक DO स्वस्थ जल-स्रोत को इंगित करता है. अत्यधिक BOD, स्रोत-जल में कार्बनिक दूषित पदार्थों की उपस्थिति के उच्च स्तर को दिखाता है , और जिसे दूर करने के लिए ही बागबेरा WTP डिज़ाइन किया गया है.

95. गुणवत्ता - और इसलिए सुरक्षा - पेयजल की जो कि योजनाओं के माध्यम से दिया जा रहा है, झारखण्ड राज्य कि जिम्मेदारी है. भारतीय पेयजल मानक IS 10500 (2012),<sup>133</sup> विश्लेषण के तरीकों और प्रत्येक समाहितमानदण्ड के लिए अनुमति प्राप्त मूल्यों (Permitted Values) को स्थापित करता है. प्रत्येक WTP, परीक्षण संचालन के लिए उत्तरदायी, एक प्रयोगशाला से सुसज्जित है. सुरक्षित पेयजल के लिए परीक्षण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए , पैनल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा तय किये गये, पेयजल की गुणवत्ता वाले दिशानिर्देशों का उल्लेख करता है.<sup>134</sup> अनुशंसित नमूने की आवृत्ति सेवा की गई जनसंख्या के आकार से नियंत्रित होती है.<sup>135</sup> पैनल समझता है कि ऑपरेटिंग ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित नमूना शेड्यूल, WHO द्वारा अनुशंसित मूल्यों से आगे जाता है और यह जल प्रयोगकर्ताओं के लिए संरक्षित कार्यक्रम का आमंत्रण देता है.

96. पैनल नोट करता है कि , यद्यपि जल-विज्ञान और जल की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों को परियोजना के दस्तावेजों में संबोधित किया गया था, फिर भी समुदाय के बहुत से सदस्य सतही जल के साथ-साथ भूमिगत जल के स्थानीय स्रोतों में होने वाले दूषण और पाइप के माध्यम से उपचारित जल के स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभों से अनजान हैं. इस क्षेत्र में विद्यमान डायरिया, मलेरिया, और जापानी इन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियों के दर में कमी इन्हीं लाभों में शामिल है. परियोजना ने ऐसे सहायता संगठनों की नियुक्ति की कल्पना की थी जो स्वच्छता और साफ-सफाई से सम्बंधित प्रथाओं में सुधारसूचना , शिक्षा और संचार (IEC) कार्यक्रमों के माध्यमों से करें. पैनल समझता है कि परियोजना का वर्णन करने वाले सूचना-पत्र (Brochures) और "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (FAQs) सम्बन्धी विस्तृत दस्तावेज़ हिंदी में उपलब्ध थे , और साथ में सामुदायिक सदस्यों के लिए शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया था. पैनल यह भी समझता है कि जल और स्वच्छता के बारे में जागरूकता और घर के सामुदायिक -योगदान को एकत्र करने के लिए झार खण्ड में जलसहिया (Jalsahiyas) नियुक्त किए गए थे.<sup>136</sup> इसके बावजूद, सूचना शिक्षा और संचार (IEC) और जनजागरण की गतिविधियाँ अनुरोधकर्ताओं की बस्तियों में प्रभावी रूप से लागू नहीं हुई हैं . प्रबन्धन भी मानता है कि IEC गतिविधियों के कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ रही हैं. इनमें संथाली और हो आदिवासी भाषाओं में IEC सामग्री के अनुवाद की कमी और झार खण्ड में समर्थन-संगठनों की नियुक्ति में देरी शामिल है , जोग्रामीण स्तर पर सामुदायिक संगठन, क्षमता-वर्धन और IEC गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे.

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> Bureau of Indian Standards, Indian Standard Drinking Water — Specification (Second Revision), <http://cgwb.gov.in/Documents/WQ-standards.pdf>. Accessed: December 15, 2019.

<sup>134</sup> World Health Organization (2017). Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth Edition Incorporating the First Addendum, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf;jsessionid=BAF5AA2F3C401AEDA4D43DB8918C0547?sequence=1>

<sup>135</sup> Ibid., p. 67, Table 4.4.

97. **कीचड़ प्रबन्धन.** समुदाय के लोगों ने पैनल को बताया कि वे जल-उपचार संयंत्रों (WTPs) द्वारा उत्पन्न होने वाले कीचड़ को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका दावा है कि बिना किसी सूचना के कि जल-उपचार संयंत्रों (WTPs) द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का संचालन और प्रबंधन कैसे होगा, उनको इस दूषित अपशिष्ट की मुक्ति और उसके निपटान से होने वाले जोखिमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसा कि समुदाय को जल के प्रवेश-स्रोत पर प्रदूषित होने के बारे में चिंता थी, साथ ही साथ यह चिंता भी थी कि कीचड़ भी इसी तरह दूषित हो जायेगा। पैनल ने अनुरोधकर्ताओं से यह भी सुना कि यह स्पष्ट नहीं था कि WTP द्वारा कितना कीचड़ उत्पन्न होगा और इसका निपटन कैसे होगा।

98. प्रबन्धन ने बताया कि जल-उपचार संयंत्रों (WTPs) के प्रवेश-बिंदु पर कच्चे (गैर-शोधित) जल में भारी धातुओं के दूषण का स्तर निम्न होने के कारण कीचड़ का विषैला होना नहीं सोंचा जाना चाहिए।<sup>137</sup> 12 महीनो की अवधि वाले जल-विश्लेषण ने दिखाया कि कच्चे जल में भारी धातुओं के दूषण का स्तर, संगत भारतीय मानकों के स्तर से या तो कम था या उसके काफी करीब था।<sup>138</sup> इसके आगे प्रबन्धन प्रक्रियाएँ इंगित करती हैं कि WTPs को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, कि वे मानकों के अनुरूप पेयजल उत्पन्न करने के लिए भारी धातुओं के साथ-साथ अन्य दूषित पदार्थों को, अलग कर देते हैं। इसके साथ ही कीचड़ प्रबन्धन को अपडेटेड EMPs में विस्तार से दिया जायेगा और इसका पर्यवेक्षण झारखण्ड राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग (DWSD) के द्वारा किया जाएगा।<sup>139</sup>

<sup>136</sup> Management Response to the second Request for Inspection, p.5.

<sup>137</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 15, para 56.

<sup>138</sup> Ibid.

<sup>139</sup> Ibid., Annex 1, p. 24.



फोटो 3: छोटागोविंदपुर जल-उपचार संयंत्र

99. गिद्धीझोपरी (बागबेरा MVS) और पुरानीबस्ती (छोटागोविंदपुर MVS) दोनों ही जगह के अनुरोधकर्ता WTPs से उत्पन्न होने कीचड़ के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं. पैनल ने छोटागोविंदपुर WTP से एक दुर्घटनासूचक कीचड़-अवमुक्ति (Sludge Release) के बारे में सुना. जैसा कि पैनल को बताया गया कियह अवमुक्ति छोटागोविंदपुर WTP में एक निर्मलउर्णिकायी प्रक्रिया (Clariflocuulator) के पायलट ड्रेनिंग के समय हुई. निकले हुए पानी की इस बड़ी मात्रा ने WTP प्रतिधारण टैंकों को असहज कर दिया और इसके अतिप्रवाह ने एक सार्वजनिक नाली को भर दिया. इस नाले के उफान ने, WTP से सटे हुए और पहाड़ी से नीचे की ओर जाने वाली समुदाय की गलियों को भर दिया. पैनल ने पाया कि WTP के कीचड़ रीसाइक्लिंग तंत्र चालू होने से पहले यह घटना एक दिन की आकस्मिक अवमुक्ति थी और इसकी पुनरावृत्ति न हो इस हेतु उपाय किए गए हैं. कांट्रैक्टर के अनुसार, अति-उफान पाइप सुरक्षा उपाय के रूप स्थापित हैं लेकिन पुनःपरिसंचरण नियंत्रण को अब और अधिक आकस्मिक रिसाव को रोकना चाहिए.

100. पैनल समझता है कि प्रत्येक WTP के कीचड़ में फिटकरी होती है - जो उपचार की प्रक्रिया में जल्दी से घुलकर गाढ़ी हो जम जाती है - और इस तरह कच्चे स्रोत के पानी से कार्बनिक और अकार्बनिक मात्रा को निकाला जाता है. इस जमे हुए गाढ़ेकीचड़ में धातुओं की मात्राएँ भी हो सकती हैं.<sup>140</sup> पैनल कोस्थल नियंत्रण दस्तावेजीकरण से पता चलता है कि आज तक लिए गए मापों में, स्रोत के पानी में इन धातुओं की नगण्य मात्रा इंगित होती है.<sup>141</sup> पैनल नियमित रूप से उत्पन्न हुए कीचड़ की छोटी मात्रा में भारी धातु दूषण के कम जोखिम के बारे में प्रबंधन के आकलन से सहमत है. हालांकि, पैनल यह भी नोट करता है कि , स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए इस कम जोखिम को सुनिश्चित करने के लिए , WTP संचालकों को उपयोग या वितरण से पहले एक व्यावसायिक , प्रमाणित प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण के लिए कीचड़ के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए. ठेकेदार ने पैनल को अवगत कराया कि विश्लेषण भारतीय मानकों के अनुसार किया जाएगा.<sup>142</sup>

101. पैनल इंगित करता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कीचड़ का प्रयोग करने वाले किसानों , कृषि श्रमिकों के लिए एक "मानव अनावरण नियंत्रण की सीमा ( जैसे-व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरण, हैंडवाशिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता)"<sup>143</sup> की संस्तुति करता है. सावधानी को ध्यान में रखते हुए , पैनल सुझाव देता है कि WTP को चाहिए कि वो अपने श्रमिकों और किसानोंको , जिनकी कीचड़ तक पहुंच होती है या जो भी कीचड़ के संपर्क में आते हैं, उनको, कीचड़ की संभावित रोगजनक प्रकृति , दस्ताने और चेहरे के मुखौटे के उपयोग की स्पष्ट जानकारी दे, और साबुन और पानी से हाथ धोने के महत्व की जानकारी दे.

102. बागबेरा योजना के लिए जून 2019 EMP की समीक्षा में - और जिसमें ठेकेदार के साथ चर्चा में पुष्टि की गयी - पैनल ने पाया कि जनवरी से लेकर जून और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के दौरान एक विशिष्ट वर्ष के दौरान , "[आ]वश्यक कीचड़ की मात्रा को परियोजना स्थलों पर बागवानी के लिए उपयोग किया जाएगा. और बचे हुए कीचड़ को स्थानीय किसानों को अपने खेतों में खाद के रूप में उपयोग करने के निशुल्क दिया जाएगा. इच्छुक किसानों को अपने संबंधित खेतों तक कीचड़ ले जाने

<sup>140</sup>U.S. Environmental Protection Agency, Drinking Water Treatment Plant Residuals Management Technical Report: summary of residuals generation, treatment, and disposal at Large Community Water Systems, EPA 820-R-11-003, September 2011, p. 7-3. "The characteristics of coagulation sludge vary depending on initial water quality and the amount and type of coagulant used. Coagulation sludge predominately contains the coagulant metal hydroxides along with source water natural organic matter, suspended solids, microorganisms, heavy metals, and other organic and inorganic constituents. Metals frequently found in coagulation sludge include aluminum, arsenic, and occasionally cadmium, chromium, copper, iron, lead, manganese, nickel, and zinc." <https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/dw-treatment-residuals-mgmt-tech-report-sept-2011.pdf>. Accessed: August 15, 2019.

के लिए अपनी परिवहन व्यवस्था करनी होगी. किसानों द्वारा कीचड़ को आंशिक रूप से खत्म करने के मामले में, बचे हुए कीचड़ के प्रबन्धन हेतु कचरा प्रबन्धन योजना (Debris Management Plan) में सूचीबद्ध स्वीकृत निपटान-स्थलों पर ले जाया जाएगा और उनका निपटान किया जाएगा.<sup>144</sup> जैसा कि EMPs में वर्णित है, जुलाई से सितंबर के बीच, जब बारिश के कारण कीचड़ की मात्रा बढ़ने की उम्मीद होती है, तो कीचड़ को WTPs में स्थापित जल-निष्कासन प्रक्रियाओं द्वारा सुरक्षित रूप से प्रबन्धित किया जाएगा.<sup>145</sup> पैनल साक्षात्कारों से समझता है कि जिला स्तर के कर्मचारी सूखे कीचड़ के उचित निपटान के लिये स्थानों की पहचान और अनुमोदन के बारे में सरकारी दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

103. पैनल ने समीक्षा करते हुए, पाया कि अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाए गए जल-विज्ञान, जल की गुणवत्ता और कीचड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं के इन सभी बिन्दुओं को बहु-ग्राम योजनाओं के डिजाइन में समझा गया है और संगत प्रक्रियाओं को दोनों योजनाओं के लिए योग्य 2019 EMPs में लागू किया गया है. पैनल परियोजना प्रबन्धन को बैंक नीति - पर्यावरण आकलन (OP/BP 4.01) के अनुपालन में पाता है जिसमें जल-विज्ञान, जल गुणवत्ता और कीचड़ प्रबन्धन जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए परियोजना की डिजाइन उसके क्रियान्वयन के लिए 2019 के पर्यावरण प्रबन्धन योजना (EMPs) में शामिल किया गया है.

104. सामर्थ्य (वहन करने की क्षमता) से सम्बंधित मुद्दे .अपने भ्रमण के समय, पैनल ने नोट किया कि वृहद समुदाय से पाइप लाइन से पानी के लिए मजबूत समर्थन है. उसी समय, गिद्धीझोपरी और पुरानी बस्ती में समुदाय के लोगों ने पैनल को बताया कि पानी तक पहुंच उनके लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि आस-पास कई कुएँ और बोरहोल बहुतायत में हैं. इन समुदाय के सदस्यों को 24 घंटे और 7 दिन निरन्तर पानी की उपलब्धता और पाइप द्वारा पानी तक पहुंच की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि, उन्हें पानी के लिए भुगतान करना होगा और यह उन्हें और विपन्न/गरीब बनाएगा. दोनों बस्तियों की अपनी यात्रा में पैनल ने सुना कि कई घरों में नियमित आय की कमी है और वे दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं. समुदाय के सदस्यों को डर है कि वे घरेलू जल-वितरण के लिए प्रस्तावित मूल्य को वहन करने में असमर्थ होंगे और इसलिए वे धीरे-धीरे कर्जदार हो जायेंगे. यह डर दूसरे उपभोग के लिए भुगतान के उनके अनुभव से पैदा होता है - वो हैं बिजली - बिलों के साथ ये भुगतान (कर्ज के रूप में) लगातार बढ़ रहे थे, अंततः नियमित आधार पर जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है. समुदाय के सदस्यों को इन बढ़ते हुए ऋण चुकाने की बहुत चिंता है और परिणामस्वरूप वे इनका भुगतान अपनी आदिवासी ज़मीनों के बदले में करते हैं.

<sup>141</sup>Reviewed by Panel during site visit in July 2019.

<sup>142</sup>Central Public Health & Environmental Engineering Organization Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems – 2013, Planning of Sludge Treatment and Utilization of the Government of India, p. 2-32, Section 2.15.

<sup>143</sup>World Health Organization. Sanitation Safety Planning: Manual for Safe Use and Disposal of Wastewater, Greywater and Excreta, 2006, p. 61.

<sup>144</sup>Environmental Management Plan Bagbera Multi-Village Water Supply Scheme, East Singhbhum District, Jharkhand (Conditionally approved in June 2019), p. 71

<sup>145</sup>Ibid., pp. 71-72. "1. Sludge will be sacked temporarily at a predetermined area/place; 2. This temporary sludge dumping site will be arranged with the permission of the land owners or the respective Gram Panchayat or obtained on lease. As mentioned earlier, local farmers would be free to lift any quantity of sludge that they might require for use as manure; 3. Sludge generated in the WTP will be dumped daily at this temporary site until it can be transported to the approved landfill sites for final disposal; 4. Opportunities will be explored with local entrepreneurs interested in using this sludge as a business opportunity for income generation; 5. Awareness creation and sensitization of the farmers about the usefulness of the sludge as a manure would be created through interactive meetings and consultations; 6. A temporary sludge retention facility has been provided for at the WTP site."

105. पैनेल नोट करता है कि , जल योजनाओं के पूंजीगत व्यय (CAPEX)के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और उपभोगकर्ता-शुल्क (User Charges) के माध्यम से संचालन और रखरखाव की लागत की पूरी उगाही करता है. <sup>146</sup>PIP आगे कहता है कि पूंजीगत-योगदान, संचालन और रखरखाव एवं लागत उगाही पर निर्णय सामुदायिक सामर्थ्य के स्तरों पर आधारित हैं. PIP और बैंक प्रबंधन , SPMU और DPMU के साथ हुई चर्चाओं ने स्पष्ट किया कि पूंजी-लागत के लिए योगदान रुपये 450 ( US\$6.33) प्रति लाभार्थी घरका एकमुश्त अग्रिम भुगतान है, <sup>147</sup>लेकिन अनुसूचित-जाति / अनुसूचित-जनजाति / गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए एकमुश्त भुगतान 225 रुपये (US\$3.17) प्रति घर के रियायती आधार पर होगा. <sup>148</sup> पैनेल समझता है कि यह वित्तीय योगदान पानी की आपूर्ति के लिए घरेलू कनेक्शन की दिशा में नेटवर्क के 10 मीटर के दायरे में रहने वाले परिवारों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जुड़ने में मदद करेगा. <sup>149</sup>

106. लागत उगाही के सन्दर्भ में, PIP कहता है " परियोजना, उपभोगकर्ता-शुल्क के माध्यम से पूर्ण संचालन और रख-रखाव (O&M) लागत वसूली को प्राप्त करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाएगी, जो एक वहनीयमहत्तम-सीमा (affordability Ceiling) के अधीन है." <sup>150</sup> PIP बताता है कि बैंक का अनुभव, अन्य ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में समान सामाजिक आर्थिक घरों के साथ प्रति माह प्रति घररुपये 50-70 (US\$0.71-0.99) की श्रेणी में भुगतान करने की इच्छा को दिखाता है. <sup>151</sup> जहां संचालन और रख-रखाव (O&M) लागत को पूरा करने के लिए वहनीय-शुल्क अपर्याप्त हैं , ग्राम-पंचायतें और राज्य सरकारें उपलब्ध (O&M) अनुदान के माध्यम से पारदर्शी सब्सिडी प्रदान करेंगी. रुपये 62 (US\$0.90) का न्यूनतम मासिक (O&M) शुल्क लिया जाएगा , लेकिन ग्राम-पंचायतें अधिक शुल्क लगा सकती हैं यह अधिकार उनके पास है. PIP यह भी इंगित करता है कि ग्राम-पंचायत की ग्राम जल और स्वच्छता समीति (VWSC) मासिक शुल्क को परिभाषित करेगी लेकिन विभिन्न उपभोगकर्ता समूहों के लिए येशुल्क बढ़ा या घटा भी सकती है <sup>152</sup>

107. झारखण्ड राज्य का सामाजिक आकलन कहता है कि अधिकतर परिवार पाइप जलापूर्ति के भुगतान की इच्छा रखते हैं, जबकि यह राशि बदलती है. ये दस्तावेज़, 30 ग्राम-पंचायतों, 60 गांवों और 960 घरों से यादृच्छय तरीके से 5 जनपदों में एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण पर निर्भरकरता है, जो पानी की उपलब्धता , उसके आच्छादन और भुगतान की इच्छा से संबंधित प्रमुख मुद्दों को बेहतर ढंग से समझते हैं. आकलन से पता चलता है कि पूर्वी सिंहभूम में –अनुरोधकर्ताओं के जनपद में - 68 प्रतिशत पाइपद्वारा और उपचारित पानी के लिए कुछ भुगतान करने को तैयार हैं, <sup>153</sup> जबकि बाकी लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वे प्रोजेक्ट के बारे में -अनिश्चित थे. लेकिन गुणात्मक सर्वेक्षण इंगितकरता है कि घरों में अच्छे पानी की पहुंच और इसके उपयोग से उनके जीवन में अंतर या और भी बहुत कुछ देखने के बाद लोगों द्वारा भुगतान किया जाएगा. <sup>154</sup> पूर्वी सिंहभूम में किसी ने भी घोषित नहीं किया कि वे कुछ भी भुगतान करने को तैयार नहीं हैं.

146 Project Implementation Plan, Volume 1 – Governments of India, Assam, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh, 2013. Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (RWSS-LIS), p. 35, para (h).

147 Exchange rates as of November 6, 2019.

148 Management Response to the second Request for Inspection, p.3.

149 Project Implementation Plan, Volume 1 – Governments of India, Assam, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh, 2013. Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (RWSS-LIS), p. 36.

150 Ibid., 151 Ibid., 152 Ibid.

153 Social Assessment, Capacity Building and Communication, Framework for the Rural Water Supply & Sanitation Project in Jharkhand, p. 37, Section 3.3.

154 Ibid., p. 40.

108. समुदाय के सदस्यों ने पैनल को बताया कि वे जल योजनाओं के पूंजीगत व्यय (CAPEX) योगदान और अपने घरों में पाइप द्वारा पानी प्राप्त करने के लिए आवश्यक मासिक भुगतान के बारे में जानते हैं, और इसके लिए हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है. पैनल टीम ऐसे कई निवासियों से मिली जिन्होंने परियोजना का समर्थन किया और जिन्होंने पहले ही जल-योजना में अपने आप को नामांकित किया था; टीम ने उनके आवासों के बाहर कनेक्शन और पानी के मीटर देखे. पैनल ने बहु-ग्रामजलऔरस्वच्छतासमीति ( MVWSC)<sup>155</sup>के सदस्यों के साथ भी मुलाकात की और दोनों अनुरोधकर्ताओं की बस्तियों में समुदाय के उन सदस्यों को सुना, जिन्हें (MVWSC)से बाहर रखा गया है और उन्हें समीति की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. इसलिए, पैनल नोट करता है कि ऐसे क्षेत्र में IEC गतिविधियों को मजबूत करने और समुदायों को पानी के उपयोग और इसके आर्थिक प्रभावों के निहितार्थबताने की आवश्यकता है.

109. स्थानीय और राज्य अधिकारियों ने पैनल को सूचित किया कि वर्तमान जल स्रोत -दोनों ही, सरकार द्वारा प्रबन्धित और सामुदायिक-संरचनाओं के माध्यम से अनौपचारिक रूप से संचालित - घरेलू जल-आपूर्ति कनेक्शनों की स्थापना के बाद भीबने रहेंगे. सरकार इन गहरे कुओं और हैण्डपम्पों का प्रबन्धन आगे कई सालों तक जारी रखेगी. जब कभी भी रख-रखाव से सम्बंधित सरकारी नियंत्रण समाप्त होगा, ये स्रोत बिना पर्यवेक्षण के लोगों की पहुँच में बने रहेंगे.

यद्यपि, अधिकारियों ने पैनल टीम को बताया कि परियोजना के लिए विकसित की गई योजनाओं के अलावा सेवाक्षेत्रों में कोई और नया सरकारी-वित्त पोषित स्रोत नहीं बनाया जाएगा. समुदायों ने कहा कि, स्थानीय सरकार से धन और सेवाओं में लंबी देरी के कारण, वे मरम्मत के लिए भुगतान करने के लिए आपस में धन जुटाकर वर्तमान में उपस्थित जल स्रोतों का रख-रखाव बनाए रखते हैं.अपने सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए स्थानीय प्राधिकारियों ने पैनल को इस बात की पुष्टि की, और कहा कि भविष्य में वे उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे जहाँ पाइप लाइन के द्वारा पानी तक पहुँच की कमी है

110. पैनल का निष्कर्ष है कि PIP और PAD में विस्तृत रूप से दिए गये सुझावों के अनुरूप योजनाओं कीवहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान विकसित किए गए हैं. पैनल नोट करता है कि निवासियों को पानी की वहनीयता से संबंधित डर को परामर्श प्रक्रिया और IEC गतिविधियों में अधिक से अधिक सीधे संबोधित किया जाना चाहिए था.एक वृहद रूप से, पैनल का विश्वास है कि गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती में प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श, लक्षित जन-जागरण और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से पानी की गुणवत्ता, कीचड़ प्रबंधन और मौजूदा जल संसाधनों पर परियोजना के प्रभाव के बारे में स्थानीय चिंताओं का शमन करने में सहायता मिल सकती थी. यह परियोजना की सामुदायिक स्वीकृति बढ़ाने में भी मदद कर सकता था.

---

<sup>155</sup>The MVWSC is composed of representatives of the individual village water and sanitation committees of the GPs included in the service area of the MVS. It has the role of endorsing and signing off on scheme design and implementation phase payments.

## अध्याय 3 : मूल समुदायों पर प्रभाव

### 3.1 परिचय

111. इस अध्याय में इस बात पर चर्चा की गयी है कि परियोजना किस तरह से, गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती की जनजातियों/आदिवासियों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के तरीकों, परम्परानुसार प्रयोग होती ज़मीनों और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव डालती है।<sup>156</sup> यह इस बात का भी परीक्षण करता है कि सुरक्षा यंत्र किस प्रकार - जैसे SMF, SA, TDP, और TDIP को शामिल करते हुए - आदिवासी समुदायों पर परियोजना के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करता है। यह उन परामर्श प्रक्रियाओं का भी अवलोकन करता है जो ये सुरक्षा यंत्र विकसित करते समय प्रयोग में लायी गयी थीं।

### 3.2 निरीक्षण (जाँच) के लिए अनुरोध और प्रबन्धन प्रतिक्रियायें

निरीक्षण (जाँच) के लिए अनुरोध

112. **सांस्कृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर प्रभाव.** पहले अनुरोधकर्ता आरोप लगाते हैं कि गिद्धिझोपरी का WTP सामुदायिक भूमि पर बना है - जिसका संचालन जनजाति के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व है - अतः ये उनकी " *जीवन पद्धति और संस्कृति को नष्ट कर रहा है* "।<sup>157</sup> उनका दावा है कि WTP का स्थल उनके पवित्र कुञ्ज में स्थित है - या कहें कि उनके *जाहेर (Jaher)* में- जहाँ उनके पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। वे बताते हैं कि उनका समुदाय इसी कुञ्ज-स्थल पर सिलसिलेवार तमाम अन्य त्याहारों के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक और अध्यात्मिक रीति *जन्ताद पूजा (Jantad Pooja)* को मनाता है। वे कहते हैं कि " *अनादि काल से* " यह एक *कब्रिस्तान और श्मशान भूमि रहा है और "[व]हाँ प्रभावित समुदायों में गहरा क्रोध है कि उनके पूर्वजों के विश्राम-स्थल का उपयोग जल उपचार संयंत्र के लिए किया जा रहा है।"*<sup>158</sup>

113. पहले अनुरोधकर्ता कहते हैं कि WTP उन जड़ी-बूटियों और झाड़ियों तक उनकी पहुँच को बाधित करता है जिनका प्रयोग वे पीलिया, रक्त के थक्के, सिरदर्द, गर्भावस्था की व्याधियों, ठण्ड, कीड़ों के काटने के उपचार और विटामिन-D के सम्पूरीकरण के लिए करते हैं। आगे वे दावा करते हैं लाल मिट्टी की उपलब्धता - जो यहाँ पायी जाती है और जिसका प्रयोग वे घरों को रंगने, सामानों को साफ करने उनको पैक करने के लिए करते हैं - को भी काटकर सीमित कर (घटा) दिया गया है। वे यह भी कहते हैं कि WTP की वज़ह से वे पुरु टहनियों को घर की आग और बगीचों के बाड़े के लिए एकत्र नहीं कर पाते। वे यह भी चिंता करते हैं कि WTP उनकी बकरियों को चरागाह तक पहुँचने में बाधा है।

<sup>156</sup>In this report, indigenous peoples and tribal peoples are used interchangeably.

<sup>157</sup> First Request for Inspection, Supplement to the Request for Inspection, p. 5.

<sup>158</sup> Ibid., p. 5, para 2(a).

114. दूसरे अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि परियोजना “[ मूलनिवासियों के समुदायों को उनकी आवश्यक सांस्कृतिक गतिविधियों की निरंतरता बनाये रखने को लेकर भयाक्रांत करती है ]”<sup>159</sup> वे कहते हैं कि ESR पुरानी बस्ती के पास उनकी सामुदायिक भूमि पर बनाया जा रहा है , यह उनके लिए सांस्कृतिक महत्व की भूमि है. इस स्थल पर वार्षिक उत्सव होते हैं और हर पांच साल की अवधि में तीज-त्यौहार जैसे समारोह आयोजित किए जाते हैं. ये अनुरोधकर्ता आगे तर्क देते हैं कि ESR एक शहीद-स्थल पर स्थित है - जो समुदाय और झारखण्ड राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है - ये तीन समुदाय के सदस्यों को सम्मानित करता है जिन्होंने झारखण्ड को राज्य बनाये जाने के संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान दिया. वे शिकायत करते हैं कि परियोजना ने पारंपरिक स्मारक पत्थरों अथवा बोल्टर को ठेकेदार ने इन शहीदों के सांस्कृतिक रूप से अनुचित छाती तक की प्रतिमाओं(Bust) के द्वारा हटा दिया है.

115. दोनों ही अनुरोध दावा करते हैं कि, यद्यपि **संथाल** और **हो** दोनों नीति (OP/BP 4.10) में वर्णित मूलनिवासी होने के विकल्पों को पूरा करते हैं फिर भी आदिवासियों पर परियोजनागत विशिष्ट प्रभाव का कोई आकलन उनके साथ नहीं किया गया. साथ में, वे यह भी दावा करते हैं कि झारखण्ड द्वारा तैयार किये गये सामाजिक-आकलन (SA) में गलत तरीके से वर्णित है कि परियोजना हस्तक्षेप मूलनिवासियों के समुदायों को प्रभावित नहीं करेंगे. उनका आरोप है कि परियोजना में मूलनिवासियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की कोई योजना नहीं है वे यह भी बताते हैं कि उन्हें पहले से हो चुके नुकसान की कोई भरपाई-राशि भी नहीं मिली है और यह नीति (OP/BP 4.10) का गैर-अनुपालन है. अनुरोधों में इस बात का भी तर्क है कि परियोजना को भौतिक-सांस्कृतिक संसाधनों की नीति (OP/BP 4.11) को लागू करना चाहिए था, और परियोजना का भौतिक-सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव का आकलन के साथ डिज़ाइन संबंधी शमन उपायों को विकसित किये जाने की नाकामी, नीति का गैर-अनुपालन है.

116. **परामर्श और प्रकटन**. अनुरोधकर्ता जोर देकर कहते हैं कि - उचित परामर्श के अभाव में - मूलनिवासियों के संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत पर पड़ने वाले खतरों की अनदेखी की गयी है. अनुरोधकर्ता आरोप लगाते हैं कि परियोजना की पर्याप्त जानकारी वहाँ के निवासियों को उनकी भाषा में न दे पाना एक नाकामी है. कुछ अभिलेख अंग्रेजी में तो थे लेकिन **हिंदी, संथाली** या **हो** में नहीं. पहले अनुरोधकर्ताओं ने बताया कि अंततः उनको कुछ अभिलेखों का लाभ मिला - सूचना का अधिकार एक्ट का प्रयोग करने के बाद - लेकिन ऐसा करने के लिए उनको पैसे खर्च करने पड़े और फिर भी उन्हें परियोजना के पर्यावर्णीय और सामाजिक आकलन नहीं दिए गये.

## प्रबन्धन प्रतिक्रियायें

117. **सांस्कृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर प्रभाव.** प्रबन्धन स्वीकार करता है कि नीति (OP /BP 4.11) को परियोजना में लागू होना चाहिए था और यह व्याख्या करता है कि यह नीति परियोजना के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में प्रारम्भ हो जाएगी. हालांकि , यह (प्रबन्धन) नोट करता है कि "कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा नीति के अनुरूप उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे."<sup>160</sup> प्रबन्धन द्वारा रिपोर्ट है, जब तक सांस्कृतिक संसाधनों का कोई व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं था , "ठेकेदार और जिला अधिकारियों ने साथ-साथ कार्य शुरू करने से पहले समुदाय के महत्व के क्षेत्रों की संयुक्त रूप से पहचान करने के लिए विशेष प्रयास किए थे."<sup>161</sup>

118. पहला अनुरोध मध्य घाघिडीह (Ghaghidih) ग्राम-पंचायत मुखिया के साथ हुए वार्तालाप को संदर्भित करता है - जिसमें है चुना हुआ गाँव का नेता - और गाँव के लोग,<sup>162</sup> और फ़रवरी एवं मार्च 2016 की दो बैठकें जिनमें घाघिडीह (Ghaghidih) समुदाय के लोगों के साथ अनुरोधकर्ता भी शामिल थे.

प्रबन्धन के अनुसार , DPMU के रिकॉर्ड और इन दोनों बैठकों की ऑडियो -रिकॉर्डिंग में बागबेरा WTP सीमा रेखा के अंदर कब्रगाह या पूजा-स्थलों से संबंधित मुद्दों को उठाने का कोई उल्लेख नहीं है. हालांकि, प्रबन्धन बताता है कि स्थानीय निवासियों के साथ बैठकों में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को बाधित करने से बचने के लिए WTP साइट की डिज़ाइन को संशोधित किया गया. ठेकेदार ने पवित्रवृक्ष को समायोजित करने के लिए WTP की सीमा रेखा को भी बदल दिया.<sup>163</sup>

119. प्रथम प्रबन्धन प्रतिक्रिया कहती है कि गिददीझोपरी बस्ती में कथित तौर पर एक पवित्र पेड़ , पवित्र पत्थर और पहाड़ी के शीर्ष पर एक एकत्रित क्षेत्र है , जो बिल्कुल बागबेरा की दक्षिणी दीवार से लगे हुए है. प्रतिक्रिया में कहा गया है कि दक्षिण-पूर्वी हिस्से में पहाड़ी के नीचे स्थित पेड़-पौधोंवाले क्षेत्र में अचिह्नित पत्थर और एक पेड़ के नीचे स्थित दो मकबरे , WTP के दक्षिण-पूर्वी कोने की दीवार से थोड़ी दूरी पर हैं, ये गिददीझोपरी स्थल की पहचान बनाते हैं. आगे यह भी कहा गया है कि समीप कि ही बस्ती का कब्रिस्तान - जटाझोपरी (Jatajhopri) कथित तौर पे पहाड़ी के शीर्ष का दक्षिणी-पश्चिमी हिस्सा था, जो बोलडर और पत्थरों द्वारा चिह्नित तीन छोटी समाधियों के आगे था.<sup>164</sup>

---

160 Management Response to the first Request for Inspection, p. 13, para 47.

161 Ibid., p. 13, para 49.

162 Management Response to first Request for Inspection, Annex 1, p. 1.

163 Ibid., p.13.

164 Ibid.

120. प्रबन्धन स्पष्ट करता है कि स्थल-निर्माण से पूर्व उसने, पहाड़ी पर वस्तुस्थिति को समझने के लिए, प्रक्षेपित उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों, अन्य तस्वीरों और उसके वीडियो आदि का विश्लेषण किया

है. प्रबन्धन कहता है कि तस्वीरों और वीडियोग्राफी में WTP स्थल पर कोई विशिष्ट कलाकृतियों (Artifacts) के तथ्य नहीं मिले हैं. यद्यपि, संथालों के कब्रगाह-स्थलों की विशिष्ट भौतिक संरचना-गुणों के कारण - जो कि पेंड-पौधों वाले क्षेत्रों में है - और अंतिम संस्कार वाले स्थल, इनका इस प्रकार का अवलोकन पूरी विश्वशनीयता से इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि ये विशिष्ट कलाकृतियों (Artifacts) वहाँ थी या नहीं. प्रबन्धन यह भी कहता है कि समुदाय के प्रतिनिधियों और बैंक टीम के साथ हुई चर्चा में भी यह तथ्य नहीं आया कि WTPक्षेत्र में आत्माएँ रहती हैं या फिर किसी प्रकार के त्यौहार आयोजित किये जाते हैं.<sup>165</sup>

**121.** प्रबन्धन कहता है कि इस पहाड़ी कि अधिकतर ज़मीन बकरियों के चरागाह, सामुदायिक-जुटान (Community Assembly) और स्थानीय निवासियों के लिए पेंड-पौधे एकत्र करने के लिए बची रहेगी, चूँकि केवल 3.59 एकड़ - या 25 प्रतिशत - सम्पूर्ण पहाड़ी का, WTP के लिए प्रयोग किया गया है.<sup>166</sup> प्रथमप्रबन्धन प्रतिक्रिया के अनुसार, ठेकेदार ने पुष्टि की है कि लाल मिट्टी में से भी किसी को विलग नहीं किया गया है और प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि यह स्थानीय समुदायों के लिए उपलब्ध रहे.

**122.** दूसरी प्रबन्धन प्रतिक्रिया पुरानी बस्ती के पास ESR के बारे में बताती है कि ESR के निर्माण से पूर्व वहाँ 3 शहीदों को सम्मान देने वाले गोल पत्थर (Boulders) लगे हुए थे ये सूचना विरोधभासी है. दूसरे अनुरोधकर्ताओं ने बैंक टीम को बताया कि निर्माण के दौरान मूल गोल पत्थर नष्ट हो गये थे और ठेकेदार ने बिना उनके परामर्श के वहाँ उनके तीन छाती तक वाली प्रतिमाएँ (Bust) लगा दीं. वहीं दूसरी और ठेकेदार का कथन है कि निर्माण से पूर्व वहाँ कोई गोल पत्थर नहीं थे, बल्कि समुदाय ने स्वयं उनसे तीन छाती तक वाली प्रतिमाएँ (Bust) लगाने के लिए वित्त की माँग की थी.<sup>167</sup>

**123.** दूसरी प्रतिक्रिया एक अलग ही तरह का विचार रखती है जिसमें बताया गया है कि पुरानीबस्ती के निकट का ESR स्थल का प्रयोग रोमान्टिक मैदान के रूप में होता था. जबकि दूसरे अनुरोधकर्ता कहते हैं कि स्थल का प्रयोग *गोटा पूजा (Gota Pooja)* और *जाहेर डंगरी (Jaher Dangri)* जैसे त्यौहारों के आयोजन के लिए होता है, वहीं ग्राम जल और स्वच्छता समीति के सदस्य कहते हैं कि ये आयोजन पास में सटे हुए स्थल में होते हैं जबकि वर्तमान के ESR स्थल पर फुटबाल खेला जाता है और कुछ हिस्से को खुले में शौच के लिए प्रयोग किया जाता है. दूसरी प्रबन्धन प्रतिक्रिया में बताया गया है कि प्रक्षेपित उपग्रह के ऐतिहासिक चित्र बताते हैं कि वहाँ पर कोई भी विशिष्ट कलाकृतियों (Artifacts) के तथ्य नहीं पाए गये.<sup>168</sup> प्रतिक्रिया में इस बात को बनाये रखा गया कि, प्रत्येक घटना में, “*वहाँ पर्याप्त मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है [...], यह विचार करते हुए भी कि ESR के रहते हुए भी सांस्कृतिक प्रयोग के लिए अनुमति देना जैसा कि निरीक्षण हेतु अनुरोध ने कहा गया है.*”<sup>169</sup> प्रबन्धन कहता है कि ESR सम्पूर्ण ज़मीन का मात्र 14 प्रतिशत हिस्सा ही घेरता है.<sup>170</sup>

<sup>165</sup> Ibid.

<sup>166</sup> Ibid., p. 14.

<sup>167</sup> Management Response to second Request for Inspection, p.16.

124. प्रबन्धन यह मानता है कि परियोजना से प्रभावित हुए जनजातीय/आदिवासी लोग नीति (OP/BP 4.10) के अन्तर्गत मूलनिवासी माने जाते हैं. अतः झारखण्ड राज्य में, परियोजना निर्माण के समय, परियोजना वाले क्षेत्र के लिए एक जनजातीय विकास योजना (Tribal Development Plan) तैयार की गयी. प्रबंधन स्पष्ट करता है TDP में उन सभी प्रावधानों को समाहित किया गया है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आदिवासी बस्तियों को परियोजना के लाभों के लिए लक्षित किया गया है, और सूचित-परामर्श के माध्यम से माँग पर आधारित उन परियोजनाओं की पहचान का मार्ग प्रशस्त होगा जो सांस्कृतिक रूप से सही हो.<sup>171</sup>

125. **परामर्श और सूचनाओं का प्रकटीकरण.** प्रबंधन बताता है कि यद्यपि राज्य और राजस्व-ग्राम स्तर पर परियोजना के दस्तावेजों का परामर्श और प्रकटीकरण वृहद् रूप से संतोषजनक था,<sup>172</sup> लेकिन वहीँ यह अनुरोधकर्ताओं के आवास के स्तर पर परामर्श और प्रकटीकरण में कमजोर था.<sup>173</sup> प्रबंधन के अनुसार, SMF और TDP की तैयारी के समय मई और जून 2013 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था. TDP की तैयारी के समय, पांच जिलों में 30 ग्राम-पंचायतों के साथ-साथ राज्य, जिला और विकास-खण्ड के अधिकारियों के साथ 60 बस्तियों में परामर्श-सत्र आयोजित किए गए थे. ये सभी दस्तावेज पेय-जल और स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) की वेबसाइट पर प्रकट किये गये थे और इनको वेबसाइट के बंद हो जाने के बाद 2013 से लेकर 2015 तक देखा जा सकता था. प्रबंधन स्पष्ट करता है कि EA-EMF, SMF और TDP से सम्बंधित परामर्श हिंदी में आयोजित किये गये थे. EA - EMF के अधिशासी-सारांश का हिंदी संस्करण क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ प्रारम्भ होने से अग्रिम रूप पहले ही झारखण्ड राज्य के सभी परियोजना-प्रतिभागियों (Stakeholders) को मई-जून 2013 में वितरित कर दिया गया था. हालाँकि प्रबंधन ये स्वीकारता है कि यह सुनिश्चित नहीं हो सकता कि झारखण्ड राज्य के सुरक्षा सम्बन्धी दस्तावेजों का प्रकटीकरण भी हिंदी में किया गया था, और नीति (OP/BP 4.01) एवं (OP/BP 4.10) से सम्बंधित परामर्श और उसके प्रकटन को हिंदी में लागू करने के विषय में कमियाँ रही हैं.<sup>174</sup>

<sup>168</sup> Management Response to second Request for Inspection, Annex 1, p. 23., para 2.

<sup>169</sup> Ibid., p. 17, para 56.

<sup>170</sup> Ibid., p.16.

<sup>171</sup> Management Response to first Request for Inspection, p.6.

<sup>172</sup> A revenue village is a small administrative region in India with defined borders.

<sup>173</sup> Management Response to first Request for Inspection, Annex 1, p. 6.

### 3.3 बैंक नीतियाँ

126. विश्व बैंक की मूलनिवासियों से सम्बंधित नीति (OP/BP 4.10)के लिए आवश्यक है कि बैंक समर्थित परियोजनाएं उन उपायों को अपने में सम्मिलित करें “ जो मूलनिवासियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को दूर करें” और यदि ये संभव न हो तो , “उन्हें कम करें, उनका शमन करें या फिर विपरीत प्रभावों के लिए मुआवजा दें.”<sup>175</sup> यह नीति मानती है कि “मूलनिवासियों की पहचान और उनकी संस्कृति असमाधेय रूप से उनकी ज़मीन और और उनके प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है जिस पर वे रहते हैं और जिन पर वे निर्भर हैं” .<sup>176</sup> इसीलिए नीति चाहती है कि इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय जैसे (i) मूलनिवासियों के भूमि सम्बन्धी अधिकार जो कि पारंपरिक रूप से उनके स्वामित्व, या प्रथाओं रूप से प्रयोग किए गए या कब्जे में हैं , और जहां प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच उनकी संस्कृतियों और आजीविका को सतत बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण है , (ii) ऐसी भूमि और संसाधनों को अवैध घुसपैठ या अतिक्रमण से बचाए रखने की आवश्यकता है , और (iii) वे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य, जो मूलनिवासियोंकी भूमि और संसाधनों में संवर्धन करते हैं.<sup>177</sup>

127. नीति (OP/BP 4.10)के अनुसार, कई उप-परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जहां मूलनिवासियोंकी उपस्थित की संभावना है या एक सामूहिक लगाव है को तब तक निर्धारित नहीं किया जा सकता जब तक उप-परियोजनाओं की पहचान नहीं हो पाती, एक मूलनिवासी जन योजना ढाँचा (IPPF)की आवश्यकता है.<sup>178</sup> एक (IPPF)में शामिल हैं, (i)परियोजना के तहत वित्तपोषित उप-परियोजनाएँ और मूलनिवासियों पर इसके संभावित प्रभाव होने की संभावनाएं (ii) ऐसी उप-परियोजनाओं के लिए सामाजिक आकलन (SA)को आयोजित करने की योजना , (iii) परियोजना के प्रत्येक चरण में प्रभावित मूलनिवासी लोगों के साथ परामर्शसुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा , (iv)मूलनिवासियों पर परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए संस्थागत व्यवस्था, और (v)निगरानी और प्रतिवेदन तंत्र की व्यवस्था.<sup>179</sup>

128.नीति (OP/BP 4.10) स्पष्ट करती है कि यदि अनुवीक्षण प्रक्रिया में मूलनिवासियों की उपस्थिति का पता लगता है या परियोजना क्षेत्र के लिए उनके सामूहिक लगाव की पुष्टि होती है , तो उन मूलनिवासियों पर परियोजना के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने औरजहां प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और वे महत्वपूर्ण हो वहाँ परियोजना के विकल्पों की जांच करने के लिए एक सामाजिक आकलन तैयार किया जाना चाहिए.<sup>180</sup>

129. नीति आगे निर्देश देती है कि , सामाजिक आकलन (SA) के आधार पर और प्रभावित मूलनिवासियों के समुदायों के परामर्श के माध्यम से , एक मूलनिवासी जन योजना (IPP)तैयार की जानी चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए (i) परियोजना की तैयारी के समय, प्रभावित हुए मूलनिवासियों के साथ परामर्श , जिसके कारण परियोजना के लिए व्यापक सामुदायिक समर्थन प्राप्त हुआ उनका शुल्क मुक्त , पूर्व और सूचित परिणामों का सारांश. (ii)परियोजना कार्यान्वयन के समय परामर्श को सुनिश्चित करने वाला एक फ्रेमवर्क/ढाँचा , (iii)यह सुनिश्चित करने के उपायों के साथ एक कार्य योजना है कि मूलनिवासियों कोसंभावित प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए ,उनकी संस्कृति के अनुकूल उचित लाभ प्राप्त हो (iv)मूलनिवासियों के बीच प्रथागत विवाद-निपटान तंत्रों को ध्यान में

रखते हुए सुलभ शिकायत प्रक्रियाएं (v) और उचित निगरानी, मूल्यांकन और प्रतिवेदन निर्माण के तंत्र।<sup>181</sup>

130. नीति (OP/BP 4.10) के लिए आवश्यकता होती है कि परामर्श प्रक्रिया में (i) परियोजना के प्रत्येक चरण में उचित लैंगिक और अन्तर-पीढ़ीय समावेशी ढांचे की आवश्यकता होती है जो प्रभावित मूलनिवासियों के समुदायों के साथ परामर्श का अवसर प्रदान करता हो , (ii) प्रभावित मूलनिवासियों के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और उनकी स्थानीय स्थितियों के अनुरूप परामर्श प्रक्रियाएँ हों (iii) मूलनिवासी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से परियोजना की सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करते हों।<sup>182</sup> नीति (OP/BP 4.10) में परियोजना चक्र के समय मूलनिवासियों के साथ परामर्श करने में बैंक को ऋणकर्ता की सहायता करने की आवश्यकता होती है - मौजूदा मूलनिवासियों के संगठनों और आदिवासी नेताओं- और परामर्श प्रक्रिया के अभिलेखों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।<sup>183</sup> नीति में सामाजिक आकलन के प्रकटीकरण और उपयुक्त रूप , तरीके और भाषा में IPPF / IPP का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता होती है।<sup>184</sup>

131. नीति (OP/BP 4.11) भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों को परिभाषित करते हुए कहती है कि “कोई भी गतिशील या स्थिर वस्तुएँ, स्थल, संरचनाएँ, संरचनाओं के समूह, और प्राकृतिक वैशिष्ट्य और परिदृश्य जिनका पुरातात्विक, पुरावानास्पतिक, ऐतिहासिक, वास्तुविदिक, धार्मिक, सौन्दर्यिक या अन्य सांस्कृतिक महत्व हो।”<sup>185</sup> नीति इन संसाधनों को व्याख्यायित करते हुए कहती है कि, “ ये लोगों की सांस्कृतिक पहचान और उनकी प्रथाओं के अटूट अंग हैं” ।<sup>186</sup> नीति आगे कहती है कि, परियोजना द्वारा भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर पड़ने वाला प्रभाव, पर्यावरणीय आकलन (EA) का आधारभूत अंग होता है, जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रभाव-आकलन और शमन उपायों एवं प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण शामिल होता है।<sup>187</sup>

---

<sup>174</sup> Management Response to the first Request for Inspection, Annex 1, p. 21 and Management Response to the second Request for Inspection, Annex 1, pp. 31 and 37.

<sup>175</sup> OP 4.10 - Indigenous Peoples, para 1.

<sup>176</sup> Ibid., para 2.

<sup>177</sup> Ibid., para. 16.

<sup>178</sup> Ibid., para 13.

<sup>179</sup> Ibid., Annex C.

<sup>180</sup> BP 4.10 - Indigenous Peoples, para 6.

<sup>181</sup> OP 4.10 - Indigenous Peoples, para. 12 and Annex B.

<sup>182</sup> Ibid., para. 10.

<sup>184</sup> OP 4.10, para 15.

<sup>185</sup> OP 4.11 – Physical Cultural Resources, para 1.

<sup>186</sup> Ibid., para 2.

<sup>187</sup> BP 4.11 - Physical Cultural Resources, para 4 and BP 4.11 - Physical Cultural Resources para 6 and 8.

## 3.4 पैनल के प्रेक्षण और विश्लेषण

### 3.4.1 संस्कृति और समुदाय के स्रोतों पर प्रभाव

#### मूलनिवासियों के मुद्दों पर सुरक्षा के उपागम

132. पैनल नोट करता है कि दोनों गिद्धिझोपरी और पुरानीबस्ती अनुसूचित क्षेत्रों में पड़ते हैं, और जिनको भारत सरकार और प्रबन्धन भारतीय संविधान के अनुसार विशेष विधि सरक्षित क्षेत्र होने का दर्जा देते हैं. ये स्थान **संथाल** और **हो** जनजातियों के साथ एक बड़ी मात्रा में अन्य जनजातियों / आदिवासियों के भी घर हैं. दोनों ही जनजातियों की अपनी-अपनी सामाजिक संरचनाएँ, भाषाएँ, परम्परागत-निर्णय लेने की प्रथाएँ हैं,सांस्कृति है और और अपने-अपने रीति-रिवाज़ हैं. उनकी जीवन पद्धति आंतरिक रूप से ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों (ज़मीन, जल, पेंड, पौधों, चट्टानों आदि) से जुड़ी हुई है, और जिनको वो प्रथागत तरीके से प्रयोग करते रहे हैं.

133.**भौतिक सांस्कृतिक संसाधन.** परियोजना को तैयार करते समय, प्रबन्धन ने भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों से सम्बंधित नीति (OP/BP 4.11) को शुरू नहीं किया. इस निर्णय के समर्थन में PAD अथवा समेकित रक्षा आंकड़ा पत्रक में कोई औचित्य नहीं दिया गया है. प्रबन्धन अपनी प्रतिक्रिया में इस बात को मानता है कि परियोजना को नीति (OP/BP 4.11) को शुरू करना चाहिए था, इसकी अनदेखी शायद इस बात से हुई कि झारखण्ड राज्य के चारों EA-EMFs में भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों से सम्बंधित जोखिमों और प्रभावों की पहचान उनमें नहीं की गयी थी.<sup>188</sup>

134.पैनलने परियोजना के दस्तावेजों का अवलोकन किया और ये पाया कि भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले संभावित जोखिमों की पहचान नहीं की गयी, यहाँ तक कि जबकि परियोजना गतिविधियाँ ऐसे स्थानों पर शुरू की गयी थी जहाँ पर जनजातियों की बहुत बड़ी आबादी थी, और झारखण्ड जैसे राज्य में उस जगह अपेक्षाकृत बहुत बड़ी निर्माण संरचना को शामिल किया गया था. EA-EMF कहता है कि नीति (OP/BP 4.11) को लागू किये जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि “*वर्तमान ने स्थित किसी भी सांस्कृतिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा* .”<sup>189</sup> और उसी समय दस्तावेज़ निर्माण के समय “*सांस्कृतिक, विरासत और मनोरंजन महत्व वाले स्थानों को सम्भावित हानि*”<sup>190</sup> की बात को भी स्वीकार करता है.EA-EMF का सारांश स्पष्ट करता है कि बुरी तरह से बनायी गयी प्रबंधन योजनायें पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ बेतरतीब तरीके से WTP और उनके प्रवेश-बिंदु के लिए चुनी गयी लाइनों के लिए चुने गये स्थल वहाँ के सांस्कृतिक विरासत पर भी बुरा प्रभाव डालेंगे.<sup>191</sup>

<sup>188</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 5, para 18.

<sup>189</sup> Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in Selected Districts of Jharkhand, July 2013, p. B.

<sup>190</sup> Ibid., p. 90.

<sup>191</sup> Executive Summaries, Environmental Assessment - Environmental Management Framework Studies of Assam, Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh, pp. 9 and 28.

<sup>192</sup> Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in Selected Districts of Jharkhand, July 2013, p. 185.

<sup>193</sup> PAD, p.15.

**135.** EA-EMF में उप-परियोजनाओं की अनुवीक्षा के लिए एक जाँच-सूची (Check-list) है। उस जाँच-सूची में यह आकलन करने की आवश्यकता समाहित है कि क्या कोई प्रस्ताव पवित्र स्थलों या सांस्कृतिक मूल्यों को बाधित करेगा, और इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों की व्याख्या करने के लिए भी कोई प्रावधान है।<sup>192</sup> इस आवश्यकता के बाद भी बागबेरा WTP और पुरानीबस्ती ESR के लिए विशेषस्थलों में ऐसा अनुवीक्षण नहीं किया गया। पैनल ने पाया कि नीति (OP/BP 4.11) को शुरू करने में और नीति द्वारा आवश्यक भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में विफलता की वजह से, गिद्दीझोपरी और पुरानी बस्ती के आदिवासियों ने नुकसान का अनुभव किया। पैनल स्वीकार करता है कि प्रबन्धन ने हानि हो जाने के बाद में नीति (OP/BP 4.11) को दिसंबर 2019 के परियोजना पुनर्गठन के संदर्भ में प्रारम्भ किया।

**136. सामाजिक आकलन, जनजातीय विकास योजना, जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना** झारखण्ड के परियोजना क्षेत्रों में जनजातियों की उपस्थिति को स्वीकारते हुए और यह मानते हुए कि वे नीति में दी गयी सूची के अनुसार मूलनिवासी होने के गुणों को संतृप्त करते हैं, प्रबन्धन ने परियोजना नीति (OP/BP 4.10) को प्रारम्भ किया। जबकि झारखण्ड राज्य के चार राज्यों के सभी परियोजना वाले जिलों की सम्पूर्ण जनजाति/आदिवासी आबादी को मूलनिवासी नहीं माना जाता है।<sup>193</sup> इस रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए दोनों ही जनजातीय लोगों और मूलनिवासियों का एक दूसरे के बदले उपयोग किया जाता है।

**137.** PAD कहता है 6 जिलों में से 4 जिले जहाँ परियोजना का क्रियान्वयन होगा वे जनजातीय जिले हैं - अनुसूचित जनजातीय लोगों का घर - जहाँ पर विशेष संवैधानिक संरक्षण लागू होता है। इसीलिए 2013 में झारखण्ड राज्य में परियोजना की तैयारी के समय सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (SMF) के साथ-साथ सामाजिक आकलन (SA), और जनजातीय विकास योजना (TDP) के मसौदे भी तैयार किये गये। एक जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना (TDIP) को अगस्त, 2018 में अनुमोदन मिला। इस सभी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति की उपस्थिति को, परियोजना क्षेत्र में विशेष गुणों के साथ मुख्य धारा से अलग हटकर स्वीकार किया गया है, और विशेषतया **संथाल** और **हो** जनजातियों को।

**138.** अप्रैल 2013 के सामाजिक प्रबन्धन फ्रेमवर्क (SMF) - को चार परियोजना राज्यों में आयोजित सामाजिक आकलन के संश्लेषण के आधार पर बनाया गया - नीति, संस्थागत व्यवस्थाओं और कार्यान्वयन प्रणाली को दिशा प्रदान करता है। यह स्वयं को, सामाजिक मुद्दों और जोखिमों को दूर करने के लिए विकसित किये गये हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन, उनकी निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक उपकरण (Tool) के रूप में प्रस्तुत करता है।<sup>194</sup>

**139.** सामाजिक आकलन, झारखण्ड राज्य के सामाजिक-जनसांख्यिकीय और संदर्भ का एक सामान्य सिंहावलोकन प्रदान करता है। यह प्रयोज्यविधि संरचना के साथ-साथ वर्तमान की क्षमता और प्रशिक्षण सम्बंधित आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है। यह जन-जागरण की प्रक्रियाओं, लैंगिक व्यवस्था को मुख्यधारा में लाने, निर्माण सुविधाओं, जनसहभागिता जैसे घटकों को परियोजना जनपदों में दिशा देने के एक क्षमता-वर्धन योजना को प्रस्तुत करता है।<sup>195</sup> यह व्यवहार परिवर्तन के लिए एक सूचना शिक्षा और संचार (IEC) अभियान को भी प्रस्तुत करता है। सामाजिक आकलन बताता है कि परियोजना लाभार्थियों का विवरण बड़ा ही असमान (Heterogeneous) है, जिसमें जनजातीय गैर-जनजातीय, नस्ल, लिंग, भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ, विभिन्न आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के आधार पर

अनेकों उप-समूह समाहित हैं। यह सामाजिक आकलन झारखण्ड राज्य में बड़ी जनजातीयजनसँख्या की पहचान करते हुए और बताता है कि झारखण्डके 6 परियोजना जिलों में 15 से 73 प्रतिशत आबादी विभिन्न जनजातीय समूहों की है , जिनमें विशिष्ट पहचान , विविध धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं और विभिन्न भाषाओं और त्योहारों के मानने वाले लोग हैं।<sup>196</sup>

**140.** सामाजिक आकलनमें बताया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के छः जनपदों में चार अलग-अलग प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा. आकलन यह भी सूचीबद्ध करता है कि विभिन्न जिलों में प्रत्येक प्रकार की कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी , लेकिन विशिष्ट योजनाओं और उनके स्थलों की पहचान नहीं की जाती है. <sup>197</sup> सामाजिक आकलन लिंग, साक्षरता दर और ग्रामीण जनसँख्या के साथ में जनपद स्तरीय सांख्यिकीय आंकड़ों को भी प्रस्तुत करता है. इसमें सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के साथ में आर्थिक गतिविधियों, झारखण्ड की 30 ग्रामपंचायतों, 60 गावों और 960 घरों में किये गये सर्वेक्षण के आधार ज़मीन, परिसंपत्तियों और जल एवं स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच और समूह-केन्द्रित अध्ययन वाली सूचनाएँ भी शामिल हैं. <sup>198</sup> यह सामाजिक आकलन झारखण्ड में संस्कृति, धर्म और भाषाओं<sup>199</sup> के साथ-साथ प्रमुख मेलों और त्योहारों का भी अवलोकन प्रस्तुत करता है. पैनल नोट करता है कि सामाजिक आकलन (SA) झारखण्ड के कुछ विशिष्ट जनपदों की सामान्यजनसांख्यिकीय सूचनाएँ देता है, क्षमतावर्धन और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अभियान के लिये एक महत्वपूर्ण दिशा देता है, यह एक संरचना-सम्बंधित दास्तावेज़ (framework document) जैसा दिखता है जो न तो परियोजना गतिविधियों से सीधे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और न ही उन पर पड़ने वाले प्रभावोंको चिन्हित करता है. और आगे भी इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनैतिक गुण-धर्मों अथवा विभिन्न जनजातियों द्वारा परम्परागत ज़मीन के उपयोग के अभ्यासों से सम्बंधित विस्तृत विश्लेषण और दिशा-निर्देशों का, अभाव है. पर्यवेक्षण-अभिलेख इस बात कि पुष्टि करते हैं कि परियोजना क्षेत्र में किन्ही भी बेसलाइन सूचनाओं को एकत्र नहीं किया गया था, "इस तथ्य के बावजूद कि झारखण्ड में परियोजना को शुरू हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं और 62 लघु-ग्राम योजनाये (SVSSs) प्रारम्भ हो चुकी हैं. "<sup>200</sup> यह अभिलेख (दस्तावेज़) विशेष रूप से उल्लेख करता है कि - एक उचित बेसलाइन अध्ययन के अभाव में - जनजातीय जनसँख्या के सम्मिलन का आंकड़ा 2017 तक नहीं था.<sup>201</sup>

**141.** पैनल नोट करता है कि न तो सामाजिक आकलन (SA) और न ही सामाजिक प्रबन्धन फ्रेमवर्क(SMF) को स्थल-विशिष्ट सामाजिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है , लेकिन दोनों ही उपकरणों ने एक जनजातीय विकास योजना(Tribal Development Plan) को संस्तुति दी हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि जनजातीय जनसँख्या को परियोजना के लाभ देने में शामिल किया गया है.जनजातीय विकास योजना(TDP)झारखण्ड राज्य के सामाजिक आकलन (SA)के मुख्य निष्कर्षों का संक्षेप करता है, प्रयोज्यराष्ट्रीय विधि ढांचेका विश्लेषण करता है और एक रूपरेखा प्रदान करता है कि कैसे जनजातीय लोगों को परियोजना में भाग लेना चाहिए और इसके लाभों का हिस्सा होना चाहिए.

<sup>194</sup> Social Management Framework, April 2013, p. 5.

<sup>195</sup> Social Assessment, Capacity Building and Communication, Framework for the Rural Water Supply & Sanitation Project in Jharkhand, pp. 8, 20 and 69-78.

<sup>196</sup> Ibid., p.7.

<sup>197</sup> Social Assessment, Capacity Building and Communication, Framework for the Rural Water Supply & Sanitation Project in

**142.** जनजातीय विकास योजना(TDP)दिखाती है कि जितनी भी बस्तियाँ/रिहाइशों को सामाजिक आकलन (SA) के नमूनों में शामिल किया गया है उनमें जनजातीय और गैर-जनजातीय दोनों ही समुदाय सम्मिलित हैं.<sup>202</sup> इसमें झारखण्ड राज्यके पांच प्रतिदर्श जिलों के लिए सामान्य , आधारभूत (Baseline) सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी है , जिनमें से चार मुख्य रूप से जनजातीय जिले हैं , और स्पष्ट करते हैं कि " बेसलाइन सूचना चर्चा,प्रतिदर्श जिलों में स्थिति के सामान्य आकलन तक ही सीमित है. "<sup>203</sup> इन आंकड़ों में,स्वास्थ्य और मूलभूत सेवाओं जैसे बिजली, पानी और स्वच्छता तक पहुँच की जानकारियाँ हैं लेकिन इनका जनजातीय और गैर-जनजातीय विभाजन नहीं है. साथ में TDP शिक्षा, पोषण, मृत्यु और गरीबी के संकेतकों का अनुसूचित जनजातियों से संबंधित राज्य-स्तरीय आंकड़ा प्रस्तुत करती है. <sup>204</sup>विभिन्न जनजातियों के धार्मिक, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में बिना भेद किये, यह TDP राज्य में जनजातियों की भाषा, धर्म, और संस्कृति से सम्बंधित सीमित सूचनाएँ देता है. यह TDP नियोजित लघु-ग्राम और बहु-ग्राम विकास योजनाओं की संख्या तो देता है लेकिन उनके स्थलों की जानकारी नहीं देता है. पैनल पाता है कि TDP में इस बात के सामान्य प्रावधान हैं कि मूलनिवासियों को परियोजना में किस तरह से भाग लेना चाहिए लेकिन ये विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग विशिष्ट नहीं हैं और न ही सीधे प्रभावित होने वाले समुदायों की वास्तविकता को लक्षित करते हैं.

**143.** हालांकि "TDP के अंतिम मसौदे" का प्रकटन 2013 में किया गया था , लेकिन बैंक के संज्ञान सहयोगियों (यादनामा ये ज्ञापन भी हो सकते हैं) ने लगातार उल्लेख किया कि वर्ष 2015 के अंत तक TDP को अंतिम रूप नहीं दिया गया था. ऐसे ही एक नवंबर 2015 के सहयोगी संज्ञान में कहा गया है कि "असम और झारखंड के लिए एक जनजाति विकास योजना का मसौदा तैयार किया गया है. लेकिन स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम रूप दिये जाने की आवश्यकता है. अंतिम संस्करण को परियोजना की वेब साइट पर भी अपलोड करने की आवश्यकता है. क्षेत्र कर्मियोंका TDP पर उन्मुखीकरणकरते हुए योजना को संचालित करने की आवश्यकता है. <sup>206</sup> वर्ष2016 की सामाजिक अनुपालन समीक्षा पहली बार यह पुष्टि करती है कि परियोजना को अनुमोदन दिए जाने के दो साल से अधिक समय के बाद राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई (SPMU) द्वारा TDP तैयार किया गया.<sup>207</sup> हालाँकि, पैनल ने कोई सबूत नहीं देखा है कि TDP को अंतिम रूप दिया गया था या काकोई एक संस्करण-वर्ष 2013 के मसौदे के अलावा - तैयार किया गया था.

<sup>199</sup> Ibid., pp. 28 and 30.

<sup>200</sup> Aide memoire – Sixth Implementation Support Mission, February 6-17, 2017, Annex 3, p. 28, para 7.

<sup>201</sup> Ibid.

<sup>202</sup> Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 11.

<sup>203</sup> Ibid., p. 37, para 4.1.

<sup>204</sup> Ibid., pp. 25-27.

<sup>205</sup> Ibid, p. 19.

<sup>206</sup> Aide memoire – Fourth Implementation Support Mission, November 16- 30, 2015, p. 15, para 48.

<sup>207</sup> Compliance Review of Social Safeguards and Social Development Issues, August 2016, p. 29.

144. परियोजना ने वर्ष 2014 में जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना (TDIP) को जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के चुनाव, उनकी संरचना विकसित करने और उसको शासित करने के दिशा-निर्देशों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित करना शुरू किया. ये TDIP परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन और निर्णय प्रक्रिया में जनजातियों की भागीदारी की गारंटी तय करते हुए बिना उनकी संस्कृति, आत्मसम्मान या उनकी विरासत से कोई समझौते किये हुए, उनके विकास को सुनिश्चित करता है.<sup>208</sup> स्थल-विशिष्ट TDP देने के बजाय TDIP, वर्ष 2013 बनाये गये TDP का अद्यतन करते हुए उसमें सुधार करता है और उसके संचालन के लिए दिशा-निर्देश देता है. एक TDIP में विशिष्ट योजनाओं की कोई जानकारी नहीं होती जो परियोजना के अन्तर्गत वित्त-पोषित होती है, या फिर वे सूचनाएँ जो जनजातियों के समुदायों की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक व्यवस्था से जुड़ी होती हैं और जो MVSSs, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के परम्परागत प्रयोग से सीधे-सीधे प्रभावित हो सकती हैं.



फोटो 4: गिद्धीझोपरी के समीप, बागबेरा का जल उपचार संयंत्र (Water Treatment Plan)

145. पैनल नोट करता है कि झारखण्ड में TDIP को दो MVSSs का निर्माण शुरू हो जाने के दो वर्ष बाद, अगस्त 2018 में अनुमोदित किया गया था. अभिलेख स्वयं स्वीकारता है, “बैंच 1 की योजना [यें]...[हैं] पूरी होने की कगार पे हैं और इन योजनाओं में जनजातियों के घरों के आच्छादन पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया गया है.”<sup>209</sup>

<sup>208</sup>Tribal Development Implementation Plan for ‘Neer Nirmal Pariyojna’(RWSSP-LIS), July 2018, p. 7, Section 1.4.

<sup>209</sup> Ibid., p. 8, Section 2.2.

**146.** OP 4.10 के लिये आवश्यक है, यदि मूलनिवासी नियोजन फ्रेमवर्क(IPPF)में पहचानी जाने वाली विशिष्ट उप-परियोजना का अनुवीक्षण ये दिखाता है कि उप-परियोजना के क्षेत्र में मूलनिवासी उपस्थित हैं, इससे पहले कि उप-परियोजना को लागू किया जाय एक सामाजिक आकलन किया जाता है और नीति के अनुसार एक मूलनिवासी नियोजन (IPP) तैयार किया जाता है।<sup>210</sup> पैनल नोट करता है कि परियोजना ने SA और TDP को झारखण्ड राज्य के लिए संरचना-दस्तावेजों के रूप में तैयार किया है। इसके बावजूद , परियोजना ने काम प्रारम्भ करने से पहले बागबेरा और छोटागोविंदपुर MVSs से पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने के उपायों के साथ प्रभावित जनजातियों या TDPs का कोई स्थल-विशिष्ट सामाजिक आकलन नहीं किया गया। माह अगस्त 2016 से सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपालन समीक्षा में इसके प्रस्तावित शमन उपायों में समाहित हैं, " TDP गतिविधियों के लिए एक अलग धनराशि के साथ प्रत्येक जनजाति उप-योजना के लिए एक जनजाति विकास योजना (TDP) को तैयार करना विकास।"<sup>211</sup> माह अगस्त 2017 के सहयोगी-संज्ञान/यादनामा (Aide Memoire) में इस बात का स्वीकरण है कि " एक जनजाति विकास विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में, कोई जनजातीय योजनाएँ नहीं बनाई गई हैं और न ही योजना स्तर के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs) में प्रासंगिक प्रावधान समाहित किए गए हैं।"<sup>212</sup>

**147.** प्रबन्धन अपनी प्रतिक्रिया में स्वीकार करता है कि, "मूल निवासियों की नीति OP 4.10 परियोजना के लिए लागू होती है और एक जनजातीय विकास संरचना (TDF) का निर्माण, नीतियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किये जाने का था। फिर भी TDP को बनाने के लिए कोई भी योजना-विशिष्ट सामाजिक आकलन नहीं किया गया।"<sup>213</sup> पैनल नोट करता है कि , परिणाम स्वरूप उप-परियोजनाएं, जनजातियों के प्रथागत ज़मीन के प्रयोग और ज़मीनों और प्राकृतिक संसाधनों से उनके जुड़ाव जो कि बागबेरा WTP और पुरानीबस्ती के ESR से प्रभावित हुई थे, से सूचित थी और इन प्रभावों के शमन हेतु कोई उपाय भी नहीं किये गये थे।

**148.** पैनल नोट करता है कि झारखण्ड राज्य के लिए एक सामाजिक आकलन और जनजातीय विकास योजना तैयार की गई थी। पैनल के विचार में , एक स्थल-विशिष्ट सामाजिक आकलन अनुपस्थित है - जो प्रभावित जनजातीय समुदायों की विशेषताओं और उन पर पड़ने प्रभावों का विश्लेषण करता है - और शमन और परामर्श के उपायों को विस्तृत करता है, एक मसौदा TDP, एक संरचना-दस्तावेज़ के जैसा होता है जैसा IPPF जो कि मूलनिवासियों की बैंक नीति(OP/ BP 4.10) के अनुरूप है।

**149.** पैनल पाता है कि यद्यपि बागबेरा जल उपचार संयंत्र (WTP) और पुरानीबस्ती के पास ऊँचा भंडारण जलाशय (ESR) जनजातीय समुदायों द्वारा प्रथागत रूप से उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं , फिर भी प्रबन्धन स्थल-विशिष्ट जनजाति विकास योजनाओं (TDPs) की तैयारी सुनिश्चित कराने में विफल रहा , जिससे इन स्थलों से सटे जनजातीय समुदायों की संस्कृति , धर्म के साथ-साथ की जीवन-पद्धति में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है और बैंक की मूल निवासियों के लिए बनी नीति (OP/BP 4.10) का गैर-अनुपालन है।

<sup>211</sup> Compliance Review of Social Safeguards and Social Development Issues, August 2016, p. 9.

<sup>212</sup> Aide memoire – Seventh Implementation Support Mission, July 17-August 4, 2017, Annex 3, p. 29, para 30.

<sup>213</sup> Management Response to the first Request for Inspection, Annex 1, p. 21.

## **भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रथागत उपयोग पर प्रभाव**

**150.** परियोजना के डिजाइन में माना गया कि RWSS-LISका मुख्य रूप से जनजातीय लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो कि पाइप द्वारा पानी की बेहतर पहुँच से लाभान्वित होंगे. परियोजना अनुमोदन अभिलेख (Project Approval Document) कहता है कि "प्रस्तावित परियोजना हस्तक्षेपों का जनजातीय समूहों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है".<sup>214</sup> यह प्रमुख रूप से परियोजना के लाभों से जनजातीय अपवर्जन/बहिष्कार (Tribal Exclusion) के जोखिम को स्वीकारता है, क्योंकि अधिकांश जनजातीय समुदाय के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से असहाय हैं और अक्सर उन्हें विकास की पहल से बाहर रखा गया है. इसलिए , PAD बताता है कि सेवाओं का लक्ष्यीकृत होना आवश्यक है और " जनजातीय क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर जनजातीय संस्थानों को सशक्त बनाने के माध्यम से समावेशी, न्यायसंगत और सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं" को बढ़ावा देने के लक्ष्यके साथ एक TDP तैयार किया गया है.<sup>215</sup>

**151.** एक SMF यह कहता है कि " परियोजना अपने हस्तक्षेपों के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों की आशा नहीं करती है." <sup>216</sup> सामाजिक आकलन जनजातीय भूमि , प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथाओं पर किसी भी संभावित विपरीत प्रभाव की पहचान नहीं करता है. जनजातीय समूहों को प्रभावित करने वाले परियोजना के कथित जोखिमों के बीच , यह प्रयोगकर्ता शुल्क के भुगतान में जनजातीय और गैर-जनजातीय समुदायों के बीच के संघर्ष को, ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समीति द्वारा ग्रामीणों और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओंकी अनदेखी करने के साथ-साथ गैर-जनजातीय समुदायों के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को बहिष्कृत करने की संभावनाओं को सूचीबद्ध करता है.<sup>217</sup>

**152.** परियोजना अनुमोदन अभिलेख (PAD) की भांति , जनजाति विकास योजना (TDP) भी अपनी कल्पना में मानती है कि परियोजना ने भूमि और संसाधनों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाला जो कि जनजातीय समुदायों द्वारा प्रथागत रूप से उपयोग किया जाते हैं. पहचाने गए मुख्य जोखिमलाभ से संभव बहिष्करण का कारण "[जनजाति] असहायता और लंबे समय तक हाशिए पर रहने का इतिहास है."<sup>218</sup> पैल नोट करता है कि TDPका मसौदा मुख्य रूप से SVSs की कल्पना करते हुए तैयार किया गया है , जिसमें MVSs की तुलना में कम जोखिम होता है. बागबेरा और छोटगोविंदपुर MVSs में 38 ग्राम पंचायतें और अवस्थापना शामिल हैं , जिसमें WTP , ESR और पाइप नेटवर्क शामिल हैं, इस प्रकार समें अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और जनजातीय समुदायों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पैदा होने की संभावना है.

---

<sup>214</sup>PAD, p. 15.

<sup>215</sup>Ibid.

<sup>216</sup>Social Management Framework, p.5.

<sup>217</sup> Social Assessment, p. 7.

153. वर्ष 2018 का TDIP भी जनजातीय लोगों पर परियोजना प्रभाव का अपर्याप्त आकलन करता है। इसमें वर्णित है कि " प्रस्तावित परियोजना हस्तक्षेपों द्वारा जनजातीय समूहों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।"<sup>220</sup> अभिलेख में संक्षेप में कहा गया है कि " यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी भूमि, सामान्य भूमि, धार्मिक स्थान और जनजातीय संस्कृति और विरासत से जुड़े स्थलों को परियोजना क्रियान्वयनके कारणबाधित न किया जाए " और आगे कहा गया कि "खुदाई और पाइपलाइन को बिछाने में भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई स्थल बाधित न हों"<sup>221</sup> टीडीआईपी का कहना है कि " जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक विरासत जैसे [...] जाहेरस्थान , सासंदिरीआदि सुदृढ़ और सुरक्षित होंगे"<sup>223</sup>

154. पैनल नोट करता है कि चूँकि सकारात्मक प्रभावों की प्रमुखता से कल्पना की गयी थी और कोई भी स्थल-विशिष्ट आकलन प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, जनजातियों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को - दूर किया जा सकता था या उनका शमन किया जा सकता था - छोड़ दिया गया था। ऐसे प्रभावों का विस्तार नीचे/ आगे दिया गया है।

155. **पवित्र कुंजाँ और कब्रगाहों पर पड़ने वाले प्रभाव**. माह दिसम्बर 2018 से लेकर जुलाई 2019 के अपने क्षेत्र भ्रमण के समय, पैनल गिद्धिझोपरी और पुरानीबस्ती के **संथाल** और **हो** जनजाति समुदाय के सदस्यों से मिला। दोनों ही बस्तियों के लोगों ने बताया कि किस महत्वपूर्ण तरह से बागबेरा WTP और पुरानी बस्ती के ESR ने उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रभावित किया है।

156. गिद्धिझोपरी के सदस्यों ने गिद्धिझोपरी की पहाड़ी से अपने जुड़ाव को बताते हुए कहा कि किस तरह से आंतरिक रूप से यह उनकी सांस्कृतिक पहचान और जीवन-पद्धति से नाता रखती है। जबकि प्रबन्धन ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि यह ज़मीन " निर्जन सरकारी भूमि " के रूप में पंजीकृत है, समुदाय के लोगों ने पैनल को बताया कि पहाड़ी का शीर्ष, उनकी विभिन्न सांप्रदायिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक उद्देश्यों से जुड़ी प्रथागत रीति-रिवाजों के लिए प्रयोग होता है।

157. गिद्धिझोपरी के सदस्यों ने पैनल को बताया कि गिद्धिझोपरी के **संथाल** खुंट-कत्तिदार (Khunt-Kattidar) हैं - जो यहाँ के प्रारम्भिक निवासियों के सीधे-सधे वंशज हैं, जिन्होंने इसे साफ़ करके इसको अपना निवास निवास बनाया था। संथालों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने उनकी वर्तमान बस्ती को रीति-रिवाजों के आधार पर चुना था, जिससे यहाँ के निवासियों कि सम्पदा और उनका जीवन आर्थिक रूप से अच्छा हो सके। इसीलिए वे उन भूमियों से ठोस सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों की निरंतरता बनाये रखते हैं, जो पारंपरिक रूप से उनके अधिकार वाली भूमि से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं।

<sup>218</sup>Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 10, para 7.

<sup>219</sup> Management Response to the first Request for Inspection, Executive Summary, p. v.

<sup>220</sup> Tribal Development Implementation Plan for 'Neer Nirmal Pariyojna'(RWSSP-LIS), July 2018, p. 5.

<sup>221</sup>Ibid., p. 19, para 3.

<sup>222</sup>Ibid., p. 13.



फोटो 5: जल उपचार संयंत्र (WTP) की परिधि में आने वाले पवित्र कुञ्ज और पवित्र वृक्ष

158. जैसा कि बताया गया है कि **संथाल** और **हो** अपनी परम्परा के अनुसार जीववादी धर्म **सरना** को मानते हैं.<sup>223</sup> संथालों का विश्वास है कि अलग-अलग प्रकार के कई आध्यात्मिक प्राणी-जिन्हें **बोंगा** कहा जाता है - दुनिया में निवास करते हैं - और वे इन आत्माओं के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते हैं. बोंगा को प्रार्थनाओं के साथ बुराई को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों से अवश्य संतुष्ट किया जा सकता है. संथाल गाँव की एक खासियत है एक पवित्र कुञ्ज - **जाहेर (Jaheer) का होना** - जो बस्ती के एक छोर पर स्थित होता है. यह स्थल आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है, और यहाँ गाँव के पुजारी, **नएकी (Naeki)**, प्रमुख संथाल देवताओं को समय-समय पर बलि देते हैं. <sup>224</sup> एक गाँव को बसाने से पहले सबसे पहला काम होता है पवित्र स्थान का चयन और बोंगा को बलिदान देना. यदि अनुमानों/अटकलों से संकेत मिलते हैं कि बोंगा ने प्रसाद को स्वीकार कर लिया है तो माना जाता है कि बोंगा स्थान के चयन से प्रसन्न हैं, तो गाँव की स्थापना की जाती है. पवित्र कुञ्ज में **साल के पेड़ों** को देवताओं के निवास के रूप में चुना जाता है. इन्हीं पेड़ों के नीचे रीति-रिवाजों के अनुष्ठान संपन्न किये जाते हैं और मना जाता है कि **बोंगा** यहीं पर प्रकट होकर अपने दर्शन देंगे.<sup>225</sup> इन्हीं पेड़ों की शाखाओं को लोग अपने घरों के आंगन में अनुष्ठानपूर्वक लगाते हैं. प्रकृति की उपासना, सभी जनजातियों की संस्कृति और उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है. ये पवित्र कुञ्ज फसलों के त्योहारों, वैवाहिक अनुष्ठानों, और जन्म के रीति-रिवाजों के आयोजनों के गवाह बनते हैं.<sup>226</sup>

159. गिद्दीझोपरी की पैनल की यात्रा के समय, जनजातीय समुदाय के सदस्यों ने पुष्टि की कि संथालों की जीवन-पद्धति धर्म, संस्कृति और आत्माओं की पूजा पर केन्द्रित है. पैनल की टीम को जाहेर दिखाया गया जहाँ **साल का वृक्ष** है वह WTP की सीमा की दीवार के पास में स्थित है. पैनल समझता है कि साल के पेड़ के फूलों का उपयोग वैवाहिक समारोहों में किया जाता है. समुदाय के सदस्य इस बात को मानते हैं कि ठेकेदार ने उनकी पहुँच पेड़ तक बनाये रखने के लिए अहाते की

दीवार को परिवर्तित कर दिया था. ठेकेदार और समुदाय के लोगों ने पैनल को बताया कि लोगों के सांस्कृतिक विश्वास को देखते हुए मात्र एक यही परिवर्तन था जो WTP की डिज़ाइन में किया गया. यद्यपि समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया कि WTP का निर्माण उनके पवित्र कुञ्ज में किया गया है जहाँ पर वे अपनी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं और अध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं. पैनल को दिखाया गया कि उनके पवित्र कुञ्ज के क्षेत्र को कितना सीमित कर दिया गया है और इसका अधिकांश भाग अब WTP के आहाते के अन्दर है. पैनल WTP के दृश्य प्रभाव का संज्ञान लेते हुए WTP के कब्रगाह में स्थित होने की सांस्कृतिक अनुपयुक्तता को नोट करता है, जबकि स्थल पर अभी भी कुछ भूमि उपलब्ध है.



फोटो 6: WTP के आहाते को छूता हुआ समुदाय के सदस्यों का पवित्र पेंड.

**160.** समुदाय ने पैनल को बताया कि संथाल यदि वहन कर सकते हैं तो वे अपने मृतकों का अंतिमसंस्कार करना पसंद करते हैं और अवशेषों को दफन कर देते हैं. शरीर या अवशेषों को पवित्र कुञ्ज के आस-पास दफन किया जाता है और मृतकों को गरिमा देने लिए सामान्यतया स्मारक-पत्थर पर वहां रखे जाते हैं. गिददीझोपरी समुदाय के सदस्यों ने पैनल को पूर्वजों की कब्रों को दिखाया और कहा कि पहाड़ी को पीढ़ियों से कब्रगाह के रूप में इस्तेमाल जाता रहा है. समुदाय के एक सदस्य ने पैनल टीम को दिखाया, जहां कुछ रिश्तेदारों को WTP परिधि के अंदर ही दफनाया गया था, जबकि परिवार के अन्य पूर्वजों की कब्रें आहाते के बाहर थीं जिनको स्मारक-पत्थरों से चिन्हित भी किया गया था. पैनल ने पाया कि समुदाय कि प्रथाओं में स्मारक-पत्थरों से चिन्हित वाली कब्रें और बिना स्मारक-पत्थरों से चिन्हित वाली कब्रें दोनों ही शामिल हैं. पैनल ने यह भी पाया कि तलहटी में दो समाधिस्मारक हैं जिनको समुदाय के सदस्यों ने उनके दो लोगों की मृत्यु के पश्चात् 1987 में

223 "Sarna" also translates as those who are "non-converted to other religion" (Hinduism, Christianity, etc.).

224 Kochar, V. K. "Village Deities of the Santal and Associated Rituals." *Anthropos* 61, no. 1/2 (1966): 241-57. Available at: [www.istor.org/stable/40458237](http://www.istor.org/stable/40458237).

225 Social Assessment, Capacity Building and Communication, Framework for the Rural Water Supply & Sanitation Project in Jharkhand, p. 28.

226 Chakraborty, Parikshit. (2019). *Socio-Cultural Aspects of Sacred Grove: The Study in a Santal Village*, pp. 51-52.

बनवाया था, इसका सीधा अर्थ है कि इस ज़मीन को पिछले 30 सालों से कब्रगाह के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है. समुदाय के लोगों ने बताया कि WTP के निर्माण ने उनकी पूर्वजों की आत्माओं को दुःख पहुँचाया है, वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि इन परिस्थितियों में वे उनको, अपनी प्रार्थनाओं और अर्पित वस्तुओं से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे. निश्चय ही पैनल से बात करने वालों का यह एक महत्वपूर्ण और भावुक कर देने वाला मुद्दा था.



फोटो 7: वर्ष 1987 में तलहटी में बनाये गये दो समाधिस्मारक

**161.** पुरानीबस्ती के निकट स्थित ESR स्थल का भी भ्रमण पैनल ने किया और **संथाल और हो** समुदाय के सदस्यों से मिला. **हो** समुदाय के लोग संथालों की भाँति ही विभिन्न आत्माओं की पूजा करते हैं और उन्हें **बोंगा** ही कहकर बुलाते हैं, जो पास के जंगलों और पहाड़ियों में निवास करते हुए माने जाते हैं. वे **सिंहबोंगा (Singhbonga)**की पूजा करते हैं - जो सूर्य भगवान हैं - जो सबसे प्रभावशाली देवता है और वर्षा, फसल, और जीवन के लिए अन्य ज़रूरी अवयवों के लिए ज़िम्मेदार हैं.<sup>227</sup> वे पूर्वजों की पूजा में विश्वास करते हैं, दयालु आत्माओं से आशीर्वाद लेते हैं और पुरुषवादी आत्माओं की शत्रुता को प्रसन्न करते हैं.

**162.** **हो** समुदाय के लोग भी अपने मृतकों को अंतिम संस्कार कर दफन करते हैं. विदा हुए व्यक्ति कि आत्मा को ईश्वर के जैसा माना जाता है, जो उसी क्षेत्र में रहते हुए परिवार के कल्याण का कार्य करती है, इसीलिये परिवार के अन्य मृत सदस्यों के अवशेषों ये लोग अपनी बस्ती या रिहाइश के आस-पास की क्षेत्र में ही दफनाते हैं भले ही उनका अंतिम संस्कार हुआ हो या फिर न हुआ हो.<sup>228</sup> प्रत्येक गोत्र का एक अलग अंतिम संस्कार स्थल या उनकी कब्रगाह, उनकी घरों के आस-पास ही होता है.

<sup>227</sup> Mohanta, Basanta Kumar. (2015). Living Megalithic Culture of the Ho Tribe of Eastern India, p.242.

<sup>228</sup> Ibid., p. 244.

कुछ हो परिवार अपने मृतकों को अपने ही परिसरों में दफना देते हैं. हो समुदाय के लोग दफन के लिए जो गड्ढे खोदते हैं वो उत्तर-दक्षिण दिशा के अनुकूल होते हैं. अंतिम संस्कार किये हुए अवशेषों का संकलन एक समारोह में किया जाता है जिनको एक सुसज्जित पात्र में रखकर दफना दिया जाता है. कब्र या मृत अवशेषों को ढकने के लिए हो समुदाय के लोग उसके ऊपर एक स्मारक पत्थर रखते हैं जिसे ससंधिरी (Sasandhiri) कहते हैं, और यह अनुष्ठान मृत व्यक्ति की अंतिम शुद्धि का प्रतीक होता है. हो समाज में दफन-स्थल पर स्मारक-पत्थर रखना अनिवार्य होता है. आदरणीय व्यक्तियों के लिए गाँव में एक सार्वजनिक स्थान पर अलग से एक स्मारक-पत्थर रखा जाता है.<sup>229</sup> इन स्मारक-पत्थरों का आकार मृतक के परिवार कि सामाजिक-प्रस्थिति और आर्थिक-स्थिति के अलावा पास की पहाड़ियों या जंगलों में पत्थरों की उपलब्धता पे भी निर्भर करता है.

**163.** समूह केन्द्रित चर्चा (FGD) के दौरान हो समुदाय के सदस्यों ने पैनल टीम को अपनी धनी अध्यात्मिक परम्पराओं के साथ अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को भी बताया. उन्होंने बताया कि जो ESR उनकी बस्ती/रिहाइश के पास, उनके शहीदस्थल पर बनाया गया था, जो कि उनके समुदाय और झारखण्ड राज्य के लिए महत्वपूर्ण है. पैनल ने पाया कि वर्ष में एकबार उस स्थलपर उन तीन शहीदों को याद करते हुए उनके सम्मान में, समुदाय द्वारा शहीद-दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने झारखण्ड राज्य को स्थापित करने के लिए उस समय हुए राजनैतिक संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी थी.



फोटो 8: कब्रगाह में बने हुए शहीद-स्मारक, पुरानी बस्ती वाले ESR का स्थल.  
(ये चित्र अनुरोधकर्ताओं द्वारा दिए गये हैं.)

<sup>229</sup> Ibid., pp. 248-249.

**164.** एक शहीद के रिश्तेदार ने पैनल टीम को बताया कि उसके भाई सहित उसके दो साथी कामरेडों का अंतिम संस्कार जमशेदपुर में हुआ था और उसके बाद उनके अवशेषों को पुरानी बस्ती वाले ESR वाले स्थल में दफनाया गया था. रिश्तेदार के अनुसार स्मारक-पत्थरों को उनके दफन-स्थल पर लगाया गया. समुदाय के सदस्यों के अनुसार निर्माण के समय ये स्मारक-पत्थरों को नष्ट कर दिया गया और अब यह शहीद स्थल उनकी पहुँच से बाहर है. रिश्तेदार ने अपने पूर्वज के अंतिम विश्राम स्थल की रक्षा न कर पाने और उनका अपमान होने के कारण, जिसकी आत्मा बेचैन हो अब इधर-उधर घूमती है पर अपना क्रोध व्यक्त किया. यह विचार जनजातीय नेताओं द्वारा रखा गया.

**165.** समुदाय के सदस्यों ने पैनल को बताया कि शहीदों को सम्मान देने के लिए ठेकेदार के द्वारा बनाए गए छाती के ऊपर के तीन हिस्से सांस्कृतिक रूप से अनुचित हैं , क्योंकि वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं और मृतक के लिए बनाये गये छाती-स्तंभों में विश्वास नहीं करते हैं. हालाँकि ठेकेदार ने पैनल को बताया कि उन्होंने यह सब मुद्दे को हल करने के लिए एक अच्छे विश्वास में किया और समुदाय के लोगों ने खुलेतौर पर इन अर्ध मूर्तियों को लगाने को कहा था, जबकि समुदाय का कहना है इस सम्बन्ध में उनसे कोई परामर्श नहीं किया गया था.

**166.** पैनल ने नोट किया कि सामाजिक आकलन (SA) और जनजातीय विकास योजना (TDP) स्वीकार करते हैं कि झारखण्ड में अनुसूचित जनजातियों का एक अलग धर्म और सांस्कृतिक पहचान है. अभिलेख/दस्तावेज़ यह कहता है कि जीववादी *सरना* धर्म - अधिप्राकृतिक शक्तियों में मज़बूत विश्वास के साथ - झारखण्ड राज्य में अभ्यास में लाया जाता है. सामाजिक आकलन (SA) और जनजातीय विकास योजना (TDP) में वर्णित है कि "[उ]नका जीवन बहुत ही समीप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है क्योंकि उनकी आजीविका का निर्वहन प्राकृतिक पर्यावरण - निर्मल धाराओं, पेंड, पौधों, पशुओं आदि पर निर्भर है."<sup>230</sup> SA कहता है कि जनजातीय समुदाय ये मानते हैं कि वे अपने पूर्वजों की आत्माओं के साथ रह रहे हैं और सब कुछ उन्हीं के साथ कर रहे हैं. SA स्वीकार करता है कि साल वृक्षों (जिसे *जाहेर* भी कहा जाता है) के नीचे रीति-रिवाज़ निभाए जाते हैं , और जहां माना जाता है कि *बाँगा* को खुद को प्रकट करते हैं.<sup>231</sup>

यद्यपि SA और TDP में संक्षेप में उल्लिखित है कि जनजातियों में अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, फिर भी ये *संथाल* और *हो* की सांस्कृतिक समृद्धि की थाह लेने में विफल रहे हैं. अभिलेखों में विस्तार से नहीं बताया गया है कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं क्या हैं और *संथाल* और *हो* दोनों की प्रथाओं में कोई अंतर नहीं है. स्थल-विशिष्ट सामाजिक आकलन और प्रभावों के विश्लेषण की अनुपस्थिति, बागबेरा WTP और पुरानी बस्ती के ESR स्थलों की चयनकर्ता डिज़ाइन/संरचना में इन सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को स्थान न दिया जाना, इन सब ने परिणामस्वरूप जनजातीय जीवन पद्धति को बड़ा नुकसान पहुँचाया है.

<sup>230</sup>Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, Executive Summary, p. 7. and Social Assessment, Capacity Building and Communication, Framework for the Rural Water Supply & Sanitation Project in Jharkhand, p. 12.

<sup>231</sup>Social Assessment, Capacity Building and Communication, Framework for the Rural Water Supply & Sanitation Project in Jharkhand, p.28.

**167. सांस्कृतिक त्योहारों पर प्रभाव.** समुदाय के लोगों ने जोर देते हुए बताया कि बागबेरा के WTP निर्माण ने **संथालों** के एक निश्चित समय पर होने वाले रीति-रिवाजों और सामुदायिक तीज-त्योहारों को बुरी तरह से बाधित किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि गिद्धिझोपरी की पहाड़ी पर होने वाले त्योहार आस-पड़ोस के अन्य संथालों के साथ सामाजिक-संबंधों को तारो-ताजा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इस तरह के सामाजिक सम्बन्ध दूसरे अन्य गोत्रों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में अच्छी भूमिका निभाते हैं.

**168.** पुरानी बस्ती में पैनल टीम ने समुदाय के सदस्यों से सुना कि *गोता पूजा* जैसे वार्षिक आयोजन और *जाहेर डूंगरी* - बलि से सम्बंधित समारोह, हर पाँच वर्ष की अवधि में ESR वाले स्थल पर अयोजित किये जाते हैं. पैनल ने नोट किया कि इस स्थल की सांस्कृतिक महत्ता के कारण अन्य समुदायों के लोग भी इन आयोजनों में भाग लेने के लिए यात्रा कर यहाँ आते हैं. टीम ने पाया कि *गोता पूजा* के समय समुदाय के लोग ज़मीन पर एक अंडा रख देते हैं और जानवरों के झुंडों को खोल दिया जाता है, और जिस व्यक्ति की गाय सबसे पहले उस अंडे को सबसे पहले फोड़ देती है, वह आने वाली फसल के लिए अच्छे भाग्य का पुरुस्कार जीत जाता है.

**169.** समुदाय के लोग इस बात से चिंतित थे कि वे इन त्योहारों के समय अपने पशुओं को कहाँ रखेंगे क्योंकि पुरानी बस्ती के पास वाली स्थल पर ESR निर्माण के कारण बहुत ही कम जगह बची है. उन्होंने यह भी बताया कि ESR के कारण उनके वार्षिक आयोजनों के लिए, जैसे सॉकर टूर्नामेंट आदि के लिए भी कम ज़मीन बची है. यद्यपि टीम ने अनुरोधकर्ताओं द्वारा दिए गये फोटोग्राफ्स के आधार पर पाया कि उनकी ज़मीनों के क्षेत्रफल कम हो गये हैं, फिर भी पैनल ने अपने प्रेक्षण में पाया कि उनके पास अभी भी काफी ज़मीन उपलब्ध है जिसमें वे अपनी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं.

**170.** पैनल समझता है कि, जबकि सामाजिक आकलन इस बात को स्वीकार करता है कि अनुसूचित जनजातियाँ अलग-अलग त्योहार को मनाती हैं और उनकी एक सूची प्रदान करता है, फिर भी यह उनके न तो महत्व को या परंपराओं को बताता है या यह भी नहीं बताता कि जनजातियों के तीज-त्योहार परियोजना से कैसे प्रभावित हो सकते हैं. जनजातीय विकास योजना में सांस्कृतिक त्योहारों और प्रथाओं और क्या यह सांस्कृतिक विरासत उनकी पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, के बारे में कोई सूचनाएँ नहीं हैं. सांस्कृतिक उत्सवों पर प्रभाव को दूर करने के लिए कोई उपाय प्रस्तावित नहीं किये गये थे, ऐसे आकलन अनुपस्थित हैं.

**171. प्राकृतिक संसाधनों के सांस्कृतिक प्रयोग पर प्रभाव.** अपने भ्रमण के समय पैनल ने पाया कि बागबेरा WTP के कारण गिद्धिझोपरी की पहाड़ी पर बकरियों के चारागाह का आकार कम हो गया है, और जैसा कि पहली प्रबन्धन प्रतिक्रिया में बताया गया था कि अभी भी चारागाह के लिए वहाँ पर्याप्त ज़मीन है. पैनल इस बात को समझता है कि ज्यादातर जनजातीय समुदाय के लोग दैनिक मजदूर की तरह काम करते हैं और बकरियाँ उनको बहुमूल्य भरण-पोषण और एक पूरक आय प्रदान करती हैं. पैनल ने यह भी पाया कि इस चरने की प्रक्रिया (Grazing) पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कोई आकलन परियोजना अभिलेखों/दस्तावेजों में नहीं है.



फोटो 9: बागबेरा WTP पहाड़ी पर चरती हुई बकरियाँ

172. पैनल ने अपने प्रेक्षण में यह भी पाया कि गिद्धिझोपरी पहाड़ी पर अनेकों परम्परागत औषधियों वाली जड़ी-बूटियों के पौधे भी उगाये जाते हैं और समुदाय के सदस्यों के अनुसार जिनका उपयोग सिरदर्द, गर्भावस्था की व्याधियों, ठंड और मच्छरों के काटने के उपचार के लिए किया जाता है। पैनल पाता है कि बागबेरा WTP के निर्माण के कारण जड़ी-बूटियों के पौधे उगाये जाने वाली जगह कम हो गयी है इसलिए इनकी आपूर्ति भी कम हो गयी है।



फोटो 10: बागबेरा WTP की पहाड़ी पर उगी हुई झाड़ी जिसका प्रयोग परम्परागत औषधि हेतु किया जाता है

173. पैनल ने लाल मिट्टी को देखा जिसका प्रयोग **संथाल** लोग अपने घरों की दीवारों के सौन्दर्यीकरण के लिए करते हैं और फर्श को विसंक्रमित करने के लिए करते हैं। समुदाय के लोगों ने

पैनल को बताया कि गिद्धिझोपरी पहाड़ी ही सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण लाल मिट्टी का एकमात्र स्रोत हुआ करती थी जिसको कि गिद्धिझोपरी की जनजातियाँ और आस-पास की पाँच रिहाईशों/बस्तियों के लोग खनन करके निकालते थे. पैनल ने पाया कि बागबेरा WTP की परिधि पहाड़ी के शीर्ष तक लाल मिट्टी की पहुँच को सीमित कर देती है. प्रबन्धन की पहली प्रतिक्रिया बताती है कि ठेकेदार लाल मिट्टी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.<sup>232</sup> फिर भी न तो ठेकेदार और न ही समुदाय के लोग इस प्रकार की व्यवस्था से परिचित थे, और पैनल ने न ही ऐसा कोई प्रमाण पाया जिससे यह साबित हो कि स्थानीय लोगों को लाल मिट्टी उपलब्ध करायी गयी हो. ठेकेदार ने पैनल टीम को बताया कि जो भी सामग्री खदान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी उसका स्वामित्व उत्खनन-मंत्रालय (Ministry of Mines) के पास है, और ये ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम की जाएगी.

<sup>232</sup> Management Response to first Request for Inspection, Annex 1, p. 3.



फोटो 11: लाल मिट्टी से सुसज्जित संथाल घर कि दीवारें

174. पैनल नोट करता है परियोजना के अभिलेख/दस्तावेज़ प्राकृतिक संसाधनों के परम्परागत उपयोग का न तो परियोजना के लिए और न ही बहु-ग्राम योजनाओं (MVSSs) के लिए कोई भी आकलन नहीं करते, और तो और औषधीय पौधों और लाल मिट्टी के जनजातीय प्रयोग का भी कोई उल्लेख नहीं. खेती-किसानी के अलावा **संथाल** और **हो** जनजातियों के स्थानीय बकरी-पालन का भी कोई स्वीकरण नहीं. अब चूँकि ये महत्वपूर्ण संसाधन और प्रथायें परियोजना अभिलेखों से विलुप्त हैं इसलिए इनका स्थल-विशिष्ट आकलन भी नहीं किया गया और इन पर पड़ने वाले प्रभावों का शमन करने के उपाय भी नहीं बनाये गये.

175. पैनल नोट करता है कि SA और TDP, **संथाल** और **हो** जनजातियों के प्राकृतिक संसाधनों के परम्परागत उपयोग, धार्मिक अभ्यासों, सांस्कृतिक तीज त्योहारोंका पर्याप्त आकलन नहीं करते.

पैनल ने पाया कि प्रबन्धन ने भूमि, संसाधनों और स्थलों के परम्परागत प्रयोग पर प्रभाव की पहचान और शमन उपायों को सुनिश्चित नहीं किया जिनका बागबेरा WTP और पुरानीबस्ती ESR के पास बसे प्रभावित समुदायों के लिए विशेष महत्व है, और ये बैंक की पर्यावरण आकलन नीति (OP/BP 4.01), मूलनिवासी नीति (OP/BP 4.10) और भौतिक सांस्कृतिक संसाधन नीति (OP/BP 4.11) का गैर-अनुपालन है।

### परियोजना के लाभों में मूलनिवासियों को सम्मिलित किये जाने के उपाय

176. जैसा कि ऊपर कहा गया है कि परियोजना अभिलेखों में समुदाय पर नकारात्मक रूप से पड़ने वाले प्रभावों की कोई कल्पना नहीं की गयी है, और परियोजना लाभों से इन समुदायों को वंचित रखना एक प्रमुख जोखिम माना गया है। एक TDP कहता है कि “[ज]नजातीय गाँव यत्र-तत्र फैले हुए हैं और उनमें से कई पर्याप्त उचित सड़कें न उपलब्ध होने के कारण, पहुँच से बाहर हैं।”<sup>233</sup> यह कहता है, “ [चाँपा कल (haind pump) और कुएँ जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल के प्रमुख साधन रहे हैं।” यह कहता है कि इनके अनियमित रख-रखाव और निरन्तर जल-स्तर घटने के कारण ये स्रोत सूखते जा रहे हैं।<sup>234</sup>

177. वंचन जैसे जोखिम को हल करने के लिए, TDP कहता है “जनजातीय बस्तियों को परियोजना में सहभाग करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।” और यह भी कि “सभी जनजातीय बस्तियाँ परियोजना जनपद में स्वयं में परियोजना में सहभाग के लिए योग्य मानी जाएँगी।”<sup>235</sup> TDP में जनजातीय संस्थानों को सशक्त बनाने और समुदाय संचालित विकास को बढ़ावा देने पर परियोजना का ध्यान केंद्रित किया गया है , और साथ ही इसमें शामिल है - समुदाय के सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाना, योजना बनाने में सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी विकल्पों का चयन करना , पानी तक पहुँच में समता को सुनिश्चित करना और योजना के सफल संचालन और रख-रखाव के लिए स्थानीय नेताओं, और अधिकारियों का क्षमता-वर्धन करना। <sup>236</sup> यद्यपि पैनल नोट करता है कि SVSs और MVSs में समुदाय संचालित विकास योजनाओं के उपागमों (Approaches) के बारे में पर्याप्त विभेद नहीं बताया गया है कि किनमें अधिक ग्राम-पंचायतें सहभाग करेंगी, किनमें अधिक लाभार्थी होंगे और मिश्रित समुदाय होंगे।

178. पैनल नोट करता है कि 2018 TDIP में, संविधान और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत राज विस्तार (PESA) अधिनियम के अन्तर्गत जनजातीय संस्कृति, भाषा और अधिकारों का सम्मान करने से संबंधित स्पष्ट और सशक्त भाषा है। इसमें यह भी सुनिश्चित करने के अनेकों उपाय हैं कि जनजातीय लोगों को उनकी संस्कृति के अनुकूल पर्याप्त परियोजना लाभ मिलें। इसमें समाहित होते हैं योजनाओं का चुनाव करने में जनजातीय लोगों की भागीदारी, जल और स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करने वाली संस्थाओं में जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जनजातीय भाषा और संस्कृति के अनुकूल IEC सामग्री का विकास, जनजातीय लोगों का परियोजना क्रियान्वयन हेतु क्षमतावर्धन और यह सुनिश्चित करना कि तकनीकी विकल्पों में परम्परागत ज्ञान और प्रथाओं को स्थान दिया गया है और इसकी चर्चा जनजातीय समुदायों से की गयी है। यह दस्तावेज़ एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है जिससे इन गतिविधियों के क्रियान्वयन की निगरानी के साथ-साथ उनका मूल्यांकन भी किया जा सके।

<sup>233</sup> Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 9.

<sup>234</sup> Ibid., p. 10., <sup>235</sup> Ibid., p. 12., <sup>236</sup> Ibid., p. 11.

**179.** TDIP कि कार्य-योजना दिखाती है कि इनमें से ज्यादा से ज्यादा उपाय SPMU और DPMU द्वारा अगस्त 2018 से जुलाई 2019 के बीच किये जाने थे।<sup>237</sup> जिला स्तरीय TDIP बनाना, जनजातीय मुद्दों पर कार्य करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) को चिन्हित करना, जनजातीय भाषाओं में IEC सामग्री को विकसित करना, जनजातीय नेताओं की पहचान करना और ग्राम जल एवं स्वच्छता समीति के सदस्यों के साथ जल-सहियाओं का क्षमता वर्धन करना, इस कार्य योजना में शामिल हैं। पैनल नोट करता है कि ये उपाय उप-परियोजनाओं के चुनाव और उनको बनाने और प्रभावित होने वाले समुदायों से परामर्श स्थापित करने में बहुत ही सहायक रहे होंगे। हालाँकि, इन्हें इतनी देर बाद प्रस्तावित किया गया कि इनकी उपयोगिता बहुत ही क्षीण हो गयी थी, बहु-ग्राम योजनाओं के निर्माण के शुरू होने के दो वर्ष बाद TDIP को अंतिम रूप दिया जा सका था।

**180.** पैनल स्वीकार करता है कि झारखण्ड राज्य में जनजातीय लोगों की मूलभूत सेवाओं तक पहुँच कम है - जैसे पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति - अन्य लोगों की तुलना में। पैनल यह भी महसूस करता है कि, वंचन के अपने इतिहास को देखते हुए, परियोजना से गैर-लाभान्वित जनजातीय समुदायों का जोखिम वैध और ध्यान देने योग्य था। इस बात को देखते हुए TDIP में ऐसे उपायों की कल्पना की गयी थी कि परियोजना की गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से जनजातीय समुदायों को लक्षित करें। इसके बावजूद भी बहुत से उपायों को या तो क्रियान्वित नहीं किया जा सका या फिर स्थल का चयन होने के बाद और निर्माण प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही इन्हें क्रियान्वित किया गया, जिसकी वजह से इन उपायों के मूल्य क्षीण हो गये या छिप गये। साथ में, यह मानते हुए कि सेवाओं तक पहुँच सदैव लाभकारी है और यह सर्वोपरि उद्देश्य है, परियोजना ने यह विचार नहीं किया कि अवस्थापना के स्थानों का चयन या सामाजिक परिवर्तन को लागू करने में उनका प्रारंभिक विरोध जनजातीय समुदायों और उनकी जीवन पद्धति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

### 3.4.2 परामर्श और सामाजिक रक्षा के उपकरणों का प्रकटीकरण

**181.** अपने भ्रमण के समय पैनल टीम ने बार-बार यह सुना कि परियोजना से सम्बंधित प्रमुख निर्णय लेने से पहले समुदाय से कोई परामर्श नहीं हुआ और न ही परियोजना से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज़ वे देख पाए। इसलिए पैनल ने परामर्श और सामाजिक रक्षा के उपकरणों का प्रकटीकरण से सम्बंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का पुनरावलोकन किया जिनका वर्णन नीचे दिया गया है।

**182. सामाजिक प्रबन्धन फ्रेमवर्क/ढाँचा (SMF) और सामाजिक आकलन (SA).** SMF बताता है कि इसका विकास राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर उनके विचार लेने के पश्चात् ही किया गया था। चार राज्यों के चुने हुए गावों में SA टीम ने जन-सभाएँ आयोजित करवायीं थीं।<sup>238</sup> SMF के अनुसार सामाजिक आकलनों और जनजातीय विकास योजनाओं का प्रकटन केंद्र और राज्यों की वेबसाइट पर भी किया गया था। SMF कहता है कि इसके सारांश को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के बाद सभी परियोजना जनपदों में वितरित किया गया था। समुदाय स्तर पर इसका प्रकटन “स्थानीय भाषाओं में छपे हुए सूचना पत्रक और उनका समुदाय के लोगों में वितरण - गाँव में प्रवेश गतिविधि के रूप में,”<sup>239</sup> होगा। SMF के अनुलग्नक में, सभी राज्यों

<sup>237</sup>Tribal Development Implementation Plan for 'Neer Nirmal Pariyojna'(RWSSP-LIS), July 2018, pp. 26-31.

के परामर्श विवरण, स्थलों की सूची, दिनांक और साक्षात्कार हुए व्यक्ति/समूहों के प्रकार और विभिन्न गावों में हुए FGDs के विवरण, लोकन करने शामिल हैं. इन सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् भी पैनल इस बात को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में है कि परामर्श की प्रक्रिया में पर्याप्त जनजातीय भागीदारी सुनिश्चित भी हुई थी या नहीं.

**183.** SA स्पष्ट करता है कि यह प्रक्रिया भागीदारी के उपागम/दृष्टिकोण पर आधारित थी और SA के सभी चरणों के समय सभी हितधारकों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया गया था. सामाजिक-आकलन की तैयारी के लिए इस प्रक्रिया में ग्रामीण समुदायों के साथ 30 FGDs, महिलाओं और स्वयं सहायता समूह के साथ हुए 30 FGDs, 30 प्रमुख सूचनादाताओं के साक्षात्कार ग्रामपंचायत प्रतिनिधियों के साथ और 30 गहन साक्षात्कार विकास खण्ड और राज्य स्तरीय प्रतिभागियों के साथ आयोजित किये गये थे. <sup>240</sup> ग्राम जल एवं स्वच्छता समीति के सदस्यों, जलसहियाओं, गैर-सरकारी संगठनों और आकादमिक संस्थाओं के साथ भी वार्ता-चर्चा की गयी थी. <sup>241</sup> जिन हितधारकों से चर्चा की गयी थी उनकी एक सूची एकमात्र दस्तावेज के रूप में SPMU की वेबसाइट पर डाली गयी थी. लेकिन ये सूची SA में नहीं शामिल की गयी थी. <sup>242</sup> SA स्पष्ट करता है कि पूर्वी सिंहभूमि जनपद को शामिल करते हुए झारखण्ड राज्य के पाँच जनपदों में, समुदाय के साथ FGDs अयोजित किये गये थे, लेकिन इनकी तिथियों को इसमें सूचित नहीं किया गया है. न तो SA और न ही SPMU की सूची में उन प्रतिभागियों की संख्या दी गयी है जिन्होंने FGDs या परामर्श में भाग लिया था.

**184. जनजातीय विकास योजना.** पैनल ने TDP की तैयारी के समय आयोजित किये गये परामर्शों का विश्लेषण किया. TDP बताता है कि SA के एक भाग के रूप में हितग्राहियों के साथ परामर्श किये गये थे और इनमें महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये थे. TDP की तैयारी के लिए, चुने हुए (sample) गावों में समुदाय के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श हुआ और इसमें VWSC सदस्य, वार्ड सदस्य, पारंपरिक ग्राम प्रधान और चुने गए PRI सदस्य शामिल थे-जिनमें मुखिया भी शामिल थे. सभी पाँच नमूना जिलों में जिला अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और इसमें NGOs के प्रतिनिधि, विकास क्षेत्र के व्यावसायिक और प्रमुख स्थानीय नेता शामिल हुए थे. राज्य स्तर पर, SPMU के अधिकारी, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन, विकास क्षेत्र के व्यावसायिक लोग, आकादमिक और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों आदि से परामर्श किये गये थे. इनके साथ ही जनजातीय विकास अधिकारियों से भी चर्चा कि गयी थी. <sup>243</sup>

**185.** TDP पूरकअंश के अनुसार, रांची में जनवरी और फरवरी 2013 में पांच जिलों में परामर्श हुआ था - पूर्वी सिंहभूम सहित - और फरवरी 2013 में चार गावों में. <sup>244</sup> पैनल समझता है कि सामान्यतया सभी प्रभावित समुदायों के साथ और, इस मामले में, अनुरोधकर्ताओं के गाँव को छोड़कर, परामर्शों में फ्रेमवर्क अभिलेखों की जानकारी नहीं दी जाती है. TDP पूरक अंश में बैठकों में प्रतिभाग करने वाले हितग्राहियों के प्रकार शामिल होते हैं. चूँकि TDP में न तो प्रतिभागियों की उपस्थिति होती है और न ही उपस्थित लोगों का ब्यौरा, अतः पैनल ये नहीं तय कर सकता कि उनमें कितने जनजातीय संगठनों, नेताओं और समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया.

---

238 Social Management Framework, April 2013, p. 20.

239 Ibid., p. 5.

240 Social Assessment, Capacity Building and Communication, Framework for the Rural Water Supply & Sanitation Project in Jharkhand, p. 5.

241 Ibid., p.24.

186. TDP में परामर्श के समय उठाय गये मुद्दों का सारांश है, जिसमें शामिल किये जाने की आवश्यकता है (i) उन जनजाति के लोगों को जो पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी कठिन जगहों पर रहते हैं, (ii) व्यक्तिगत पानी के कनेक्शन लगाने पर सब्सिडी दिया जाना, (iii) जल सहियाओं का प्रशिक्षण और संचालन और रख-रखाव के लिए समुदाय आधारित उपागम / दृष्टिकोण को अपनाना, (iv) जनजातीय क्षेत्रों के लिए उनकी रूचि अनुसार रणनीतियाँ बनाना, (v) किसी तकनीक का चुनाव करते समय समुदाय के साथ परामर्श कर वहाँ के सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखना, और (vi) जल के प्रयोग उसके संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता के मुद्दों पर जनजागरण. हालाँकि, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किस हद तक इन मुद्दों को TDP में शामिल किया गया है, या फिर इन मुद्दों ने परियोजना संरचना को प्रभावित किया है.

187. पैनल नोट करता है कि TDP परामर्श की कार्यप्रणाली का उल्लेख नहीं करता और न ही ये स्पष्ट होता है कि प्रतिभागियों को कैसे बुलाया गया था, इस बैठक का प्रारूप क्या था या फिर इस बैठक की कार्यवाही को प्रतिभागियों से साझा किया गया था. पैनल यह भी नोट करता है कि TDP विभिन्न स्थलों पर पर्याप्त रूप से प्रमुख जनजातीय हितग्राहियों को चिन्हित नहीं करता विशेषकर उन जनजातीय नेताओं और संस्थानों को जिनको, दोनों MVSs के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान परामर्श की प्रक्रिया में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए था.

188. जहाँ तक सूचनाओं की पहुँच का सवाल है, पैनल समझता है कि अधिकतर परियोजना अभिलेख केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध थे, बावजूद इस तथ्य के कि झारखण्ड और अधिकतर समुदायों में हिंदी प्रमुख भाषा है और पैनल जिन लोगों से मिला वे भी संथाली या हो भाषाएँ बोलते थे. प्रबन्धन प्रतिक्रिया में कहा गया कि EA-EMF के अधिशासी सारांश का हिंदी संस्करण ग्राम-पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, और सम्बंधित सरकारी लोगों में वितरित किया गया था, लेकिन प्रबन्धन यह सुनिश्चित न कर सका कि EA-EMF, SMF, और TDP के सारांश के हिंदी संस्करण भी झारखण्ड राज्य में वितरित किये गए हैं.<sup>245</sup> TDP का अंग्रेजी संस्करण विश्व बैंक की इन्फोशॉप पर अप्रैल 2013,<sup>246</sup> में प्रकट किया गया था. इसे DWSD's की वेबसाइट पर भी अप्रैल, 2013 में भेजा गया था, लेकिन इसे 2015, के अंत तक हटा लिया गया था, और उसके बाद पैनल को अनुरोध प्राप्त होने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया गया.<sup>248</sup> अतः पैनल यह पता है कि सूचनाओं की सांस्कृतिक पर्याप्तता और परियोजना अभिलेखों की उपलब्धता, दोनों ही दृष्टिकोणों से सूचनाओं के प्रकटीकरण में कमियाँ थी.

<sup>242</sup>Stakeholders consulted: Social Assessment, Capacity Building and Communication Framework for the Rural Water Supply and Sanitation Project in Jharkhand, 2013. Available at: <http://112.133.209.136:8000/NNP/Docs/Stakeholder%20Consultation%20for%20SMF.PDF>

<sup>243</sup>Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, pp. 41-42.

<sup>244</sup>Ibid., pp. 69-70.

<sup>245</sup>Ibid., p. 7.

<sup>246</sup>Submission Form – Disclosure of Environmental and Social Operational Documents to Infoshop.

<sup>247</sup>Submission Form – Disclosure of Environmental and Social Operational Documents to Infoshop.

<sup>248</sup>Ibid., pp. 6-7.

189. **जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना** .पैनल ने TDIP की परामर्श प्रक्रिया का पुनरावलोकन किया. TDIPमें वर्णन है कि यह मार्च 2015 में परियोजनाग्रामों के भ्रमण के बाद और जिला-स्तरीय और राज्य-स्तरीय कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों , पारंपरिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों के साथ मिलकर बनाया गया था.<sup>249</sup> TDIP में इस बात की कोई सूचना नहीं है कि कौन से गाँवों और बस्तियों को क्षेत्र भ्रमण में शामिल किया गया था. प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत एक अभिलेख ये बताता है कि जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिसम्बर 2014 और जनवरी 2015 में किया गया था.<sup>250</sup> एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन फरवरी 26 - 27, 2015 में किया गया था जिसमें परम्परावादी नेता, सरकारी प्रतिनिधि, गैसरकारी संगठन, शिक्षाविद, और बैंक विशेषग्य शामिल हुए थे.<sup>251</sup> प्रबन्धनकहता है कि TDIP को अंतिम रूप देने के लिए इस राज्य-स्तरीय परामर्श हेतु एक 11-सदस्यीय मुख्य कार्य समिति (Core working committee) का गठन किया गया था, और इस समिति की बैठक मार्च 2015 में हुयी थी.तैयार किये गये मसौदे पर चर्चा के लिए 17 जून 2015 को राज्य स्तर पर सेमिनार आयोजित किया गया था.<sup>252</sup> यह स्पष्ट नहीं है कि अगस्त 2018 में TDIPके अनुमोदन से पहले अनुवर्ती परामर्श हुए थे या नहीं.

190. TDIP, परामर्श के समय उठाय गये मुद्दों का सारांश देता है जिसमें, दूरस्थ जनजातीय बस्तियों को शामिल करने और आदिम जनजातीय समूहों के प्राथमिकीकरण की आवश्यकता, परियोजना प्रबन्धन में परम्परागत प्रशासन तंत्र की गतिविधियों को शामिल करना, सरकारी योजनाओं पर अविश्वास, दूरस्थता और कार्य के गुणवत्ता वाले मुद्दों के साथ जनजातीय बस्तियों में जल और स्वच्छता के सांस्कृतिक पहलुओं के मुद्दे भी शामिल किये गये थे.<sup>253</sup>

191. पैनल का विश्वास है कि TDIP परामर्श अपर्याप्त रूप से लिखे गये थे , क्योंकि TDIP में सही तिथियों और प्रतिभागियों की सूचनाओं के साथ कोई उपस्थिति-पत्रक शामिल नहीं है या इस अभ्यास के भाग के रूप में किन गाँवों का भ्रमण किया गया था. इसके अलावा , यह स्पष्ट नहीं है कि इन परामर्शों की सूचना लोगों को कैसे दी गयी थी, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि TDIP का हिंदीया किन्हीं भी जनजातीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था.

192. नीति (OP/BP 4.10) के लिए आवश्यक है कि मूलनिवासी नियोजन फ्रेमवर्क (IPPF) में एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो जिसमें परियोजना की तैयारी और उसके क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में प्रभावित मूलनिवासियों के साथमुक्त और पूर्वसूचित परामर्श शामिल हो . नीति के अनुसार,मूलनिवासीनियोजन (IPP)में परियोजना की तैयारी के समय प्रभावित हुए स्वदेशी लोगों के समुदायों के साथ मुक्त, पूर्व और सूचित परामर्श के परिणामों का एक सारांश शामिल है और जिसके कारण परियोजना के लिए व्यापक सामुदायिक समर्थन का मार्ग प्रशस्त हुआ था.

<sup>249</sup>Tribal Development Implementation Plan for 'Neer Nirmal Pariyojna'(RWSSP-LIS), July 2018, p.5.

<sup>250</sup> Bank Management Note to Inspection Panel on Capacity Building – Review of Documents – Training – TDP Preparation with Consultations, July 2019.

<sup>251</sup>Ibid.

<sup>252</sup> Ibid.

<sup>253</sup>Tribal Development Implementation Plan for 'Neer Nirmal Pariyojna'(RWSSP-LIS), July 2018, pp. 8-10.

193. पैनल यह पाता है कि झारखण्ड का TDP बनाते समय अनुरोधकर्ताओं की बस्तियों की ग्राम पंचायतों में कोई भी परामर्श प्रक्रिया सम्पादित नहीं हुई. स्थल-विशिष्ट TDPकी कमी को देखते हुए , इस महत्वपूर्ण नीति अभिलेख के संबंध में इन प्रभावित जनजातीयसमुदाय के सदस्यों के साथ भी परामर्श नहीं हुआ था. इसलिए पैनल ये पाता है कि बागबेरा WTP और पुरानीबस्ती के ESR के लिए मुक्त, पूर्व और सूचित परामर्शव्यापक सामुदायिक समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए हुए ही नहीं थे. इसके परिणामस्वरूप जनजातीय समुदायों के महत्वपूर्ण जोखिमों की अनदेखी की गयी, और इन समुदायों को परियोजना शुरू होने से पहले परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ नहीं दी गयीं. प्रभावित जनजातीय समुदायों के सदस्यों ने पैनल को बताया कि उन्होंने योजनाओं की निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में भाग नहीं लिया था और चुने गये स्थलों का विरोध किया था.

194. पैनल, परामर्श और सामाजिक आकलन के प्रकटीकरण में कमी, TDP, TDIP के साथ में परामर्श प्रक्रिया में लेखन की अपर्याप्तता, सूचनाओं के प्रकटन में कमियां, प्रमुख परियोजना अभिलेखों का हिंदी और स्थानीय जनजातीयभाषा में अनुवाद का न होना जैसी कमियाँ पाता है जो कि मूलनिवासियों पर बैंक की नीति (OP/BP 4.10) का गैर-अनुपालन है. साथ में पैनल यह तथ्य भी नोट करता है कि प्रबन्धन ने गिद्धिझोपरी और पुरानीबस्ती के प्रभावित जनजातीय समुदायों के साथ मुक्त, पूर्व और सूचित परामर्श हेतु आवश्यक प्रक्रियाएँ सुनिश्चित नहीं की, और ये बैंक की पर्यावरण आकलन नीति (OP/BP 4.01), मूलनिवासी नीति (OP/BP 4.10) और भौतिक सांस्कृतिक संसाधन नीति (OP/BP 4.11) का गैर-अनुपालन है.

## अध्याय 4: स्थल चयन की आवश्यकताएँ और आकलन

### 4.1 परिचय

195. यह अध्याय उनस्थल चयन प्रक्रियाओं , आवश्यक परामर्श और निर्णय लेने क्रियाओंकापरीक्षण करता है जिसनेबागबेरा WTP और पुरानीबस्ती के पास ESR की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया.यह दो स्थलों पर समुदाय के सदस्यों के विरोध में हुए प्रतिरोध का विश्लेषण करता है. यह समुदायों की चिंताओं की पड़ताल करता है कि यह परियोजना निकटवर्ती जमशेदपुर नगर की सीमाओं का विस्तार करने और एक शहरी क्षेत्र में जनजातीय बस्तियों को शामिल करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है.यह अध्यायशिकायत निवारण प्रबन्धन (GRM) के विश्लेषण के साथ समाप्त होता है.

### 4.2 निरीक्षण (जाँच) हेतु अनुरोध और प्रबन्धन प्रतिक्रियायें

#### निरीक्षण (जाँच) हेतु अनुरोध

196. **स्थल चयन.** अनुरोधों में तर्क है कि स्थल चयन प्रक्रिया मेंअपर्याप्त रूप से वैकल्पिक स्थलों का विश्लेषण किया गयाजिससे पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकताथा, और यह कि मूलनिवासियों पर MVSs के विशेषप्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन नहीं किया गया था. वे यह भी कहते हैं कि स्थल के चयन और सुविधाओं के निर्माण के बारे में उनसेकोई परामर्श नहीं लिया गया और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी हिस्सा नहीं थे.

197. प्रथम अनुरोधकर्ताओं का आरोप है ग़लत ग्राम-सभा के साथ परामर्श किया गया था और प्रासंगिक बस्ती की गिद्धिझोपरी ग्रामसभा ने वर्तमान स्थल पर WTP के निर्माण के लिए अपनी राय नहीं दी थी. चूँकि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास के कार्यों और सामुदायिक ज़मीन के विषय से सम्बंधित निर्णय उस बस्ती कि ग्राम सभ लेती है अतः अनुरोधकर्ताओं का विश्वास है कि बागबेरा योजना असंवैधानिक है. वे दावा करते हैं कि अधिकतर लोगों को इस बात का पता तब लगा जब स्थानीय सरकारी लोग पुलिस के साथ पास के गाँव में आये और “*कथित तौर पर गाँव वालों को, उन्हें अपने पवित्र कुञ्ज की ज़मीन जल उपचार संयंत्र के देने हेतु अपनी सहमति देने का दबाव बनाया.*”<sup>254</sup>वे आगे भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनकी बस्ती की महिलाएं भी किसी परामर्श प्रक्रिया में नहीं शामिल की गयी थी, जबकि परियोजना में औचित्य दिया गया है कि पानी के संग्रहण का भार महिलाओं पर ही है और उसके लिए उनको मीलों चलना पड़ता है.<sup>255</sup>

198. दूसरे अनुरोधकर्ताओं ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानीबस्ती के समीप ESR बनाने के लिए उनकी भी ग्राम-सभा से कोई परामर्श नहीं किया गया और, वस्तुतः, उन्होंने इसके विरोध में कई प्रस्ताव पारित किये थे. वे कहते हैं “*सामुदायिक विचारों को ध्यान में रखने की बहुत ही कम प्रयत्न हुए हैं, भले ही योजना के एक प्रमुख घटक का निर्माण उस भूमि पर हो रहा हो , जिसके समुदाय के बहुत ही गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हों.*”<sup>256</sup> अनुरोधकर्ताओं के अनुसार पुरानीबस्ती के समीप का ESR “*प्रचण्ड विरोध के बाद भी यह समुदायों पर थोपा हुआ है.*”<sup>257</sup>

<sup>254</sup>First Request for Inspection – Supplement to Request for Inspection, p. 8.

<sup>255</sup> Ibid., p. 8.

199. दोनों अनुरोधों में शिकायत है कि योजना के क्रियान्वयन में **संथाल** के *माझी-परगना* और *हो* के *मुंडा-मुन्की* जनजातीय प्रशासन तंत्र की “पूरी तरह से अवहेलना की गयी”<sup>258</sup> है।

200. **प्रतिशोध**. प्रथम अनुरोधकर्ता कहते हैं कि उनके समुदाय के लोगों को तब पता चला कि बागबेरा का जल उपचार संयंत्र (WTP) उनके पुरखों की पवित्र भूमि पर बनाया जा रहा है जब वहाँ पर बड़ी-बड़ी निर्माण मशीनें पहुंचीं। जब लोगों ने अपनी चिंताएँ जताईं, तो अनुरोधकर्ताओं का आरोप था कि साथ में आये राज्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पीटा और धमकाया।<sup>259</sup> इसके साथ ही वे बताते हैं कि इस घटना के बाद उनके समुदाय के सदस्यों को विधि को लागू करने वाले अधिकारियों से “चरित्र-प्रमाणपत्र” प्राप्त करने में बहुत ही परेशानी हुई जो भारतवर्ष में विभिन्न कार्यों, विशेषतया रोजगार पाने के लिए के लिए आवश्यक होते हैं।<sup>260</sup>

201. दूसरे अनुरोधकर्ताओं ने भी प्रतिशोध के डर को व्यक्त किया। जब उनके समुदाय के लोगों ने पुरानी बस्ती के पास अपनी ज़मीन पर ESR बनाए जाने का विरोध किया तो उनको “गम्भीर परिणाम” भुगतने की धमकी दी गयी।<sup>261</sup>

202. **जमशेदपुर नगर की सीमाओं का विस्तार**. अनुरोधकर्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बहु-ग्राम योजनाएँ समीप के जनपद जमशेदपुर की सीमाओं के विस्तार की वृहद् योजना का अंग प्रतीत होती हैं जिसमें उनकी भूमि बढ़ते हुए शहरी क्षेत्र में समाहित हो जाएगी। उनका विश्वास है कि ये उनके कानूनी संरक्षण को खत्म कर देगा - जो कि उनकी भूमि और जल पर उनके नियंत्रण से सम्बंधित हैं - जिसके लाभ वे ग्रामीण मूलनिवासी होने कि वज़ह से लेते हैं।<sup>262</sup>

### **प्रबंधन प्रतिक्रियाएँ**

203. **स्थल चयन**. पहली प्रबन्धन प्रतिक्रिया कहती है सन 2012 में पहले-पहल बागबेरा WTP के लिए चुना गया स्थल पूर्वेघाघिडीह (PurveeGhaghdih) ग्राम-पंचायत में सरकारी ज़मीन पर था। स्थानीय निवासियों, जो यह दावा कर रहे थे कि यह ज़मीन उनकी पूजास्थल है, के विरोध को देखते हुए सरकारी अधिकारियों ने इसे वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित कर दिया था। प्रबन्धन के अनुसार, वर्तमान WTP स्थल जिसकी पहचान जनपदस्तरीय अधिकारियों ने की थी, वह पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित सरकारी ज़मीन है और गिद्धिझोपरी बस्ती के उत्तर में और रानीडीह बस्ती के दक्षिणपश्चिम में स्थित है। प्रबन्धन बताता है कि निवास-स्तर के नकशोंकी अनुपस्थिति में यह पहचानना असंभव है कि योजना स्थल स्पष्ट रूप से गिद्धिझोपरी या रानीडीह के अनौपचारिक रूप से सहमत भूमि उपयोग क्षेत्र के अन्दर है अथवा नहीं।<sup>263</sup>

204. दूसरी प्रबन्धन प्रतिक्रिया बताती है कि पुरानी बस्ती का ESR सरकारी भूमि पर स्थित है जो झारखण्ड राज्य के अभिलेखों में “निर्जन” के रूप में पंजीकृत है। चूँकि इस ESR के लिए ज़मीन अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) नहीं प्राप्त किया जा सका था, उसके लिए जनपद के अधिकारियों ने सर्किल ऑफिसर<sup>264</sup> से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कहा, जिसको दिसम्बर 21, 2018 में जारी किया गया।

<sup>256</sup>Second Request for Inspection, p. 12.

<sup>257</sup>First Request for Inspection, Supplement to Request for Inspection, p. 18 and second Request for Inspection, p. 14.

<sup>258</sup>First Request for Inspection – Supplement to Request for Inspection, p. 19.

<sup>259</sup>Ibid., p. 16.

<sup>260</sup>Ibid., p. 12.

<sup>261</sup>Second Request for Inspection, p. 2.

<sup>262</sup>Ibid., p.6.

205. प्रबन्धन स्वीकारता है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय निर्णय लेने में स्थानीय प्रशासन की प्रासंगिक इकाईयाँ शामिल हैं, न कि औपचारिक रूप से गठित ग्राम पंचायत की केवल एक ग्राम सभा के माध्यम से बल्कि बस्तियों की अन्य ग्राम सभाओं को शामिल करके.<sup>265</sup> प्रबंधन स्वीकार करता है कि गिददीझोपरी के निवासी ग्राम-पंचायत स्तर की ग्राम सभा में उपस्थित नहीं थे , जिसने फरवरी 2016 में रानीडीह में आयोजित बैठक में बागबेरा MVSs स्थल का समर्थन किया था. प्रबन्धन बताता है कि इस बात पर परस्पर विरोधी मत हैं कि क्या निवासियों को औपचारिक रूप से बैठक में बुलाया गया था और इस बात का एक या दूसरे तरीके से पुष्टि करने में असमर्थ है.

206. जैसा कि अध्याय 3 में वर्णित है, प्रबन्धन कहता है कि सरकार ने समुदाय के साथ तीन परामर्श सत्र आयोजित किये, जिसमें से, एक फरवरी 2016 में बागबेरा WTP स्थल परिवर्तन के तुरंत बाद हुआ, लेकिन इन सत्रों का लेखन कार्य सही नहीं था क्योंकि न तो सत्रों की कार्यवाही के मिनट्स थे न लोगों की उपस्थिति का पत्रक था. प्रबन्धन मानता है कि स्थलों के चयन को लेकर प्रतिभागियों में बहुत असहमति थी. इन असहमतियों और कमजोर प्रलेखन को देखते हुए प्रबन्धन कहता है कि “स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि वृहद सामुदायिक समर्थन प्राप्त किया जा सका था जैसा कि नीति (OP/BP 4.10) के लिए आवश्यक है.”<sup>266</sup>

207. दूसरी प्रबन्धन प्रक्रिया स्वीकार करती है कि “ग्राम-पंचायत स्तर पर निवर्तमान ESR [पुरानी बस्ती के निकट जो छोटागोविंदपुर MVSs का हिस्सा है] को अनापत्ति देने के लिए ग्राम सभा की कोई भी बैठक नहीं हुई थी.”<sup>267</sup> प्रबन्धन व्याख्या करते हुए कहता है कि चूँकि कि DPMU ने 2015 में ही निवर्तमान ESR के विरोध का संज्ञान लिया था, इसलिए उन्होंने प्रभावित हुए समुदायों के साथ अनेकों परामर्श स्थापित किये लेकिन यह बात अस्पष्ट है कि इनमें पुरानी बस्ती के निवासी भी शामिल हुए या नहीं. इन प्रयासों के बावजूद, समुदाय में कथित असहमति और परामर्श प्रक्रिया के अभिलेखों में कमजोरियों को देखते हुए , प्रबन्धन फिर से मत है “स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि वृहद सामुदायिक समर्थन प्राप्त किया जा सका था जैसा कि नीति (OP/BP 4.10) के लिए आवश्यक है.”<sup>268</sup>

208. प्रबन्धन बताता है कि बागबेरा और छोटागोविंदपुर MVSs को विकसित करने के निर्णय पर प्रभावित समुदायों के बीच परामर्श सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे और ये निर्णय भाग लेने वाली ग्राम-पंचायतों की मजबूत मांग से प्रेरित थे. फिर भी प्रबन्धन स्वीकार करता है “[प्रथम और द्वितीय अनुरोधकर्ताओं] की बस्ती[यों] के स्तरों पर परामर्शों और उनके अभिलेखीकरण/दस्तावेजीकरण में कमियाँ रही प्रतीत होती हैं.”<sup>269</sup>

<sup>263</sup> Management Response to the first Request for Inspection, Annex 1, p. 0.

<sup>264</sup> The circle officer is a district level official responsible for transfer/settlement/ lease of government land and monitoring the execution of tenancy and other revenue laws within the jurisdiction of the district.

<sup>265</sup> Management Response to the first Request, p. 9, para 35.

<sup>266</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 10, para 36.

<sup>267</sup> Management Response to the second Request for Inspection, Executive Summary, p. vii, para xii.

<sup>268</sup> Ibid., p. viii, para xiii.

<sup>269</sup> Ibid., p. vii, para xii.

**209. सामुदायिक विरोध और प्रतिशोध.** प्रथम प्रबन्धन प्रतिक्रिया प्रतिशोधों के आरोपों को सीधे-सीधे संबोधित नहीं करती. हालाँकि यह उन दो घटनाओं का वर्णन नहीं करती जिसमें सन 2016 में काम के शुरू होने में पुलिस सम्मिलित थी और प्रेस रिपोर्ट दिखाते हुए एक अन्य विरोध का उल्लेख करती है जिसमें जनजातीय समुदायों ने उप कमिश्नर के कार्यालय को घेर लिया था. प्रतिक्रिया इस बात कि पुष्टि करती है कि परियोजना के 2016 मध्यावर्ती अवलोकन में, जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा निरन्तर विरोध और वैकल्पिक WTP स्थल के नियोजन हेतु होने वाले परामर्श की कमी को रेखंकित किया गया था. उस समय प्रबन्धन ने DPMU को स्थानीय लोगों की चिंताओं का निवारण करने के लिए संस्तुति दी थी. प्रबन्धन स्वीकार करता है कि *“आपस में सहमत कार्यों और WTP के निर्माण में प्रतीत होते प्रतिरोधों की पर्याप्त समझ रखते हुए उनको हल करने के अनुपालन के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ अधिक सक्रियता से कार्य लिया जाना चाहिए था.”*<sup>270</sup> दूसरी प्रतिक्रिया के अनुसार, प्रबन्धन ने स्पष्ट कर दिया था कि बैंक प्रतिशोध सहन नहीं करता और यह सरकार के साथ काम करता रहेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनाएँ फिर न घटें.<sup>271</sup>

**210. जमशेदपुर शहर की सीमाओं का विस्तार .** प्रबन्धन अनुरोधकर्ताओं की शहरी सीमाओं विस्तार के बारे में उनकी चिंताओं को समझता है और उनके डर को भी शहरी क्षेत्र में विलय के बाद उनके अनुसूचित क्षेत्र के विधिक संरक्षण भी जाते रहेंगे. हालाँकि , प्रतिक्रिया का कहना है कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के विस्तार और इस परियोजना के लिए मास्टर प्लान के मसौदे के बीच कोई तारतम्य नहीं है, और इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को पानी उपलब्ध कराना मात्र है.<sup>272</sup>

### 4.3 बैंक नीतियाँ

**211.** पर्यावरण आकलन पर बैंक नीति (OP/BP 4.01) कहती है कि *“बैंक उन परियोजनाओं का पर्यावरणीय आकलन चाहती है जो बैंक को वित्तपोषण हेतु प्रस्तुत किये गये हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाएँ पर्यावरणीय रूप से दृढ़ और टिकाऊ हैं, और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करता है.”*<sup>273</sup> नीति के अनुसार पर्यावरणीय आकलन - परियोजना प्रभाव वाले क्षेत्र में संभावित जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन करता है, परियोजना विकल्पों का परीक्षण करता है, बेहतर परियोजनाओं के चुनाव के रास्तों, स्थलों, संरचनाओं और क्रियान्वयन की पहचान *“रोककर, कम कर, शमन कर या दुष्प्रभावों का मुआवज़ा देकर और सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि कर”* करता है.<sup>274</sup>

**212.** किसी परियोजना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित करने के लिए विश्व बैंक पर्यावरण आकलन स्रोत पुस्तिका, पर्यावरण आकलन की आवश्यकता को लेकर एकदम स्पष्ट है. यह कहती है *“परियोजना चयन, स्थलीकरण और संरचनात्मक निर्णयों के साथ बैंक के दिशा-निर्देश पर्यावरणीय आकलन या अन्य किसी पर्यावरणीय विश्लेषण को परियोजना की तैयारी के लिए एकीकृत करते हैं....यह निष्कर्षों को स्थलों और प्रौद्योगिकी संरचना और कार्यान्वयन योजनाओं के चयन में समाहित करने की सुविधा प्रदान करता है.”*<sup>275</sup>

<sup>270</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 11.

<sup>271</sup> Management Response to the second Request for Inspection, p. 18, para 62.

<sup>272</sup> Management Response to the second Request, p. ix.

<sup>273</sup> OP 4.01 – Environmental Assessment, para 1.

<sup>274</sup> Ibid., para

<sup>275</sup> The World Bank, Environmental Assessment Sourcebook, 1991. Volume 1. Washington, DC, p. 2, para 8.

213. विश्व बैंक की मूलनिवासियों पर नीति (OP/BP 4.10), परियोजना में प्रभावित मूलनिवासियों के वृहद् समुदाय समर्थन को लेकर एकदम स्पष्ट है. नीति कही है “बैंक केवल उन्ही परियोजनाओं को वित्तपोषण देगा, जहाँ मुक्त, पूर्व, और सूचित परामर्श किया गया होगा, <sup>276</sup> जिसने परियोजना में प्रभावित मूलनिवासियों के वृहद् समुदाय समर्थन का मार्ग प्रशस्त किया होगा .”<sup>277</sup> यह नीति यह भी कहती है “[य]ह बैंक परियोजनाओं की कार्यवाही में आगे नहीं बढ़ता है यदि मूलनिवासियों के वृहद् समुदाय समर्थन की बात सुनिश्चित नहीं होती ,”<sup>278</sup> नीति (OP/BP 4.10), के लिए आवश्यक है कि बैंक पूरे परियोजना चक्र में ऋणी (Borrower) की सहायता, उपरोक्त वर्णित परामर्शों के आयोजन में करेजो प्रभावित मूलनिवासियों के समुदायों की मान्यता रखने वाले वर्तमान के मूलनिवासियों के संगठन/संस्थान सहित जनजातीय नेताओं के साथ भी स्थापित किये गये हों. <sup>279</sup> इसमें इस बात की भी आवश्यकता है कि परामर्श प्रक्रियाएँ जल्द से जल्द शुरू की जाएँ क्योंकि मूलनिवासियों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया हो सकती है,<sup>280</sup>

214. शिकायत निवारण प्रबन्धन (GRM), केसम्बन्ध में OP 4.10 का पूरक अंश B कहता है कि ऐसी परियोजनाएँ जिनसे मूलनिवासी प्रभावित होते हों तो, एक IPP में मूलनिवासियों की शिकायतों को हल करने के लिए आसान पहुँच वाली विधियों को, जो परियोजना के लिए उपयुक्त हों, अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए. इन विधियों में पारम्परिक विवाद निवारण तंत्रों को भी सम्मिलित करना चाहिए.<sup>281</sup>

---

<sup>276</sup> OP 4.10 – Indigenous Peoples, footnote 4 – “Free, prior, and informed consultation with the affected Indigenous Peoples’ communities” refers to a culturally appropriate and collective decision-making process subsequent to meaningful and good faith consultation and informed participation regarding the preparation and implementation of the project. It does not constitute a veto right for individuals or groups” (OP 4.10, footnote 4) and BP 4.10, para 2(a) “Free, prior, and informed consultation” is consultation that occurs freely and voluntarily, without any external manipulation, interference, or coercion, for which the parties consulted have prior access to information on the intent and scope of the proposed project in a culturally appropriate manner, form, and language (BP 4.10).

<sup>277</sup> OP 4.10., para. 1.

<sup>278</sup> Ibid., para 11.

<sup>279</sup> BP 4.10 – Indigenous Peoples, para 2.

<sup>280</sup> Ibid.

## 4.4 पैनल के प्रेक्षण और विश्लेषण

### 4.4.1 स्थल चयन प्रक्रिया और निर्णय - निर्माण

परियोजना अभिलेखों में निर्णय-निर्माण की आवश्यकताएँ

**215.** अपने भ्रमण के समय पैनल ने बागबेरा WTP और पुरानी बस्ती के ESR के स्थलों को लेकर और उनके निर्माण से पड़ने वाले विपरीत सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में बार-बार सुना, इन सबका विश्लेषण अध्ययन 3 में किया गया है. दोनों ही स्थानों के जनजातीय समुदायों के लोगों ने बताया कि वे न तो स्थल चयन की प्रक्रिया में शामिल थे और न ही वर्तमान समय में हुए निर्माण के पक्ष में थे.

**216.** पैनल नोट करता है कि अनुरोधकर्ताओं की बस्ती/रिहाईश पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, जिसे सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और जिसमें विशेष संवैधानिक सुरक्षा लागू है.<sup>282</sup> सन 2013 के TDP में, झारखंड में जनजातीय विकास और जल और स्वच्छता गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले विधिक और संस्थागत फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण समीक्षा सम्मिलित है, यह उन विधिक प्रावधानों का विश्लेषण करता है जो जनजातीय अधिकारों और उनके विकास की रक्षा करते हैं जैसे - छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम 1908, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परिक वन निवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति: (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995, और संविधान की पांचवीं अनुसूची में दर्ज अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान और पंचायती राज विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम.<sup>283</sup> TDP ने जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध किया है , और ये नोट किया है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए , अनुच्छेद 244 (2) के तहत संविधान में "पांचवीं अनुसूची" का प्रावधान निहित है.<sup>284</sup>

**217.** TDP के अनुसार ज़मीनी स्तर पर जनतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और लोगों की स्थानीय प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित कर उनको सशक्त बनाने के लिए संविधान में सन 1992 के 73 वें 74 वें संशोधनों को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रावधान PESA अधिनियम 1996 के माध्यम से विस्तार दिया गया.<sup>285</sup>

**218.** TDP बताता है कि PESA अधिनियम से ग्रामीण स्तरीय पंचायती राज संस्थायें /इकाइयाँ विशेष कार्यात्मक शक्तियाँ एवंउत्तरदायित्वों से भर गयीं जो (i) जनजातीय समुदाय के लोगों का अपने स्वयं के विकास में प्रतिभाग सुनिश्चित करें (ii) उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनके स्वयं के पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने में सहायता दें. एक TDP व्याख्या करता है कि

<sup>281</sup>OP 4.10 – Indigenous Peoples, Annex B, para 2(h).

<sup>282</sup>Scheduled Areas (State of Jharkhand), Order 2007. Available at: [https://tribal.nic.in/DivisionsFiles/NCST-RM/NCST/7TheScheduledAreasJharkhand\)Order2007\(C O 229\)-11042007.pdf](https://tribal.nic.in/DivisionsFiles/NCST-RM/NCST/7TheScheduledAreasJharkhand)Order2007(C O 229)-11042007.pdf)

<sup>283</sup>Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, pp. 28-36.

<sup>284</sup>Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 29., Section 3.2.4 – “According to the TDP, the Fifth Schedule under article 244 (2) of the Constitution defines “Scheduled Areas” as such areas as the President may by Order declare to be Scheduled Areas after consultation with the governor of that State. The criteria for declaring any area as a “Scheduled Area” under the Fifth Schedule are: preponderance of tribal population, compactness and reasonable size of the area, available administrative entity such as district, block or taluk, and economic backwardness of the area as compared to neighboring areas.”

<sup>285</sup>Ibid., p.32.

<sup>286</sup>Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 36.

<sup>287</sup>Ibid., p. 45., <sup>288</sup>Ibid., p. 34., <sup>289</sup>Ibid., p. 46.

अन्य क्षेत्रों के जैसा नहीं, जहाँ राजस्व गाँव बुनियादी इकाई है, वहीं जनजातीय क्षेत्रों में परियोजना को बस्ती की प्राथमिक प्रबन्धन इकाई माना जाना चाहिए।<sup>286</sup> TDP यह भी बताता है कि PESA अधिनियम के संदर्भ में, "गाँव" की परिभाषा एक छोटे से क्षेत्र को संदर्भित करती है, आमतौर पर जैसे बस्ती/रिहाइश को।<sup>287</sup>

**219.** एक TDP कहता है कि प्रत्येक गाँव (जनजातीय सन्दर्भ में एक बस्ती है न कि राजस्व ग्राम) में एक ग्राम सभा होनी चाहिए जिसमें गाँव के सभी मतदाताओं के नाम पंचायत के लिए शामिल हों। TDP स्पष्ट करता है कि गाँव की *ग्राम-सभा* ग्राम *पंचायत* *ग्राम सभा* नहीं है। TDP के अनुसार, PESA, अधिनियम की धारा 10 में गाँव कि *ग्राम-सभा* की शक्तियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें संविधान और अन्य संबंधित कानूनों के अन्तर्गत ग्राम क्षेत्र की सीमा के अन्दर आने वाले प्राकृतिक स्रोतों जैसे भूमि, जल और जंगलों का प्रबन्धन करना शामिल है।<sup>288</sup> PESA अधिनियम के अन्तर्गत, गाँव की *ग्राम-सभा* लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद निवारण के पारंपरिक तौर-तरीकों की भी सुरक्षा और उनका संरक्षण करती है।<sup>289</sup> TDP बताता है कि PESA अधिनियम के अनुसार *ग्राम-पंचायत* (जिसमें जनजातीय, गैर-जनजातीय जनसँख्या वाली बस्तियां या गाँव और मिश्रित जनसँख्या वाली बस्तियाँ / गाँव हों) जब कोई योजना या प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो इसके क्रियान्वयन से पूर्व उसे गाँव (जिन्हें बस्तियाँ कहा गया है) की ग्राम सभा से परामर्श और अनुमोदन लेना होता है, इसके बाद ही *ग्राम-पंचायत* इनको कार्यान्वयन में लाती है।<sup>290</sup> एक TDP का जोर इस बात पे होता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में "जल आपूर्ति और स्वच्छता से सम्बंधित गतिविधियों के नियोजन, उनकी प्राप्ति, कार्यान्वयन और रख-रखाव की जिम्मेदारी एक जनजातीय बस्ती / गाँव की होगी।"<sup>291</sup>

**220.** जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना (TDIP) में, इसी तरह के, विधि संरचना और जनजातीय क्षेत्रों के निर्णय लेने की प्रक्रिया से सम्बंधित, आवश्यक विश्लेषण समाहित हैं। यह अभिलेख विशेषतया इस बात को स्वीकार करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जल एवं स्वच्छता की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उस बस्ती की ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होता है "जल आपूर्ति और स्वच्छता से सम्बंधित योजनाओं कि [अ]वस्थापना का निर्माण जनजातीय लोगों से परामर्श और उनकी सहमति से ही बनाया जा सकेगा।"<sup>292</sup> यह प्लान इस बात को भी इंगित करता है "समुदाय ही भूमि की उपलब्धता और निर्माण स्थल के बारे में भी निर्णय लेगा और इसके हेतु ग्राम-सभा की बैठक में दो-तिहाई से भी अधिक सदस्यों की उपस्थिति हो और जिसमें लिखित सहमति (एवमेव) पत्र पर उनके हस्ताक्षर लिए जायेंगे।"<sup>293</sup> यह अभिलेख, समुदायों के साथ तादात्म्य बनाने के लिए पूर्व-योजना चरण के दौरान बस्ती-स्तर के प्रवेश बिंदु गतिविधियों को पूरा करने के, महत्व को पहचानता है।<sup>294</sup>

**221.** TDP इस बात को मानता है कि जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक शासन तंत्र, जैसे हो जनजातीय लोगों का *मुण्डा-मन्की* और *संथालो* के क्षेत्र में *मांझी-प्रधान*, बहुत ही पर्याप्त प्रभाव वाले हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक शासन तंत्र के महत्व को TDIP में भी स्वीकार किया गया है। यह इस बात को भी

<sup>290</sup>Ibid., p. 46., <sup>291</sup>ibid., p. 11.

<sup>292</sup>Tribal Development Implementation Plan for 'Neer Nirmal Pariyojna'(RWSSP-LIS), July 2018, p. 19.

<sup>293</sup> Ibid., p. 19., <sup>294</sup>Ibid., p. 18., <sup>295</sup> Ibid., p. 12.

बताता है कि परियोजना की संस्थागत व्यवस्था में पारंपरिक शासन तंत्र को शामिल करने में विफलता, जनजातीय लोगों के प्रतिनिधित्व और उनके सहभाग को कम कर सकती है। इस जोखिम को दूर करने के लिए, TDIP कहता है कि “ग्राम प्रधान / माझी हाइम / मुंडा / पाहन को परियोजना का संरक्षक बनाया जाएगा。”<sup>295</sup>

TDIP कहता है कि परियोजना कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में जनजातीय नेताओं को शामिल किया जायेगा जैसे लाभार्थी की सूची तैयार करना , परिचालन और रखरखाव की लागत का संग्रह और निर्माण की निगरानी। TDIP के अनुसार, VWSC में जनजातीय प्रतिनिधित्व को मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाएगा。<sup>296</sup>

**222.** एक TDP के लिए आवश्यक होता है कि सभी हितग्राहियों के परामर्श के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) बनाये जाएँ।<sup>297</sup> इसके लिए आवश्यक है कि जिन जलापूर्ति वितरण विकल्पों पर विचार किया गया है और उसकी चर्चा DPR में शामिल हो।<sup>298</sup> TDP नोट करता है कि परियोजनाचक्र की अवधि में भूमि आवश्यकताओं का आकलन करने , स्थानों का चयन करने , विभिन्न हितधारकों का क्षमता वर्धन और IEC गतिविधियों को लागू करने के लिए परामर्श किया जाएगा。<sup>299</sup>

**223.** हालांकि, पैनल नोट करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए थे कि DPR का प्रकटन सार्वजनिक रूप से किया गया था। पैनल इस बात को भी नोट करता है कि DPR की तैयारी के भाग के रूप में मुक्त , पूर्व और सूचित परामर्श, विशेष रूप से स्थलों से लगे रहने वाले जनजातीय लोगों के साथ होने चाहिए थे , लेकिन ये अनुरोधकर्ताओं की बस्तियों/रिहाइशों में नहीं हुए। प्रबन्धन ने जुलाई-अगस्त 2016 की मध्यावर्ती समीक्षा में स्वीकार किया कि: “नियोजन के दौरान, स्थगित सामाजिक क्रियाओं के कारण, डीपीआर की कोई सामाजिक समीक्षा नहीं की गई थी। DPR पर कोई परामर्श आयोजित नहीं किये गये और न ही उन्हें दर्ज किया गया था。”<sup>300</sup>

#### स्थल चयन प्रक्रिया

**224.** प्रबन्धन और सरकार दोनों के विचारों में बागबेरा WTP स्थल और पुरानी बस्ती ESR का स्थल “निर्जन सरकारी भूमि” के रूप में पंजीकृत हैं। हालांकि, सरकारी अधिकारी, प्रमाणित करते हैं कि 1964 से पूर्वी सिंहभूम के भूमि अभिलेखों को अपडेट नहीं किया गया है और इस सबसे ताज़ा सर्वेक्षण में भी जनजातीय प्रथागत भूमि उपयोग का आकलन नहीं किया गया था , जो औपनिवेशिक काल में किया गया था।

**225.** एक पूरक अभिलेख जो कि पैनल को अगस्त 27, 2019 को दिया गया, अनुरोधकर्ता बागबेरा और छोटागोविंदपुर स्थलों के चरित्र/प्रकृति को लेकर आरोप लगाते हैं कि उन्हें “सरकारी ज़मीन” कहना उनका मात्र अतिसरलीकरण है।<sup>301</sup> वे तर्क करते हैं कि भूमि का वर्गीकरण जैसे, “अनाबाद बिहार सरकार” या “एक गाँव की सबकी संपत्ति के संसाधन” का सीधा अर्थ यही है कि ये उस गाँव में रहने वाले सभी निवासियों की संपत्ति है। उनके अनुसार “न तो सरकार और न ही गाँव का कोई व्यक्ति इस भूमि का अतिक्रमण कर सकता है और न ही सर्वसम्मति के निर्णय के बिना इस भूमि

<sup>296</sup> Tribal Development Implementation Plan for ‘Neer Nirmal Pariyojna’(RWSSP-LIS), July 2018, p. 16.

<sup>297</sup> Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 53.

<sup>298</sup> Ibid., p. 51.

<sup>299</sup> Ibid., p. 53.

<sup>300</sup> Aide memoire – Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016, p. 88, para 29.

का उपयोग किया जा सकता है।<sup>302</sup> वे इंगित करते हैं कि ये भूमि प्रासंगिक ग्राम-सभा से सम्बद्ध होती है।

**226.** अनुरोधकर्ताओंका कहना है कि जनजातीय समुदायों की सामुदायिक भूमि " सर्वेक्षण और निवारण कार्यों में सरकारी भूमि के रूप में अभिलेखित है [...] "।<sup>303</sup> वे यह भी व्याख्या करते हैं कि सिंहभूम क्षेत्र के लिए पारंपरिक प्रथाओं के उपयोगसे सम्बंधितअभिलेख कभी तैयार नहीं किए गए थे और चूँकि इन जमीनों का पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं किया गया था , अतःउन्हें सरकारी भूमि के रूप में पंजीकृत किया गया होगा। उनका तर्क है कि छोटा नागपुर किरायेदारीअधिनियमजनजातीय से गैर-जनजातीय समुदायों के लिए भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है और " आदिवासियों की आम संपत्ति संसाधनों को अभिलेखीकृत करने में सरकार की विफलता के कारण मूलनिवासियों की भूमि विमुख या अलग-थलग होकर गैर-मूल निवासी भूमि बन इसका बार-बार दोहन होता रहा।"<sup>304</sup>

**227.**पैनल की टीम DPMU और ठेकेदार से समझती है कि MVSsस्थल चयन के लिए क्या इन कारकों को ध्यान में रखा गया था: परियोजना लाभार्थी जल-आपूर्ति योजना की पूंजी लागत के लिए योगदानकर्ता होंगे; परामर्श ग्राम-सभा अनुमोदन के लिएमार्ग प्रशस्त करता है ; यह परियोजना सरकारी भूमि पर क्रियान्वित की जाएगी ; यह तकनीकी रूप से संभव होगा ; और यह स्थल एक ऐतिहासिक , धार्मिक या दफन स्थल नहीं है.इन सबके अतिरिक्त ,निर्माण और बाद में संयंत्र के संचालन और रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्रों के निवासियों का, रोजगार के लिए विचार किया जाना चाहिए.

**228.** गिद्धिझोपरीमें अनुरोधकर्ताओं और समुदाय के अन्य सदस्यों ने पैनल टीम को बताया कि बागबेरा WTP स्थल - वर्तमान में जिसको वे अपने समुदाय की भूमि समझते हैं, उसके चयन के बारे में उनसे कोई परामर्श नहीं लिया गया. एक सदस्य ने कहा कि "क्या ही खूबसूरत WTP बन सकता था" जो सबके उपयोग में आता यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया गया होता. उन्हें लगता है कि उन पर WTPथोपा गया था और उनके पास अपना प्रतिरोध दर्ज कराने के लिए कोई आवाज या विकल्प देने का कोई अवसर नहीं था.

**229.** DPMU और ठेकेदार ने पैनल टीम को बताया कि बागबेरा WTP के लिए सरकारी भूमि पर उपलब्ध मूलतः पहले तीन स्थलों पर विचार किया गया था. पहला प्रस्तावित स्थल था - मतलाडीह (Matladih) जो कि प्रतिकूल पर्यावरणीय और तकनीकी कारणों से छोड़ दिया गया था. दूसरा प्रस्तावित स्थल भी मतलाडीह (Matladih) में ही था जो - गिद्धिझोपरी पहाड़ी से तीन किलोमीटर दूर - और मतलाडीह (Matladih) के नेताओं ने बताया कि सरकार ने 2011 में उनसे इस सन्दर्भ में बात करने के लिए संपर्क किया था. यह स्थल स्थानीय विपक्ष की पसंद में गया , जिन्होंने कहा कि भूमि का उपयोग त्योहारों और फुटबॉल के लिए किया जाता था था. ठेकेदार ने समझाया कि इन आपत्तियों से परे, स्थानीय अतिक्रमण के कारणस्थल बहुत छोटा हो गया , और इसे जल-स्रोत के प्रवेश-बिंदु में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. समुदाय ने इसके अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र का उपयोग करने काआग्रहकिया , लेकिन यह WTPके लिए बहुत ही छोटा पाया गया था. यद्यपि जनजातीय समुदाय के सदस्यों के विरोध के कारण दूसरे स्थान को आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था,

<sup>301</sup> Supplemental document provided by the Requesters, August 27, 2019, p. 2.

<sup>302</sup> Supplemental document provided by the Requesters, August 27, 2019, pp. 3-4.

<sup>303</sup> Supplemental document provided by the Requesters, August 27, 2019, p. 4.

<sup>304</sup> Ibid.

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सांस्कृतिक प्रभाव पर विचार एक बाद का विचार था अपेक्षाकृत कि यह जनजातीय समुदाय के सदस्यों के साथ पूर्व परामर्श या सांस्कृतिक प्रभाव के पूर्व आकलन के परिणामस्वरूप किया गया था.

**230.** DPMU और SPMU ने पैनल को बताया कि सरकारी भूमि के उपयोग की आवश्यकता ने गिद्धिझोपरी पहाड़ीको अंतिम उपलब्ध स्थल बना दिया. ठेकेदार ने स्थल को एक आदर्श से कम वर्णित किया क्योंकि स्थल एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित था, कोई पहुंच मार्ग नहीं था और इसकी वजह से पहाड़ी की खुदाई करने और स्थिर बनाने के लिए अतिरिक्त लागत आनी थी. इसके अतिरिक्त जल-प्रवेश बिंदु और जल-आपूर्ति पथ में बदलाव के कारण अतिरिक्त पाइप लाइन की आवश्यकता थी, और इसके लिए सरकारी जंगल और रेलवे मार्ग के नीचे खुदाई हेतु रेलवे के अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की आवश्यकता थी. ठेकेदार ने पैनल टीम को बताया कि गिद्धिझोपरी पहाड़ी स्थल को चुनने की वजह से लागत में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि और परियोजना पूरी होने में 18 महीनों की देरी हुई.

**231.** पैनल ने नोट किया कि बागबेरा और छोटोगोविंदपुर MVs के निर्माण का ठेका जून 25, 2015 को दिया गया.<sup>305</sup> अक्टूबर 29, 2015 का अधिशाषी अभियंता का पत्र सर्किल ऑफिसर को, कहता है कि बागबेरा WTP और गिद्धिझोपरी का ESR (120m X 120m आकार) के निर्माण के लिए NOC मिल गया है, लेकिन समुदायों का धार्मिक स्थल होने के कारण स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे.<sup>306</sup> दिनांक 31 अक्टूबर 2015, का अधिशाषी अभियंता का पत्र जो परगना अधिकारी धल्बुम (Dhalbum), पूर्वी सिंहभूम, को लिखा गया था, स्पष्ट करता है कि सभी स्थलों हेतु NOCs प्राप्त कर लिए गये हैं लेकिन WTP गिद्धिझोपरी स्थल के अनाधिकृत व्यवसाय के लोग निर्माण शुरू होने में बाधा पहुँचा रहे थे.<sup>307</sup> 20 जनवरी 2016 को, सर्किल अधिकारी ने एक संशोधित आकार क्षेत्र (80m X 180m) के आधार पर गिद्धिझोपरी स्थल में बागबेरा WTP और ESR के निर्माण के लिए एक और NOC प्रदान की थी.

**232.** पुरानी बस्ती में संधाल और हो जनजातीय समुदाय के लोगों ने पैनल को बताया कि पुरानी बस्ती का ESR का स्थान जनजातीय सांप्रदायिक भूमि है, जिसका उनके लिए बहुत ही सांस्कृतिक महत्व है. हालांकि, समुदाय के सदस्यों को इस बात का पता नहीं था कि उनकी बस्ती के पास ESR स्थल का चयन कैसे किया गया था और उन्होंने बताया कि उनसे पुरानी बस्ती स्थल पर ESR बनाने के निर्णय में कभी भी परामर्श नहीं लिया गया था.

**233.** पैनल ने दक्षिण सर्जामदा (Sarjamda) ग्राम-पंचायत से सुना कि पुरानी बस्ती के पास ESR स्थल का चयन सर्किल अधिकारी और DPMU द्वारा किया गया था. प्रबन्धन और सरकारी अधिकारियों ने पैनल टीम को सूचित किया कि ESR सरकारी भूमि पर बनाया गया है. दूसरी प्रबन्धन प्रतिक्रिया बताती है कि ESR स्थल को “निर्जन झारखण्ड भूमि” के रूप में पंजीकृत किया गया है, जैसा कि सर्किल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणीकरण पत्र, 26 मई, 2012 में स्पष्ट किया गया था.<sup>308</sup> हालांकि, प्रबन्धन स्वीकार करता है कि पुरानी बस्ती ESR के लिए एक NOC प्राप्त नहीं हो पाया था और जब दिसंबर 2018 में प्रथम अनुरोध प्राप्त हुआ तो उसके बाद पूर्वव्यापी रूप में इसे निर्गत किया गया था, और पुरानी बस्ती का ESR निर्माण के कुछ साल बाद शुरू हो गया था.

---

<sup>305</sup> Back to Office Report, April 4-7, 2016, para 3.

234. पैनेल नोट करता है कि पुरानी बस्ती के निकट ESR स्थल का चयन “निर्जन सरकारी ज़मीन” और “तकनीकी उपयुक्तता” के आधार पर हुआ था और इसमें सांस्कृतिक प्रभाव, प्रथागत भूमि उपयोग या ग्राम-सभा अनुमोदन के चाहे गये विचार शामिल नहीं थे।

235. पैनेल समझता है जबकि बड़े कामों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होते थे, तब परियोजना सुरक्षा अभिलेख, अवस्थापना स्थलों की भूमि के प्रथागत उपयोग का पर्याप्त आकलन नहीं करते। एक सामाजिक आकलन इस बात कि व्याख्या करता है कि भूमि की आवश्यकता होगी: (i) जल स्रोतों के लिए, (ii) जल उपचार संयंत्रों के लिए, (iii) भूमि स्तरीय या ऊपर स्तरीय जल टंकियों के निर्माण के लिए, (iv) जल संचरण और पाइपलाइन के लिए। ये आगे कहते हैं कि इन सबके लिए प्राथमिकता सरकारी भूमि/ज़मीन को ही दी जाएगी और यदि ये उपलब्ध नहीं हैं तो स्वैच्छिक दान के माध्यम से या फिर उनको खरीदकर भूमि का अधिग्रहण होगा।<sup>309</sup> SA और PAD दोनों ही अभिलेख स्वैच्छिक भूमि दान में अपनाये जाने वाले प्रावधानों का विवरण प्रस्तुत करते हैं।<sup>310</sup> इसके बावजूद भी परियोजना के किसी भी अभिलेख/दस्तावेज़ में गिद्धिज़ोपरी और पुरानी बस्ती में जनजातीय लोगों द्वारा प्रथागत रूप में प्रयोग में लायी जा रही भूमि या उनके संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना नहीं करता।

236. DPMU को चाहिए था कि वह भूमि से सम्बंधित अभिलेखों का रख-रखाव करे लेकिन, जैसा प्रबन्धन ने अपनी विभिन्न पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों में नोट किया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।<sup>311</sup> परियोजना की मध्यावर्ती समीक्षा (MTR) में कई भूमि संबंधी शिकायतों का उल्लेख है और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के पास प्रयोग में आने वाले भूमि अधिनियमों, विधियों और पारम्परिक और प्रथागत भूमि उपयोगकर्ताओं की पहचान- करने की और उनके अधिकारों की समझ का अभाव है।<sup>312</sup> पैनेल ने वैकल्पिक स्थल विश्लेषणों का कोई लिखित रिकॉर्ड भी नहीं पाया। हालाँकि SPMU, DPMU और प्रबन्धन ने पैनेल टीम को बताया कि कई स्थलों पर विचार किया गया था, फिर भी चयन या निर्णय लेने की प्रक्रिया का ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जिसने अंततः स्थलों की पसंद का मार्गप्रशस्त किया। प्रबन्धन ने पैनेल को समय या निर्णय लेने की प्रक्रिया की सीमित व्याख्या की प्रस्तुति दी। स्थलों के चयन पर एक औपचारिक अभिलेख के बिना, पैनेल ने कोई साक्ष्य नहीं देखा कि चयन प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव के विश्लेषण के संबंध में EA-EMF, TDP और TDIP की आवश्यकताओं का पालन किया गया हो।

### ग्राम-सभा का अनुमोदन

237. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि जनजातीय क्षेत्रों में किसी भी विकासात्मक कार्य हेतु TDP या TDIP को बस्ती/रिहाईश के स्तर पर ग्राम-सभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। चूंकि ग्राम-सभा(यें)MVSs अवस्थापना स्थलों के चयन में निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय भूमिका में होती हैं, इसलिए बस्ती/रिहाईश स्तर पर ग्राम-सभा के अनुमोदन को सुनिश्चित करने की कमी को जनजातीय समुदाय के सदस्यों द्वारा अनुभव किए गए सांस्कृतिक नुकसान से सीधे जोड़ा जा सकता है

<sup>306</sup> Letter from the Executive Engineer, DWSD to Circle Officer, Division Golmuri-cum-Jugsalai, October 29, 2015.

<sup>307</sup> Letter from the Executive Engineer to the Sub-Division Officer of Dhalbum, East Singbhum dated October 31, 2015.

<sup>308</sup> Management Response to the second Request for Inspection, Annex 1, p. 23.

<sup>309</sup> Social Assessment, p.62.

<sup>310</sup> PAD, p.45 and Social Assessment, p. 62.

<sup>311</sup> Aide memoires – Fourth, Mid-Term, Sixth, Seventh, and Ninth Implementation Support Missions

<sup>312</sup> Aide memoire – Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016, p.87, para 23.

**238. गिद्धिझोपरी.** पैनल नोट करता है कि जनवरी 2016 में गिद्धिझोपरी (GiddhiJhopri) में WTP निर्माण के लिए सरकारी सर्किल अधिकारी (CO) द्वारा जारी NOC को फिर से ग्राम-सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अग्रसारित किया गया था. ये अनापति प्रमाण-पत्र (NOC) इस बात कि विशेष पुष्टि नहीं करता है कि इसे निवास की ग्राम-सभा स्तर से या ग्राम-पंचायत स्तर पर सुनिश्चित कराने की आवश्यकता थी. WTP स्थल के चयन के बारे में 6 फरवरी, 2016 को रानीडीह में मध्य घागिधी (Madhy Gagidhi) ग्रामपंचायत के मुखिया द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी. इस ग्राम-पंचायत में गिद्धिझोपरी और रानीडीह सहित चार बस्तियाँ/रिहायिशें शामिल हैं.<sup>313</sup> इस बैठक में गिद्धिझोपरी पहाड़ी स्थल को WTP के लिए समर्थन दिया गया था. पैनल इस बात को समझता है कि जैसा प्रबन्धन ने भी स्वीकार किया कि इस बैठक में गिद्धिझोपरी का कोई भी निवासी शामिल नहीं था, बावजूद इसके कि इस परियोजना से सीधे-सीधे प्रभावित होने वाले वही लोग थे.<sup>314</sup> ग्राम-पंचायत के सदस्यों ने बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से समुदाय के सदस्यों को इस बैठक के लिए आमंत्रित करने गिद्धिझोपरी गये थे और इसकी घोषणा पारम्परिक *दकुआ तंत्र* (*Dakua system*) के माध्यम से की गयी थी.<sup>315</sup>

**239.** गिद्धिझोपरी के समुदाय के नेताओं ने पैनल को बताया कि इस स्थल के अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जो कि सर्किल अधिकारी के द्वारा निर्गत की गया थी, की जानकारी उनको स्थानीय अखबार के माध्यम से मिली जहाँ उन्होंने स्थानीय सरकार से ग्राम-सभा का अनुमोदन दिखाने के लिए कहा, और स्थल चयन का विरोध किया. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए स्थल चयन का अनुमोदन मिल गया है और शीघ्र ही काम शुरू हो जायेगा. प्रथम प्रबन्धन प्रतिक्रिया स्वीकार करती है कि गिद्धिझोपरी के निवासियों ने स्थानीय सरकार से ग्राम-सभा की बैठक बुलाने को कहा लेकिन उनकी इस प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं दिया गया.<sup>316</sup>

**240.** पैनल समझता है कि प्रबन्धन अस्पष्ट है कि क्या गिद्धी झोपरी पहाड़ी, गिद्धि झोपरी या रानीडीह के अनौपचारिक-सहमत भूमि के उपयोग क्षेत्र में है या नहीं. प्रबन्धन प्रतिक्रिया कहती है कि बस्ती / रिहाईश स्तर के मानचित्र उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय हो सके कि पहाड़ी सीमाओं के अन्दर है या नहीं, लेकिन सर्किल अधिकारी का एक पत्र, जो बैंक को नवम्बर, 2018 को भेजा गया था, स्पष्ट करता है, “ऐसा प्रतीत होता है कि स्थल रानीडीह का ही उपग्राम / पुरवा (*Hamlet*) रह होगा.”<sup>317</sup> हालांकि प्रबन्धन भी स्वीकार करता है कि गिद्धि झोपरी अपेक्षाकृत WTP के ज्यादा पास में है और सबसे ज्यादा प्रभावित है.<sup>318</sup>

**241.** अपने भ्रमण के समय पैनल ने भी पाया कि बागबेरा WTP गिद्धि झोपरी के ज्यादा पास में है. गिद्धि झोपरी के निवासियों ने पैनल को बताया कि ये केवल गिद्धि झोपरी के लोग हैं जो अपने मृतकों को पहाड़ी पर दफनाते हैं और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को इसी स्थल पर निभाते हैं. उनके अनुसार रानीडीह के निवासियों ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि यह “उभय सम्पत्ति संसाधन” (Common Property Resource) है. उन्होंने यह भी दावा नहीं किया कि वे किसी भी रीति-रिवाजों को पहाड़ी पर मनाते हैं. ये पैनल को रानीडीह के एल सामुदायिक नेता ने बताया.

<sup>313</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 5, Figure 1- *The four habitations are JataJhopri, Ranidih, GiddhiJhopri, and Kitchi Tola.*

<sup>314</sup> Ibid., Executive Summary, p.vi., para viii.

<sup>315</sup> The “*Dakua*” system involves bicycle messengers visiting different villages using traditional drum beatings, placards, and microphones.

<sup>316</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 9, para 35.

242. एक अभिलेख जो पैनल के साथ साझा किया गया उसमें अनुरोधकर्ताओं ने कहा कि अनेकों सरकारी अभिलेखों में WTP स्थल को “ गिद्धिझोपरी डूंगरी” ( *Giidhijopri Hill*) कहकर संबोधित किया गया है.<sup>319</sup>



फोटो 4: गिद्धिझोपरी पहाड़ी पर पारंपरिक दफन-स्थल

पैनल ने, DPMU द्वारा उन तमाम निर्गत अभिलेखों/दस्तावेजों, 2015 के अभिलेखों/दस्तावेजों को भी समाहित करते हुए, अवलोकन किया जिनमें कहा गया था कि WTP स्थल गिद्धिझोपरी में है या गधीडीह पहाड़ी / गिद्धिझोपरी (Gaghidih hill/Giddhijhopri) पर है.<sup>320</sup> गिद्धिझोपरी समुदाय के सदस्यों ने इस बात को बनाय रखा कि पहाड़ी पर किसी भी विकास के कार्य के लिए गिद्धिझोपरी ग्राम-सभा का परामर्श और उसका अनुमोदन आवश्यक होगा. उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि इस ग्राम-सभा का मुखिया माझी जनजातीय नेता होना चाहिए क्योंकि उनकी निगाह में बस्ती/रिहाईश के स्तर पर वही एक वैध नेता होता है. गिद्धिझोपरी के निवासियों ने पैनल को बताया कि सरकार ने ग्राम-सभा स्तर से इस आशय का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था.

243. पैनल नोट करता है कि बागबेरा WTP का काम, बस्ती/रिहाईश स्तर की ग्राम-सभा के अनुमोदन के बिना ही शुरू हो गया था जबकी TDP के लिए यह आवश्यक है. प्रबन्धन स्वीकार करता है कि स्थल-विशिष्ट EDS और DPR की तैयारी के समय कोई व्यवस्थित और अभिलेखित परामर्शों का आयोजन नहीं किया गया था और इन दस्तावेजों का आज तक सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है.<sup>321</sup> पैनल नोट करता है कि प्रबन्धन ने बागबेरा WTP पर काम करने की अनुमति दी बावजूद इसके कि प्रभावित जनजातीय समुदायों से व्यापक समुदाय समर्थन नहीं प्राप्त था, और जो अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिया गया था वह सशर्त था कि ग्राम-सभा से भी अनुमोदन मिले. कम से कम अक्टूबर, 2015 से स्थानीय अधिकारियों को इस तथ्य के बारे में जानकारी थी और प्रबन्धन ने नवम्बर, 2015 से इस बात को प्रचारित कर दिया था.<sup>322</sup> स्थानीय मीडिया द्वारा इसके विरोध को जून, 2016 से प्रकाश में लाया जा रहा था.<sup>323</sup>

<sup>317</sup> Ibid., Annex 1, p. 18. , <sup>318</sup> Ibid., Annex 1, p. 0., <sup>319</sup> Ibid., p.5.

**244.** पैनल मानता है कि महीनो चले विरोध के बाद गिद्धिझोपरी में फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून, 2016 में बैठकों का आयोजन किया गया, और अगस्त, 2017 में बहु-ग्राम जल एवं स्वच्छता समीति (MVWSC) का गठन किया गया. यद्यपि पैनल नोट करता है कि बागबेरा WTP की डिज़ाइन में प्रभावित समुदाय के लोग प्रभावपूर्ण तरीके से भाग नहीं ले सके, क्योंकि ये बैठकें स्थल सम्बन्धी निर्णयों को लिए जाने के बाद आयोजित की गयीं.

**245. पुरानी बस्ती का ESR .** पुरानी बस्ती के समुदाय के सदस्यों ने पैनल को बताया कि चूँकि ESR स्थल उनकी साम्प्रदायिक भूमि पर स्थित है अतः कोई भी विकास का कार्य उनकी बस्ती के स्तर की ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही होगा. समुदाय के लोगों ने बताया ऐसा कुछ नहीं हुआ.

**246.** छोटागोविंदपुर MVS के लिए DPR दर्ज करता है कि 28 जुलाई, 2012 को दक्षिण सर्जामदा में एक ग्राम-पंचायत की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक का उद्देश्य परियोजना को सामान्य रूप से ग्राम-पंचायत में प्रस्तुत करके यह सुनिश्चित करना था कि बैठक में सभी गांवों को शामिल किया गया. अभिलेखानुसार ग्राम-पंचायत MVS के क्रियान्वयन को सहयोग देने के लिए सहमत थी.<sup>324</sup> प्रबन्धन यह भी कहता है कि सर्जामदा पंचायत भवन में परामर्श बैठक का भी आयोजन नवम्बर, 2014 में किया गया था, जिसमें बैंक के तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक परामर्शदाताओं ने भी सहभाग किया था लेकिन इस बात की कोई सूचना नहीं है कि समुदाय से किन लोगों ने प्रतिभाग किया था, क्या जनजातीय सदस्यों ने भाग लिया था और किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी.<sup>325</sup>

**247.** जब पैनल ऊपर कही गयी बैठकों के बारे में बात करता है तो पैनल यह पाता है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि 2016 से पहले इन बैठकों में पुरानी बस्ती के सदस्यों से निर्माण स्थल के बारे में कोई भी चर्चा हुई थी. दूसरी प्रबन्धन प्रतिक्रिया मानती है कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि दक्षिणी सर्जामदा में ग्राम-पंचायत (जिसमें पुरानी बस्ती को मिलाकर आठ बस्तियां शामिल हैं) की कोई बैठक, ESR स्थल के लिए समुदाय की राय पाने के लिए हुई. <sup>326</sup> पैनल यह भी पाता है कि पुरानी बस्ती में भी अनुमोदन के लिए आवश्यक ग्राम-सभा की बैठक बस्ती/रिहाईश स्तर के लिए हुई.

**248.** पैनल पाता है कि DWSD के अधिशाषी अभियंता का एक पत्र, जो अक्टूबर, 2015 में परगनाधिकारी डलबुम (Dhalbum) को लिखा गया था, स्पष्ट करता है कि समुदाय के लोगों ने ESR स्थल को "रोमांटिक फुटबॉल का मैदान" कहते हुए इसका विरोध किया था और निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई थी. हालांकि पैनल समझता है कि प्रबन्धन को इस विरोध की जानकारी अक्टूबर, 2018 में हुई थी.

**249.** प्रबन्धन व्याख्या करता है कि जब DPMU को अगस्त 2015 में ESR स्थल के विरोध के बारे में पता चला तो, उसके बाद में विभिन्न परामर्शों के माध्यम से इन आपत्तियों को हल करने का प्रयास किया, जिसमें छोटागोविंदपुर MVS को लेकर 4 और 17 अप्रैल, 2016 को उत्तर और दक्षिण सर्जामदा ग्राम-पंचायतों में हुई बैठकें शामिल थीं.<sup>328</sup> मई 1, 2016 में एक खुली बैठक, जिसे आम सभा

<sup>321</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 12, para 43 and Annex 1, p. 10.

<sup>322</sup> Aide memoires – Fourth Implementation Support Mission, November 16- 30, 2015, Annex 3, p. 58, para 8 and Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016, Annex 8, p. 87, para 21.

<sup>323</sup> Management Response to the first Request for Inspection, Annex 4, p. 87.

कहा जा सकता था लेकिन यह विधिक रूप से ग्राम-सभा नहीं थी, जिसमें ESR के निकट रहने वाले सभी लोग भाग ले सकते थे, उत्तरी सर्जामदा में आयोजित की गयी थी. हालाँकि , प्रबन्धन बताता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि ESR के स्थल पर आपत्ति करने वाले पुरानी बस्ती के लोगों ने इन बैठकोंमें भाग लिया या नहीं और बैठक के प्रलेखो (Records) के आधार पर चर्चा में ESR का स्थान शामिल नहीं था.<sup>329</sup> प्रबन्धन यह भी स्वीकार करता है कि आम सभा में भाग लेने वालों ने इंगित किया था कि जल-योजनाओं पर चर्चा की जानी चाहिए और इसका अनुमोदन ग्राम-सभा द्वारा होना चाहिए, न कि आम-सभा द्वारा, और यह भी कहा कि इस बैठक में पारंपरिक नेताओं का सम्मान नहीं किया गया था.<sup>330</sup>

250. पैनल, प्रबन्धन के साथ साक्षात्कार से और सहयोगी संज्ञान/यादनामों (Aid memoires) की समीक्षाओं के माध्यम समझता है कि , परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण , कार्यों को तेज करना सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं की कीमत पर किया गया था. वर्ष 2016 की मध्यावर्ती समीक्षा में कहा गया है कि “सामाजिक प्रबन्धन प्रक्रियाओं और क्रियाओं को योजनापूर्व और तैयारी के चरण के दौरान किया जाना होता है जिन्हें क्रियान्वयन चरण में स्थगित कर दिया गया था.”<sup>331</sup> सहयोगी संज्ञान/यादनामों (Aid memoires) की मध्यावर्ती समीक्षा में इस बात का वर्णन मिलता है कि 2016 में जो पुनर्योजित बैठकें (सहायक बैठकें) समुदाय के साथ आयोजित की गयी थी उनका उद्देश्य समुदाय को परियोजना हस्तक्षेपों से अवगत करना था.<sup>332</sup> हालाँकि पैनल नोट करता है कि यह सब तब हुआ, जब स्थलों का चुनाव हो चुका था. पैनल, परामर्शों से सम्बंधित अभिलेखों के न होने और सूचनाओं की कमी पर ध्यान देते हुए - कि वे हिंदी या जनजातीय भाषाओं में नहीं है - संभावित परियोजना प्रभावों के बारे में नोट करता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि इन बैठकों में किन बातों पर चर्चा हुई थी और वे कितनी उपयोगी रही है.

251. पैनल यह पाता है कि कोई भी स्थल-विशिष्ट TDP तैयार नहीं किये गये थे, और प्रबन्धन ने भी सरकार से इस बारे में फॉलोअप (अनुवर्ती कार्यवाही) नहीं किया कि बस्ती स्तर कि ग्राम-सभा से कोई अनुमोदन लिया गया है या स्थल स्तरीय निर्णयों और परामर्शों से सम्बंधित कोई प्रलेख प्राप्त किये गये हैं. पैनल नोट करता है कि जब गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती के निवासियों को परियोजना स्थलों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना प्रतिरोध व्यक्त किया. बागबेरा WTP का विरोध मीडिया में रिपोर्ट किया गया था परियोजना के MTR में भी दर्ज है. यहाँ तक कि इस जाने-माने प्रतिरोध के बाद भी, बैंक प्रबन्धन की कार्यवाही के बिना, काम जारी रहा. पैनल मानता है कि बागबेरा WTP और पुरानी बस्ती का ESR से सम्बंधित ये निर्णय, वृहद समुदाय समर्थन के साक्ष्यों की अनुपस्थिति में, नीति OP/BP 4.10 की आवश्यकताओं की अवहेलना है.

<sup>324</sup> Detailed Project Report for Chhotagovindpur MVS, Volume I, Annex on South Sarjamda Gram Panchayat Raj Meeting from July 28, 2012.

<sup>325</sup> Management Response to the second Request for Inspection, p. 27.

<sup>326</sup> Ibid., pp. 11-12, para 41., <sup>327</sup> Ibid., p. 12., <sup>328</sup> Ibid., <sup>329</sup> Ibid., p. 13, para 44., <sup>330</sup> Ibid., p.14.,

<sup>331</sup> Aide memoire – Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016, p. 86.

<sup>332</sup> Ibid

252. पैनल अपनी विवेचना में पाता है कि बागबेरा WTP और पुरानी बस्ती का ESR का अनुमोदन बस्ती/रिहाईश स्तर की ग्राम-सभा से नहीं था, बावजूद इसके कि TDP और TDIP दोनों में ही जनजातीय निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ सुनिश्चित की गयी हैं। पैनल पाता है कि प्रभावित हुए जनजातीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व को बिना ध्यान दिए हुए इन स्थलों का चुनाव किया गया है। पैनल यह भी पाता है कि प्रभावित हुए जनजातीय समुदाय के वृहद समर्थन के बिना भी कार्य होता रहा। परिणामस्वरूप, पैनल का निष्कर्ष है कि इन दो स्थलों का चयन, और ये बैंक की पर्यावरण आकलन नीति (OP/BP 4.01), मूलनिवासी नीति (OP/BP 4.10) और भौतिक सांस्कृतिक संसाधन नीति (OP/BP 4.11) का गैर-अनुपालन है।

#### 4.4.2 प्रतिशोध

253. पैनल ने अपने भ्रमण के दौरान, गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती दोनों जगहों के समुदाय के लोगों ने अभिकथित (Alleged) प्रतिशोध के बारे में चिंता व्यक्त की थी। पैनल ने उस शारीरिक बल के अभिकथित प्रयोग के बारे में भी सुना जो बागबेरा WTP के निर्माण के समय गिद्धिझोपरी की महिलाओं और बच्चों के लिए किया गया था। समुदाय के लोगों ने बताया कि जब जुलाई 2016, में निर्माण गतिविधियाँ शुरू हुई थी तो उन लोगों ने शंन्तिपूर्वक इसका विरोध किया था, लेकिन पुलिस ने बिलकुल इसके विपरीत हिंसात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा बहुत लोगों को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। गिद्धिझोपरी में एक बैठक के समय, पैनल, एक ऐसे लड़के से मिला जो उस समय 13 साल का था। उसने बताया कि उसको बुरी तरह से मारा-पीटा गया था, उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और एक्स-रे भी पैनल टीम को दिखाया था। अनेकों महिलाओं ने भी पैनल टीम को अपनी-अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और एक्स-रे दिखाए और कहा कि उनको पुलिस ने लाठी-डंडों और रायफल के बटों से मारा। वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों ने पैनल टीम को बताया कि उन्होंने पुलिस की तैनाती इसलिए की थी क्योंकि निर्माण कार्य में लगे कर्मियों के विरोध में समुदाय के लोगों ने तीर और धनुष का प्रयोग करने की धमकी दी थी।

254. पैनल ने दैनिक *हिंदुस्तान टाइम्स* में छपे एक लेख को भी देखा जिसमें परियोजना का विरोध करने करने वाले समुदाय के लोगों की और पुलिस के बीच संघर्ष की तस्वीरें थीं। लेख में स्पष्ट है कि स्थानीय सरकार ने WTP के निर्माण तक 15 दिनों के लिए पुलिस बलों की तैनाती का अनुरोध किया था। एक 88 पुलिस कर्मियों का एक दल कथित तौर पर परियोजना-स्थल पर पहरा दे रहा था।<sup>333</sup> समुदाय के लोगों ने पैनल को बताया कि WTP कि परिधि वाली दीवार बनने तक एक महीने तक सशस्त्र पुलिस दल गिद्धिझोपरी पहाड़ी के एक तरफ रहा और प्रत्येक दिन बस्ती में गश्त देती रही।

255. गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती के निवासियों के साथ बैठक के दौरान पैनल टीम ने सुना कि दोनों ही स्थानों पर परामर्श बैठकों के समय पुलिस तैनात थी, जिसने एक बाधित वतावरण बना दिया था। अनुरोधकर्ताओं ने पैनल टीम को गिद्धिझोपरी में स्थानीय सरकारी अधिकारियों द्वारा आयोजित एक परामर्श बैठक का वीडियो दिया जिसमें दिखाया गया है कि बागबेरा WTP के बारे में सरकारी अधिकारियों से बात करते समय 10 पुलिस वाले समुदाय के लोगों के बीच में खड़े हैं।<sup>334</sup>

256. समुदाय के लोगों ने बाते कि सरकार ने 2016 में होई 39 लोगों पर पुलिस केस बनाये लेकिन अभी तक औपचारिक रूप में उन पर दंड का निर्धारण नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि इस सूची में बहुत से ऐसे लोगों के नाम हैं जो विरोध प्रदर्शन में शामिल ही नहीं थे। उनके अनुसार list में ऐसे

लोग भी थे, जिनमे से एक पहले से ही मृत था, बच्चे थे और वो लोग जो विरोध के दिन अपने कम पर थे. उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों ने मतदाता सूची से छांटकर 109 लोगों की सूची तैयार की और यादृच्छ्य (Random) तरीके से, बिना जाने-समझे कि ये लोग विरोध प्रदर्शन में थे या नहीं, लोगों को यहाँ-वहाँ से उठाया. समुदाय के लोगों का विश्वास है कि एक डर की निरंतरता बनाये रखने के लिए, प्राधिकारियों ने न तो उन पर आरोप तय किये और न ही मुकदमों को बंद किया.

**257.** सरकारी अधिकारियों ने पैनल के समक्ष इस बात को स्वीकार किया कि गिद्धिझोपरी के कुछ निवासियों को प्रथम सूचना प्रतिवेदन (FIR) के आधार पर दोषी बनाया था. अधिकारियों ने बाते कि FIR 39 नामजद लोगों और 109 अनाम लोगों के खिलाफ सक्रीय रही है, लेकिन यदि ये लोग बागबेरा WTP निर्माण में बाधा नहीं पहुंचाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जायेगा.

**258.** पैनल ने सुना कि गिद्धिझोपरी और उसके पास की दो बस्तियों के लोगों को “चरित्र-प्रमाणपत्र” न जारी करके विरोध प्रदर्शन की सजा दी गयी. अनुरोधकर्ताओं ने बताया कि इस वजह से समुदाय के लोगों की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. चूँकि उस क्षेत्र के प्रमुख सेवादाताओं को, टाटा स्टील कंपनी को सम्मिलित करते हुए, जो कि जमशेदपुर की प्रमुख कम्पनी है, अपने यहाँ नया रोजगार देने, रोजगार संविदा का नवीनीकरण कराने में इन चरित्र-प्रमाणपत्र की आवश्यकता पड़ती है, हालाँकि, अनुरोधकर्ताओं ने पैनल टीम को बताया कि इस समस्या का समाधान हो गया है अब यह कोई मुद्दा नहीं रहा है.

**259.** पुरानी बस्ती की महिलाओं ने, पैनल को बताया कि उन्हें आधार कार्ड - “भारतीय सामाजिक सुरक्षा कार्ड” - बनवाने के लिए ग्राम-पंचायत की संस्तुति नहीं जारी हो रही है - क्योंकि उनके ऊपर “विघ्नकारी” होने का ठप्पा लग चुका है. उन्होंने कहा कि पुरानी बस्ती में कोई भी नई सरकारी परियोजना नहीं आने दी जा रही है क्योंकि इस बस्ती को “विकास-विरोधी” बस्ती की तरह देखा जा रहा है. समुदाय के लोगों का दावा है कि उन्हें डराया जा रहा है, यदि उन्होंने ESR का विरोध करना जारी रखा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

**260.** पैनल इस बात को समझता है कि जबकि प्रबन्धन को प्रतिशोध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो भी, उसे बागबेरा WTP स्थल पर यदा-कदा जनजातीय समुदाय द्वारा होने वाले विरोध के कारण कार्य-बाधा का संज्ञान था, जैसा कि 2016 के MTR में स्वीकार भी किया गया है. <sup>335</sup> यद्यपि प्रबन्धन ने प्रथम अनुरोध प्राप्त होने से पहले इस मुद्दे को हल नहीं किया था, जैसा कि एक के बाद एक आये सहायक यादनामों (Aide Memoires) से विदित होता है. पैनल समझता है कि वरिष्ठ प्रबन्धन को 2018 में समुदाय के लोगों के खिलाफ की गयी FIR के बारे में पता चला और सरकार से पत्रावलियों को बंद करने के लिए कहा. फिर भी सरकार ने प्रबन्धन से कहा कि ये FIR खुली रहेंगी जिससे समुदाय के लोग बागबेरा WTP के निर्माण कार्य में बाधा न डाल सकें.

**261.** पैनल ने नोट किया कि प्रबन्धन ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि विश्व बैंक किसी भी प्रकार का दमन और प्रतिशोध नहीं सहेगा और इस तरह का जोखिम यदि अस्तित्व में नहीं आता है तो बैंक सम्बंधित सरकारों के साथ काम करना जारी रखेगा. पैनल आशा करता है कि प्रबन्धन यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ फॉलो अप करता रहेगा कि समुदाय के लोग संरक्षित रहें और उनको अपनी शिकायतों को सीधे जिम्मेदार अफसरों तक पहुँचाने के माध्यम बने रहें.

<sup>333</sup> Hindustan Times Newspaper titled “Water War”, July 16, 2016.

<sup>334</sup> Videos provided by community members to the Panel dated July 15, 2016.

<sup>335</sup> Aide memoire – Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016, p. 87, para 21.

#### 4.4.3 जमशेदपुर नगर की सीमाओं का विस्तार

**262.** अनुरोधकर्ताओं कि यह चिंता, कि जमशेदपुर नगर की सीमाओं का विस्तार उनके जनजातीय अधिकारों का क्षरण कर देगा, को झारखण्ड राज्य के ऐतिहासिक सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए. अपनी ज़मीन पर वैधानिक अधिकार पाने के लिए झारखण्ड राज्य के संघर्षों का एक लम्बा इतिहास है.<sup>336</sup> जनजातीय लोगों को राज्य का मूल निवासी माना जाता है. झारखण्ड राज्य की जनसांख्यिकी समय के साथ बदलती रही, गैर जनजातीय लोग भी आते गये और धन्यवाद देना चाहिए कि औपनिवेशिक काल में तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण से इन लोगों की जनसँख्या में खूब बढ़ोत्तरी हुई. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब खदानों, और उद्योगों का काम राज्य के विभिन्न भागों में शुरू हुआ और अवस्थापना सम्बन्धी कार्य जैसे बाँध आदि बनने शुरू हुए तो इन गैर-जनजातीय लोगों की जनसँख्या खूब बढ़ी.

**263.** उन क्षेत्रों में, गैर-जनजातियों के बढ़ती हुई आबादी ने, जो कभी ऐतिहासिक सन्दर्भों में जनजातीय समुदायों का घर हुआ करते थे, तुलनात्मक प्राथमिकताओं और दिशा बदलती हुई रुचियों को जन्म दिया. झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजातियों में भी भूमि को विलग भाव (Land Alienation) से रखना एक समस्या रही है और इसे ही दूर करने के लिए ऐसे अनेकों विधिक प्रावधान बनाये गये हैं जिससे जनजातीय समुदाय की ज़मीनों का हस्तान्तरण गैर-जनजातीय समुदाय को न हो सके. इन सबके बावजूद ज़मीनों का हस्तान्तरण होता रहा, जनजातीय समुदाय की ज़मीनों का इस्तेमाल बस्तियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बनाने में होता रहा जिसकी वज़ह से जनजातीय समुदाय और गैर-जनजातीय समुदाय के बीच में संघर्ष और वैधानिक चुनौतियाँ बनी रहीं.<sup>337</sup>

जमशेदपुर शहर कि स्थापना 1908 में छोटा नागपुर के पठार पर कम्पनी कसबे के आधार पर हुई, यहाँ घने जंगलों में जनजातीय समुदाय के लोग रहते थे. एक नियोजित शहर के रूप में जमशेदपुर का विकास बहुत ही तेज़ी से हुआ, टाटा आयरन और स्टील कम्पनी में उत्पन्न रोज़गार के अवसरों ने इस तेज़ी को अपने पंख दिए.

**264.** अपने भ्रमण के समय पैनल ने, जमशेदपुर शहर से गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती की समीपता को देखा, जमशेदपुर झारखण्ड का सबसे बड़ा नगरीय केंद्र है. अपने भ्रमण के समय पैनल ने बार-बार समुदाय के लोगों से सुना कि जमशेदपुर शहर की सीमायें बिना किसी रोक-टोक के उनके गांवों की तरफ बढ़ी आ रही है. जनजातीय लोगो ने पैनल को बताया कि उनका विश्वास है कि बागबेरा और छोटागोविंदपुर की MVSs, काम के कारण बसी हुई इस बढ़ी हुई आबादी की जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनायी गयी है और इन्ही गैर-जनजातीय लोगों ने मई 2014 में विरोध करते हुए अपने को योजना में शामिल करने के लिए कहा था.<sup>338</sup>

**265.** जनजातीय समुदायों को डर है कि बागबेरा और छोटागोविंदपुर की MVSs की वज़ह से गैर-जनजातीय समुदाय के लोगों प्रवास उनकी बस्तियों की तरफ बढेगा. उन्हें चिंता है कि जमशेदपुर शहरीकरण मास्टर प्लान का मसौदा MVSs से जुड़ा हुआ है और इस तरह के निर्माण उनके संवैधानिक रूप से संरक्षित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र को शहर में बदल देने के लिए बनाये जा रहे हैं. और ये परिणाम, भूमि और संसाधनों पर जनजातीय नियंत्रण से संबंधित विधिक सुरक्षा का प्रभावी रूप से क्षरण कर देंगे. अनुरोधकर्ताओं के अनुसार, शहरी माने जाने वाले क्षेत्रों में, नगर पालिका

<sup>337</sup> Ibid.

<sup>338</sup> The Avenue Mail, May 25, 2014, "Bagbera and Kitadih Residents Fast for Water." Available at: <https://www.avenuemail.in/jamshedpur/bagbera-kitadih-residents-fast-water/45291/>

अधिनियम, अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित भूमि अधिकारों की रक्षा करने वाले PESA अधिनियम को किनारे कर प्राथमिकता ले लेंगे.

**266.** प्रबन्धन व्यक्त करती प्रतिक्रियायें हैं कि गिद्धिझोपरी जमशेदपुर शहर की वाह्य सीमा(fringes) पर स्थित है, और देश का 36 वाँ सबसे बड़ा शहरी जमावड़ा है. प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि जबकि वास्तव में सरकार क्षेत्रीय नियोजन और एकीकरण को देखते हुए जमशेदपुर शहर का विस्तार चाहती है लेकिन फिर भी जमशेदपुर मास्टर प्लान के मसौदे और परियोजना में कोई जुड़ाव नहीं है.<sup>339</sup> प्रतिक्रियाओं में यह भी कहा गया है कि मास्टर प्लान का मसौदा अभी अंतिम नहीं है. प्रतिक्रियाओं में बताया गया कि परियोजना में शामिल जल-आपूर्ति से सम्बंधित योजनायें जल की मात्रा और गुणवत्ता के लिए चयन विकल्पों से निर्धारित होती हैं, और इनके केंद्र बिंदु हैं ग्रामीण और गरीबी वाले क्षेत्र. साथ में प्रबन्धन यह भी इंगित करता है कि स्थानीय स्तर पर भी परियोजना की बहुत मांग है.<sup>340</sup>

**267.**पैनल ने परियोजना अभिलेखों का अवलोकन किया और पाया कि योजनाओं और जमशेदपुर शहर के विस्तार वाले मास्टर प्लान के मसौदे के बीच कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं है. परियोजना अभिलेख किसी भी प्रकार की शहरी सीमाओं के विस्तार की बात करते हैं या फिर मास्टर प्लान का मसौदा. पैनल नोट करता है कि अनुरोधकर्ताओं की मूल चिंता इस बात को लेकर है बहु-ग्राम योजनाओं से शहरीकरण बढ़ने की संभावनाएं हैं जिससे शासन तंत्र में परिवर्तन होंगे और भूमि और संसाधनों से सम्बंधित जनजातीय लोगों के अधिकारों का क्षरण होगा. पैनल नोट करता है कि गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती के निवासियों से परियोजनाओं के स्थल-विशिष्ट चयन से पूर्व में कोई परामर्श हुआ ही नहीं जिससे इन प्रभावित जनजातीय समुदायों के पास अपनी आवाज़ उठाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं. परिणामस्वरूप परामर्श और स्थल-विशिष्ट आकलन की कमी, दोनों महत्वपूर्ण जोखिमों के बारे में परियोजना ने सोचा ही नहीं.जबकि प्रबन्धन यह स्वीकार करता है कि योजनायें जो गैर-जनजातीय लोगों को आकर्षित कर उनको जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ने के लिए रास्ता बना रही हैं, उनको शहरी सेवा क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, इस बात कि चिंताएँ जनजाति के लोगों द्वारा मार्च, 2016 में सरकार के साथ हुई बैठक में उठाई गयी थी,<sup>341</sup> यह बैठक स्थल के निर्णय हो जाने के बाद हुई थी.

---

<sup>339</sup> Management Response to the First Request for Inspection, p. 8, para 31.

<sup>340</sup> Ibid., p. 7, para 32.

#### 4.4.4 शिकायत निवारण तंत्र

**268.**पैनल नोट करता है कि परियोजना अभिलेखों में एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की कल्पना की गयी है. परियोजना मूल्यांकन अभिलेख (PAD) कहता है कि “ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) परियोजना के लिए एक समेकित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करेगा, जो सामुदायिक संगठनों को, स्थानीय सरकारों को, स्थानीय या राज्य स्तरीय प्रशासन को प्रस्तुत की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पर्याप्त अनुवर्ती-क्रियाओं (Follow up actions) को सुनिश्चित करेगा.”<sup>342</sup> PAD यह भी कहता है कि परियोजना क्रियान्वयन के पहले 6 महीनों के अन्दर यह तंत्र लागू किया जायेगा और बाद में उत्तरोत्तर इसकी समीक्षा होती रहेगी. GRM सुनिश्चित करेगा कि शिकायतें आसानी से की जा सकें, उन पर त्वरित गति से कार्यवाही हो, शिकायतों और उनकी प्रतिक्रियाओं का प्रलेखन हो और वे ऐसी हों कि उनका सुराग लगाया जा सके, और अपील और निगरानी की व्यवस्था हो.

**269.**वर्ष 2013 का TDP कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की जल और स्वच्छता से सम्बंधित शिकायतों को राज्य के संवैधानिक और विधिक ढाँचे में ही निपटाना चाहिए. <sup>343</sup> TDP एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की कल्पना करता है जिसमें राज्य, जनपद और राजस्व ग्राम के स्तर हैं. राज्य स्तर पर दो इकाईयाँ बनायीं जायेंगी, पहली होगी - जल और स्वच्छता शिकायत निवारण समिति, और दूसरी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, ये दोनों SPMU के स्तर पर होंगी. राज्य स्तरीयसमिति आयुक्त जनजातीय कल्याण, प्रमुख शिक्षाविदों, प्रमुख महिला सगठनों, पंचायतीराज संस्थाओं, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों, SPMU के मुख्य अभियंता और जाने-माने और ग्राह्य जनजातीय आदिवासी नेता को मिलाकर बनायी जाएगी. जनपदीय स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होगा “जिसकी अध्यक्षता उप-आयुक्त और जिला कल्याण अधिकारी करेंगे, खण्ड कल्याण अधिकारी, चेयरमैन आदि भी होंगे.” <sup>344</sup> गाँव के स्तर पर यह समिति गैर-सरकारीसंस्थान के द्वारा संचालित होगी ऐसी योजना बनायी गयी थी. शिकायत करने का यह पहला स्थान होगा और आशा की गयी थी कि एक महीने के अन्दर इसका निवारण हो जायेगा. फिर भी पैनल ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया कि इस कल्पना को क्रियान्वित भी किया जा सका है.

**270.**पैनल के भ्रमण के समय सरकारी अधिकारी अपनी बात पर कायम रहे कि परियोजना में बहुत ही बड़ा शिकायत निवारण तंत्र, राज्य पेयजल और स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत टोल-फ्री नंबर के साथ काम कर रहा है और इसकी मासिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि विभाग के पास परियोजना से सम्बंधित कोई विशेष शिकायतें नहीं आई; और जो शिकायतें मुख्य रूप से आयी हैं वे वर्तमान योजनाओं में जल-आपूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता को लेकर हैं.

**271.**गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती समुदाय के जिन सदस्यों से पैनल टीम ने मुलाकात की उन्होंने बताया कि उनको शिकायत निवारण तंत्र के अस्तित्व या शिकायत करने के तरीके को लेकर कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि जब बागबेरा WTP को लेकर आवाज़ उठाने जैसी शिकायत की कोशिश भर की तो सरकार ने प्रतिक्रिया में पुलिस भेज दी. परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी आवाज़ उठाने के लिए उनके पास कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं है.

<sup>341</sup> Ibid., Annex 1, p. 5.

<sup>342</sup> PAD, p. 67, para 8.

<sup>343</sup> Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 62.

<sup>344</sup> Ibid

272. पैनेल यह पाता है कि 2016 का MTR शिकायत निवारण तंत्र की कमियों की तरफ इशारा करता है. यह प्रदर्शित करता है कि “[...]SPMU को तत्काल प्रभाव से टोल-फ्री नंबर को अर्जित कर उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग परियोजना के सभी गाँव शिकायत निवारण के लिए करेंगे, जहाँ पर निष्ठावान स्टाफ शिकायतों को दर्ज कर आगे की कार्यवाही करेगा [...]”<sup>345</sup> फरवरी 2017 की बैंक की एक पर्यवेक्षण रिपोर्ट बताती है कि “ कोई भी कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र अस्तित्व में नहीं [था] - विशेषकर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर.”<sup>345</sup> जुलाई 2017, की बैंक पर्यवेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि कि परियोजना के पास शिकायत निवारण के लिए बहुत सारे तरीके थे जैसे -मुख्यमन्त्री जन संवाद, टोल-फ्री नंबर, ग्राम जल और स्वच्छता समिति ( जल सहिया), और मौखिक या लिखित तौर पर शिकायत की प्रस्तुति. यह पाया गया कि SPMU को शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर प्रलेखन, अभिलेखीकरण और मासिक प्रतिवेदनों को तैयार करने के साथ-साथ उनको हर तिमाही में बैंक के साथ साझा करने की आवश्यकता है.<sup>347</sup>

273. प्रबन्धन अपनी प्रतिक्रियाओं में व्याख्या करता है कि परियोजना में राष्ट्रीय स्तर पर एक GRM है और झारखण्ड में लोग कई माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. हालाँकि, प्रबन्धन स्वीकार करता है कि राज्य स्तरीय GRM अपेक्षाकृत नया है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अधिक जाना नहीं जाता है और स्थानीय स्तर के GRM भली-भांति न समन्वित होते हैं और न ही उनकी निगरानी हो पाती है. <sup>348</sup>प्रबन्धन अपनी प्रतिक्रियाओं में प्रतिबद्धता दर्शाते हुए परियोजना स्तरीय और स्थल स्तरीय GRMs की समीक्षा करते हुए उन्हें सशक्त करने की बात करता है. <sup>349</sup> मार्च 2019 का सहायक-संस्मरण/यादनामा कहता है कि परियोजना जल्द ही एक वेब-आधारित GRM प्रणाली को पूरे झारखण्ड राज्य के लिए लागू करेगी जिसमें सात दिवसों के अन्दर-अन्दर शिकायत निवारण का वादा किया गया है.<sup>350</sup>

274. TDP मानता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में “ग्राम-सभा के पास सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा करने के साथ-साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों और विनियमों के अनुरूप विवाद निवारण की शक्ति होती है.”<sup>351</sup> हालाँकि पैनेल, सरकारी अधिकारियों के साथ हुए विचार-विनिमयों और परियोजना अभिलेखों के अवलोकन में नोट करता है कि वर्तमान समय में एक उचित GRM - जो परम्परागत, प्रथागत विवाद समाधान प्रणाली की पहचान करता हो - अस्तित्व में नहीं था. वे जनजातीय नेता जिनसे पैनेल ने बात-चीत की वर्तमान के GRM के बारे में अनभिज्ञ थे, और प्रथम अनुरोध की प्रस्तुति से पहले उनको विवादों के समाधान का समर्थन करने के लिए परियोजना द्वारा मना किया गया था.

275. पैनेल नोट करता है कि एक कार्यात्मक GRM की अनुपस्थिति में, परियोजना के कठिन समय में समुदाय के लोगों के पास अपनी आवाज़ उठाने और शिकायत दर्ज कराने का कोई रास्ता नहीं था. शिकायतों का प्रारंभिक ज्ञानउन मुद्दों पर तात्कालिक समाधान प्रस्तुत कर सकता था जिनका सामना परियोजना ने किया था और समुदायों के साथ विश्वास कायम करने में सहायता कर सकता था.

<sup>345</sup> Aide memoire - Mid-term review, p.88.

<sup>346</sup> Aide memoire – Sixth Implementation Support Mission, February 6-17, 2017, p. 10, para 36.

<sup>347</sup> Aide memoire – Seventh Implementation Support Mission to Jharkhand: July 26–28, 2017, Annex 3, p. 29., para 32.

<sup>348</sup> Management Response to the first Request, pp. 2-3.

276.पैनल नोट करता है कि परियोजना के कठिन समय में प्रभावित समुदायों को अपने मुद्दों को उठाने के लिए कोई कार्यात्मक GRM नहीं था, और पारम्परिक जनजातीय विवाद समाधान प्रणाली के बारे में न तो सोचा गया और न ही परियोजना द्वारा उसे प्रयोग में लाया गया. पैनल पाता है कि समय सीमा में, आसानी से पहुँच वाली, प्रभावी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र का स्थापित न हो पाना प्रबन्धन की असफलता का सूचक है और यह बैंक नीति (OP/BP 4.10) का गैर-अनुपालन है.

---

<sup>349</sup>Management Response to the first Request, p. 17.

<sup>350</sup> Ninth Implementation Support Mission of the RWSSP-LIS, October 2018 to March 2019, Annex 3, p. 8, para 37.

<sup>351</sup> Jharkhand Tribal Development Plan, March 2013, p. 32.

## अध्याय 5: परियोजना का पर्यवेक्षण और सुधारात्मक कार्य.

### 5.1 परिचय

277. यह अध्याय प्रारम्भ में बागबेरा और छोटागोविंदपुर की बहु-ग्राम योजनाओं (MVSS) को केंद्र में रखते हुए बैंक द्वारा परियोजना के पर्यवेक्षण कार्य का परीक्षण करता है. यह प्रभावित समुदायों पर विशिष्ट पर्यवेक्षण की कमियों के प्रभावों को दर्शाता है और विशेष रूप से पर्याप्तता के आधार पर परियोजना की गतिविधियों के आकार, भौगोलिक प्रसार और जटिलता को देखते हुए समग्र पर्यवेक्षण संरचना का विश्लेषण करता है. अध्याय का दूसरा भाग निरीक्षण के लिए अनुरोध प्राप्त करने के बाद बैंक द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक कार्यों और पुनर्संयोजित उपायों को संबोधित करता है

### 5.2 निरीक्षण के लिए अनुरोध और प्रबन्धन प्रतिक्रियाएँ

#### निरीक्षण हेतु अनुरोध

278. अनुरोधों में आरोप है कि परियोजना मूलनिवासियों के संरक्षण हेतु बनाये गये अधिनियम का उल्लंघन करती है और बैंक प्रबन्धन "ऋण कर्ताओं द्वारा स्थानीय नियमों और सुरक्षा के अनुपालन की पर्याप्त निगरानी करने में असफल रहा है." <sup>352</sup> अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि जो गतिविधियाँ भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों को प्रभावित कर सकती थी, उन पर बैंक का पर्यवेक्षण बहुत ही कम रहा है. <sup>353</sup> उनका दावा है कि परियोजना को लेकर बैंक का पर्यवेक्षण सामान्यतया "अपर्याप्त और अपेक्षित है" और इस प्रकार यह बैंक की पर्यावरण आकलन नीति (OP/BP 4.01) का गैर-अनुपालन है. वे नोट करते हैं कि योजना-विशिष्ट पर्यावरण और सामाजिक आकलन में विफल होना और विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केन्द्रित न करना - जैसे कीचड़ की विषाक्तता - अपर्याप्त पर्यवेक्षण के उदाहरण है.

#### प्रबन्धन प्रतिक्रियाएँ

279. प्रबन्धन प्रतिक्रिया व्याख्या करती है कि सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ बैंक के अनुपालन में कमियों की पहचान की जा चुकी है और कहा गया है कि ये कुछ हद तक पर्यवेक्षण में कमजोरियों से संबंधित हैं. <sup>355</sup> प्रबन्धन आगे जोड़ते हुए कहता है कि "झारखण्ड के जनजातीय क्षेत्रों में बहु-ग्राम योजनाओं (MVSS) के क्रियान्वयन की जटिलताओं को देखते हुए, बैंक के पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रयासों को कम करके आँका गया है, " और "आगे की कार्ययोजना में सुधारात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है." <sup>356</sup> प्रबन्धन प्रतिक्रियाओं में अनेकों सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ परियोजना की पुनर्संरचना की प्रतिबद्धता जताई गई है <sup>357</sup> इसका वर्णन आगे अनुच्छेद 5.4.2 में किया गया है.

<sup>352</sup> First Request for Inspection – Supplement to the Request for Inspection, p. 23, and second Request for Inspection, p. 19.

<sup>353</sup> Second Request for Inspection, p. 17.

<sup>354</sup> First Request for Inspection – Supplement to the Request for Inspection, p. 14, and second Request for Inspection, p. 11.

<sup>355</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 8, para 29 and Management Response to the second Request for Inspection, p. 11, para 39.

<sup>356</sup> Management Response to the second Request for Inspection, Executive Summary, p. vii, para xi.

## 5.3 बैंक नीतियाँ

280. बैंक नीति (OP/BP 10.00), जो कि परियोजना वित्तपोषण परनिवेश से सम्बंधित है, उसके बारे में बताती है कि किसी परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने में , बैंक, परियोजना के प्रदर्शन में ऋणकर्ता के अनुश्रवण और इसके संविदात्मक उपक्रमों के अनुपालन की समीक्षा करने पर विशेष ध्यान देता है. बैंक आवधिक रूप में परियोजना आकलन के साथ ऋणकर्ता द्वारा परिणामों की निगरानी, जोखिम और क्रियान्वयन की स्थिति, परियोजना सूचनाओं का अद्यतन और उपयुक्त और आवश्यक अनुवर्ती कार्यों (Follow-up actions) के पहचान की भी समीक्षा करता है. <sup>358</sup>परियोजना अनुमोदन के पश्चात क्रियान्वयन सहयोग और अनुश्रवण/निगरानी कार्य शुरू होता है, और इसमें परियोजना के कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर करना , परियोजना का क्रियान्वयन और समापन , और वित्तपोषण खाते को बंद करना सम्मिलित होता है.<sup>359</sup>

281. नीति (OP/BP 4.01) के अनुसार, "[प]रियोजना क्रियान्वयन के दौरान, ऋणकर्ता के प्रतिवेदन (अ) पर्यावरण आकलन (EA) के निष्कर्षों और परिणामों के आधार पर बैंक के साथ सहमत हुए उपायों के अनुपालन, जिसमें किसी भी पर्यावरण प्रबन्धन योजना (EMP) का क्रियान्वयन शामिल है , जैसा कि परियोजना के अभिलेखों में वर्णन किया गया है; (ब) शमन उपायों की स्थिति; (स) कार्यक्रमों के अनुश्रवण/निगरानी निष्कर्षों के आधार पर होते हैं. बैंक, पर्यावरण आकलन (EA) के निष्कर्षों और संस्तुतियों पर परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं के पर्यवेक्षण को आधार बनाता है , जिसमें विधिक सहमति-पत्रों , किसी पर्यावरण प्रबन्धन योजना (EMP) और अन्य परियोजना दस्तावेजों में निर्धारित किए गए उपाय शामिल होते हैं."<sup>360</sup>

282. नीति (OP/BP 4.10) की आवश्यकता है कि बैंक समीक्षा करे कि " ऋणकर्ता द्वारा की गई प्रक्रिया और परामर्श के परिणाम से उसको स्वयं यह संतुष्टि मिले कि प्रभावित मूलनिवासी समुदाय ने परियोजना को अपना वृहद समर्थन प्रदान किया है."<sup>361</sup>

इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बैंक इस तरह के व्यापक समर्थन के आधार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित मूलनिवासियों के समुदायों के साथ सामाजिक आकलन और मुक्त , पूर्व और सूचित परामर्श के प्रलेखन और परिणाम पर विशेष ध्यान दे. OP 4.10 यह भी स्पष्ट करती है कि जब मूलनिवासी नियोजन फ्रेमवर्क (IPPF) उप-परियोजना के क्षेत्र में मूलनिवासियों की उपस्थिति की पुष्टि करता है तो , " ऋणकर्ता प्रत्येक मूल निवासी योजना (IPP) को संबंधित कार्यक्रम से पहले समीक्षा के लिए बैंक को प्रस्तुत करता है या उप-परियोजना को बैंक से वित्तपोषण के लिए पात्र माना जाता है."<sup>362</sup> BP 4.10 कहती है कि बैंक पर्यवेक्षण को " यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या मूलनिवासियों से संबंधित प्रासंगिक विधिक अनुबंध और अन्य कानूनी उपकरणों को लागू किया जा रहा है" और जब उपकरणों को लागू नहीं किया जाता है जैसा कि पहले नियोजित किया गया था , तो " बैंक इसे ऋणकर्ता के संज्ञान में रखता है और सुधारात्मक उपायों पर ऋणकर्ता से सहमत होता है."<sup>363</sup>

<sup>357</sup> Management Response to the first Request for Inspection, p. 16, para 61 and Management Response to the second Request for Inspection, p. 18, para 64.

<sup>358</sup> OP 10.00 – Investment Project Financing, para 19 and BP 10.00 – Investment Project Financing, para 36.

<sup>359</sup> OP 10.00 – Investment Project Financing paras 2-24 and BP – Investment Project Financing paras 30-36.

<sup>360</sup> OP 4.01 – Environmental Assessment, para 19. , <sup>361</sup> OP 4.10 – Indigenous Peoples, para 11.

## 5.4 पैनेल के प्रेक्षण और विश्लेषण

### 5.4.1 पर्यवेक्षण

**283. क्षमता वर्धन और संस्थागत व्यवस्थाएँ.** पैनेल नोट करता है कि परियोजना की तैयारी के समय क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों और समग्र परियोजना जोखिमों का अनुमान किया गया था. विशेष रूप से परियोजना और उप-परियोजनाओं की समग्र सफलता के लिए क्षमता वर्धन और परिचालन प्रबन्धन के विशेष महत्व को देखते हुए, परियोजना घटकA (क्षमता वर्धन) और C (प्रबन्धन समर्थन) बैंक पर्यवेक्षण के केंद्र में थे.

**284.**परियोजना की संरचना ऐसी थी कि यह केंद्र में पेय-जल और स्वच्छता मंत्रालय की क्षमता को बढ़ाये और चार राज्यों में क्रियान्वयन की समरूप प्रणाली लागू करने के साथ-साथ राज्य, जनपद और ग्राम-स्तरीय संस्थाओं को सुदृढ़ करे. यह सहमति के आधार पर तय किये गये सिद्धांतों और क्रियाओं पर आधारित थी जिससे बहु-स्तरीय परिचालन का मार्ग प्रशस्त हो और राष्ट्र को वैश्विक स्तर की अच्छे अभ्यासों और रीतियों के अनुकूल बनाने में सहायता मिले.

**285.**इस डिजाइन के मूल में परियोजना का वृहद् दायरा था, जिसमें कई स्थलथे और निम्न आय वाले राज्यों में क्षीण क्षमता के साथ अत्यधिक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण था. परियोजना के कई अवस्थापना कार्य विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं. दसवें क्रियान्वयन समर्थन मिशन, दिसम्बर 2019 में बैच-1 की 548 योजनाएँ (24 MVSs और 524 SVSs) निर्मित की जा रही हैं.<sup>364</sup>प्रारम्भिक योजना के बैच 1 में 28 MVSs और 689 SVSs बनायी जानी प्रस्तावित थी, <sup>365</sup> जिसमे से 8 MVSs झारखण्ड राज्य के लिए थीं, लेकिन ठेकों के लिए अनेकों जापन देने के बाद भी उनके प्रत्युत्तर संतोषजनक न होने की वजह से इनकी संख्या कम करके 2 कर दी गई. इसी में आगे बैच-2 के लिए 529 योजनाएँ (415 SVSs और 114 MVSs) प्रस्तावित थीं जिनमें से 5 MVSs झारखण्ड के लिए थी.<sup>366</sup> पैनेल नोट करता है कि योजनाओं की संख्या और उनका भौगोलिक विस्तार बैंक के पर्यवेक्षण कार्य के लिए चुनौती बना हुआ था, विशेष रूप से ऐसी परियोजना जिसने नियोजित क्षमता वर्धन और और परियोजना प्रबन्धन को समर्थ बनाने वाली गतिविधियों के साथ में गंभीर क्रियान्वयन समस्याओं का सामना किया.

**286.**परियोजना एक जटिल संस्थागत व्यवस्था पर आधारित थी जिसमे क्रियान्वयन के लिए बहुत से कर्ता लगे हुए थे. इस परियोजना के केंद्र-बिंदु में, विशिष्ट योजनाओं को बनाने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए, जनपद स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक की संस्थाओं में उत्तरदायित्वों का विकेंद्रीकरण करना था.जनपद स्तर पर, DPMUजल एवं स्वच्छता समिति(MVWSC)के साथ हस्तक्षेप करते हुएMVSsके लिए,परियोजना क्रियान्वयन और विभिन्न जनपदएवं राज्य स्तरीय अभिकरणों के कार्योमें समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा. (MVWSC)की भूमिका में शामिल है कि वह

<sup>362</sup> Ibid., para 14.

<sup>363</sup> BP 4.10 – Indigenous Peoples, para 12.

<sup>364</sup> Aide memoire – Tenth Implementation Support Mission, September 2019

योजना की संरचना और क्रियान्वयन चरण के भुगतानों का समर्थन करते हुए उन पर हस्ताक्षर करे।<sup>367</sup>

**287.** परियोजना अभिलेखों के अवलोकन से पैनल को पता चलता है कि विशेषतया जनपद और ग्राम स्तरों पर प्रासंगिक निर्माणों कि स्थापना, और पर्याप्त स्टाफ को सुनिश्चित करने में बहुत विलम्ब हुआ है। प्रबन्धन अपनी प्रतिक्रियाओं में स्वीकार करता है कि झारखण्ड के SPMU में जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ को नहीं रखा जा सका जिसकी वज़ह से जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना (TDIP) बनने में और उसको लागू होने में बहुत देर हुई और इसको अगस्त 2018 से पहले शुरू नहीं किया जा सका।<sup>368</sup> जुलाई 2017 के संज्ञान-संस्मरण भी GRM के प्रबन्धन हेतु स्टाफ की कमी को दिखाते हैं और कहते हैं कि “झारखण्ड और उत्तर-प्रदेश के DPMUs में स्टाफ की कमी के कारण एक ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे शिकायतों का समाधान नहीं हो सकता है।”<sup>369</sup> योजना की रूपरेखा बनाने के कई वर्ष बाद और निर्माण कार्य के शुरू होने के एक वर्ष बाद केवल बागबेरा योजना के लिए MVWSC, अगस्त 2017 में और छोटागोविंदपुर के लिए जनवरी 2018, में बनायी जा सकी थी।<sup>370</sup> संज्ञान-संस्मरण स्वीकार करते हैं कि MVWSC में जनजातीय प्रतिनिधित्व नहीं था जैसा कि नियोजित किया गया था।<sup>371</sup>

**288.** पैनल पाता है कि परियोजना के घटक A और C के सन्दर्भ में प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण और सुधारात्मक उपायों की कमी ने परियोजना की उस योग्यता में बाधा उत्पन्न की जो क्रियान्वयन गतिविधियों के प्रबन्धन और निगरानी के सन्दर्भों में परियोजना की क्षमता को विकसित करने के लिए तथा अवस्थापना निवेश के संचालन और रख-रखाव के समर्थन में संथागत संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। इसने सुरक्षा सहित “नियोजन, संरक्षण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण के प्रत्येक स्तर समुदाय की भागीदारी की महत्वाकांक्षा पर भी कम ध्यान देने की प्रक्रिया में योगदान दिया। जैसा कि PIP में दिया गया है, इन गतिविधियों को मूल कार्यक्रम के अनुकूल रणनीतिक रूप से संगठित किया जाएगा और एक दूसरे पर व्यवस्थित रूप से अनुक्रमित किया जाएगा।”<sup>372</sup>

**289. पर्यवेक्षण की डिज़ाइन.** परियोजना मूल्यांकन अभिलेख (PAD) वर्ष में कम से कम दो बार बैंक कार्यान्वयन समर्थन मिशन (BISM) की कल्पना करता है, जो राष्ट्रीय मंत्रालय स्तर पर चर्चा के साथ शुरू होता है, इसके बाद राज्यों और जिलों के दौरे होते हैं जहां उप-परियोजना हस्तक्षेप चल रहे होते हैं। इस मिशन में कार्य दल का नेता (Task team Leader), सहायक दल नेता, सहित जैसा भी उचित हो आवश्यकतानुसार अधिप्राप्ति (Procurement) और वित्त प्रबन्धन स्टाफ, पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा स्टाफ, तकनीकी और संस्थागत विशेषज्ञ और परामर्शदाता होते हैं। मिशन का फोकस जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं, क्रियान्वयन उन्नति, सुरक्षा, अधिप्राप्ति, वित्त-प्रबन्धन, अनुश्रवण और मूल्यांकन पर होगा। सुरक्षा के सन्दर्भ में PAD कहता है पर्यवेक्षण EMPS, TDPs और ऐसे अन्य परियोजना प्रयासों को प्रमाणित करेगा जो कि सामाजिक विकास के परिणामों को उन्नत बनाने के लिए डिज़ाइन किये गये हैं और जिन्हें आवश्यकतानुसार क्रियान्वित और समायोजित किया जा रहा है।<sup>373</sup>

<sup>365</sup> Aide memoire – First Implementation Support Mission, June 2-25, 2014, pp. 5-6, paras 14(i) and (ii).

<sup>366</sup> Aide memoire – Tenth Implementation Support Mission, September 2019.

<sup>367</sup> PAD, pp. 7-8.

<sup>368</sup> Management Response to the second Request for Inspection, p. 9, para 32.

<sup>369</sup> Aide memoire – Seventh Implementation Support Mission, July 17 to August 4, 2017, p.11, para 39

290. पैनेल नोट करता है कि जून 2014 और सितंबर 2019 के मध्य बैंक ने MTRसहित 10 क्रियान्वयन समर्थन मिशन आयोजित किए.क्रियान्वयन समर्थन मिशन लगभग दो बार वार्षिक आवृत्ति के संगत है.प्रबन्धन ने पैनेल टीम को बताया कि परियोजना क्रियान्वयनकाअनुश्रवण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ ; जबकि यदि परियोजना स्वयं काम करती है तो अपेक्षाकृत अनुमानित थी , स्थलों की श्रंखलायें, उनकाभौगोलिक विस्तार और दलों की संख्या ने पर्यवेक्षण कार्य को कठिन बनाया था.

291.पैनेल अपने सहायक-संस्मरण और बैंक टू ऑफिस रिपोर्ट्स (BTORs) की समीक्षाओं से नोट करता है कि सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्तता और सामयिकता के साथ उनका क्रियान्वयन जैसे गंभीर मुद्दे शुरुआत से ही और निरंतरता के साथ उठाये जाते रहे थे. पैनेल यह भी नोट करता है कि पर्यवेक्षण जोखिम की दर निर्धारण में, शुरुआती दौर में परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम को कम करके आँका गया और इसे "निम्न" की दर दी गयी थी. यह केवल जनवरी 2016 में संभव हो पाया कि इसे अद्यावत कर "मध्यम"<sup>374</sup>और अप्रैल 2018 में "पर्याप्त"<sup>375</sup> की श्रेणी में रखा गया. अन्य चिंताएँ जो पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गयी थी उसमें परियोजना अवस्थापनाओं के लिए भूमि के प्रयोग के अभिलेखीकरण की कमी के साथ-साथ "पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना था, जब जनजातीय समुदाय की भूमि का उपयोग जल-आपूर्ति और स्वच्छता सम्बंधित परिसंपत्तियों को बनाने के लिए होता है. <sup>376</sup>जबकि कई सहायक-संस्मरणों में अनुशंसित क्रियाओं की व्यापक , विस्तृत सूची होती है ,उनमें से सभी व्यवस्थित रूप वस्तुओं की स्थिति की समीक्षा नहीं करते हैं. पैनेल के साथ बात-चीत में , प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि कुछ हीक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया जा सका था. उदाहरण के लिए , जनजातीय भाषाओं में IEC सामग्री की कमी को नवंबर 2014 में उठाया गया था, लेकिन अभी तक हल नहीं हो सका.<sup>377</sup>

292.पैनेल समझता है किपरियोजना की पूरी तैयारी में और क्रियान्वयन के समय लगभग 80 बैंक कर्मचारी शामिल थे.<sup>378</sup> पैनेल ने पाया कि पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी बैंक परियोजना कर्मचारियों के उच्च आवा-गमन (नौकरी छोड़ना और नौकरी से जुड़ना) ने टीम को मुद्दों और सहमत कार्यों पर पर्याप्त रूप से अनुवर्ती क्रियाओं के पालन करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की थी.साक्षात्कार के समय, कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में "एक में चार परियोजनाओं" को प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षित करने के लिए पर्याप्त बजट की कमी का उल्लेख किया और पर्यवेक्षण का फोकस परियोजना की कम संवृद्धि दरों में सुधार करना था.

293. **बागबेरा और छोटागोविंदपुर MVSs का पर्यवेक्षण.**इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि इस परियोजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में योजनाओं के कारण , बैंक कर्मचारी और परामर्शदाता सभी क्षेत्रों का भ्रमण नहीं कर सकेथे. पैनेल ने पाया कि प्रबन्धन को विश्वास था कि ग्राम पंचायत प्रबंधन के अन्तर्गत SVSs एक सफल सेवा वितरण मॉडल था. हालांकि , उन्होंने (प्रबन्धन ने)MVSs के बारे में कुछ चिंता व्यक्त की थी. यह चिंता MVSs के लिए परिचालन और रख-रखाव के मॉडल में कमजोरियों पर केंद्रित थी, और यह विश्वसनीय सेवाओं के वितरण की स्थापना के लिए विकेंद्रीकृत

<sup>371</sup>Aide memoire – Second Implementation Support Mission, October 27 to November 25, 2014, p. 26, para 3 (i).

<sup>372</sup> Project Implementation Plan, Volume 1 - Governments of India, Assam, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh, 2013. Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (RWSSP-LIS), p. 42, Section 4.2.2.

<sup>373</sup>PAD, p. 58, para 4(iii).

क्षमताओं का वास्तविक विश्लेषण था। प्रबन्धन ने पैनल को बताया कि परियोजना की डिजाइन MVSs को उन स्थानों तक सीमित करती है जहां उनको लगाने के लिए प्रतिबद्ध होने से पूर्व उन्हें तकनीकी विकल्पों के लिए आवश्यक और गहन और वृहद् विश्लेषण की आवश्यकता थी।

**294.** पैनल नोट करता है कि, प्रबन्धन ने MVSs के सामाजिक जोखिम को कम करके आँका है। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है कि परियोजना की डिजाइन लघु-ग्राम योजनाओं पर केन्द्रित थी, और प्रबन्धन ने मान लिया था कि परियोजना मुख्यतया जल सेवाओं तक बेहतर पहुँच की वज़ह से सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यहाँ तक कि भले ही दो MVSs में 38 ग्राम-पंचायतें सम्मिलित थीं और अनुसूचित क्षेत्रों में क्रियान्वित की गयी थीं, जहां जनजातीय और गैर-जनजातीय समुदायों के बीच ज्ञात तनाव अस्तित्व में था, और प्रमुख जोखिम की कल्पना परियोजना के लाभों से बहिष्कार के जोखिम की थी। सामाजिक सन्दर्भों की समझ की कमी के निहितार्थ थे कि प्रबन्धन ने परियोजना का पर्यवेक्षण कैसे किया था।

**295.** बागबेरा और छोटागोविंदपुर की MVSs के लिए अनुबंध जून 2015 में दिया गया था। बागबेरा MVSs के मामले में, अभूतपूर्व समारोह फरवरी 2016 में हुआ था, लेकिन स्थानीय प्रतिरोध के चलते जुलाई 2016 तक काम शुरू होने में विलम्ब हुआ था। छोटागोविंदपुर MVSs के मामले में, अक्टूबर 2016 में काम शुरू हुआ, लेकिन पुरानी बस्ती के पास ESR<sup>379</sup> का अभूतपूर्व समारोह मार्च 2016 में होता प्रतीत हुआ था। यद्यपि प्रबन्धन ने प्रथम अनुरोध से पहले झारखण्ड में दो MVSs का भ्रमण किया, लेकिन प्रबन्धन ने योजनाओं के जनजातीय विरोध को हल करने के लिए बहुत कम या कोई कार्यवाही नहीं की। बैंक ने अप्रैल 2016<sup>380</sup> में बागबेरा और छोटागोविंदपुर MVSs का भ्रमण किया, इसके बाद फरवरी 2017,<sup>381</sup> नवंबर 2017<sup>382</sup> और मार्च 2018<sup>383</sup> में पुनः भ्रमण किया। मई 2016 में सामाजिक सुरक्षा की टीम ने भी दौरा किया, जिसने मध्यवर्ती अवलोकन हेतु एक सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपालन समीक्षा बनायी थी। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा टीम के अलावा अन्य भ्रमण तकनीकी विषयों पर अधिक केन्द्रित थे।

**296.** जैसा कि पिछले अध्यायों में वर्णन किया गया है, आवश्यक सुरक्षा अभिलेखों और प्रक्रियाओं पर पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही में विशिष्ट कमियां थीं। OP 4.01 प्रबन्धन को “EA के निष्कर्षों और संस्तुतियों पर किसी भी EMP... सहित परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं के पर्यवेक्षण आधार पर निर्देशित करता है।”<sup>384</sup> बागबेरा और छोटागोविंदपुर योजनाओं के लिए विशिष्ट EMP को जुलाई 2016 में सिविल कार्यों की शुरुआत से पहले सहयोगीद्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था, या बैंक द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। प्रबन्धन SPMU के साथ काम में लगा रहा और EMP और जनजातीय विकास अभिलेखों सहित उन आवश्यकताओं के पत्र MoDWS को पत्र प्रस्तुत किए जो अभी तक पूरी नहीं हो सकीं थीं। TDP और TDIP को अंतिम रूप देने में देरी और PMU में एक जनजातीय विशेषज्ञ की अनुपस्थिति के बारे में टिप्पड़ियों में बार-बार दोहराया भीजाता रहा। वर्ष 2014 में यह एक क्रियान्वयन सहायता मिशन (ISM) था जिसने, बागबेरा और छोटागोविंदपुर योजनाओं के लिए एक

<sup>374</sup>Implementation Status and Results Report, January 24, 2016, p.7.

<sup>375</sup>Implementation Status and Results Report, April 4, 2018.

<sup>376</sup>Aide memoire – Second Implementation Support Mission, October 27 to November 25, 2014, p. 26, para 3(i).

<sup>377</sup>Aide memoire – Second Implementation Support Mission, October 27 to November 25, 2014, p. 26 and Status of Implementation of Bank Management Response’s Action Plan – Bagbera and Chhotagovindpur MVS, November 14, 2019

<sup>378</sup>List of staff and consultants involved in the Rural Water Supply Project in Low-Income States (P132173) provided by Bank Management

<sup>379</sup>Management Response to the Second Request for Inspection, Annex 1, pp. 37-38. - According to the Management Response, the Contractor shared pictures of what may have been a groundbreaking ceremony for the ESR on March 11, 2016.

प्रकार से खोये हुएस्थल-विशिष्ट EMPs की खोज की थी।<sup>385</sup> जून 2019 तक कार्य दल के मुखिया (TTL) को EMPs के पूरे पुनर्संशोधित मसौदे प्राप्त नहीं हुए थे। चूंकि जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उसे आगे जारी रखने के लिए आवश्यक EMPs पूरे नहीं हुए थे, इसलिए प्रबन्धन के लिए परियोजना के पर्यावर्णीय प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं था।

**297.** पैनलनोट करता है कि प्रबन्धन यह स्वीकार करता है कि EDSs और DPRs को बनाते समय कोई भी व्यवस्थित और प्रलेखित परामर्श आयोजित नहीं किये गये थे। जुलाई 2016 की मध्यावर्ती समीक्षा का सहायक-संस्मरण कहता है कि पर्यावर्णीय अनुवीक्षण ने वास्तविक मुद्दों का हल नहीं खोजा था और इनको संशोधित किया जाना था।<sup>386</sup> अनुलग्नक भी इंगित करता है कि DPR की तैयारी के समय कोई परामर्श नहीं हुआ था और स्थलों पर कोई सामाजिक आकलन(SAs) नहीं आयोजित किये गये थे। इस प्रेक्षण के विरोधाभास में, अभिलेखों में यह भी कहा गया है कि TDP को क्रियान्वित किया जा रहा था, इस पर कोई विशिष्ट विवरण नहीं है कि DPR की तैयारी के समयस्थल-विशिष्ट सामाजिक आकलन(SAs) और परामर्श के अभाव में यह कैसे संभव हो सकता है। पर्यावर्णीय आंकड़ा पत्रक (EDS) और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) की तैयारी के समय इनके लिए आवश्यक परामर्श होने चाहिए थे - विशेषकर उस जनजातीय आबादी के साथ, जो जल उपचार संयंत्र (WTP) के एकदम निकट रह रही थी। पैनल को मिले पर्यवेक्षण सम्बन्धी अभिलेखों ने पुष्टि की कि इस तरह के परामर्श नहीं हुए थे।

**298.** समयोचित बैंक पर्यवेक्षण और पर्याप्त अनुवर्ती क्रियाओं में चूक दो MVSs के उपभोग मानदंडों से संबंधित है। जैसा कि अध्याय 2 में चर्चा की गई है, PIP बताता है कि यह परियोजना, MVSs के लिए 70 लीटर पर कैपिटल पर डे(lpcd) के उपभोग मानदंड हेतु डिज़ाइन की गई थी।<sup>387</sup> केवल नवंबर 2014 में - DPR पूरा होने के एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद - क्या बैंक को पता लग पाया कि झारखण्ड MVSs के पास 135 लीटर पर कैपिटल पर डे(lpcd) का एक मानक उपभोग था, जो नियोजित राशि से लगभग दोगुना था।<sup>388</sup> 135 लीटर पर कैपिटल पर डे(lpcd) पर दोनों योजनाओं के लिए अनुबंध जून 2015 में हुआ।<sup>389</sup> यह, लीटर पर कैपिटल पर डे(lpcd) की वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय यह अनुमान लगाया गया होगा कि MVSs द्वारा सेवित क्षेत्र बढ़ेगा और इसलिए इसके उपभोग का मानदंड भी बढ़ेगा।

**299.** भारत में पेय जल के मानदंडों के आधार पर, उपभोग में इस वृद्धि के लिए, योजना में मल-प्रवाह पद्धति (Sewage) घटक की आवश्यकता होती है।<sup>390</sup> इसका बैंक स्वीकरण, 2015 के सहायक-संस्मरण में मिलता है जो कहता है कि "छोटागोबिंदपुर के साथ-साथ बागबेरा क्षेत्रों में स्वच्छता के मुद्दों में संभावित वृद्धि MVS की स्थापना के परिणामस्वरूप हुई।"<sup>391</sup> बैंक ने एक जोखिम जोड़ा कि "स्थानीय आबादी को यदि WSS से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करवायी जाती है तो उपयोग किए गए पानी, सीवेज, आदि के इकट्ठे होने में काफी वृद्धि होने की संभावना है,<sup>392</sup> और "[इ]सलिए इस

<sup>380</sup> BTOR, NNP RWSS LIS Jharkhand Field visit Report from 4-7 April 2016.

<sup>381</sup> Aide memoire – Sixth Implementation Support Mission, February 6 to 17, 2017, Annex 3., para 2.

<sup>382</sup> BTOR, November 19-22, 2017.

<sup>383</sup> BTOR on the O&M Support Mission to Jharkhand, March 5-10, 2018.

<sup>384</sup> OP 4.01 - Environmental Assessment, para 19.

<sup>385</sup> Aide memoire – Second Implementation Support Mission, October 27 to November 25, 2014, p. 10, para 19.

<sup>386</sup> Aide memoire – Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016, p. 13.

बात की अनुशंशा की जाती है की दोनों क्षेत्रों के लिए व्यापक मल-प्रवाह पद्धति को विकसित किया जाय<sup>393</sup> हालाँकि, बैंक की इस चिंता ने DPR या अन्य कार्यों की समीक्षा को प्रेरित नहीं किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का पर्याप्त मूल्यांकन किया गया था या यह निर्धारित किया गया था कि EMPs पर्याप्त रहे थे या नहीं. 2019 में नौवें क्रियान्वयन समर्थन मिशन (ISM) ने पहले के मिशन के बाद से इस मुद्दे पर प्रगति की कमी को नोट किया और अप्रैल 2019 के अंत तक SPMU को एक ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन (SLWM) का रोडमैप विकसित करने के लिए कहा. अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान, पैनल को अपने भ्रमण के दौरान कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जो इस मामले के लिए प्रासंगिक हो.

**300. सहायक-संस्मरण** ऐसे पर्यावरण आंकड़ा पत्रक (EDS) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) का वर्णन करते हैं जिसमें आवश्यक EMPs या तो अनुपस्थित हैं या कम गुणवत्ता वाले हैं. फिर भी पैनल ने नोट किया कि बैंक ने हस्तक्षेप किए बिना योजनाओं को आगे बढ़ाया। यह पूर्व शर्त दोनों योजनाओं के लिए पूरी होने में विफल रही.

### **301. सामुदायिक विरोध पर प्रबन्धन की प्रतिक्रिया.**

पैनल नोट करता है कि नवंबर 2015 का सहायक-संस्मरण, झारखण्ड में बागबेरा WTP से सम्बंधित सामुदायिक प्रतिरोध को पारित करते हुए संदर्भित करता है कि "स्थल स्पष्ट रूप से उनके लिए किसी तरह का प्रार्थना स्थल था"<sup>394</sup> मार्च 2016 की बैंक टू ऑफिस रिपोर्ट (BTOR) कहती है कि "स्थानीय लोगों के विघ्न के कारण"<sup>395</sup> बागबेरा WTP स्थल की स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी थी. वर्ष 2016 की मध्यावधि समीक्षा में विशेष रूप से उल्लेख है कि "वहाँ छोटागोविन्दपुर और बागबेरा योजनाओं में कुछ भूमि के मुद्दे [हैं],"<sup>396</sup> जिसमें "प्रस्तावित भूमि पर आने वाले पूजा स्थल"<sup>397</sup> और "स्थानीय प्रतिरोध"<sup>398</sup> शामिल हैं. इसमें उल्लिखित है कि बागबेरा में "स्थानीय जनजातियों के साथ काम शुरू करने के लिए व्यवधानों के साथ अक्सर विरोध होता रहता है, क्योंकि वे इस स्थान पर परियोजना सुविधाओं के निर्माण से भयभीत हैं, क्योंकि गैर-स्थानीय लोगों द्वारा उनकी भूमि के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और जिससे इन नए निवासियों का अंततः वर्चस्व हो सकेगा."<sup>399</sup> नवंबर 2015 से बागबेरा WTP के स्थान के लिए जनजातीय समुदायों के विरोध के बारे में जानने के बावजूद, प्रबन्धन मार्च 2016 तक

<sup>387</sup> Project Implementation Plan, Volume 1 – Governments of India, Assam, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh, 2013. Rural Water Supply and Sanitation Project for Low Income States (RWSSP-LIS), p. 155.

<sup>388</sup> Aide memoire – Second Implementation Support Mission, October 27 to November 25, 2014, Annex 3, p. 25, para 2(B)(i). *The drinking water norms adopted by the Government of India for piped water supply in towns and cities are as follows: [http://ddws.nic.in/awrsp\\_norms.htm](http://ddws.nic.in/awrsp_norms.htm), Towns without sewerage – 70 lpcd, Cities with sewers/proposed – 135 lpcd, Mega cities with sewers/proposed – 150 lpcd.*

<sup>389</sup> Back to Office Report, April 4-7, 2016, para 3.

<sup>390</sup> [http://ddws.nic.in/awrsp\\_norms.htm](http://ddws.nic.in/awrsp_norms.htm).

<sup>391</sup> Aide memoire – Fourth Implementation Support Mission, November 16- 30, 2015, p. 54, para 20.

<sup>392</sup> Ibid.

<sup>393</sup> Ibid.

<sup>394</sup> Ibid., p. 53, para 18.

<sup>395</sup> Aide memoire – Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016 and Jharkhand Field Visit Report from March 4-7, 2016.

<sup>396</sup> Aide memoire – Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016, Annex 8, p. 87, para 21.

<sup>397</sup> Ibid.

<sup>398</sup> Ibid.

स्थल पर नहीं गया था. प्रबन्धन बाद में मई 2016 में गया , लेकिन केवल फरवरी 2017 में वापस लौट आया, भले ही विपक्ष और भी आगे बढ़ा था. साक्षात्कार के दौरान बैंक स्टाफ ने बताया कि सरकार ने उनसे सुरक्षा कारणों से उन्हें स्थल भ्रमण से रोका था. हालाँकि पैनल ने पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों में इस प्रकार की चर्चा के कोई साक्ष्य नहीं पाए. यद्यपि पैनल ने पाया कि स्टाफ की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी स्थितियाँ इतनी भी गंभीर नहीं थी कि वे क्षेत्र का भ्रमण ही न करे. पैनल यह भी नोट करता है कि विरोध को बेहतर तरीके से समझने के लिए कोई अन्य प्रयास भी नहीं किये गये और न ही जनजातीय नेताओं के विचार जानने के प्रयत्न हुए, इन सबके अतिरिक्त समुदाय के साथ कहीं सुरक्षित स्थानों पर बैठक आयोजित करने के प्रयास भी नहीं हुए.

**302.** पैनल ने नोट किया कि नीति (OP / BP 4.10) की आवश्यकता है कि प्रबन्धनप्रक्रियाओं और परामर्श के परिणामों की समीक्षा करे स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए कि प्रभावित मूलनिवासियों के समुदायों ने अपना व्यापक सामुदायिक समर्थन प्रदान किया है. पैनल नोट करता है कि पर्यवेक्षण अभिलेखों से ऐसा नहीं प्रतीत है कि प्रबन्धन को परामर्श प्रक्रिया और बस्ती स्तरीय ग्राम-सभा अनुमोदन से संबंधित सरकारी अभिलेखों की आवश्यकता है ताकि जनजातीय समुदायों के व्यापक समर्थन के बारे में सुनिश्चित हुआ जा सके. पैनल यह भी नोट करता है कि सहायक-संस्मरणों ने भूमि संबंधी अभिलेखों की कमी और सरकारी भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOCs) के बारे में चिंता जताई और और इंगित किया कि झारखण्ड में भूमि को बलपूर्वक रोकने के मुद्दों में " *जनजातियों से संबंधित भूमि की संरक्षा के लिए प्रचलित विशेष अधिनियमों के कारण अनुसूचित जनजाति भूमि का हस्तांतरण*"<sup>400</sup> भीसम्मिलित है. पैनल नोट करता है कि प्रबन्धन ने प्रभावित होने वाले जनजातीय समुदाय के व्यापक समर्थन के बिना बागबेरा WTP स्थल पर निर्माण की अनुमति दी और जो NOC दी गयी थी उसमें भी शर्त थी कि अंतिम अनुमोदन ग्राम-सभा से प्राप्त होने के बाद ही काम आगे बढ़ाया जाएगा. पुरानी बस्ती ESR के मामले में, प्रबन्धन अपनी प्रतिक्रिया में स्वीकार करता है कि जब तक कि अनुरोधकर्ताओं ने बैंक को नहीं लिखा यह किसी भी विरोध से अपरिचित था, भले ही इस पूरे मामले का वर्णन अक्टूबर 2015 से सरकारी अभिलेखों में किया गया था. पर्यवेक्षण अभिलेखों में से कोई भी नहीं दिखाता है कि बैंक द्वारा सत्यापित किया हुआ एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) पुरानी बस्ती ESR स्थल के लिए था, और जिसे केवल दिसंबर 2018 में निर्गत किया गया था. पैनल नोट करता है कि स्थल-विशिष्ट सामाजिक आकलनों, जनजातीय विकास योजनाओं, आवश्यक बस्ती स्तर ग्राम सभा के अनुमोदन और प्रबन्धन द्वारा सक्रिय और निर्णायक कार्यवाही के बिना आगे बढ़ती रही.

**303.** पैनल ने आगे यह भी नोट किया है कि जमशेदपुर मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए जाने के बाद भी स्थलों पर कथित हिंसा और जवाबी कार्यवाही से संबंधित मुद्दों को किसी भी सहायक-संस्मरण में नहीं उठाया गया था. <sup>401</sup> इस बात की परवाह किये बिना ही कि 2016 के मध्य में जनजातीय विरोध जाना जाता था, फरवरी 2017 <sup>402</sup> के सहायक-संस्मरणों में इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं है और कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रबन्धन ने प्रथम अनुरोध दर्ज किए जाने से पहले समस्या को संबोधित किया हो.

<sup>399</sup> Ibid.

<sup>400</sup> Aide memoire – Seventh Implementation Support Mission, July 17 to August 4, 2017, State Annexes, p. 28, para 24.

**304.** पैनल नोट करता है कि , यद्यपि, 2015 और 2016 के सहायक-संस्मरणों ने सामुदायिक चिंताओं को चिह्नित किया, फिर भी इससे बैंक की कार्य टीम में कोई वृहद् चर्चा नहीं हुई और यह मुद्दा वरिष्ठ बैंक प्रबंधन तक भी आगे नहीं बढ़ा. कुछ स्टाफ ने व्याख्या करते हुए कहा कि जबकि स्थानीय परामर्शदाताओं की वृहद् क्षेत्र में उपस्थिति थी और विभिन्न योजनाओं के स्थलों का अक्सर भ्रमण किया जाता था, तो भी अभिलेखीकरण में कमियां थीं और वरिष्ठ प्रबंधन तक मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट शिष्टाचार-व्यवस्था(Protocol) की कमी थी. यहाँ तक कि मुद्दों का ज्ञान होने के बाद भी गलत या अधूरी जानकारी एकत्र की गई थी , और प्रबन्धन ने प्रथम अनुरोध के पहले योजनाओं के जनजातीय विरोध को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश नहीं की. प्रबन्धन द्वारा निर्णायक कार्यवाही के अभाव में, तनाव बढ़ गया और समुदायों, सरकारी अधिकारियों और बैंक के बीच विश्वास का क्षरण होता गया.

**305.** क्रियान्वयन के दौरान, झारखण्ड में सुरक्षा के मुद्दों को मध्यावधि समीक्षा के बाद तक प्रबन्धन के पर्याप्त उच्च स्तर पर नहीं उठाया गया था. <sup>403</sup> वरिष्ठ प्रबन्धन ने पैनल को इंगित किया था कि मुद्दों का "उल्लेख" तो किया गया था लेकिन उनको कभी " सीधे तौर पर परिचित नहीं कराया गया था." पैनल को बताया गया था कि प्रबन्धन के सूचना के प्रमुख स्रोत क्रियान्वयन की स्थिति, परिणाम रिपोर्ट और सहायक-संस्मरण थे जो नियमित रूप से परियोजना के सभी मुद्दों को उठाते थे लेकिन 2019 की शुरुआत तक गहराई से उनको प्रलेखित कर सूचित नहीं करते थे. वरिष्ठ प्रबन्धन ने पैनल टीम को बताया सितंबर 2018 में प्रथम अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें गिद्धिझोपरी में उठाय गये मुद्दों से परिचित हुए.

**306.** पैनल ने यह भी पाया कि परियोजना के सम्बन्ध में आयी हुई शिकायतों का प्रत्युत्तर भी पर्याप्त तरीके से नहीं दिया गया. अनुरोधकर्ताओं ने अप्रैल 2018 में बैंक को शिकायत की जिसके जवाब में बैंक ने उसे सामान्य तरीके से स्वीकार करते हुए उसे क्रियान्वयन अभिकरण (Agency) को अग्रसारित कर दिया. <sup>404</sup> प्रथम अनुरोधकर्ताओं ने जून 2018 में, बैंक को पुनः यह कहते हुए कि पत्र लिखा कि क्रियान्वयन अभिकरण (Agency) ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. प्रबन्धन केवल प्रथम अनुरोधकर्ताओं से प्रथम शिकायत मिलने के 6 महीने के बाद और पैनल को तुरंत प्रथम अनुरोध प्रस्तुत होने के बाद अक्टूबर 2018 में मिला और स्थल पर मिशन की तैनाती कर दी.

**307. स्थल सुरक्षा.** पैनल निर्माण स्थलों पर व्यावसायिक और सामुदायिक सुरक्षा जोखिमों को कमजोर पर्यवेक्षण और अनुवर्ती क्रियाओं के एक अन्य उदाहरण के रूप में मानता है. निर्माण स्थलों पर सुरक्षा से सम्बंधित कमियों को क्रियान्वयन समर्थन मिशन (ISM) की जून 2018, की बैंक टू ऑफिस रिपोर्ट में दर्शाया गया था. <sup>405</sup> EA-EMF कहता है कि "[श]मन क्रियाओं में, मुख्यतः परियोजना कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए उन्हें संरक्षात्मक वस्त्र और उपकरण देना, उनके कार्य क्षेत्रों को दुर्घटना और वायु-प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए उनकी बैरीकेडिंग करके विलग करना [...] निर्माण कार्य से निकले अपशिष्ट का उचित भण्डारण कर उसे आहते हुए पानी या नालियों में जाने से रोकना आदि सम्मिलित होता है."<sup>406</sup>

<sup>401</sup> Numerous articles in local Hindi newspaper 'Prabhat Khabar', 'Dainik Jagran' in June-July 2016

<sup>402</sup> Aide memoire – Sixth Implementation Support Mission, February 6 to 17, 2017.

<sup>403</sup> Aide memoire – Mid-Term Review Mission, July 25, 2016- August 5, 2016.

**308.**पैनलने अपने भ्रमण के दौरान पाया कि सुरक्षित बाड़ों (Fencing) का अभाव है - इससे कार्यकर्ताओं, समुदाय के लोगों और जानवरों का गीले कुओं में गिर जाने का जोखिम है, जो कि भ्रमण के समय पाइप और वाल्व के परीक्षण के कारण पानी से भरे हुए थे. पुरानी बस्ती के निकट के ESR का प्रवेशद्वार ऐसे खुला हुआ था कि कोई भी घुस जाय. बागबेरा WTP स्थल के एक तरफ की दीवार ढह गयी थी जो कि किसी को भी प्रवेश करने का खुला आमंत्रण दे रही थी. ऐसी ही स्थितियाँ बागबेरा WTP के जल-प्रवेश बिंदु पर भी थी. परिणामस्वरूप लोग और जानवर कटे-फटे जंग खाए हुए बोर्डों, निर्माण कार्य के मलबे और अन्य खतरों तक बेरोक-टोक पहुँच सकते थे. यह जून 2019 के EMP के संस्करण और ठेकेदार की प्रतिबद्धता, “बाहरी लोगों के सभी परियोजना स्थलों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना. यह बाड़ लगाकर, बैरिकेड्स इत्यादि स्थापित करके और प्रत्येक स्थल पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात करके सुनिश्चित किया जाएगा ” दोनों का ही उन्लंघन था.”<sup>407</sup> अपने भ्रमण के दौरान पैनल ने यह भी देखा कि WTP स्थल कर्मियों के पास जूतों सहित पर्याप्त संरक्षात्मक वस्त्र और उपकरण (Protective gear) नहीं थे. यद्यपि इन कर्मियों को जून 2018 की बैंक टू ऑफिस रिपोर्ट (BTOR) में दर्शाया गया था लेकिन फिर भी जुलाई 2019 में पैनल के भ्रमण के समय तक इन कर्मियों के अलावा अन्य कर्मियों को भी दूर नहीं किया जा सका था.

<sup>404</sup>Bank email correspondence dated April 13, 2018 to Requesters.

<sup>405</sup>BTOR Field visit under taken as a part of Contract Management Clinic, June 2018. “Poor quality of work indicating absolute lack of supervision from the contractor and DPMU/SPMU side.’ ‘Violation of safety provision while construction is under progress.’

<sup>406</sup>Environmental Assessment & Environmental Management Framework for the World Bank Assisted Water Supply Project in



फोटो 5: गिद्धिझोपरी का जल-उपचार संयंत्र (WTP) और उच्च भण्डारण वाला जलाशय (ESR) निर्माण स्थल

**309.** निष्कर्ष में, पैनल प्रबन्धन के संदर्भों से पर्यवेक्षण में कमजोरियों के प्रति सहमत है. पैनल का विश्वास करता है कि, जबकि कार्य-दल (Task-team) के सदस्य और बैंक परामर्शदाता आमतौर पर परियोजना की कमियों और सुरक्षा के मुद्दों के बारे में जानते थे, फिर भी प्रतिवेदन बनाना सदैव समय पर या विस्तृत नहीं था, प्रबन्धन संरचना के अन्दर मुद्दों का उचित तरीके से नहीं उठाया जाता था, और सरकार के साथ अनुवर्ती कार्यवाही आमतौर पर अनुपस्थित, देर से या अप्रभावी थी.

**310.** पैनल नोट करता है कि बैंक पर्यवेक्षण ने प्रासंगिक जोखिमों पर विचार नहीं किया, निरन्तर पहचानी गई समस्याओं पर व्यवस्थित और सक्रिय रूप से अनुवर्ती-कार्यवाही नहीं की गयी, और मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए एक कामकाजी आंतरिक प्रणाली का अभाव था. पैनल पाता है कि प्रबन्धन पर्याप्त क्रियान्वयन सहायता प्रदान करने या प्रासंगिक, प्रभावी कार्यवाही करने में विफल रहा है - अनुरोधों से पूर्व - निवेश परियोजना वित्तपोषण नीति (OP/ BP 10.00) पर्यावरणीय आकलन नीति (OP/BP4.01) और मूलनिवासी नीति (OP/BP4.10) के गैर-अनुपालन की स्थिति में आवश्यक पर्यावरण और सामाजिक उपायों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में. इसने गिद्धिझोपरी और पुरानी बस्ती के मूलनिवासियों द्वारा अनुभव किए गए महत्वपूर्ण नुकसान में योगदान दिया.

<sup>407</sup>Environmental Management Plan Bagbera Multi-Village Water Supply Scheme, East Singhbhum District, Jharkhand (Conditionally approved in June 2019), p. 68.

#### 5.4.2 उपचारात्मक क्रियाएँ.

311. प्रबन्धन ने अपनी प्रतिक्रिया में ऋणकर्ता के साथ सहमति के आधार पर "आगे बढ़ने के कार्य" का एक व्यापक पैकेज शामिल किया था. बागबेरा WTP के सम्बन्ध में प्रथम प्रतिक्रिया के विशिष्ट उपायों में झारखण्ड सरकार के गिद्धिझोपरी समुदाय के साथ हुए परामर्शों का समर्थन शामिल है जिसमें उपायों की पहचान कर उस पर सहमत होने की बात थी जैसे (i) सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त लाभों को समुदाय को देना, (ii) भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का आकलन करना, (iii) पहाड़ी के शिखर तक पहुँच को सुनिश्चित करने के साथ-साथ पारंपरिक पौधों का संरक्षण करना, (iv) नए कब्रगाहों को स्थापित करने के साथ-साथ मृत अवशेषों को पुनरुद्घाटन की व्यवस्था करना, (v) समाधियों को दूसरी जगह स्थापित करना, (vi) खुदाई में मिली लाल मिट्टी को समुदाय के उपयोग के लिए इकट्ठा करना<sup>408</sup> दूसरी प्रतिक्रिया के विशिष्ट उपायों में पुरानी बस्ती के निवासियों के साथ समान परामर्श शामिल हैं, जो प्रतिपूरक उपायों की पहचान करने और सहमति देने के लिए सम्मिलित हैं, जिसमें शहीदों के स्मारक और रोमांटिक मैदान से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना शामिल हो सकता है, साथ ही पानी के लिए घरेलू उपयोग के मुद्दों की समीक्षा करना भी शामिल है.<sup>409</sup>

312. प्रबन्धनकीप्रतिक्रियाओं ने आवश्यक परामर्श, EMP कीसमीक्षा और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने , बैंक सुरक्षा नीतियों के निष्पादन काअनुश्रवण, स्थानीय भाषाओं में सुरक्षा दस्तावेजों के प्रकटीकरणऔर झारखण्ड के सभी पांच जिलों में मौजूद 400 सामुदायिक संगठनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मई 2018 से समयसीमा निर्धारित की है. यह इन संगठनों को, परियोजना की जानकारी प्रसारित करने, सामुदायिक चिंताओं को हल करने और पर्यावरणीय और सामाजिक अनुश्रवण करने में एक बड़ी भूमिका देने कीमंशा रखता है , जिसमें परियोजना-स्तरीय और स्थल-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र भीसम्मिलित हैं. परियोजना द्वारा समर्थित श्रेणी 2 योजनाओं के सुरक्षित अनुपालन की समीक्षा करने और आवश्यक उपायों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रबन्धन प्रतिबद्ध है.अंत में , प्रतिक्रियाओं ने परियोजना के पुनर्गठन को पूरा करने के लिए एक समयसीमा निर्धारित की- जिसमें अन्य उपक्रमों के साथ नीति(OP/ BP 4.11)को लागू किया जाना भी समिलित है. दूसरी प्रतिक्रिया भी अतिरिक्त सामुदायिक सूचना और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने पर बल देती है , जो एक अभिकरण को पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर परामर्श और प्रशिक्षण में सहायता करने के लिए संलग्न करती है , और बैंक की टीम को TDP , TDIP और नियोजित सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन की देखरेख करने में सहयोग करने के लिए मानवविज्ञान में विशेषज्ञों को नियुक्त करती है.<sup>410</sup>

<sup>408</sup>Management Response to the Second Request for Inspection, p. 16, para 61.

<sup>409</sup>Ibid., pp. 18-21, para 64.

313. उपरोक्त कही गयी क्रियाओं को शुरू करने के लिए पैनल प्रबन्धन की सराहना करता है, लेकिन जुलाई 2019 में अपने भ्रमण के समय पैनल टीम पाती है कि इनमें से कईयों लागू करने में बहुत देर हुई है और सम्बंधित समुदायों के साथ बातचीत के माध्यम से नैदानिक क्रियाओं की पहचान करने में बहुत ही कम प्रगति हुई है. प्रबन्धन द्वारा पैनल टीम को नवम्बर 2019 के एक प्रतिवेदन दिया जिसमें कहा गया कि इन मुद्दों में प्रगति जारी है और कुछ को प्राप्त कर लिया गया है. इनमें शामिल हैं

(i) झारखण्ड में दो MVSSs से जुड़े महत्वपूर्ण अवसंरचनास्थलों के लिए समुदाय से "अनापत्ति" होने के बाद अभिलेखों की समीक्षा, (ii) TDIP के क्रियान्वयनकेनिरीक्षण के लिए मानवविज्ञानी को भर्ती करना, (iii) पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर परामर्श प्रक्रिया और प्रशिक्षण में सहयोग करने के लिए, किसी अभिकरण को काम पर रखना (iv) बागबेरा और छोटागोविंदपुर योजनाओं द्वारा आच्छादित सभी GPs में परामर्श क्रियान्वयन प्रगति पर समुदाय के सदस्यों का अद्य तीकरणकरना, (v) परियोजना द्वारा समर्थित श्रेणी 2 योजनाओं के सुरक्षा अनुपालन की व्यापक समीक्षा करना (vi) सुरक्षा अभिलेखों के कार्यकारी सारांश काहिंदी में अनुवाद, (vii) झारखण्ड में 400 सामुदायिक संगठकों के कार्यों और प्रशिक्षण के स्कोप की समीक्षा, और (viii) बैंक द्वारा EMPs मसौदेकी समीक्षा.

314. पैनल नोट करता है कि, जो कार्य परियोजना के पुनर्गठन के सहवर्ती हैं, प्रबन्धन ने नीति (OP/ BP 4.10), (OP/ BP 4.11) और (OP/ BP 4.12) की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना के बैच I के अन्तर्गत कार्यान्वित सभी 548 उप-परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की शुरुआत की है. इसमें प्रत्येक राज्य को एक स्थानांतरण नीति ढाँचा (Resettlement Policy Framework), अपने-अपने राज्य के EA-EMFs के साथ भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का अनुलग्नक जोड़ते हुए तैयार करना होता है.<sup>411</sup> इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन बैच II के अन्तर्गत सभी 529 अतिरिक्त उप-परियोजनाओं (जिनमें 5 MVSSs झारखण्ड में हैं) में सभी अनिवार्य नीति आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा.

315. पैनल 548 उप-परियोजनाओं को अनुरूपान्तरित (Retrofitting) करने के बारे में सौंचता है - सभी इंगित नीतियों की आवश्यकताओं को, कही गयी समयसीमा के अंदर, पूरा करने के लिए - महत्वाकांक्षी होने के लिए, विशेषतया जब परियोजना का समापन मार्च 2020 में हो जायेगा. इस अभ्यास में कई स्थलों पर परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों के साथ वृहद् जुड़ाव होने के साथ-साथ नीति (OP/ BP 4.10), (OP/ BP 4.11) और (OP/ BP 4.12) का अनुपालन करने के तीव्र प्रयत्न भी शामिल होंगे.

316. यद्यपि अनुरूपान्तरण (Retrofitting) की माप बहुत ही बड़ी है, फिर भी पैनल नोट करता है कि इन नीतियों को संतुष्ट करने के लिए PMU और सहयोगी अभिकरणों की क्षमता सीमित है. आगे की जटिलता के बारे में पैनल समझता है कि परियोजना से प्रभावित जनजातीय समुदाय के लोगों ने पूरी होने की कगार पर पहुँच चुकी योजनाओं के अनुरूपान्तरण की उपयोगिता पर प्रश्न किये हैं, और ये लोग पहले से ही इन योजनाओं से अपरिवर्तनीय रूप से उन्हें प्रभावित हो चुके हैं. हालाँकि पूर्व क्रिया-कलापों के आधार पर ही सही, पैनल नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले प्रयासों की सराहना करता है, फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि जनजातीय समुदायों द्वारा अनुभव की गयी हानि को कैसे हल किया जाएगा.

317. पैनल प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों को क्रियान्वित करने के लिए प्रबन्धन के गंभीर प्रयासों को स्वीकारता है और नोट करता है और जबकि बहु-ग्राम योजनाओं (MVSSs) का निर्माण लगभग पूरा हो

चुका है और इसलिए मूलनिवासियोंद्वारा पहले से ही सहे गये नुकसान के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने की दिशा में संवाद स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है. पैनल DPMU और प्रभावित समुदायों के बीच स्थापित हुए संवाद के प्रयासों से उत्साहित है और समझता है कि निरीक्षण प्रतिवेदन के पूरा हो जाने के बाद भी ये प्रयास जारी रहेंगे.

---

<sup>410</sup>Ibid., p.x.

<sup>411</sup>An outline of this Annex is presented in Environmental Management Framework (Annex on identification of Physical Cultural Resources [PCRs] – OP 4.11) dated May 28, 2019.

## अध्याय 6: निष्कर्ष

**318.** भारत वर्ष के असम, बिहार, झारखण्ड और उत्तर-प्रदेश जैसे निम्न-आय वाले राज्यों में 7.7 मिलियन (77 लाख) लोगों को सुरक्षित, पाइप वाले जल और स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति का लक्ष्य वाली परियोजना की डिजाइन भारत सरकार और बैंक के बीच जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के व्यापक सहयोग में निहित थी। इस प्रयास ने कई परियोजनाओं और इस क्षेत्र की अच्छी वैश्विक प्रथाओं के मूल सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त दशकों के अनुभव को प्रतिबिंबित किया है। जो लोग स्थानीय साझीधारों के साथ ठोस पारस्परिक-क्रिया पर आधारित एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया का उपयोग कर रहे थे, वे पानी और स्वच्छता समाधान वाले घटकों को एकीकृत कर रहे थे, और स्थानीय रूप से प्रबन्धित सेवा वितरण के लिए डिजाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर दृष्टिकोणों के माध्यम से निजी क्षेत्र के साथ सहयोग कर रहे थे।

**319.** पैनल नोट करता है कि परियोजना के अभिकल्प (डिजाइन) का जोर काफी हद तक एकल-ग्राम योजनाओं (SVSs) और बहु-ग्राम योजनाओं (MVSs) को संरेखित और क्रियान्वित करने की ओर था। (विशेषतया जहाँ भूजल का निष्कासन संभव नहीं था।) प्रबन्धन को पूर्ण विश्वास था कि ग्राम-पंचायत प्रबन्धन के अंतर्गत आने वाली ये योजनाएँ सेवा वितरण का एक सफल निदर्श (Model) थीं जो किसी भी परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन और परिचालन सम्बन्धी प्रबन्धन में लक्षित समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करती थीं। हालाँकि जब बात अपेक्षाकृत दीर्घ बहु-ग्राम योजनाओं (MVSs) की आयी - जैसे बागबेरा और छोटोगोविंदपुर के मामले में - तो मुद्दे, इन बहु-ग्राम योजनाओं (MVSs) के संचालन और रख-रखाव की कमियों पर केन्द्रित हो गये। पैनल नोट करता है कि यह मुद्दा इस बात में परिवर्तित नहीं हो पाया था कि समुदाय-संचालित विकास के उपागमों (Approaches) और स्थल-विशिष्ट आकलनों को कैसे संचालित किया जाए, जिसमें कई ग्राम पंचायतें, और बहुत से लाभार्थियों के साथ-साथ मिश्रित समुदाय भी शामिल हो सकते थे। इन्हीं सब चीजों ने बागबेरा के जल उपचार संयंत्र (WTP) और पुरानी बस्ती के ऊँचे भण्डारण वाले जलाशय (ESR) की अवसंरचना और उनके निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जो पारंपरिक रूप से उर्ध्व से निम्न दिशा वाली, अभियांत्रिकी-संचालित और जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी रहित संकल्पना थी। अपने निष्कर्षों में पैनल ने निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों को दर्शाया है:

**320. स्थल-विशिष्ट एकीकृत आकलन.** उप-परियोजनाओं की डिजाइन और उनके क्रियान्वयन में एकीकृत पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आकलन का विलोप है। (बागबेरा के जल उपचार संयंत्र (WTP) और पुरानी बस्ती के ऊँचे भण्डारण वाले जलाशय (ESR) के मामले में)। परियोजना की गतिविधियाँ उन क्षेत्रों में स्थित थीं जहाँ जनजातीय जनसँख्या बहुत ज्यादा थी और बैंक नीति के अनुसार उन्हें मूलनिवासी के रूप में पहचाना गया था लेकिन परियोजना द्वारा उनकी संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को संभावित जोखिमों के रूप में चिन्हित नहीं किया गया। पैनल किसी भी ऐसे स्थल की पहचान नहीं कर सका, जो या तो अस्तित्व में हैं या अनुपस्थिति हैं जैसे कब्रों, पवित्र कुंजों पेड़ों, औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों, या ग्रामीणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली लाल मिट्टी जिनका अभिलेखीकरण किया गया हो। परियोजना में उस परिदृश्य की भी अनदेखी की गयी जिसमें यह परियोजना चलायी जा रही थी। पर्यावरणीय आकलन तकनीकी पहलुओं पर केन्द्रित था और परियोजना अभिलेखों में पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक विषयों के बीच के अंतर्संबंध पर

ध्यान ही नहीं दिया गया था. यदि इन पहलुओं पर ध्यान दिया गया होता और पूरी सम्पूर्णता में इन्हें क्रियान्वित किया गया होता साथ ही साथ स्थल-विशिष्ट आवश्यक सुरक्षा उपकरण विकसित किये गये होते तो पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अनुरोधकर्ताओं पर पड़ने वाले परियोजना प्रभावों की पहचान हो गयी होती और उनको संगठित प्रबन्धन योजनाओं के माध्यम से हल कर लिया गया होता. **संथालों** और **होजनजातियों** की कब्रगाहों की अपवित्रता, पवित्र कुंजों पर प्रभावों और सामुदायिक स्थानों जिनका प्रयोग पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामुदायिक समारोहों आदि के लिए होता था, इन सबको गहरे नुकसान से बचाया जा सकता था या फिर इन प्रभावों का शमन किया जा सकता था.

**321. परामर्श और प्रकटन.** उपयुक्त अभिलेखों के प्रकटन में कमियाँ, परामर्शों की अपर्याप्त अभिलेख-रक्षणव्यवस्था और प्रमुख परियोजना अभिलेखों को हिंदी और जनजातीय भाषाओं में अनुवाद करने में विफलता एक प्रकार से गंभीर चिंताएँ हैं. स्थल-विशिष्ट TDP की कमी के कारण, प्रभावित जनजातीय समुदायों से उप-परियोजनाओं के बारे में परामर्श नहीं लिया जा सका और उनके वृहद् सामुदायिक समर्थन के बिना निर्माण कार्य चलता रहा. यद्यपि झारखण्ड के बनाये गये TDP में ऐसे विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन

मांगे गये थे जिनमें विचाराधीन जलापूर्ति वितरण के विकल्पों को सम्मिलित किया गया हो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. भूमि आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए परियोजना चक्र के दौरान न तो परामर्श किए गए और न ही प्रासंगिक अवसंरचना के लिए स्थानों का चयन किया गया था.

**322. ग्राम-सभा का अनुमोदन.** अनुसूचित क्षेत्रों में MVSs के निर्माण स्थलों के चयन में निवास स्तर की ग्राम सभाएं निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय भूमिकाओं में होती हैं. इस जाँच के अधीन अवस्थापना हेतु बस्ती स्तर की ग्राम सभा से अनुमोदन सुनिश्चित किये बिना इसे, जनजातीय समुदाय द्वारा अनुभव किये गये नुकसान से सीधे जोड़ा जा सकता है. प्रबन्धन ने भी स्वीकार किया कि बस्ती स्तर की ग्राम सभा से अनुमोदन के अभाव में भी काम जारी रहा. प्रभावित समुदाय की पारम्परिक निर्णय लेने की प्रणाली का अनुसरण न करने के कारण परियोजना को व्यापक सामुदायिक समर्थन नहीं प्राप्त हुआ.

**323. शिकायत निवारण तंत्र.** परियोजना के अभिलेखों की पैनल द्वारा समीक्षा और जनजातीय समुदायों के साथ विचार-विमर्श से एक कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र की कमी का पता चलता है- एक जो पारंपरिक और प्रथागत विवाद-समाधान तंत्र के तौर पर पहचाना जाता है.

वे जनजातीय नेता जिनसे पैनल ने बात-चीत की वर्तमान के शिकायत निवारण तंत्र (GRM) के बारे में अनभिज्ञ थे, और प्रथम अनुरोध की प्रस्तुति से पहले उनको विवादों के समाधान का समर्थन करने के लिए परियोजना द्वारा मना किया गया था. शिकायतों का प्रारंभिक ज्ञान उप-परियोजनाओं के लिए प्रस्तुत किए गए मुद्दों के लिए समय पर समाधानों का विकल्प दे सकता था और समुदायों के साथ विश्वास बनाने में मदद करता. यदि जनजातीय विवाद-निपटान प्रक्रियाओं का एक शिकायत निवारण तंत्र संज्ञानात्मक रहा होता तो अनुरोधों में पहचानी जाने वाली समस्याओं में से कई को समय पर और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से हल किया जा सकता था.

**324.** कई कारकों ने अपर्याप्त और अप्रभावी बैंक पर्यवेक्षण में योगदान दिया. पैनल नोट करता है कि बैंक पर्यवेक्षण में प्रासंगिक जोखिमों पर ध्यान नहीं दिया गया, पहले से चिन्हित समस्याओं के लिये व्यवस्थित और सक्रिय अनुवर्ती क्रियाओं के माध्यम से निदान नहीं किया गया और बैंक की आंतरिक

संरचना में ही मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी. स्थल चयन के विरोध में लहराते लाल झंडे, स्थल-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं का अभाव और समुदाय द्वारा बैंक प्रबन्धन को शिकायतों का प्रस्तुतीकरण आदि के समाधान के लिए पर्याप्त अनुवर्ती- क्रियाएँ नहीं हो सकी अन्यथा परियोजना एक भिन्न प्रभाव डाल चुकी होती.

**325. रेट्रोफिटिंग और निवारण .** प्रबन्धन ने कमजोरियों को निर्भीक रूप से स्वीकार किया है और कमियों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है , जिसमें मूलनिवासियों, भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों और अनैच्छिक पुनर्वास पर बैंक नीतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना को फिर से तैयार (पुनर्संयोजन) करना शामिल है. पैनल को उम्मीद है कि परामर्श के माध्यम से, समुदायों को स्वीकार्य समाधान अभी भी मिल सकते हैं.

## अनुलग्नक 1: जल उपचार संयंत्र योजनाबद्ध और विवरण

### परिशिष्ट 1: निष्कर्षों की तालिका


पर्यावर्णीय वर्गीकरण	पैनल यह स्वीकार करता है कि परियोजना को संभावित स्थल-विशिष्ट प्रभावों के साथ ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं के निर्माण के लिए तैयार किया गया था जिनमें कुछ अपरिवर्तनीय हैं और जिनके लिए शमन उपायों को आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि पर्यावर्णीय आकलन-पर्यावर्णीय प्रबंधन ढांचे की आवश्यक प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया गया था , पैनल ने पर्यावर्णीय श्रेणी B के रूप में परियोजना के पदनाम को पर्यावर्णीय आकलन पर बैंक नीति (OP/BP 4.01) के अनुपालन में पाया।
पर्यावर्णीय प्रबंधन योजनाएं	पर्यावर्णीय प्रबंधन योजनाओं को केवल जून 2019 में अंतिम रूप दिया गया था, जब बागबेरा बहु-ग्राम योजना का निर्माण 70 प्रतिशत पूर्ण के रूप में रिपोर्ट किया गया था और छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजना पूरी हो गई थी और पहले से ही परीक्षण स्थिति में थी। परियोजना के तहत वित्त-पोषित बागबेरा और छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजनाओं का निर्माण आवश्यक , स्थल-विशिष्ट पर्यावर्णीय और सामाजिक आकलन और पर्यावर्णीय प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बिना आगे बढ़ा। पैनल , प्रबंधन को इन योजनाओं के संभावित पर्यावर्णीय, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के विश्लेषण और संबंधित शमन उपायों के विकास को सुनिश्चित न करने के लिए पर्यावर्णीय आकलन पर बैंक नीति (OP/BP 4.01) के गैर-अनुपालन में पाता है।
ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रभाव	भले ही ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परियोजना का एक अभिन्न अंग है और पर्यावर्णीय ढांचे और पर्यवेक्षण दस्तावेजों में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है , 2019 में पुनःसंयोजित पर्यावर्णीय प्रबंधन योजनाओं में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी और उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। पैनल, प्रबंधन को बागबेरा और छोटागोविंदपुर बहु-ग्राम योजनाएँ के लिए 2019 पुनःसंयोजित पर्यावर्णीय प्रबंधन योजनाओं में घरेलू अपशिष्ट जल के खुले निपटान द्वारा प्रस्तुत पर्यावर्णीय और स्वास्थ्य जोखिमों और उनके शमन उपायों की कवरेज को सुनिश्चित नहीं करने के लिए पर्यावर्णीय आकलन पर बैंक नीति (OP/BP 4.01) के साथ गैर-अनुपालन में पाता है।
जल विज्ञान, जल गुणवत्ता और कीचड़ प्रबंधन	अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाए गए जल विज्ञान , जल की गुणवत्ता और कीचड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं की समीक्षा करते हुए , पैनल ने पाया कि इन मामलों पर बहु-ग्राम योजनाओं के डिजाइन में विचार किया गया है और दो योजनाएँ के लिए लागू होने वाली 2019 पर्यावर्णीय

	<p>प्रबंधन योजनाओं में संबंधित प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया गया है। पैनल, प्रबंधन को परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में और 2019 पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं में जल विज्ञान, पानी की गुणवत्ता और कीचड़ प्रबंधन के संबंध में पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने में पर्यावरणीय आकलन पर बैंक नीति (OP/BP 4.01) के अनुपालन में पाता है।</p>
स्थल-विशिष्ट जनजातीय विकास योजनाएं	<p>पैनल नोट करता है कि झारखंड राज्य के लिए एक सामाजिक मूल्यांकन और जनजातीय विकास योजना तैयार की गई थी। पैनल के विचार में, एक स्थल-विशिष्ट सामाजिक मूल्यांकन - जो प्रभावित जनजातीय समुदायों की विशेषताओं और उन पर प्रभाव का विश्लेषण करता हो - और विस्तृत शमन और परामर्श उपाय की मौजूदगी के बिना, मसौदा जनजातीय विकास योजना एक रूपरेखा दस्तावेज़ भर है ठीक वैसे ही जैसे कि मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) में उल्लिखित मूल निवासी लोगों के लिए योजना रूपरेखा।</p> <p>पैनल ने पाया कि यद्यपि बागबेरा जल -शोधन संयंत्र और पुरानी बस्ती के पास ऊँचा भंडारण जलाशय जनजातीय समुदायों द्वारा प्रथागत उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, प्रबंधन साइट-विशेष जनजातीय विकास योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करने में विफल रहा, जिससे मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में संस्कृति, धर्म और इन स्थलों से सटे जनजातीय समुदायों के जीवन के तरीके को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।</p>
मूल निवासी लोगों पर प्रभाव का आकलन	<p>पैनल नोट करता है कि सामाजिक मूल्यांकन और जनजातीय विकास योजना, प्राकृतिक संसाधनों और धार्मिक प्रथाओं या संधाल और होजनाजातियों के सांस्कृतिक त्योहारों के प्रथागत उपयोग का पर्याप्त रूप से आकलन नहीं करती है। पैनल ने पाया कि पर्यावरणीय आकलन (OP/BP 4.01), मूल निवासी लोगों (OP/BP 4.10) और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों (OP/BP 4.11) पर बैंक नीतियों के गैर-अनुपालन में प्रबंधन ने भूमि, संसाधनों और साइटों के प्रथागत उपयोग पर प्रभाव की पहचान और शमन को सुनिश्चित नहीं किया, जो बागबेरा जल शोधन संयंत्र और पुरानी बस्ती के पास ऊँचे भंडारण जलाशय के पास प्रभावित जनजातीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखते हैं।</p>
विचार-विमर्श	<p>पैनल मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में सामाजिक परामर्श, जनजातीय विकास योजना और जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना के परामर्शों और प्रकटीकरण में कमियों का पता लगाता है, जिसमें परामर्श प्रक्रिया का अपर्याप्त दस्तावेज़, जानकारी का अपर्याप्त खुलासा और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के</p>

	<p>हिंदी और जनजातीय भाषाओं में अनुवाद का अभाव शामिल है। इसके अलावा, पैनल ने पाया कि प्रबंधन ने मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में स्थल-विशिष्ट जनजातीय विकास योजनाओं के अभाव में गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती में प्रभावित जनजातीय समुदायों के साथ स्वतंत्र , पूर्व और सूचित परामर्श की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की।</p>
<p>साइट चयन पर निर्णय लेना</p>	<p>पैनल ने पता लगाया कि बागबेरा जल उपचार संयंत्र और पुरानी बस्ती के पास ऊँचे भंडारण जलाशय के लिए साइट का चयन जनजातीय विकास योजना और जनजातीय विकास क्रियान्वयन योजना में निर्धारित जनजातीय निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकताओं के बावजूद बस्ती की ग्राम सभा(ओं) द्वारा अनुमोदित नहीं था। पैनल ने पाया कि इन साइटों को प्रभावित जनजातीय लोगों के लिए साइटों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर विचार किए बिना चुना गया था। पैनल ने यह भी पाया है कि प्रभावित जनजातीय समुदाय के सदस्यों से व्यापक सामुदायिक समर्थन के अभाव में कार्य आगे बढ़ा। नतीजतन , पैनल दो साइटों का चयन मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में पाता है।</p>
<p>शिकायत निवारण तंत्र</p>	<p>पैनल नोट कर ता है कि परियोजना के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान प्रभावित समुदायों द्वारा अपनी चिंताओं को उठाने के लिए कोई कार्यशील शिकायत निवारण तंत्र नहीं था , और यह कि परियोजना द्वारा प्रथागत जनजातीय विवाद निपटान तंत्र पर न तो विचार किया गया था और न ही इसका उपयोग किया जाता था। पैनल को प्रबंधन द्वारा मूल निवासी लोगों पर बैंक नीति (OP/BP 4.10) के गैर-अनुपालन में समयबद्ध , सुलभ, प्रभावी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने की विफलता का पता चलता है।</p>
<p>पर्यवेक्षण</p>	<p>पैनल ने नोट किया कि बैंक पर्यवेक्षण में प्रासंगिक जोखिमों पर विचार नहीं किया गया, पहचान की गई समस्याओं का व्यवस्थित रूप से और लगातार पालन नहीं किया और मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए एक कामकाजी आंतरिक तंत्र का अभाव था। पैनल पाता है कि प्रबंधन, निवेश परियोजना वित्तपोषण (OP/BP 10.00), पर्यावरणीय आकलन (OP/BP 4.01) और मूल निवासी लोगों (OP/BP 4.10) पर बैंक नीतियों के गैर-अनुपालन में आवश्यक पर्यावरणीय और सामाजिक उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए - अनुरोधों से पहले - पर्याप्त कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने या प्रासंगिक , प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसने गिद्दी झोपड़ी और पुरानी बस्ती के मूल निवासी लोगों द्वारा अनुभव किए गए नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।</p>

## अनुलग्नक 2: जल उपचार संयंत्र योजनाबद्ध और विवरण

बागबेरा और छोटागोविंदपुर योजनाओं के लिए बनाए गए जल उपचार संयंत्र, उपचार घटकों के समान अनुक्रम का उपयोग करते हैं। इन्हें निम्न रेखाचित्र में दिखाया गया है और साथ कीनिम्न तालिका में इसका वर्णन किया गया है।



	उपचार घटक	उद्देश्य	नोट्स
1	वायु संचरण फव्वारा	-पानी की ऑक्सीजन को तरोताजा बनाना	- 10m का व्यास

	(Aeration Fountain)	-स्वाद और गंध को दूर करना -लौह और/या मैंगनीस का अवक्षेपण	-5 चरण
2	नालिका (Flume)	बहाव/संचरण की माप	कुछ विशिष्ट नहीं
3	फ़्लैश मिक्सर (Flash Mixers)	गाढ़े और pH समायोजक तेजी से और समान रूप से एक समान मात्रा में समरूप तरल बनाने के लिए फैलाए जाते हैं	सोडियम हाईड्रॉक्साइड (NaOH) को मिलाने से pH मूल्य बढ़ जाता है। गाढ़ा पदार्थ फिटकरी होता है, एलुमिनियमपोटैसियमफोस्फेट, (KAl(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> ), खानेवाला सोडा).
4	निर्मलउर्णिकायी (Clariflocculator)	इसमें दो प्रक्रियाएँ हैं : जमा देना - पानी का मैलापन और रंग दूर करते हुए उसका अवक्षेपण बढ़ाते हुए उर्णन और तलछटीकरण कर देना जिसको नीचे के बड़े और स्थिर क्लेरीफायर से हटाया जा सकता है। इसके बाद निर्मल पानी इन अवक्षेपण बेसिन के उपरी भाग से रेत के छन्नों (Sand filter Beds) में जाता है।	जमावट: उर्णन के कारण पानी में छोटे-छोटे कण इकट्ठे होकर बड़ी जमावट में बदलते हैं जिनको आसानी से पानी से अलग किया जा सकता है।  इस निर्मलीकरण या तलछटीकरण की प्रक्रिया में सभी प्रकार के कणों, जमावटों, कार्बनिक तत्वों और रंगों को हटाकर पानी को स्वच्छ बनाया जाता है।  अवक्षेपित (Settled) पदार्थ का एक हिस्सा उपचार प्रक्रिया के लिए वापस बेजा जाता है और कीचड़ का हिस्सा कीचड़ के टैंक में भेजा जाता है जहाँ उसे सुखाकर या अपकेन्द्रित कर उसका निस्तारण कर दिया जाता है।
5	रेतीली पट्टियाँ और पाइप गैलरी (Sand Bed and piped gallery)	लगभग 2 मी. लम्बी रेत की पट्टी से पानी को गुज़ारकर मुक्त हुए कणों, अधजमे थक्कों और रोगाणुओं से मुक्ति पाई जाती है फ़िल्टर केन्द्र में कई रेत की पट्टियाँ, पाइपों की कतारें और एक साफ़ पानी का टैंक होता है। .	हर रेत की पट्टी के निचले हिस्से से छना हुआ पानी पाइप की गैलरी में आता है और आवधिक साफ पानी के “बैकवाश” के लिए प्रस्तुत होता है, या Wash water टैंक में प्रत्येक रेत की पट्टियों की सफाई के लिए प्रयोग होता है।
6	साफ़ पानी की मुख्य हौदी (Sump)	यह साफ़ पानी का एक जलाशय है जहाँ से उपचारित पानी सभी ESRs को जाता है।	इस इकट्ठे पानी को ESR से वितरण से पूर्व क्लोरीन गैस के माध्यम से विसंक्रमित किया जाता है।

## अनुलग्नक 3: निरीक्षण पैनल के सदस्य और विशेषज्ञ सलाहकार, उनकी संक्षिप्त जीवनी

**Imrana Jalal इमराना जलाल , अध्यक्ष:** सुश्री जलाल को 1 जनवरी , 2018 को निरीक्षण पैनल में नियुक्त किया गया था. फिजी राष्ट्रियता की , सुश्री जलाल निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विविध भू-राजनीतिक और बहु-सांस्कृतिक वातावरण में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव रखती हैं, और इसी के कारण वह पैनल में है.

2010-2017 से एशियाई विकास बैंक के लिए एक प्रमुख सामाजिक विकास विशेषज्ञ (लिंग और विकास) के रूप में, सुश्री जलाल ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय विकास बैंक संचालन के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त किया और मिस जलाल ने विभिन्न और जटिल मुद्दों के रहते हुए हितधारकों के साथ तालमेल और विश्वास बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया. वह 1995-2010 तक Pacific Regional Rights Resource Team Office में तकनीकी सलाहकार थीं.

पेशे से वकील , सुश्री जलाल 1999-2001 से प्रारम्भिक फिजी मानवाधिकार आयोग में एक आयुक्त थीं, जो प्रशांत द्वीप देशों में अपनी तरह की पहली महिला अध्यक्षा थी. वह फिजी Family Law Act 2003 की वास्तुकार, "Law for Pacific Women: A Legal Rights Handbook " की लेखिका हैं और फिजी महिला अधिकार आंदोलन की संस्थापक सदस्य थीं. वह 2006 में जिनेवा स्थित इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स (ICJ) में एक कमिश्नर चुनी गयीं और 2011-2017 तक आयोग के कार्यकारी बोर्ड में कार्य करती रहीं. इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरिस्ट्स ( ICJ)की स्थापना न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए की गई थी.

सुश्री जलाल ने सिडनी विश्वविद्यालय से लिंग और विकास केन्द्रित मास्टर ऑफ़ आर्ट्स प्राप्त की , और ऑकलैंड विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय कानून में एलएलबी और एलएलबी (ऑनर्स) में डिग्री प्राप्त की. उनके कार्यकाल का निर्धारण 31 दिसंबर , 2022 तक है. अप्रैल 2018 में पैनल की अध्यक्ष बनने के लिए चुना गया, और 16 दिसंबर, 2018 से उनका कार्यकाल प्रभावी हुआ. इमराना जलाल को 1 जनवरी, 2018 को निरीक्षण पैनल में नियुक्त किया गया.उनका निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विविध भू-राजनीतिक और बहु-सांस्कृतिक वातावरण में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव उन्हें पैनल में लाता है.

**रमानी कुनानायगम ( RamanieKunanayagam),** **पैनल की सदस्या:** सुश्री कुनानायगम , एक श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं जिनको 16 दिसंबर , 2018 को निरीक्षण पैनल में नियुक्त किया गया था. वह निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के विविध-राजनीतिक और बहु-सांस्कृतिक वातावरण में 25 से अधिक वर्षों के अनुभव रखने के कारण पैनल में स्थान पाती है. सुश्री कुनानायगम के नेतृत्व का अनुभव निजी, सार्वजनिक और गैर-लाभकारी क्षेत्रों में विस्तारित है.

सुश्री कुनानायगम ने 10 वर्ष से अधिक का समय इंडोनेशिया के पूर्वी कालीमंतन के सुदूर भाग में फील्डवर्क करते हुए बिताया. उन्होंने निजी क्षेत्र ( दो FTSE 10 कंपनियों के लिए काम करना) और गैर-लाभकारी क्षेत्र दोनों में स्थिरता से सम्बंधित नेतृत्व के पदों को धारण किया है. हाल ही में वह बीजी समूह के लिए सामाजिक प्रदर्शन और मानवाधिकार के लिए वैश्विक प्रमुख थीं. वह दो अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी विकास संगठनों के बोर्ड का सदस्य है - RESOLVE और यूथ बिजनेस इंटरनेशनल (YBI). इसके अलावा , सुश्री कुनानायगम ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में एक फैलो हैं , और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में एक कार्यकारी सत्र सदस्य हैं

सूचना और क्रॉस-कटिंग क्षेत्र के अनुभव को गढ़ने की उनकी क्षमता के साथ , वह अच्छे निर्णय और जटिल मुद्दों को संतुलित करने और स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण रहते हुए विविध हितधारकों की प्रतिस्पर्धी मांगों पर विचार करने की क्षमता के साथ-साथ निरीक्षण पैनल के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और एकसमकालीन परिप्रेक्ष्य लाती है.

सुश्री कुनानायगम के पास पूरे परियोजना चक्र में काम करने का मजबूत परिचालन अनुभव है. बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उनका अनुभव और 30 से अधिक देशों में रहने और काम करने के मूल्यवान अनुभव से उनके लोगों के कौशल और ब्रोकर विश्वास संबंधों की क्षमता का पता चलता है. अपने करियर में बहुत पहले विश्व बैंक में दूसरी के रूप में उनकी नियुक्ति भी संगठन के संचालन की जानकारी और ज्ञान देती है, जो कि उस विशेषज्ञता का पूरक है, जिसने सिविल सोसायटी, मल्टीलेटरल, बाय-लेटरल और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स से प्रभावित समुदायों के साथ काम किया है.

उन्होंने मोनाश विश्वविद्यालय , ऑस्ट्रेलिया से मानव विज्ञान में मास्टर्स अर्जित किया है. उनकी नियुक्ति 15 दिसंबर, 2023 तक है.

**मार्क गोल्डस्मिथ ( Mark Goldsmith),पैनल सदस्य :** यूनाइटेड किंगडम के नागरिक श्री गोल्डस्मिथ को 17 नवंबर, 2019 को निरीक्षण पैनल में नियुक्त किया गया था. जटिल परियोजनाओं और वित्तीय सेवाओं, विकास, रणनीति-परामर्श और ऊर्जा क्षेत्रों में टीमों के प्रबंधनके 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के कारणपैनल के सदस्य हैं.उनका नेतृत्व सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों तक फैला है जहाँ उन्होंने बहु-हितधारकों के प्रबंधन , जटिल मुद्दों को समझने और उद्योग-व्यापी और क्षेत्र-अग्रणी समाधानों के कार्यान्वयन का नेतृत्व करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है.

उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं में अपने काम के माध्यम से, श्री गोल्डस्मिथ ने पर्यावरण, सामाजिक, स्थिरता, सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और शासन के मुद्दों सहित जटिल और संवेदनशील मामलों के एक विस्तृत पोर्टफोलियो के साथ काम किया है -उनका ये अनुभव पैनल को महान मूल्य प्रदान करता है.

2015 में अपनी खुद की स्थिरता कंसल्टेंसी "Five Oak" बनाने से पहले , श्री गोल्डस्मिथ 10 से अधिक वर्षों के लिए Actis के लिए Responsible Investment के निदेशक थे. उस दौरान , वह उभरते बाजारों में पर्यावरण और सामाजिक शासन (ESG) की सोच में अग्रणी थे. इस क्षमता में उन्होंने सभी निवेश क्षेत्रों और कंपनियों में व्यावसायिक अखंडता , स्वास्थ्य और सुरक्षा , सामाजिक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों में विश्व स्तर के मानकों को विकसित और बढ़ावा दिया और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों और पारदर्शी प्रथाओं को लागू किया. 2014 से 2019 तक , श्री गोल्डस्मिथ कैमरून की बिजली कंपनी ENEO के एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे, और उन चार वर्षों के लिए ESGपर बोर्ड की उपसमिति की अध्यक्षता की.

श्री गोल्डस्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रदर्शन मानकों पर CDC समूह (UK का विकासात्मक वित्त संस्थान) के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रशिक्षण विकसित करने और पूर्वी अफ्रीका के निजी इक्विटी फंड (Equity Fund) और इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों को ESG विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने सहित कई असाइनमेंट का नेतृत्व किया है.

उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और लीड्स विश्वविद्यालय से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. पैनल पर उनकी नियुक्ति 16 नवंबर , 2024 तक है.

**जन मैट्ससन ( Jan Mattsson), पूर्व पैनल सदस्य:** जन मत्ससों ने 17 नवंबर 2014 से 16 नवंबर, 2019 तक निरीक्षण पैनल के सदस्य के रूप में कार्य किया था. जब रिपोर्ट के अंतिम रूप देने

के दौरान पैनल सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया , तो उन्होंने इसके पूरा होने तक रिपोर्ट पर परामर्शदाता के रूप में काम करना जारी रखा.

जन मैट्ससन एक स्वीडिश राष्ट्रियता वाले व्यक्ति हैं, आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में तीन दशकों के अनुभव के साथ-साथ अकादमिक क्षेत्र के अनुभव के कारण पैनल में थे. इसमें संयुक्त राष्ट्र में विकास क्षेत्र कार्य, नीति सलाह, कार्यक्रम प्रबन्धन और नेतृत्व की भूमिकाएं शामिल थीं , जहां उन्होंने परिणाम-आधारित प्रबन्धन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मजबूत प्रणाली स्थापित की. अपने करियर के दौरान, जन मैट्ससन ने जटिल मुद्दों के आसपास कई हितधारकों के साथ विश्वास को संलग्न करने और निर्माण करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है.

वह सामाजिक न्याय और नैतिकता के मुद्दों को लेकर बहुत ही उर्जान्वित रहते हैं. उन्होंने तकनीकी परिवर्तन के प्रबंधन पर एक बहु-क्षेत्रीय Thesis के साथ , यूनिवर्सिटी ऑफ Linkoping , स्वीडन से इंजीनियरिंग में Phd. की है.

पैनल में शामिल होने से पहले, जन मैट्ससन ने संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों में विभिन्न पदों का संचालन किया है - जिनमें UNDP, UNIDO, UNFPA, WFP और UNODC शामिल हैं. अपने अंतिम संयुक्त राष्ट्र के असाइनमेंट में , वह UN Under-Secretary-General और UNOPS के कार्यकारी निदेशक थे, जो कई सहयोगियों की ओर से विकास, मानवीय और शांति-निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता वाला संगठन है. संयुक्त राष्ट्र छोड़ने के बाद , उन्होंने M-Trust Leadership की स्थापना की, जो एक स्थायी फर्म है जो सतत विकास की खोज में व्यवसाय , सरकार और नागरिक समाज के बीच सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देती है.

जन मैट्ससन [Museum for the United Nations - UN Live](#), के सह-संस्थापक और वर्तमान में इसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं. वह दो सामाजिक उद्यमों EverImpact और SolarSack के बोर्ड अध्यक्ष भी हैं.

**नवीन क. राय (Navin K. Rai), विशेषज्ञ परामर्शदाता:** नवीन के. राय ने अपनी पी.एच.डी. हवाई विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से , 1982 में की थी इनकी thesis का विषय था फिलीपीनी समाज के शिकार कर खाद्य इकठ्ठा करने वाले समुदाय पर लॉगिंग और खनन का प्रभाव. एक नेपाली राष्ट्रियता वाले , डॉ. राय ने 1988 में मिशिगन विश्वविद्यालय , एन आर्बर , अमेरिका में Fullbright Visiting (फुलब्राइट विजिटिंग) प्रोफेसर के रूप में कार्य किया. उन्होंने 1973 से 1988 तक

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल और एशियाई अध्ययन केंद्र , नेपाल में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया. डॉ. राय विश्व बैंक में Indegenous Peoples (मूलनिवासी) कॉर्पोरेट सलाहकार (1999 - 2012) थे; इस भूमिका में , वह विश्व बैंक मूलनिवासी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए और मूलनिवासी लोगों पर विश्व बैंक कॉर्पोरेट रणनीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे और इसके लिए उन्हें वैश्विक मूलनिवासी लोगों के समुदाय के साथ-साथ मूलनिवासियों पर एक प्रगतिशील कॉर्पोरेट रणनीति के लिए विश्व बैंक को प्रभावी ढंग से प्रभावित करना जैसे विषय पर इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द्वारा मान्यता प्राप्त थी.

विश्व बैंक में अपने काम से पहले , डॉ. राय नेपाल में(1986-1994) और फिलीपींस में (1995-1999) में ग्रामीण विकास / प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहयोग के लिए जर्मन एर्जेसी (GIZ) के मुख्य तकनीकी सलाहकार थे.इस कार्य के दौरान, उन्होंने बहु-राष्ट्रीय, बहु-क्षेत्रीय टीमों का नेतृत्व किया , पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र परियोजनाओं का समन्वय किया और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में जमीनी स्तर के समुदायों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया. डॉ. राय ने "प्रोजेक्ट इम्पैक्ट इवैल्यूएशन: प्रमोटिंग राइट्स-बेस्ड , इक्विटेबल और प्रो-पुअर REDD + स्ट्रेटेजीज़" के लिए एशिया Indegenous Peoples Pact (2013 - 2014) के लिए एक मूल्यांकन सलाहकार के रूप में कार्य किया , एशिया क्षेत्रीय मानवाधिकार संगठन ने स्वदेशी लोगों पर ध्यान केंद्रित किया. मेकांग उप-क्षेत्र ; " उन्होंने मेकांग क्षेत्र (कंबोडिया , लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम) में पांच देशों में REDD + में मूलनिवासियों के अधिकारों की मान्यता के लिए परियोजना के योगदान का मूल्यांकन किया. वह संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण कार्यक्रम (2004 - 2019) के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ( UNITAR) के लिए विशेषज्ञ संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करता है ताकि संघर्ष की रोकथाम और स्वदेशी लोगों के प्रतिनिधियों की शांति-क्षमता को बढ़ाया जा सके. वर्तमान में , वे मूलनिवासी पीपुल्स नेपाल ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं.

डॉ. राय की पुस्तक , "*Living in a Lean-To: Philippine Negrito Foragers in Transition*", मिशिगन विश्वविद्यालय, एन अर्बोर द्वारा 1990 में प्रकाशित की गई थी. उन्होंने कई विश्व बैंक की रिपोर्टें और प्रकाशन शामिल किए हैं जिनमें मूलनिवासी लोग और गरीबी (2006) शामिल हैं. ; विश्व बैंक ने जलविद्युत परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को विकास लाभ प्रदान किया: तकनीकी कार्यशाला रिपोर्ट (2010) ; विश्व बैंक की Indigenous Peoples Policy: A Learning Review (2011);और ड्राफ्ट गाइडबुक को विश्व बैंक स्वदेशी पीपुल्स पॉलिसी (2010) के कार्यान्वयन के लिए. 2005 में, डॉ. राय ने Indigenous Peoples Plan for Laos - Nam Theun 2 Hydroelectric Project.तैयार करने के लिए एक बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों टीम का समन्वय किया.

**क्रिस्टोफर मैकगही (Christopher McGahey) विशेषज्ञ परामर्शदाता:** क्रिस्टोफर मैकगही ने पीएचडी पूरी करने के बाद से 25 देशों में पेशेवर काम किया है. 1994 में The Johns Hopkins University, Department of Geography and Environmental Engineering, जहां से उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और सूक्ष्म झिल्ली फिल्टर द्वारा पानी से वायरस को हटाने के तंत्र पर डॉक्टरेट अनुसंधान किया. उन्होंने 1982 से केन्या में Peace Corps Volunteer के रूप में 1984 से अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू किया और International Rescue Committee के लिए थाई-कंबोडियन सीमा पर शरणार्थियों की सेवा के लिए एक पानी, स्वच्छता और व्यक्तिगत सफाई (WASH) कार्यक्रम का निर्देशन किया. वह WASH, मुद्दों पर इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंस और विशेषज्ञों के बीच प्रोग्रामेटिक चुनौतियों को पूरा करने में माहिर है, जो पानी और स्वच्छता सेवा वितरण के दृष्टिकोण के एक सिस्टम के भाग के रूप में है.

उनका काम युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में USAID की सबसे बड़ी WASH परियोजना के डिजाइन और प्रबन्धन से लेकर जल सुरक्षा के एकीकरण के प्रयासों और स्थिरता की चिंताओं के समाधान तक के अग्रणी प्रयासों तक रहा है. उन्होंने उप-सहारन अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और गैर-लाभकारी क्षेत्रों के लिए अनुसंधान, योजना और मूल्यांकन का नेतृत्व किया है, और सामुदायिक नेताओं, सरकारी निर्णय निर्माताओं, बहु-पार्श्व के साथ काम करने वाले कैरिबियन सलाहकार संगठन, और वरिष्ठ अधिकारी. यह विश्व बैंक के निरीक्षण पैनल में सहयोग करने का उनका पहला अवसर है.

डॉ. मैकगही के वर्तमान पोर्टफोलियो में कुपोषण और स्टंटिंग के जोखिम के कारण सेवा वितरण में सुधार, संबद्ध व्यवसाय नियोजन, और आबादी की ओर बेहतर सेवाओं को लक्षित करना शामिल है. 2013 से, उन्होंने अपनी स्वतंत्र कंसल्टेंसी, Hillaria International के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है और U.K. Royal Academy of Engineering, IMA World Health, Millennium Challenge Corporation/University Research Corporation, Management Sciences for Health, Tetrattech, IRCWash, Aguaconsult, Plan International, Safe Water Network, The World Bank, and the World Wildlife Fund सहित कई ग्राहकों को अपनी महत्वपूर्ण स्वयं दी है.

# अनुलग्नक 4

## Location Map of the Requests for Inspection

